छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **अष्ठम् सत्र**

मंगलवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

(कार्तिक 05, शक सम्वत् 1942)

[अंक 01]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

(कार्तिक 05, शक संवत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

समय :

11:00 बजे **"राष्ट्रगीत" एवं "राज्यगीत"**

अध्यक्ष महोदय अब राष्ट्रगीत -:"वंदे मातरम्" के साथ राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" होगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिये कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" और राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" की धुन बजाई गई।)

समय :

11:03 बजे **सदन को सूचना**

अध्यक्ष महोदय -: वर्तमान में कोरोना कोविड 19-के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोकसभा की भांति छत्तीसगढ़ विधान सभा में भी मेरे द्वारा माननीय मंत्रीगण तथा माननीय सदस्यों को सभा में उनके आसन से बैठकर ही बोलने की अनुमति प्रदान की गई है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो खड़ा हो के बोलही तेला तो अनुमति हे न ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठकर तो बोला ही नहीं जाएगा । बैठकर कभी भाषण नहीं हुआ इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस पर थोड़ा पुनर्विचार कीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा तकलीफ इही ला हवए ।

समय :

11:04 बजे **निधन का उल्लेख**

(1) श्री प्रणव मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ।

(2) श्री चनेशराम राठिया, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री ।

(3) श्री लुईस बेक, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

(4) डॉ. चंद्रहास साहू, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(5) डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

(6) श्री माधव सिंह ध्रुव अविभाजित मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री ।

(7) श्रीमती शशिप्रभा देवी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य ।

(8) श्री महेन्द्र बहादुर सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर ।

(9) श्री देवप्रसाद आर्य, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दु:ख हो रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी का दिनांक 31 अगस्त, 2020 छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री श्री चनेशराम राठिया का दिनांक 14 सितम्बर, 2020, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य श्री लुईस बेक का दिनांक 29 सितम्बर, 2020, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य डॉ. चंद्रहास साहू का दिनांक 21 सितम्बर, 2020, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी का दिनांक 08 अक्टूबर, 2020, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री श्री माधव सिंह ध्रुव का दिनांक 22 अक्टूबर, 2020, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य श्रीमती शशिप्रभा देवी का दिनांक 24 अक्टूबर, 2020, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर श्री महेन्द्र बहादुर सिंह जी का दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 तथा अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री देवप्रसाद आर्य का दिनांक 31 अगस्त, 2020 को निधन हो गया है ।

श्री प्रणव मुखर्जी जी का जन्म 11 दिसम्बर, 1935 को किरनाहार, जिला-बीरभूम, पश्चिम बंगाल में हुआ था । श्री मुखर्जी ने एम.ए., एलएलबी., डी.लिट. (मानद) की उपाधि प्राप्त की थी । वे प्रथम बार सन् 1969 में राज्यसभा के लिये निर्वाचित हुए तदन्तर सन् 1975, 1981, 1993 एवं 1999 में भी राज्यसभा के सदस्य रहे । इसके अतिरिक्त वे प्रथम बार सन् 2004 तथा दूसरी बार सन् 2009 में पश्चिम बंगाल में जंगीपुर लोक सभा, विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए । उन्होंने वित्त, विदेश, रक्षा, राजस्व और बैंकिंग, वाणिज्य, इस्पात और खान, वाणिज्य एवं आपूर्ति जैसे अनेक मंत्रालयों में मंत्री पद का दायित्व संभाला । आप सन् 1980 से 85 तक राज्य सभा में सदन के नेता रहे । साथ ही संसद के दोनों सदनों की अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे । विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया । आप सन् 2012 में देश के तेरहवें राष्ट्रपति बने । आपको सन् 2008 में पद्म विभूषण तथा 2019 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया । उन्होंने कुशल प्रशासक एवं मुखर राजनेता के रूप में अपनी छवि बनाई, उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा । उनके निधन से देश ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, संसदविज्ञ, लेखक तथा मार्गदर्शक को खो दिया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री चनेश राम राठिया जी का जन्म 15 दिसम्बर, 1942 को ग्राम नंदगांव, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ में हुआ था । उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था । आपने बी.टी.आई. की शिक्षा ग्रहण की एवं अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया, पश्चात् शासकीय सेवा से त्यागपत्र देकर कृषि कार्यों में लगे रहे । कांग्रेस पार्टी की टिकट पर प्रथम बार सन् 1977 में तदन्तर 1980, 1985, 1990, 1993 एवं 1998 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वे अविभाजित मध्यप्रदेश शासन में लोक निर्माण, धर्मस्व तथा पुनर्वास विभाग के राज्य मंत्री तथा पशुपालन, मछलीपालन, धर्मस्व तथा पुनर्वास विभाग में मंत्री रहे । छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बने । उनका दीर्घकालीन राजनैतिक जीवन प्रदेश की उन्नति तथा समाजसेवा के लिए समर्पित रहा । उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता, कुशल प्रशासक तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

श्री लुईस बेक का जन्म 5 मार्च, 1934 को हुआ था । उन्होंने एम.ए., एलएल.बी. तक की शिक्षा प्राप्त की थी । आपका मुख्य व्यवसाय वकालत था । कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सन् 1972 तथा 1980 में जशपुर निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये । उनका राजनैतिक जीवन समाज सेवा तथा अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिये समर्पित रहा । उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

डॉ. चन्द्रहास साहू का जन्म 1 जनवरी, 1936 को हुआ था । उन्होंने आयुर्वेद विज्ञान प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एवं यूनानी चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी । आप सन् 1970 में कुरूद ग्राम पंचायत के सरपंच निर्वाचित हुए । सन् 1980 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कुरूद निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये । उनकी चिकित्सीय सेवा में विशेष अभिरूचि थी । जनहित में अपने क्षेत्र में नि:शुल्क चिकित्सीय सेवा प्रदान करने का कार्य किया । अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए आप सदैव तत्पर रहे । उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, जनसेवक, कुशल चिकित्सक तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी का जन्म 9 मई, 1932 को अंबिकापुर, सरगुजा में हुआ था । उन्होंने एमबीबीएस तक की शिक्षा प्राप्त की थी । सन् 1973 में हुए उप चुनाव का कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लखनपुर निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये । चिकित्सीय सेवा में आपकी विशेष अभिरूचि थी । उन्होंने जरूरतमंदों को सदैव नि:शुल्क चिकित्सीय सलाह प्रदान की । उनका दीर्घकालीन राजनैतिक जीवन चिकित्सीय सेवा तथा अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए समर्पित रहा । उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, चिकित्सक तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

श्री माधवसिंह ध्रुव का जन्म 10 जनवरी, 1952 को ग्राम सिरसिदा, सिहावा-नगरी में हुआ था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उन्होंने एम.ए. की शिक्षा प्राप्त की थी । इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था । वे प्रथम बार सन् 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर सिहावा निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये । तत्पश्चात् आप कांग्रेस की टिकट पर सन् 1990, 1993, 1998 में सिहावा निर्वाचन क्षेत्र से ही अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये । अविभाजित मध्यप्रदेश शासन में आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के संसदीय सचिव रहे । पंचायत, ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग के राज्य मंत्री का दायित्व भी संभाला । छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् नवगठित छत्तीसगढ़ शासन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के मंत्री बने । जनसेवा में इनकी विशेष अभिरूचि थी । वे क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे । उनका दीर्घकालीन राजनैतिक जीवन अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए समर्पित रहा । उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, चिंतक तथा समाजसेवी को खो दिया है ।

श्रीमती शशिप्रभा देवी का जन्म 6 मार्च, 1942 को मलापुर, जिला-सीतापुर, उत्तरप्रदेश में हुआ था। वे प्रथम बार सन् 1977 में कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की सदस्य चुनी गईं। तत्पश्चात् कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सन् 1985 में कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र से ही अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की दूसरी बार सदस्य चुनी गईं। उन्होंने कवर्धा में कृषि व पिछड़े हुए आदिवासियों के उत्थान के लिये उल्लेखनीय कार्य किये। आप पहुंचविहीन गांवों के लिये सड़क, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहा करती थीं। पत्रकारिता, इतिहास एवं ज्योतिष शास्त्र में उनको विशेष अभिरूचि थी। उनका दीर्घकालीन राजनैतिक जीवन अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिये समर्पित रहा।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी को खो दिया है।

श्री महेन्द्र बहादुर सिंह का जन्म 31 दिसम्बर, 1925 को ग्राम-सरायपाली, जिला-महासमुंद में हुआ था। उन्होंने सीनियर केम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे प्रथम बार सन् 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सरायपाली निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये। तत्पश्चात् कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सन् 1967, 1980, 1985, 1993 तथा 1998 में बसना निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये। आपने सन् 1985 में मध्यप्रदेश शासन में राज्यमंत्री पद का दायित्व भी संभाला। आप सन् 1977 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर बने। उनकी फोटोग्राफी, पेंटिंग एवं समाजसेवा में विशेष अभिरूचि थी। उनका जीवन गरीब तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये समर्पित रहा।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा एक समाजसेवी को खो दिया है।

Uncorrected and unedited/Not for Publication Tuesday, October 27, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवप्रसाद आर्य का जन्म 21 जनवरी, 1926 को ग्राम-बड़गांव, जिला-दुर्ग में हुआ था। उन्होंने विशारद की शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्रारंभ में शिक्षक थे, उसके पश्चात् उन्होंने प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य किया। सन् 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में भी रहे। वे प्रथम बार सन् 1962 में प्रजा समाजवादी पार्टी की टिकट पर चौकी निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये। तत्पश्चात् आप संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर सन् 1967 में चौकी निर्वाचन क्षेत्र से ही दूसरी बार अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये। सामाजिक, राजनैतिक एवं जनसेवा में इनकी विशेष अभिरूचि थी। वे क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे। उनका दीर्घकालीन राजनैतिक जीवन अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिये समर्पित रहा।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी को खो दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी का आदेश है कि बैठकर बोलना है और हम लोगों को बैठकर बोलने का अभ्यास नहीं है । आप विशेष अनुमति प्रदान करें तो हम लोग खड़े होकर अपनी बात कह सकें क्योंकि हम लोग आसंदी के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते, लेकिन आप विशेष छूट दें तो हम खड़े होकर अपनी बात कह सकें ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको खड़े होकर बोलने की अनुमति दी जाती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सबको अनुमति दीजिए साहब ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग जो बैठकर बोल सकते हैं, वे बैठकर बोलिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस विशेष सत्र के बीच में हमने बहुत सारे राजनेताओं को खो दिया है । उसमें स्वर्गीय प्रणव मुखर्जी जी भारत रत्न थे और हम सब ने उनके साथ काम भी किया है। हम सबके व्यक्तिगत अनुभव भी हैं । प्रणव दा ने अपने कैरियर की शुरूआत एक शिक्षक के रूप में की थी । बुद्धिमत्ता तथा सार्वजनिक जीवन में रूचि के कारण वे काफी लोकप्रिय भी हुए । वे पांच बार राज्यसभा सदस्य तथा दो बार लोकसभा के सदस्य रूप में निर्वाचित हुए। साथ ही उन्होंने देश के विभिन्न मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दीं चाहे वह रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय हो और वे जिस भी मंत्रालय का जिम्मा सम्भाला, उन्होंने वहां अपनी विशेष छाप छोड़ी । वे सभी दलों में लोकप्रिय रहे । राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्य हमेशा याद किये जाएंगे और उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सबसे पहला आदेश उन्होंने जारी किया, वह महामहिम शब्द का प्रयोग न किया जाये। प्रणव दा के देहावसान से राष्ट्र की अपूरणीय क्षति हुई है । वे अच्छे अर्थशास्त्री थे ही और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को भूलाया नहीं जा सकता । वे विनम्र और शालीन व्यक्तित्व के धनी थे और प्रणव दा के निधन से अपूरणीय क्षति हुई है । मध्यप्रदेश में वे संगठन के महामंत्री थे तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उस नाते भी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनका आगमन होता रहा है और हम लोगों ने उनके सानिध्य का लाभ लिया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को चनेश राम राठिया जी के साथ काम करने का अवसर मिला था । वे फक्कड़ किस्म के आदमी थे । वे बहुत सहज, सरल और बेबाकी से अपनी बात कहते थे, किसी से डरते या घबराते नहीं थे, लेकिन बहुत सरलता से अपनी बात कह देते थे । वे हमेशा आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे, वे काफी लोकप्रिय थे । वे 6 बार विधायक बने, उन्होंने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्री के रूप में सेवाएं दी । उसके निधन से छत्तीसगढ़ को अपूरणीय क्षति हुई है । उनके बेटे छत्तीसगढ़ में दूसरी बात विधायक बने हैं । उस क्षेत्र में उनके काम है, उसको लोग कभी नहीं भूलते और इसी कारण से वे लगातार निर्वाचित होते रहे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय लुईस बेक जशपुर विधान सभा क्षेत्र से तीन बार विधायक बने । वे कांग्रेस के जुझारू नेता रहे । मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में में 1972 से 85 के बीच में अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते रहे । 1977 में वे इंदिरा जी को वहां लाये थे और जशपुर एवं झारखण्ड के बीच जो शंख नदी बनी थी, उस शंख नदी में उन्होंने पुल निर्माण की मंजूरी दिलायी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ0 चन्द्रहास साहू बहुत ही सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे । जब भी हम लोग कुरूद जाते थे तो उनसे हमेशा मुलाकात होती थी । वे रायपुर भी आते थे । वे इतने मिलनसार थे कि कभी यह नहीं लगा कि वे विधायक रहे है । उनकी सहजता, सरलता और मिलनसारिता से हम सबको सीख मिलती है । उनके जाने से भी अपूरणीय क्षति हुई है ।

डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी जी, उन्होंने 1977 में सरगुजा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। डॉ. सत्यनारायण त्रिपाठी, जो लखनपुर के विधायक थे, उनके निधन के बाद वह उप चुनाव में चुनाव जीतीं और उन्होंने एक लंबा जीवन जीया। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

श्री माधव सिंह ध्रुव जी हम लोगों के साथ इसी सदन में विधायक रहें और मंत्री के रूप में काम किये। मध्यप्रदेश विधानसभा में भी साथ थे। हम लोगों को जब भी मध्यप्रदेश जाना होता था, तो रायपुर से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर जाते थे। माधव सिंह ध्रुव के साथ जो बिताये हुए क्षण हैं, उनकी अनेक स्मृतियां हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शशिप्रभा देवी, जो कवर्धा के राज परिवार से आती थीं और वहां का दो बार प्रतिनिधिवत्व भी किया। उनके चिरंजीव हम लोगों के साथ भी विधानसभा में रहे हैं। हम लोग माता जी के साथ तो नहीं रहे, लेकिन हम लोगों को उनके चिरंजीव के साथ काम करने का अवसर मिला। हम लोग जब भी उनसे मिलते थे तो वह हम लोगों को पुत्रवत् स्नेह देती रही हैं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राजा महेन्द्र बहादुर सिंह जी, यहां प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी रहे। हम लोगों को मध्यप्रदेश विधानसभा में भी काम करने का अवसर मिला और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी काम करने का अवसर मिला। राज परिवार में जन्में, विधायक भी रहे। सन् 1957 से लेकर अनेक बार विधानसभा में विधायक के रूप में आये। लेकिन इसके अलावा उनमें बहुत सारी विशेषताएं थीं। उन्हें चित्रकारी में विशेष रूप से महारथ हासिल थी। किसी भी चित्र बना देते थे, आप बात करते रहिये, वह आपका चित्र बनाकर दे देते थे। साथ ही खेल उनकी में अभिरूचि रही है। वे 90 साल की उम्र में भी फुटबाल के मैदान में बच्चों के साथ खेलने के लिए खड़े हो जाते थे। कल रात ही उनका निधन हुआ, आज सुबह ही उनके भतीजे देवेन्द्र बहादुर जी, जो अभी इस सदन के सदस्य हैं, से बात हुई और उनसे यह दु:खद समाचार प्राप्त हुआ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देव प्रसाद आर्य का भी निधन हो गया है। वे आदिवासी अंचल में काम करते रहे हैं। हम लोग विधायक के रूप में जब भी दौरे में जाते थे, उनसे बराबर मुलाकात होती थी, हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। इतने सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है, उनका निधन हुआ है, इससे देश और प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले विधानसभा और इस विधान सभा के बीच में ऐसे कई महापुरूष और दिवंगत आत्मा हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। श्री प्रणव मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी पापुलारिटी, प्रणव दादा के नाम से ही प्रचलित रही है और प्रणव दा के नाम से ही उनको जानते रहे हैं। जहां तक शिक्षा की बात है, एम.ए., एल.एल.बी., डी.लिट. मानद की उपाधि थी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के संगठन में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया। बंगाल के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही जब उनका राजनीति में प्रवेश हुआ तो सन् 1969 में राज्यसभा के रूप में पहली बार निर्वाचित होकर आये। उसके बाद लगातार राज्य सभा में निर्वाचित होते रहे। उसके बाद दो बार सन् 2004 और 2009 में जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। प्रणव दा की शिक्षा और लॉ के साथ ही साथ खासकर आर्थिक सुधार में मजबूती से पकड़ रही है और उन्होंने इसमें एक नई दिशा देने का काम किया। उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों के द्वारा मानद उपाधि भी प्रदान की गई और वे इस लंबे अंतराल में मंत्रीमण्डल में केन्द्रीय मंत्री के रूप में काम किए। चाहे विदेश मंत्री के रूप में हो, रक्षा मंत्री के रूप मे हो, अनेक ऐसे दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। उन्हें वर्ष 2008 में पद्मविभूषण और वर्ष 2019 में उनको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। वास्तव में उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है हम सबके बीच आज एक प्रखर और मुखर राजनेता के रूप में उनके योगदान को हम लोग सदा याद रखेंगे। एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, संसदविज्ञ, लेखक तथा

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मार्गदर्शक को हम सब लोगों ने खो दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मध्यप्रदेश में हम लोग विधायक थे उस समय श्री चनेशराम राठिया जी वहां मंत्री के रूप में थे और जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय भी मंत्री के रूप में उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया। उनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ और उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में बी.टी.आई. के शिक्षक, प्राध्यापक और प्रधानपाठक के पद पर उन्होंने कार्य किया और त्यागपत्र देने के बाद उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। वह छ: बार विधायक रहे उसके बाद राज्यमंत्री के रूप में फिर मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। वह विधानसभा के अंदर जब अपनी बात रखते थे तो बहुत ही सहजता, सरलता और बेबाकी के साथ अपनी बात रखते थे। हमने ऐसे वरिष्ठ राजनेता और कुशल प्रशासक को खोया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री लुईस बेक जी जशपुर से विधायक रहे। उन्होंने एम.ए., एल.एल.बी. तक की शिक्षा ली और वकालत उनका पेशा रहा है। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए निरंतर संघर्ष किया और जनहित के कार्यों को उन्होंने प्राथमिकता दी। ऐसे राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को हम लोगों ने खोया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. चंद्रहास साहू जी ने आयुर्वेदिक विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एवं यूनानी चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की। आप पहली बार सरपंच निर्वाचित हुए, उसके बाद कुरूद से 1980 में विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आये। आप वहां पर नि:शुल्क चिकित्सा सेवा देते रहे तथा लोगों की मदद करते रहे। हम लोगों ने ऐसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, जन सेवक, कुशल चिकित्सक तथा समाजसेवी को खोया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी ने सरगुजा क्षेत्र में एम.बी.बी.एस. की शिक्षा प्राप्त की। उनका जन्म अंबिकापुर सरगुजा में हुआ। आप लखनपुर क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आईं और वहां पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में वह निरंतर जुटी रहीं। उन्होंने अपने चिकित्सकीय पेशा के माध्यम से लोगों की सेवा की। हमने उनके निधन से प्रदेश के एक ऐसे राजनीतिज्ञ, चिकित्सक तथा समाजसेवी को खोया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री माधव सिंह ध्रुव जी का जन्म सिहावा नगरी में कृषक परिवार में हुआ और शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् आप मूल रूप से कृषि से जुड़े रहे। सन् 1977 में पहली बार आप जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीतकर आए और उसके बाद कांग्रेस की टिकट से लगातार तीन बार चुनाव जीते। पहले आपको संसदीय सचिव का दायित्व दिया गया, उसके बाद राज्यमंत्री के रूप में और उसके बाद आपको मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। आप जनजातीय क्षेत्र के उत्थान के लिए लगातार काम करते रहे और हमेशा वहां के लोगों की सेवा में लगे रहे। निश्चित रूप से आपके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिक, चिन्तक तथा समाजसेवी को खोया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शशिप्रभा देवी जी जन्म जिला सीतापुर, उत्तरप्रदेश में हुआ। वह पहली बार निर्दलीय के रूप में कवर्धा से चुनाव जीतकर आईं और उसके बाद कांग्रेस की टिकट से दूसरी बार वर्ष 1985 में जीतकर आई हैं और सदस्य बनने के बाद लगातार उस क्षेत्र में चाहे वे आदिवासियों के उत्थान के लिये हो, गांव में सड़क, बिजली, पानी है, ऐसी जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिये आप लगातार प्रयास करती रहें। आपकी रूचि पत्रकारिता, इतिहास एवं ज्योतिशास्त्र में रही है। साथ ही जनता की भलाई के लिये आपका पूरा जीवन समर्पित रहा। हमने उनके निधन से प्रदेश के एक वरिष्ठ, राजनीतिक एवं समाजसेवी को खो दिया है।

श्री महेन्द्र बहादुर सिंह जी, सराईपाली महासमुंद में उनका जन्म हुआ और उसके बाद 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव में जीत करके आये। उसके बाद में कांग्रेस से लगातार जीत के आते रहे। पहले सराईपाली से विधायक बने, बाद में बसना से फिर विधायक बने और 1977 में राज्यसभा के सदस्य बने। इस प्रकार से जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर के रूप में हम सब लोगों को वे यहां पर शपथ दिलाये थे। उनकी रूचि फोटोग्राफी, पेंटिंग तथा समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष रूप से रही है। ऐसे अपना जीवन गरीबों के लिये, जरूरतमंदों के लिये उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। निश्चित रूप से उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनीतिक तथा समाजसेवक को हमने खो दिया है।

श्री देवी प्रसाद आर्य जी, इनका दुर्ग में जन्म हुआ, विशारत की शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात में शासकीय सेवा में अध्यापक के रूप में रहे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया और 1962 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चौकी निर्वाचन क्षेत्र से आप जीत करके आये। दूसरी बार संयुक्त सोशलिस्ट पाटी के टिकट पर 1967 में दूसरी बाद उस विधानसभा क्षेत्र से आप जीत करके आये। निश्चित रूप से ऐसे जो पिछड़े हुए क्षेत्र, खास करके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उनके उत्थान के लिये और वहां की जो समस्याएं हैं उनके लिये आप हमेशा प्रयत्नशील रहे। ऐसे विभूति को हमने खो करके प्रदेश के एक वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को हमने खोया है। निश्चित रूप से जिनको हम लोग अभी श्रद्धासुमन अर्पित किये हैं और जिनको हम लोग याद किये हैं, निधन का उल्लेख किये हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने चरणों में उनको स्थान दें और उस परिवार को असह दुख के शक्ति प्रदान करें। मैं ईश्वर से कामना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में 9 लोगों का नाम श्रद्धांजलि के लिये उल्लेखित हुआ है। ये सभी हमारे प्रदेश के अपने समय के जनसेवक रहे हैं। श्री प्रणव मुखर्जी साहब, पूरे देश के जाने माने नेता बेहद अनुभवी राजनीतिज्ञ भारत सरकार में अनेकों पदों को सुशोभित करने वाले और प्रधानमंत्री बनते-बनते रूक करके राष्ट्रपति बने और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अपनी जो अपनी गरिमा और छाप बनाई वह भारत के विरले राष्ट्रपतियों में से एक माने जायेंगे। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस देश के आतंकवादियों को इस देश के उन अपराधियों को जिन्होंने जघन्य अपराध किया और जिन्हें फांसी की सजा दी गयी। उनको भी उन्होंने माफी नहीं दी थी और उन्हें जेल में फांसी की सजा दी गयी। ऐसे दृढ़ इच्छाशक्ति के बेहद विद्वान राष्ट्रपति रहे हैं। उनके निधन से पूरे भारत देश को बहुत अपूरणीय छति हुई है। यह सदन आप, सदन के नेता प्रतिपक्ष और हम सब उससे बेहद दुखी हैं और उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्री चनेशराम राठिया जी के संग काम करने का अवसर मिला। बेहद सरल आदमी थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब अपनी फाईल में वे नोट लिखते थे, मैंने उनकी नोटिंग को देखा है, इतने शानदार अक्षर में वे लिखते थे कि मैंने अपने जीवन में आज तक के उतनी शानदार हैंडराईटिंग में किसी भी राजनेता को लिखते नहीं देखा, जितना चनेशराम राठिया जी लिखा करते थे और वे साफगोई से बात भी करते थे और जो लिखते थे, इतना स्पष्ट और साफ रहता था कि जैसे शायद उसको कोई पेंटर लिखा हो। उनकी हैण्डराईटिंग बहुत शानदार थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री लुईस बेक, साहब को ज्यादा जानता नहीं, लेकिन उनके बारे में पढ़ा हूँ। उस आदिवासी अंचल के बहुत बड़े जनसेवक हैं। डॉ. चन्द्रहास साहू जी भी अपनी सेवाएं दिये हैं। डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी जी ने भी इस प्रदेश को अपनी सेवा दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री माधव सिंह ध्रुव जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मध्यप्रदेश में भी साथ में थे और यहां पर भी थे, यहां मंत्री थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शशिप्रभा देवी जी जब एम.एल.ए. थीं तो हम लोग उस वक्त एम.एल.ए. नहीं थे, लेकिन हम लोग उनको देखते थे क्योंकि मेरा गांव पंडरिया है और उनका कवर्धा क्षेत्र बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अभी वह रानी शशिप्रभा देवी जी नहीं थीं। वह राजमाता कवर्धा हो गई थीं और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक जनसेवा और जनसंपर्क में कभी कोई कमी नहीं की। उनकी एक बेहद छवी थी, वहां के लोग उनको मातातुल्य सम्मान देते थे। उनके निधन से छत्तीसगढ़ को बहुत नुकसान हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह साहब बहुत ही हसमुख आदमी थे। कई राज्यसभा, लोकसभा प्रोटेम स्पीकर, मध्यप्रदेश में मंत्री इन सब पदों पर रहे और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताते थे कि वे बात करते-करते, बैठे-बैठे पेंटिंग, स्केच बनाकर दे देते थे। वह तबला भी बहुत अच्छा बजाते थे। उनकी रिश्तेदारी, उनके बहन की हमारे पण्डरिया में राजा साहब से शादी हुई थी। उनका प्राय: आना-जाना पण्डरिया होता था। वे खाने के भी बहुत शौकीन थे। वे सर्किट हाऊस में रूकते थे, कभी राजमहल में नहीं रूकते थे और वहां ही उनका इंतजाम होता था। कभी-कभी वे हम लोगों को भी खबर करके बुलवाते थे और उनके पास बैठने का अवसर मिलता था। वह बहुत दयालू प्रवृत्ति के थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आप अगर गये कि मेरे ट्रांसफर यहां से वहां करना है तो आपको भी लिख देते थे और अगर मैं गया कि इनका ट्रांसफर यहां से नहीं होना है तो उसमें भी लिख देते थे। मंत्री लोग परेशान रहते थे कि आखिर मैं उनके कौन से ऑर्डर को फॉलो करूं? वे भोले-भाले इंसान थे, हसमुख थे और वे इतने जिंदादिल थे कि शायद यही कारण है कि भगवान ने उनको इंतनी लम्बी उम्र दी, लेकिन वे बेहद अच्छे इंसान थे। उनके क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान है। उनके कहने से आज भी सरईपाली, बसना और उस क्षेत्र में चुनाव की दिशा और दशा बदल जाती है तो ये सीधे-सीधे नहीं होता क्योंकि जब तक की जनता से प्रेम और जुड़ाव नहीं होता तब तक उसका असर भी नहीं दिखता। इन सभी महान विभूतियों के निधन से छत्तीसगढ़ को अपूर्णीय क्षति हुई है। कुछ दिनों पहले मैं बीच में तो टी.वी. में देखा था कि माननीय मोतीलाल वोरा जी के बारे में अफवाह कर दिये थे। थोड़ी देर में भगवान की कृपा से उनके स्वास्थ्य की जानकारी मिली तो कभी ऐसा भी हो जाता है। हमें दु:ख होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुशी का भी अवसर आ जाता है। मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको भी लम्बी उम्र दे क्योंकि उनके बारे में भी गलत सूचना चल चुकी थी। अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन आपकी इस भावना से आपके साथ है। हम इन सभी महान नेताओं के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इस दु:ख को सहने की क्षमता दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद):- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रणव मुखर्जी आजादी के बाद उन महान लोगों में से थे चाहे जिस विचारधारा से भी आते हों। जो अपनी संसदविज्ञता है, अपनी योग्यता है, अपनी लेखनशैली है, विचारधारा और अपनी अद्भुत स्मरणशक्ति, अपनी परम्पराओं पर, मूल्यों पर आस्था रखने वाले पठनशील राजनेता थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च पद तक पहुंचना देश विदेश के विभिन्न संस्थाओं से सम्मानित होना और एक ऐसे राजनेता जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अलग कांग्रेस भी बनायी। वह विजयादशमी के दिन आर.एस.एस. के वार्षिक समारोह में भी गये कि इस विचारधारा को भी मैं देखूंगा, जानूंगा और अध्ययन करूंगा। भारत में जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उनकी अच्छाईयां, चीजों को अध्ययन करना, जानते थे। जो असली भारत है उन्होंने उसको जानने समझने की कोशिश की। उन सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, फिर किन्हीं परिस्थितियों में आये और देश की प्रमाणिकता से सेवा की। मैं सोचता हूँ कि इस पीढ़ी में उस मूल्यों के राजनेता का मिलना मुश्किल है। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री चनेशराम राठिया हम लोगों के साथ मंत्री थे। जब उनका निधन हुआ था तो मैंने उनके सुपुत्र जी से फोन में बात की थी । आज भी उनसे मजाक कर रहा था कि अब सदन में सदस्यों की दवाई की चिंता करना। हम लोगों को सब समय-समय पर पर मिलता रहे, इसकी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चिंता आप करियेगा। एक सहज, सरल व्यक्ति, निस्वार्थ जनसेवक को हमने खोया है। श्री लुईस बेक जी के साथ मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला, पर हमारे विधानसभा के सदस्य रहे और उनके योगदान के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके बारे में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपके साथ शायद पहली बार डॉ. चंद्रहास साहू जी विधायक बने। वह कुरूद क्षेत्र के विधायक थे। मैं सोचता हूं कि अब वैसे राजनीतिज्ञ नहीं मिलेंगे। उनमें इतनी सहजता थी कि आप उनको देखकर यह भरोसा नहीं कर सकते कि यह कभी विधायक रहे होंगे। वह कुछ एकात साल पहले तक सायकल चलाते हुए अपनी डिस्पेंसरी से घर आते थे। रिकार्ड तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि जितने डॉक्टर होंगे, उससे ज्यादा मुफ्त में गरीबों की डिलीवरी कराने का रिकार्ड उन्हीं के नाम होगा। गरीब लोगों की सेवा के लिए सायकल चलाते हुए रात को 11 बजे, 12 बजे गांव में चले जाते थे। उस समय एक इतिहास था कि कि छत्तीसगढ़ की राजनीति और मध्यप्रदेश की राजनीति के एक बड़े हस्ताक्षर यशवंत राव जी मेघावाले को उन्होंने पराजित किया तो लोग चमत्कृत थे कि यह कैसे व्यक्ति हैं जो उन्होंने उनको पराजित किया। यह उनकी एक सहजता थी जो उनको जनस्वीकार्यता दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी जी सरगुजा अंचल के हैं जहां से राजा साहब आते हैं। उनके योगदान का उल्लेख हुआ। श्री माधव सिंह ध्रुव जी के साथ हम दो बार विधायक रहे। विधायक तो ठीक है, मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर सेवा की, पर उस अंचल की संस्कृति की, आयोजन की, सारी चीजों की जीवनपर्यन्त पद पर नहीं रहते हुए भी उन्होंने एक सामाजिक सक्रियता दिखाई। जैसे बहुत पुरातन महत्व का कणेश्वर मेला है, राजिम में महानदी के तट पर कणेश्वर मेला मंदिर समूह है, उसके वह अध्यक्ष थे और बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष थे। मैं सोचता हूं कि वह तीन बार लगातार जीते, पहली बार जनता पार्टी से जीते। उनके कांग्रेस से ज्यादा बेहतर संबंध भाजपा वालों से थे, व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मुझे लगता है। मैं यह कह सकता हूं कि वह उस क्षेत्र में अज्ञातशत्रु थे, जिनकी व्यवहारिकता सर्वस्वीकार्य थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शशिप्रभा देवी जी को जब कवर्धा में मैं एक बार चुनाव में गया था, राजमहल चौक पर ही मेरी सभा रखी गई थी, वह विधायक तो हमारे साथ नहीं थीं, पर मैं उनसे सौजन्यतावश मुलाकात करने, चरण स्पर्श करने गया था। उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला था। पिछले लोकसभा चुनाव में भाटों साहब हम लोगों के सामने लड़ रहे थे, महेन्द्र बहादुर सिंह जी ने जो वर्ष 1993-94 में उस आयु में हाथ मिलाया, मेरा हाथ अभी तक दर्द कर रहा है, जब उनको याद कर रहा हूं। वह इतने स्वस्थ आदमी थे। मैं सोचता हूं कि इधर सबसे पढ़े-लिखे लोग बैठे हैं, यहां भी बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, वैसे अंग्रेजी में नहीं सोचता कि आज कोई बोल सकता होगा। उस उम्र में, उस ज्ञान को जानना और समर्पित रहना और खास तौर से वहां के खेल-कूद को संरक्षण देना। फिंगेश्वर के पंचकोशी परिक्रमा के जो मंदिर हैं, उनके प्रति, वहां की देवी के प्रति जो उनकी आस्थायें थीं, इनसे अलग हटकर थी उनका एक व्यक्तित्व था। देवी प्रसाद जी आर्य जिनका

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपने उल्लेख किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो और सदस्यों के बारे में मैं बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे इस विधानसभा के वर्तमान सदस्यों में हमारी माननीय सदस्या श्रीमती अनिला भेड़िया जी ने अपने जीवन साथी को खोया है, सदन की ओर से उनके परिवार के प्रति संवेदनायें, हमारी ओर के साथी पुन्नूलाल मोहले जी ने अपनी जीवनसंगिनी को खोया है, उनके प्रति भी हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, सबके प्रति सम्मान भाव प्रकट करते हुए, उनके योगदान का स्मरण करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के द्वारा 9 महान विभूतियों को श्रद्धासुमन देने के लिए हम अब अपने शब्दों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसमें माननीय श्री प्रणव मुखर्जी जी, श्री चनेशराम राठिया जी, श्री लुईस बेक जी, डॉ. चन्द्रहास साहू जी, डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी जी, श्री माधव सिंह ध्रुव जी, श्रीमती शशिप्रभा देवी जी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री देवप्रसाद आर्य जी सभी पूर्व वक्ताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसमें अपने आपको जोड़ते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि श्री प्रणव मुखर्जी जी ने इस भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल में जो अमिट छाप छोड़ी है उसे हम सब लोग सदियों तक याद करते रहेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चनेशराम राठिया जी के साथ काम करने का अवसर मिला । वे बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे । उन्होंने मंत्री के रूप में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ पूरे आदिवासी अंचल में काफी अधिक लोकप्रिय रहे और इसी का परिणाम रहा कि वे काफी अधिक बार विधायक और मंत्री के रूप में रहे । डॉ. चंद्रहास साहू जी भी काफी सज्जन व्यक्ति रहे, चूंकि वे पड़ोस के ही थे और हमेशा उनसे मुलाकात होती रही । अंतिम समय तक उनसे मुलाकात होती रही, पद में नहीं रहने के बावजूद भी जिस तरह वे लगातार पार्टी की सेवा करते रहे, आज कांग्रेस के प्रति उनकी जो निष्ठा रही है निश्चित तौर पर काफी सराहनीय रही है । कभी उन्होंने किसी पद की आकांक्षा नहीं की लेकिन लगातार विधायक पद न रहने के बावजूद भी उन्होंने पार्टी की सेवा अनवरत् की है । इसी तरह से श्री माधव सिंह ध्रुव जी भी एक अच्छे कुशल जनप्रतिनिधि रहे, पूरे सिहावा विधानसभा क्षेत्र में उनका जो एक-एक व्यक्ति और एक-एक घर-परिवार से काफी अधिक प्रेम और कुशल व्यवहार का संबंध था । वे आदिवासी समाज का भी नेतृत्व करते थे, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी उनकी काफी रूचि थी । जैसा कि आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने उल्लेख किया कि वहां का जो दंतेश्वर महादेवी का प्राचीन मंदिर है और मंदिर समूह है उनका लगातार वे अध्यक्ष की हैसियत से भी हर साल मेले का भी और मंदिर का भी पूरी तरह से वे कुशल संचालन करते रहे हैं । आदरणीय महेन्द्र बहादुर सिंह जी के साथ भी उनका काफी लंबा सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, जब वे मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तब से उनके साथ संपर्क रहा और साथ ही उस परिवार के साथ में काफी समय से संबंध रहा । उनका व्यक्तित्व काफी विलक्षण प्रतिभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाला था । कला, खेल और धर्म के क्षेत्र में उनमें अद्‌भुत क्षमता रही और हम जब भी उनसे मिलते थे तो हम लोग उनकी जिंदादिली के कायल हो जाते थे और मैंने पिछले साल ही दशहरा में चूंकि उनके यहां हर साल दशहरा उत्सव होता है । मूल दशहरा के एक-दो दिन बाद हमेशा आयोजन होता है और उस दशहरे के उत्सव में आज भी राजपरिवार की वही परंपरा थी और उनको पूरी तरह से एक राजा की तरह सम्मान दिया जाता था, जुलूस निकलता था और मौली माता के मंदिर में जो परंपरा रही है उसका वे बखूबी निर्वाह करते रहे । पिछले साल भी मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी, हम सब लोगों के साथ जब फोटो ग्रुप हुआ तो बहुत ही हंसते हुए वे बोले कि मैं 95 साल का युवा हूं, ये उनका एक शब्द था । मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी आपकी तंदरूस्ती का राज क्या है तो उन्होंने कहा कि यही मेरी तंदरूस्ती का राज है कि मैं सदैव सबके साथ मिलाजुला रहता हूं, आज ऐसे व्यक्तित्व को हम सभी ने खोया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी के प्रति अपने श्रद्‌धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय प्रणव मुखर्जी जी का 5 दशक का संसदीय जीवन इस देश के इतिहास में और मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो कुछ सीखने लायक है उनकी मेहनत करने की क्षमता, उनकी विद्‌वता, वित्तमंत्री की हैसियत से जब मैं उनके पास जाता था, वहां के मंत्रालय में जब मैं समय लेता था तो वे बोलते थे कि 10 और 11 बजे के बीच में रात में आ जाना । मुझे आश्चर्य होता था कि प्रणव दा इस उम्र में 10 बजे और 11 बजे भी अपाईंटमेंट भी ले लेते थे फिर लगता था कि जा रहे हैं तो तुरंत भागकर आना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे और 11 बजे चूंकि आदमी दिन भर काम कर रहा है उसके बाद आराम से आधे घंटे बैठकर बात करते थे और हर सब्जेक्ट पर उनकी विद्‌वता चूंकि उनके पास ज्ञान का भंडार था । आप आश्चर्य करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक बहुत जवाबदारी का पद होता है । 7-7 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को वे चेयर करते थे । फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए भी उनके पास कितना वर्कलोड था । वे उसका क्रियान्वयन आसानी के साथ करते थे । इसलिए वे पद्‌म विभूषण और बाद में भारत रत्न से अलंकृत किये गये । निश्चित रूप से उनके जाने से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है ।

स्वर्गीय चनेशराम राठिया निश्चित रूप से 1977 से 2003 तक उनका कार्यकाल रहा, रायगढ़ से, धर्मजयगढ़ से विधायक के रूप में उनकी भूमिका सराहनीय रही है । उनकी भूमिका में आज हमको याद कर रहे हैं ।

श्री लुईस बेक, जशपुर विधान सभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे ।

स्वर्गीय डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, लखनपुर के पूर्व विधायक रहे और उनका निधन हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्वर्गीय माधव सिंह ध्रुव न केवल संसदीय सचिव, बाद में छत्तीसगढ़ गठन के बाद आदिम जाति कल्याण मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया । सबसे कम उम्र में विधायक और संसदीय सचिव बनने का कीर्तिमान है । 1990, 1993 और 1998 में कांग्रेस के विधायक के रूप में निर्वाचित हुए ।

देवप्रसाद आर्य जी, प्रखर समाजवादी विचारधारा के, जीवन भर खादी पहनने वाले, मोहला, मानपुर, चौकी, छुरिया, डोंगरगढ और पूरे जिले में सक्रिय रहने वाले देवप्रसाद जी को हम लोग हम कार्यक्रम में, हर मीटिंग में उपस्थित पाते थे । सादगी के साथ, आज भी तेवर और वही समाजवादी चोला रहता था । वे अंत तक सक्रिय रहे ।

स्वर्गीय महेन्द्र बहादुर सिंह, प्रोटेम स्पीकर और पूर्व मंत्री के रूप में, राज्य सभा के सदस्य के रूप में और उसके साथ एक स्पोर्ट्समैन के रूप में उन्हें याद किया जाएगा । छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

डॉ. चन्द्रहास साहू ने सरपंच से लेकर विधायक तक की यात्रा तय की ।

श्रीमती शशिप्रभा देवी, निश्चित रूप से कवर्धा के विकास में उनके दो कार्यकाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही । एक बार निर्दलीय के रूप में और दूसरी बार कांग्रेस से विधायक बनीं । आज जो कवर्धा का विकास हुआ है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है । युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते उनके साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला । इन सभी को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रणव मुखर्जी जी के निधन पर मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूं । वे हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति रहे । उनका जन्म 11 सितम्बर 1935 को हुआ था । वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ बहुत सारे मंत्री पदों की जिम्मेदारी संभाली । 26 जनवरी 2019 को श्री मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया । उनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में हुई । स्वर्गीय प्रणव मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था । जब वे रक्षा मंत्री थे तो उनसे मिलने का मौका मिला । अंबिकापुर-सरगुजा में जो सैनिक स्कूल की स्थापना हुई है, वह उन्हीं की देन है । मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि वे बहुत ही सरल और सीधे व्यक्ति थे । जोगी जी मुझे उनके पास ले गए थे, वे व्हीलचेयर पर थे और सैनिक स्कूल के प्रस्ताव के साथ मैं उनसे मिला था । उन्होंने पहली मुलाकात में ही कहा था कि सरगुजा में सैनिक स्कूल की स्थापना होगी, यह मैं लिखकर दे रहा हूं और उन्होंने उसे करके भी दिखाया । उस समय यहां तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. आलोक शुक्ला थे । कई बार उस प्रस्ताव पर क्वेरी आई, कमी आई, उनको पूरा करने में इनका बहुत सहयोग रहा । मैं प्रणव मुखर्जी के प्रति हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । हमेशा सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए वे सरगुजा में जाने जाएंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय चनेशराम राठिया जी कांग्रेस के एक आदिवासी दिग्गज नेता थे और छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व मंत्री रहे। श्री चनेशराम राठिया का 14 सितंबर, 2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। वे उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते थे और वे सन् 1977 में पहली बार तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश के धरमजयगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गये। बाद में उन्होंने इसी सीट से लगातार 5 बार और विधान सभा सीट जीतें। सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार में वे सन् 2000 से सन् 2003 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। आज उनके पुत्र श्री लालजीत सिंह राठिया आज हम लोगों के साथ इस सदन में सदस्य हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। श्री लुईस बेक जी छत्तीसगढ़ के जशपुर विधान सभा से जीतकर आये थे। वे उरांव समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री लुईस बेक जी की कोरोना वायरस के संक्रमण से 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री लुईस बेक 70 के दशक में जशपुर विधान सभा से कांग्रेस के विधायक चुने गये थे। उनके प्रति भी मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉ. चंद्रहास साहू जी, जो कुरूद क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे, उनके निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, अविभाजित मध्यप्रदेश के दौरान सरगुजा जिले के लखनपुर विधान सभा क्षेत्र से सन् 1973 के उप-चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए। वे सरगुजा संभाग की बेहद लोकप्रिय चिकित्सक डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी का निधन 9 अक्टूबर, 2020 को हो गया। सन् 1973 में डॉ. त्रिपाठी को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली। उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी पं. रेवती रमण मिश्र को पराजित किया था और सन् 1977 में सरगुजा कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं उनके प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। श्री माधव सिंह ध्रुव हमारे आदिवासी समाज के एक वरिष्ठ नेता थे। वे कांग्रेस सरकार में केबिनेट मंत्री रहे। श्री माधव सिंह ध्रुव जी का निधन 67 वर्ष की आयु में 22 अक्टूबर 2020 को हो गया। श्री माधव सिंह ध्रुव मध्यप्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री रह चुके थे। वे धमतरी के सिहावा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे। मैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शशिप्रभा देवी कवर्धा राजपरिवार की राजमाता और पूर्व विधायक शशिप्रभा देवी का निधन 24 अक्टूबर 2020 को हो गया। मैं उनके प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। राजा महेन्द्र बहादुर सिंह पूर्व विधायक, पूर्व राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर रहे। श्री महेन्द्र बहादुर सिंह का 96 वर्ष की आयु में कल रात साढ़े 11 बजे निधन हो गया। वर्ष 1957 से श्री महेन्द्र बहादुर सिंह जी ने कई बार चुनाव लड़े और जीते। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रोटेम स्पीकर होने का गौरव प्राप्त हुआ। मैं उनके प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। स्वर्गीय देव प्रसाद आर्य, स्वर्गीय भेंडिया जी, श्रीमती मोहले सभी के प्रति मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय श्री चनेशराम राठिया जी, श्री लुईस बेक जी, डॉ. चंद्रहास साहू जी, डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी जी, माननीय श्री माधव सिंह ध्रुव जी, माननीय श्रीमती शशिप्रभा देवी, माननीय राजा महेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री देव प्रसाद आर्य जी सभी को मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि और शत्-शत् नमन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय राजनीति की नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले भारत रत्न व पद्म विभूषण से सम्मानित प्रणव मुखर्जी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जायेगा, जिन्होंने एक शिक्षक के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया और उनका राजनीतिक सफर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर सम्पन्न हुआ। उनके पिता सन् 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में सन् 1952 से 1964 तक सदस्य और वीरभूमि पश्चिम बंगाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ-साथ कानून की डिग्री हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उन्होंने पहले कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया ।

समय :

12:00 बजे

माननीय प्रणव मुखर्जी के राजनीतिक कैरियर की शुरूआत 1969 में बांग्ला कांग्रेस के उम्मीद्वार के रूप में राज्यसभा सदस्य बनने से हुई । बाद में बंगाल कांग्रेस में उनका विलय हो गया । साल 2005 में जब वे भारत के रक्षा मंत्री थे, तब भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए एक नये मसौदे पर हस्ताक्षर हुए । प्रणव दा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी । 10 अक्टूबर, 2008 को प्रणव दा और अमेरिकी विदेश सचिव कोंडोलीजा राईस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किये । वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी रहे। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है ।

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय चनेश राम राठिया जी हमारे आदिवासी समाज के जाने माने नेता थे । समाज में उनकी गहरी पकड़ थी । समाज उनको आज भी याद करता है । रायगढ़ क्षेत्र के स्वर्गीय चनेश राम राठिया जी छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे । उन्होंने अपने जीवन और कर्म से हमेशा रायगढ़ के लोगों के हित व विकास की चिन्ता की । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति में उनका एक खासा स्थान है । वे 1977 में धर्मजयगढ़ विधान सभा सीट से और अविभाजित मध्यप्रदेश से विधायक चुने गए थे । इसके बाद वे इसी सीट से लगातार पॉच बार विधायक चुने गए । वे दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार में पशुपालन मंत्री के रूप में कार्य किया एवं सन्

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे । इतने बड़े आदिवासी नेता का जाना सही मायने में प्रखर आवाज का खामोश हो जाना है।

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय माधव सिंह ध्रुव जी छत्तीसगढ़ के सिहावा विधान सभा क्षेत्र से लगातार विधायक चुने जाते रहे । वे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन में भी मंत्री रहे । उनका जाना कहीं न कहीं हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति हुई है । मैं इन सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, शत-शत नमन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय टी. एस. सिंहदेव जी ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज 9 चुने जनप्रतिनिधियों को स्मरण कर हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं । सर्वप्रथम भारत रत्न प्रणव मुखर्जी जी, जो बहुत ही विद्वान, अर्थशास्त्री भी थे और अनेक विषयों के विशेषज्ञ भी रहे और जिस गंभीरता से उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, वह अद्वितीय रहा । हम सबको गर्व है कि ऐसे राष्ट्रपति भी हमारे देश को मिले ।

माननीय अध्यक्ष जी, चनेश राम राठिया जी पड़ोस जिले के जनप्रतिनिधि रहे, वरिष्ठतम आदिवासी नेताओं में उनका नाम शामिल रहता था । छत्तीसगढ़ के गठन के समय आदिवासी समाज के जिन प्रतिनिधियों का नाम मुख्यमंत्री के लिए गंभीरता से लिया जाता था, उनमें एक नाम चनेश राम राठिया जी का भी आया करता था और हम लोग लगातार एक दूसरे के सम्पर्क में भी रहा करते थे । लालजीत जी के माध्यम से भी उनसे बात हुआ करती थी । जब वे मंत्री के रूप में दौरा करते थे तो हम लोग सीधे तौर पर राजनीति में नहीं थे, फिर भी उनसे मुलाकात होती थी तो महसूस होता था कि कैसे मृदु स्वभाव के व्यक्ति राजनीति में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे । उनमें गंभीरता भी थी, उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी थी और विशेष मार्गदर्शक थे । मैं समझता हूं कि लालजीत जी को भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा, जैसे हम लोगों को भी मिलता रहा । हमने एक वरिष्ठ पड़ोसी, जन नेता को निधन से खोया है।

डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी जी अम्बिकापुर के वरिष्ठतम नागरिकों में माने जाते रहे हैं। उनका चिकित्सक के रूप में योगदान अद्वितीय रहा। उनके इस योगदान से ज्यादा लोगों को उनसे मिलकर जो संतोष होता था, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। इनके पिता हम लोगों के भी फैमिली फिजिशियन थे। हमने उनका उप चुनाव देखा था। हम लोग तो उम्र में छोटे थे, राजनीति में नहीं थे, लेकिन देखते थे कि वह उपचुनाव कितना संघर्षपूर्ण था। बल्कि इनके इस उप चुनाव के बाद मेरी माता जी को भी कांग्रेस पार्टी में उनके साथ काम करने के कारण और पहचान मिली। हम लोग लगातार देखते रहे कि वे एक स्पष्टवादी , एक निश्छल व्यक्ति थे, जो अपनी बात कहने में कभी नहीं हिचकते थे। वे जिस बात को सही मानते थे, वे बेहिचक अपनी बात को रखने वाले अनेक गुणों से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सम्पन्न डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी जी को खोया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने, उन्हें विशेष सम्मान देकर बिदाई दी।

श्री माधव सिंह ध्रुव से भी हम लोगों की समय-समय पर हुआ करती थी। हमने एक सरल स्वभाव के नेता को उनके निधन पर खोया। श्रीमती शशिप्रभा देवी जी भी हम लोगों से पारिवारिक रूप से बहुत निकट रहीं। उनके पति और पुत्र भी उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करते रहे हैं। राजकुमार कॉलेज में बगल के कमरों में रहा करते थे। मैंने एक नेत्री के रूप में उनकी दृढ़ता देखी। अपने विचारों की अभिव्यक्ति में भी वह कभी संकोच नहीं किया करती थीं। वह कई साल बीमारियों से संघर्ष करके अपने दृढ़ चरित्र का भी परिचय दिया। आज राजमाता जी का निधन से हम सब शोकाकुल हैं। हम अपनी गहरी संवेदना भी प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र बहादुर सिंह जी, मैं जब कॉलेज की पढ़ाई करके अम्बिकापुर आया तो मंत्री के रूप में उनका दौरा हुआ। शायद उस दिन मेरा पहला व्यक्तिगत परिचय उनसे हुआ। वे घर आये। जैसा उल्लेख हुआ कि वे काफी खुशमिजाज थे। एक मंत्री के रूप में कि हम लोग मंत्री हैं, ऐसा नहीं था। दूसरे भाव से हम लोग पहली बार मिले। लेकिन मैं उनसे उम्र में भी बहुत छोटा था, उन्होंने एकदम रिलेक्स करवा दिया। हम बैठे, हंसी-मजाक, चर्चाएं, गीत-संगीत, खेल की बातें हुईं। हम लोग, उनसे बाद में भी मिलते रहे। मैं बोला कि हुकुम आप कैसे इतना फिटी हैं ? वे बोले कि मैं कसरत करता हूं। हम लोग उनसे अंदर से उर्जा की जो भावनाएं महसूस करते थे, वह अद्‌वितीय रहा। मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा कि इस उम्र में भी पीठ सीधी, सीना तना हुआ और खुशमिजाजी से छोटे-बड़े सब को साथ लेकर चलने की उनकी अद्‌भुत एक चारित्रिक स्थिति थी। ऐसे बहुत कम होते हैं। मुझे चुनाव के पहले उनके यहां जाने का अवसर मिला था। मुझे उनका आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, मागर्दशन मिला। उनसे बीच में दो-चार बार फोन से भी चर्चा हुई। मेरे मन में यह दु:ख रहा गया कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। इस दरम्यान उनके पास जाने की भी बात थी। उन्होंने चाहा था कि आईयेगा तो मिलेंगे, लेकिन उनसे नहीं मिल पाया। इनके साथ ही श्री लुईस बेक जी, डॉ. चन्द्रहास साहू जी, आर्य जी का, इन सबके प्रति श्रद्‌धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय प्रणव मुखर्जी जी के साथ ही सभी दिवंगत कांग्रेस के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों एवं साथ ही मेरे पिताजी श्री चनेशराम राठिया जी के निधन पर श्रद्‌धा-सुमन अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पापाजी हमेशा कहा करते थे कि बेटा इस सदन में सबसे आप मिलना और सबसे आशिर्वाद लेना। अभी तुम्हारी सीखने की उम्र है, पक्ष और विपक्ष सभी से मार्गदर्शन लेना। हम लोग प्रतिपक्ष में थे तब भी वह सभी को याद करते थे। हमारे साथ माननीय बृजमोहन जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे चन्द्राकर जी विधायक रहे हैं, वह सभी को याद करते थे और वह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कहते थे कि उनसे आप कुछ सीखना। हमारी पार्टी के सदन के जितने भी सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय चौबे जी, आदरणीय महाराज साहब वह सभी को याद करते थे और कहते थे कि बेटा सदा उनका आशिर्वाद लेते रहना। हमेशा जब भी आता था तो विधानसभा में सबका आशिर्वाद लेने के लिए जाता था। वह बोलते थे कि सबको मेरा नमस्कार बोलना, प्रणाम बोलना। 14 सितंबर को उनके निधन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सदन के अध्यक्ष जी, महाराज साहब जी, भाई साहब अमरजीत सिंह जी, अजय चंद्राकर जी और सभी नेताओं ने मुझे फोन से संवेदना व्यक्त की। आदरणीय मोहन मरकाम जी हमारे घर भी गये थे और क्षेत्रवासियों को उन्होंने संवेदना व्यक्त की। निधन के बाद अध्यक्षीय दीर्घा से माननीय अध्यक्ष जी निरंतर मुझे ढांढस बंधाते रहे। कई बार उन्होंने फोन से मुझे कहा कि बेटा शांति बनाये रखना। इस प्रकार से आप सभी का आशिर्वाद मुझे मिलता रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने अंतिम समय में पिताजी ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप सबसे माफी मांग लेना। उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी थी। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ और अपने परिवार की ओर से माननीय सदन के पक्ष और विपक्ष के हमारे सभी आदरणीय साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस दुख के समय में हमारे परिवार और हमारे विधानसभा के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके लिए आप सबका आभार। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में अब सदन दो मिनट का मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा खड़े रहकर दो मिनट का मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(12:17 से 12:31 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:31 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष सत्र में आसंदी में आपका स्वागत है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:31 बजे **कार्यमंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन**

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में लिये गये निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे (संसदीय कार्य मंत्री) :- अभी आपत्ति नहीं करना है।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी अनुमति देंगे आप। (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :

12:32 बजे **अगस्त, 2020 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा जाना।**

अध्यक्ष महोदय :- अगस्त, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार अगस्त, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :

12:33 बजे **नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" के अधीन अगस्त, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रमुख सचिव :- मैं, नियम 267 "क" के अधीन अगस्त, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :
12:33 बजे **मानानीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना (अक्टूबर, 2020 सत्र)**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधानसभा के अगस्त, 2020 सत्र में पारित कुल 12 विधेयकों में से 9 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण प्रमुख सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े) :- पंचम विधानसभा के अगस्त, 2020 सत्र में पारित कुल विधेयकों में से 9 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

समय :
12:34 बजे **सभापति तालिका की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री देवव्रत सिंह

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी....।

अध्यक्ष महोदय :- हां जी। एक मिनट।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज सरकार ने किसानों के मुद्दे में....।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी तो इधर पुकारा गया ना आप अब उसके बाद....।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, अध्यक्ष जी ने किसी को नहीं पुकारा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप इशारा भी नहीं समझते।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अब इशारे को आप ज्यादा समझते हो, आप इशारा लोगों को ज्यादा करते हो। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के मुद्दे पर सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। आज किसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हरूना, अरधना धान की लुवाई और मिंजाई का काम अब आधे से ज्यादा का हो गया है और सरकार ने धान खरीदी की तिथि 1 दिसंबर घोषित की है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीदी 1 नवम्बर से शुरू करे। अगर 1 नवम्बर से किसान की धान खरीदी शुरू नहीं होगी तो किसान सूखत का नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान को ब्यारा तैयार करना पड़ेगा, किसान के सामने बहुत सी समस्याएं खड़ी होंगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया):- वो समय में कब 1 तारीख को धान खरीदे रहेस तेला बता तो ?

श्री शिवरततन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 नवम्बर से धान खरीदी शुरू हो, सरकार इसकी व्यवस्था करे।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र सरकार ने ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको भी आपकी ओर से विशेषाधिकार प्राप्त है।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं। ते कले चुप बइठ तो।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठकर बोलिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैं खड़े होकर बोलूंगा।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप बैठकर बोलिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठकर बोलिए। जरा देखे तो ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने के लिए हामी भरी है तो हम इस सदन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार से आग्रह करते हैं कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी किसानों की जाये। आज किसान इन सारी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे ज्ञापन नहीं देते।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन करते हैं कि जब किसान की उन्नत धान ज्यादा उत्पादन हुआ है और केन्द्र सरकार ज्यादा चावल ले रही है, ज्यादा धान ले रही है तो इसलिए इस सरकार को इसी सदन में इस विशेष सत्र में घोषणा करनी चाहिए कि एक एकड़ में 20 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान मन ला कोई शिकायत नइ हे। किसान मन कोई आवेदन नहीं लगात हे। जो आवेदन लगात हे, इही मन लगाते हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप अच्छा बोलते हैं जरा बैठकर बोलकर दिखाईये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठकर तो कथा ही होती है। आप की ही व्यास गद्दी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- तोला दवा गोली खाए बर मत लगाए कहीके, बइठ के बोले बर कहात हे। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी ओकर ईशारा नइ होए हे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए 3 बिल पारित किये हैं तब से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश भर में घूम-घूम कर किसान-किसान, विरोध में है, समर्थन में है ऐसा है, छत्तीसगढ़ का किसान है हम कर्जा लेंगे, ये करेंगे। हम वह करेंगे, वे नारा लगाते घूम रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। वह भी किसान हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि उनके कुरूदडीह गांव चलते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- छत्तीसगढ़ के जनता तोला सुने बर रखे हे भईया, ओला अभी सुन।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिना ईशारा के कईसे बोल देथे। मोला तोर भाखा समझ में नइ आये।

श्री नारायण चंदेल :- ओला दूध-भात हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके गांव चलते हैं, आपके गांव चलते हैं। मेरे खेत में चलते हैं। मैं खुद के खेत में माननीय मुख्यमंत्री जी को ले चलता हूँ। आप 2500 रूपये तथाकथित रूप से दे रहे हैं। मैं तथाकिथत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 2 किस्त नहीं मिली है। नवंबर, दिसंबर में धान खरीदी करने के लिए विशेष सत्र आहूत करना जरूरी है। जब एक्ट देखेंगे तो उसका कोई संबंध नहीं है। अभी आपकी अनुमति से बात होगी। अब ये देखिए जो किसान है, जो बोलते हैं कि किसान कटाई करेगा, किसान भारा बंधाएगा, किसान ढुलवाएगा, किसान मिंजाई करेगा, किसान ब्यारा बनायेगा। किसान डेढ़ महीने संभाल कर रखेगा। सुखती होगी और 2500 रूपये से ज्यादा का खर्चा पर क्विंटल इस खर्चे में जुड़ेगा। अब जब भारत सरकार ने खरीदी की लिमिट बढ़ा दी है और दिवाली भी अगले महीने 15 नवम्बर को है तो ऐसी क्या बाध्यता है कि हम एक दिसंबर को धान खरीदी शुरू नहीं कर सकते ? आप किसानों के हित की बात करते हैं तो इसी में किसानों का असली हित है अन्यथा जो आपकी बात है, वह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मानी जाएगी। जब इस सत्र को किसानों का सत्र कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में है सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री सदन में है इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि एक नवम्बर से छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा जाएगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अजय भईया, ते नरेन्द्र मोदी जी के 1869 रू. के हिसाब से धान खरीदी के पक्ष में हस या भूपेश बघेल भाई के 2500 रूपये के समर्थन में हस। तेला ते बता ? बोलना भईया। ओला बोलबे नइ करत हस।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधान सभा का सत्र इस समय बुलाया गया है। विधान सभा के सत्र को कहा गया है कि किसानों के हित के लिए बुलाया गया है तो छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के लिए 1 नवम्बर से धान की खरीदी शुरू की जाये। हमारे बाकी सदस्यों ने कहा है कि क्योंकि आपने अवसर नहीं दिया, कार्यसूची में प्रिंट नहीं किया, हम लोग स्थगन देंगे, हम तो लोग चाहते हैं कि आप हमारा स्थगन ले लें या 139 की चर्चा करवा लें कि 1 नवम्बर से धान की खरीदी क्यों की जानी चाहिए। आज किसान कितना परेशान है, धान की कटाई शुरू हो गई है। हमारे अजय चन्द्राकर जी ने बताया कि 2500 रूपये में देने की बात कर रहे हैं। अभी तक 4 किस्तें नहीं दी हैं। 1 नवम्बर से किसानों का धान खरीदा जाएगा। मेरे पास में रविन्द्र चौबे जी का समाचार पत्र में छपा हुआ समाचार है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 नवम्बर को धान खरीदी के लिए हम विधान सभा का सत्र बुला रहे हैं। आप लोग इतना असत्य कथन तो मत करिये। (शेम-शेम की आवाज) हम विधान सभा का सत्र इसलिए बुलाते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- ये अजय चन्द्राकर का वक्तव्य है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम विधानसभा का सत्र इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हम किसानों के धान खरीदी की गारंटी देंगे। आप इस कानून में लाते कि किसानों का 25 क्विंटल धान खरीदा जायेगा, आपकी सरकार रहे या नहीं रहे, जो सरकार रहेगी वह खरीदेगी। आप इस कानून में लाईये कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जायेगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप 2500 रुपये समर्थन मूल्य के साथ हैं या नहीं हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने उनको खुली छूट दे दी है कि वह कभी भी खड़े होकर बोल सकते हैं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, असत्य बात करते हैं, 2500 रुपये समर्थन मूल्य या 1869 रुपये समर्थन मूल्य के पक्ष में हैं, यह भी बताईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो कहते हैं कि सरकार 3000 हजार रुपये समर्थन मूल्य दे, 2500 रुपये के समर्थन में हम हैं और सरकार 3000 रुपये दे। केन्द्र की सरकार ने कानून बनाया है कि 3 दिन के अंदर में पेमेन्ट करना पड़ेगा, आप सब सजा के भागीदार होंगे। आप किसानों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। 3 दिन में पेमेन्ट क्या होगा, 6 महीने, 8 महीने हो गये, किसानों के खाते में 2500 रुपये नहीं जा रहे हैं। 9 महीने हो गये, 9 महीने में तो बच्चा बाहर आ जाता है। पर यह सरकार पता नहीं क्या कर रही है, इसमें ताकत है या नहीं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 में घोषणा करे रहिस हे कि किसानों को 2200 रुपये समर्थन मूल्य देबो। ओकर कहा हें, तेला बता ना। वोहू ला बात कर।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम चाहेंगे कि 1 नवंबर 2020 से धान खरीदी की जाये, 2500 रुपये किसानों को तुरंत दिया जाये और किसानों को धान की कटाई एवं खरीदी लेट होने के कारण जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, इसके ऊपर में आप चर्चा करवायें, हमारा इस बात का आग्रह आपसे है।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष जी, सत्र का समय है और इस सत्र से किसानों की उम्मीद है और उनकी जो स्थिति है, आज कृषि उपज मंडी भाटापारा से लेकर राजनांदगांव में धान आना शुरू हो गया है। अभी धान की कीमत 1670 रुपये, 1675 रुपये है। आज विषय यह है कि किसानों के लिए धान खरीदी का समय क्या है? 15 साल तक किसानों को आदत थी कि वह धान को सीधे खेत से सोसायटी ले जाता था। उसका बीच का जो व्यय होता था, घर में रखने की उसके पास जगह भी नहीं है, यह सारे का सारा धान वह अपने पास एक से डेढ़ महीने तक संभाल कर रखेगा, उसका जो नुकसान होगा, आप 2500 रुपये कीमत की बात कर रहे हैं, मगर उसको इन डेढ़ महीनों में धान को संभालने में, धान की सूखत से लेकर 1000 रुपये का अतिरिक्त व्यय आयेगा, मुझे लगता है कि आज जब महत्वपूर्ण विषय है। दो विषय में बात हो जानी चाहिए। उसका कारण बता रहा हूं।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी जल्दी भूल गये, इनके कार्यकाल में क्या हो रहा था? दीवाली निकल जाती थी, उसके हफ्ते, 10 दिन तक धान खरीदी शुरू नहीं होती थी। आप स्मरण शक्ति को थोड़ा मजबूत करिये कि आपके कार्यकाल में आपने क्या किया है?

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका कारण यह है कि पहले केन्द्र सरकार का धान का, चावल खरीदने का जो कोटा था, वह 40 लाख, 43 लाख मीट्रिक टन था। उसको बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन खरीदने की व्यवस्था की जब सहमति दे दिया। अब वह सीमा भी हट गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 क्विंटल की जो मांग कर रहे थे, प्रत्येक किसान की 20 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था हो, 1 नवंबर से धान खरीदी की व्यवस्था हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यदि इन विषयों पर चर्चा होगी तो ज्यादा सार्थक होगा। राजनीतिकरण करने के लिए इस बिल का उससे मतलब नहीं है। किसान चाहते हैं कि दो विषय में आज विधानसभा से समवेत स्वर में आवाज निकले और जितने विपक्ष के सदस्य हैं, हम सबकी सहमति है, आप एक कानून बनाकर यदि 2500 रुपये करते हैं, यदि आप कानून बनाकर करते कि हम 1 नवंबर से धान खरीदी की व्यवस्था करते हैं, यदि यह कानून बनता है तो किसान का हित होगा, ज्यादा लाभदायक होगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब 10 क्विंटल खरीदे के निर्णय तोरे रहिस हे।

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पहली सरकार में देख रहे हैं कि कया किसान दिवाली में दिवालिया हो करके दिवाली मनायेगा? आप अपने आपको किसान का हितैषी मानते हैं। मेरा निवेदन है कि आप 1 नवंबर से धान खरीदी करना शुरू कर दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार 1 दिसंबर से धान खरीदी हुई। 1 दिसंबर से धान खरीदी के बाद में आज भी रायगढ़ में संग्रहण केन्द्र में धान सड़ रहा है, बिलासपुर में वही स्थिति है। लगभग 7-8 लाख मीट्रिक टन धान संग्रहण केन्द्र में पड़ा हुआ है। कस्टम मिलिंग नहीं हुई है। आधी धान बरबाद हो गई। उसके बाद किसानों से जो 2500 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी करने की सरकार ने जो घोषणा की, आज भी 2500 रुपये किसानों के खाते में नहीं गया है। 1 दिसंबर की जो बात है, हम लोग 1 नवंबर की बात कर रहे हैं। वास्तविक में इनकी जो कस्टम मिलिंग है, मई और जून महीने तक समाप्त हो जानी चाहिए। पता नहीं आप लेट क्यों रहे रहे हैं? धान आज खरीदी करनी है या कल खरीदी करनी है, आज जो आपकी मण्डी में जा रहा है 1200 रूपये, 1400 रूपये, 1600 रूपये में धान की खरीदी हो रही है, मजबूरी में किसान बेच रहे हैं । उनके पास यह स्थिति नहीं है कि अक्टूबर में काटने के बाद वह 1 दिसंबर तक धान को रोक सकें, ऐसी उनकी क्षमता भी नहीं है । एक तरफ यह कहा जाता है कि यहां पर 80 प्रतिशत लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं और इनकी केपेसिटी क्या है ? आप उनको बचाने की बात करते हैं, वे कितने दिनों तक धान को रोककर रखेंगे ? इसलिए आज यह उपयुक्त समय है कि धान की कटाई शुरू हो गई है, आप आज जहां से आये होंगे वहां की पूरी सड़कों में आपने देखा होगा कि पूरी फसल पककर तैयार है और कटाई शुरू हो गई है तो ऐसे समय में 01 नवंबर से धान की खरीदी की व्यवस्था आज सुनिश्चित करें और विधानसभा से यह संदेश जाना चाहिए तो मुझे लगता है कि प्रदेश के किसानों को यह लगेगा कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है वह वास्तव में किसानों के लिये बुलाया गया है और उसका लाभ किसानों को मिलेगा इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि 01 दिसंबर में और यह 2500 रूपये का आज तक नहीं बता रहे हैं कि कब देंगे ? दो किस्त दिये हैं, मैंने कहा था कि नयी फसल आ जायेगी लेकिन आने के बाद भी आप पैसा नहीं देंगे और आज भी वही स्थिति है । आज भी आप बताने की स्थिति में नहीं हैं तो आखिर आपका 2500 रूपये कहां है ? 11 महीने हो गये हैं ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या आप 01 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा कर रहे हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप मन बोलन तो देहू । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे प्रदेश की मण्डियों में धान समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिक रहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी, आप मण्डी में पता लगा लें कि अभी धान किस कीमत पर बिक रहा है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की मण्डियों में धान समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिक रहा है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- जिस तरह से धान बिक रहा है इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? आप मण्डी में पता लगा लीजिए । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- किसान परेशान है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- किसान को समर्थन मूल्य में उचित मूल्य ही नहीं मिल रहा है । आप घोषणा करें कि 01 नवंबर से धान खरीदी शुरू करेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, तो मण्डी का रेट बताईए । (व्यवधान) दशहरे के पहले मण्डियों में कितने का धान बिका है ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप किसान हितैषी बनते हैं तो किसानों को समर्थन मूल्य मिले । आप 01 नवंबर से धान खरीदी शुरू करें । किसानों का शोषण बंद हो ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित ।

(12.48 से 12.57 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12:57 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कृषि मंत्री जी ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि उपज मंडी (संशोधन) ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री रविन्द्र चौबे :- विधेयक 2020 (क्रमांक 29, सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कार्य संचालन से ही जुड़ा है ।

श्री नारायण चंदेल :- दोनों वरिष्ठ सदस्य हैं, सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि यह विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया है । आखिर, विशेष सत्र बुलाने का औचित्य क्या है ? हम तो आपसे जानना चाहते हैं, आप

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हमारे अध्यक्ष हैं, सर्वेसर्वा हैं । पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी भी किसी विधेयक को पास करवाने के लिए विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया गया है । सरकार के पास के लिए अध्यादेश लागू करने का प्रावधान है । जब अध्यादेश लागू करने का प्रावधान है तो अध्यक्ष जी, आप तय कर दें कि आने वाले समय में सरकार कोई भी अध्यादेश नहीं लाएगी । जब भी कोई विधेयक लाना होगा, कानून लाना होगा तो विधान सभा का सत्र बुलाया जाएगा । सामान्यत: विधान सभा का विशेष सत्र तभी बुलाया जाता है जब कोई आपदा आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, आज कोरोना से एक दिन में 35-35 लोग मर रहे हैं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- किसान मन के ऊपर आपदा आ गे हे, तोर केन्द्र सरकार जोन निर्णय ले ले तेखर से ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोई विभीषिका आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए । कोई राजनीतिक आपदा आ जाए । सरकार के पास खर्च करने के लिए बजट में पैसे न हो और उसकी परमीशन लेनी हो । कोई केन्द्र के विधेयक का हमें अनुमोदन करना हो तो ऐसे समय में विशेष सत्र बुलाया जाता है लेकिन इस विशेष सत्र को बुलाने का औचित्य हमारे समझ में नहीं आया । अध्यक्ष जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आप विद्वान हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप केन्द्रीय मंत्री भी रहे हैं, आप लोक सभा में भी रहे हैं लेकिन क्या कभी लोक सभा में भी इस प्रकार के किसी कानून को लाने के लिए विशेष सत्र हुआ है । मैंने पहले ही कहा था कि यह कानून "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" है । बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे कि एम.एस.पी. निर्धारित करने के लिए कानून बनाया जाएगा । इस कानून में कुछ भी नहीं है, किसानों के हित में इसमें एक शब्द भी नहीं कहा गया है । अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का दुख है और कष्ट है ।

समय :
1.00 बजे

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, आपने भाषण की अनुमति दी है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं उनकी ही अनुमति से बोल रहा हूं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- क्या औचित्य का प्रश्न इतना लंबा होता है? औचित्य का प्रश्न सिर्फ दो लाइन का होता है। आप इतना लंबा भाषण पेल रहे हैं। बताइए, ये भाषण दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है। आपकी अनुमति से ही मैं बोल रहा हूं।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, जब उनका बोलने का समयआयेगा तब आप उन्हें अवसर देना।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर केन्द्र सरकार के कृषि कानून का विरोध करने के लिए विधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाये, क्या कानूनी रूप से ऐसा हो सकता है ? समाचार-पत्रों में लगातार यह सब छपता रहा। इस विधान सभा में पहली बार ऐसा हुआ। आपकी अध्यक्षता में मैं तो जरा संसदीय कार्य मंत्री जी के जमीर को जगाना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जरा उनसे बचकर चलिए। इस सदन की उच्च परंपराएं रही हैं। पूरे देश में और पूरे विश्व में इस सदन के बारे में चर्चा होती है कि यह देश का एकमात्र विधान सभा है, जिस विधान सभा में यदि कोई व्हेल में आता है तो अपने आप निलंबित हो जाता है। यहां का ऐसा नियम बना है। परंतु यहां पर एक ही सत्र में माननीय राज्यपाल जी के दो-दो बार अभिभाषण हो जाते हैं। यहां पर प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया जाता है। यहां पर कानून बनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सर, पार्लियामेंट में भी हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, हुआ सर। कोई कानून बनाने के लिए कभी विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। उन्होंने अध्यादेश का माध्यम से किया। माननीय अध्यक्ष जी, आपके सामने जो कानून लाया गया है कि वह 1 जून से लागू होगा। Retrospective लागू होगा। 5 जून से लागू होगा। 5 जून के बाद आपने विधान सभा का सत्र बुलाया। उस सत्र में इन्होंने कानून नहीं लाया और उस सत्र के मध्य में उसके पहले से इस कानून को लागू करने की बात की जा रही है। आखिर इस विधान सभा सत्र का औचित्य क्या है। हम चाहेंगे और हम आपके माध्यम ये यह जानना चाहते हैं। हम अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं। मैं देख रहा था कि संविधान में कहीं इसके बारे में कुछ लिखा होगा ? मैं देख रहा था कि हमारे नियम, कार्य-प्रक्रिया संचालन में कुछ लिखा होगा ? परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। इस देश के संविधानवेत्ताओं ने, संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि संविधान का इस प्रकार से मखौल उड़ाया जायेगा। इसलिए उन्होंने इसका कहीं उल्लेख नहीं किया और इसलिए औचित्य का प्रश्न है कि विधान सभा का सत्र तो आहूत हो गया। विधान सभा के सत्र को आहूत करने के लिए जब राज्यपाल महोदय सरकार से जानना चाहती थी कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है तो [XX][1] ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत बात है। इसे विलोपित करिए। आप [XX]बोल रहे हैं। ये [XX] कुछ भी बोल रहे हैं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- ये शब्द विलोपित करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राज्यपाल महोदय को मर्यादाओं का ज्ञान दिलाया जाता है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसे विलोपित करिए।

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राज्यपाल महोदय को मर्यादाओं का ज्ञान दिलाया जाता है कि वे अपनी मर्यादा देखें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे विलोपित करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी एला विलोपित करय बर ते बोल दे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं संविधान पढ़ रहा था। संविधान में लिखा हुआ है कि जब कोई नया विधेयक लाना हो और उस विधेयक के ऊपर में विवाद हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राज्यपाल महोदया के पास में जायेंगे और उन्हें बतायेंगे कि इस नये विधेयक को लाने की आवश्कता क्या है? परंतु नये विधेयक में मंत्रिगणों को भेज दिया जाता है। राज्यपाल जो संविधान प्रमुख हैं, जिनके हस्ताक्षर से इस विधान सभा का सत्र बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। अध्यक्ष जी, आप नियम देख लीजिए। औचित्य के प्रश्न जो दूसरा सदस्य खड़ा नहीं होगा, वह बाद में बोलेगा। वह बाद में बोलेगा।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी..।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए न।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, जिन शब्दों का उपयोग आदरणीय बृजमोहन जी ने किया कि [XX]। इस सदन में उसे विलोपित कराइए।

अध्यक्ष महोदय :- इसे विलोपित कर दिया।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मीडिया व समाचार पत्रों में छपा कि राज्यपाल महोदय को उनकी सीमाएं बतायी जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप गलत बात कह रहे हैं। आप उसे विलोपित कराइए।

श्री धमरलाल कौशिक :- समाचार पत्रों में बयान छपा है कि सरकार उन्हें सीमाएं बता रही हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम अपनी सीमाएं जानते हैं, यह हमने कहा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राज्यपाल महोदय को सरकार सीमाएं बता रही हैं। समाचार पत्र में छपा है कि राज्यपाल महोदया अपने दायरे में रहकर काम करें। यह आपके बयान में छपा है। हम इस सदन के माध्यम से..।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह राज्यपाल महोदया के लिए [XX][2] जैसा जो शब्द उपयोग किया गया है, इसमें इन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने विलोपित कर दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोगों को खेद व्यक्त करना चाहिए। मंत्रिमंडल को खेद व्यक्त करना चाहिए कि जिस पर कहा माननीय राज्यपाल महोदया अपनी मर्यादाओं का पालन करे।

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- किसी ने [XX][3] नहीं दिया। हम हमारी सीमाएं जानते हैं। किसी ने धमकी नहीं दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सारे समाचार पत्रों में छपा है। आप लोगों को खेद व्यक्त करना चाहिए1

श्री रविन्द्र चौबे :- यह गलत बयानी हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का औचित्य क्या है? इस विधेयक के आने से किसानों की कौन सी किस्मत बदल जायेगी। किसानों को कौन सा फायदा हो जायेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये तो भाषण दे रहे हैं। क्या ये औचित्य का प्रश्न आधा घंटा करेंगे? औचित्य के प्रश्न पर आधे-आधे घंटे भाषण देंगे क्या?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज यह अधिकार छत्तीसगढ़ के संविधान में है कि किसी भी केन्द्रीय कानून को लागू करना किसी भी राज्य सरकार की बाध्यता है। ये इसमें संशोधन नहीं ला सकते।

अध्यक्ष महोदय :- आपने अपनी बात कह ली ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप चाहेंगे तो मैं संविधान की किताब, नियम-प्रक्रियाओं की किताबों को मैं आपके सामने बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बताईए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, इसमें केन्द्रीय कानून का कहीं उल्लंघन नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम तो आपका संरक्षण चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम तो आपका संरक्षण चाहते हैं, आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि इस विशेष सत्र के मामले में, विशेष सत्र कब बुलाया जाना चाहिए ? छत्तीसगढ़ में कल धरसींवा में हत्या हो गई, उसके ऊपर विशेष सत्र नहीं हो सकता ? कोरोना से 25-25 लोग मर रहे हैं, उसके ऊपर में विशेष सत्र नहीं हो सकता ? बरसात में रेत का अवैध खनन हो रहा है, उसमें विशेष सत्र नहीं हो सकता ? कोयला माफियाओं से पैसा वसूली किया जा रहा है, उसमें विशेष सत्र नहीं हो सकता, सीमेंट माफिया 25-30 रूपए बोरी बढ़ा रहे हैं, उसमें विशेष सत्र नहीं हो सकता ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बोलिए कि भाषण बाद में देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए न, अभी बात करेंगे । आप अपना भाषण दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण दूंगा, परन्तु आज मैं क्योंकि इस सदन का पुराना सदस्य होने के नाते मध्यप्रदेश की विधान सभा में भी जहां पर 320 सदस्य रहे हैं,

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आजतक यह हुआ है कि अध्यादेश आ जाते हैं, किसी कानून को बनाने के लिए सत्र नहीं बुलाया जाता, परन्तु छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ? आखिर यह छोटी विधान सभा है, नई परम्पराएं स्थापित करना चाहिए । ये परम्पराओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं । आखिर क्यों यह सत्र बुलाया गया है, इस सत्र का क्या औचित्य है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रात को 12 बजे संसद सत्र बुलाकर जी.एस.टी. पारित करवाया गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कौन सी आपदा आ गई ? अगर यह विधेयक पारित नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ के किसानों को क्या फायदा होगा ? अगर इसमें यह होता कि 1 नवम्बर से धान खरीदा जायेगा, अगर यह होता कि 2500 रूपये का भुगतान तीन दिन में किया जायेगा तो निश्चित रूप से हम इस सत्र का स्वागत करते कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का भला होगा और इसके माध्यम से किसानों को लाभ होता ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रात को 12 बजे संसद का विशेष सत्र बुलाकर जी.एस.टी. विधेयक पारित करवाया गया, इनको पता नहीं है, इनको बताईए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विशेष सत्र बुलाने का जो औचित्य है, उसके बारे में आपकी कोई व्यवस्था आये, जिससे कि हमारा ज्ञान वर्धन हो सके । क्योंकि हमने विशेष सत्र के संबंध में संविधान में नहीं पढ़ा है, हमने संसदीय कार्यप्रणाली के नियमों में नहीं पढ़ा है । इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसके बारे में आपकी व्यवस्था आये और अगर यह भी हुआ है क्योंकि आपने सत्र बुला लिया है तो आप यह निर्णय दें कि भविष्य में यह परम्परा नहीं बनेगी, भविष्य में उदाहरण नहीं बनेगा । यह आप व्यवस्था दे दें कि भविष्य में दूसरे मुख्यमंत्री, दूसरे संसदीय कार्यमंत्री इसका दुरूपयोग नहीं कर पायें, यह हमारी विधान सभा इस बात का निर्णय करे और आप इस बात का भी निर्देश दें कि भविष्य में यदि आपको कोई कानून बनाना है तो आप अध्यादेश के माध्यम से कानून बना लीजिए और 6 महीने के अंदर विधान सभा से आप उसको पारित करा लीजिए, परन्तु आप ऐसी परिस्थितियों में विधान सभा सत्र नहीं बुलाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा निर्णय आपका आये, यही मेरे औचित्य का प्रश्न है । आपने मेरी बात सुनी, इस के लिए आपको धन्यवाद ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ज्ञान वर्धन कर लेना, हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़िया भाषण देंगे, रविन्द्र चौबे जी भाषण देंगे तो बढ़िया ज्ञान वर्धन करना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ही बैठकर सीख लो ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो सीख चुके हैं, आपको सीखाना पड़ेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब फेर का प्वाइंट आफ आर्डर होगे, एक झन तो प्वाइंट आफ आर्डर में बोल डरिस ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । सबसे पहले जो बात बृजमोहन जी ने कही । माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हैं, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं । इस सदन में एक गंभीर परम्परा बन रही है । चूंकि हम कोई भी चीजें करते हैं, जो संसदीय प्रणाली हमने औचित्य के प्रश्न पर स्वीकार की हैं, वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है । ब्रिटेन में आज भी संविधान लिखित में नहीं है । संसद नियम से ज्यादा परम्पराओं से चलता है । इन दो सालों में हमारे विधान सभा की जितनी परम्पराएं टूटी हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप किसी संसदविज्ञ से समिति बनाकर जांच कर लें कि देश में कितनी विधानसभाओं में इतनी परम्परा टूटी हैं । अब जिस विषय में मैं मार्गदर्शन को आगे बढ़ा रहा हूं और चाहता हूं कि जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री हैं, यह लगातार तीसरी बार है कि विधेयक उसी दिन पुर:स्थापित होगा, उसी दिन वितरित होगा, उसी दिन संशोधित होगा, उसी दिन भाषण होगा और उसी दिन पारण होगा । अब विधान सभा में विधेयक की प्रवृत्ति देख लीजिए कि ऐसी कौन सी एमरजेंसी है, जिसको उसी दिन, उसी समय वितरित किया जाये, पारित किया जाये, पालन किया जाये, संशोधन किया जाये । जितने भी विधेयक की प्रक्रिया होती है, उसको उसी दिन किया जाये, ऐसी कौन सी एमरजेंसी होती है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में हुआ है, इसी विधानसभा में उदाहरण है । थोड़ा पढ़ा लिखा करो, बिना पढ़े-लिखे मत आया करो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, औचित्य का प्रश्न आएगा तो माननीय सदस्य इंटरफेयर नहीं करेंगे, अध्यक्ष जी निर्णय देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- परन्तु जो सदस्य बार-बार खड़े होकर इंटरफेयर कर रहे हैं, हम आपसे निर्णय चाहते हैं, हम उनसे निर्णय नहीं चाहते ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको जानकारी नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन परम्पराओं का उल्लेख किया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में और अन्यान्य परम्पराएं हैं, जिसको देश भर में जाना जाता है । हमारी विधानसभा आजतक कोरम के अभाव में स्थगित नहीं हुई, संसद स्थगित हो जाती है, लेकिन आपको 70 सदस्यों का बहुमत मिला है तो क्या आप इस महान विधान सभा, जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को एक राजनीतिक प्रतिपूर्ति का साधन बनने देंगे, मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह मेरे औचित्य के प्रश्न पर विषय था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता इस सदन के माध्यम से जानना चाहती है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- आपने 70 सीट मान लिया, जो 69 सीट था, एक सीट हार गये, ऐसा मान लिये, स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 हो गये न।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता इस सदन के माध्यम से जानना चाहती है कि विशेष सत्र किसानों के लिए बुलाया गया है कि कृषि विधेयक प्रस्तुत किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय दोनों माननीय सदस्यों ने उठाया है, उस पर आपकी व्यवस्था आ जाये कि विशेष सत्र का औचित्य क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं। शर्मा जी, आप भी कुछ कह लीजिये। आप भी बोलना चाह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईण्ट आफ आर्डर है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत हो गया। ये लोग हर चीज में एक-एक कर बोलने का ठेका लिए है ?

अध्यक्ष महोदय :- उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आ रही है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी विषय पर फिर चालू हो गये।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, परम्पराओं को तोड़ने की स्थिति बन गई है कि 20 साल के इतिहास में पहली बार एक ही सत्र में राज्यपाल महोदया का दो बार अभिभाषण कराया गया।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्ता पक्ष के निवेदन पर दो बार प्रश्नकाल स्थगित हुआ। तो क्या यह सरकार सिर्फ परम्पराओं को तोड़ने का काम करेगी या किसानों के हित में कुछ काम करेगी ?

श्री बृहस्पत सिंह :- 70 साल में जो नहीं हुआ, वही अब हो रहा है, आप लोग उसको भी तो बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ बोलेंगे (संसदीय कार्यमंत्री को संबोधित करते हुए)

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले व्यवस्था तो आ जाये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, औचित्य के प्रश्न पर जिस को बात बृजमोहन जी ने उठाया, अजय चन्द्राकर जी ने जो बातें यहां पर रखी है, वास्तव में उसमें दो-

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तीन बातों का जिक्र हुआ है। क्या विधेयक पास करने के लिए सत्र बुलाना आवश्यक है, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाये ? यदि आप विशेष सत्र बुलायेंगे तो आने वाले समय में इसको दोहराया जायेगा ? आप इसी को उद्धरण देंगे ? दूसरी बात, कि क्या इसके बाद अब अध्यादेश जारी नहीं करेंगे ? यहां जब भी कोई विधेयक लाना है, तो अध्यादेश की जरूरत नहीं है, यहां सीधा विशेष सत्र आहुत करेंगे। आज सत्र बुला लिए हैं, हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में यह परम्परा न बने। सदस्यों ने जिन प्रश्नों को उठाये हैं तो आपकी व्यवस्था आ जाये फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, ...।

श्री धरम लाल कौशिक :- व्यवस्था आ रही है।

श्री रविन्द्र चौबे :- शिवरतन जी, एकाध लाईन सुनिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां-हां, संसदीय परम्परा तोड़ने वाले संसदीय कार्यमंत्री जी, आप बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके ज्ञान को, फिर भी आपको सुनेंगे। चलिये बोलिये।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- थोड़ा-बहुत सीखा करो। संसदीय कार्यमंत्री जी से थोड़ा-बहुत सीखा करो।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आपने पुरःस्थापन की अनुमति दी। अब उसमें चर्चा होना है। आपने बिजनेस एडवायजरी में तय किया, हम सबने बैठकर 3 घंटा तय किये।

अध्यक्ष महोदय :- औचित्य के प्रश्न पर कहना था, आप भाषण दे रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी जो 40 मिनट भाषण दिए हो, वह कौन है भैय्या ?
तो दो लाईन मेरा भी सुन लो न। अध्यक्ष जी, आपने 3 घंटा मुकर्रर भी किया है और चर्चा होगी। औचित्य के प्रश्न के बहाने आपने चर्चा प्रारंभ कर दिया। आपने कहा कि आप गवर्नर को धमकी देने गये। आपने अखबारों में दूसरा लाईन नहीं पढ़ा होगा। हमने कहा कि हम सौजन्य भेंट करने गये थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह तो धमकी देने के बाद गये। जरा ऐसी-ऐसी (हाथों का इशारा) हुई तब गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसी दौरान बताये कि रमन सिंह जी पिछले दरवाजे से सत्ता चलाना चाहते हैं। आप राज्यपाल को उसी सौजन्य भेंट में बताये।

एक माननीय सदस्य :- ये ऐसे-ऐसे क्या है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह जैसा समझना चाहे, जैसा लिखना चाहे। ऐसी-ऐसी (हाथो का इशारा)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, हमारा महामहिम से मिलना औचित्य के प्रश्न क्या इस सदन का होन सकता है ? कतई नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि आपने अखबारों की दूसरी लाईन नहीं पढ़ी। हमारी चर्चा सौहाद्रपूर्ण वातावरण में हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह दूसरे दिन की है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी क्या कहा ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी सीमाएं क्या है। यह सदन भी जानता है और सरकार को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है और मुझे भी मालूम है और सबको अपनी सीमाओं में रहना पड़ेगा। ये कोई धमकी का शब्द नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- राज्यपाल को मर्यादा सिखाने का अधिकार आपको नहीं है, आपकी सरकार को नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान छपा कि माननीय राज्यपाल अपनी मर्यादा में रहें। तो माननीय राज्यपाल को आपको मर्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, राज्यपाल सक्षम हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय राज्यपाल का जितना हम लोग सम्मान करते हैं उतना आप लोग नहीं करते। राज्यपाल का हम लोग ज्यादा सम्मान करते हैं, चिंता मत करो।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, उसका आशय यह था कि राजभवन का अगर राजनीतिकरण करने का प्रयास होगा तो लोकतंत्र में उसका विरोध किया जायेगा। आशय यह था। (मेजों की थपथपाहट) विधानसभा का सत्र आहूत करने का हमारा अधिकार है। छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा यह हमारा बहुमत दल है। अभी आपके मुंह में घी शक्कर कि आपने हमारी संख्या 70 कही। हम मरवाही भी जीतने जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- यही आपका भाषण है जिसे हम सुनना चाहते हैं?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप यही सुनना चाहते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- वाह-वाह। इसीलिए कहा कि आपका ज्ञान अब निवीर्य हो गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, इस बात पर आपत्ति है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए कि राजभवन का राजनीतिकरण हो रहा है। ये राज्यपाल जी का अपमान है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। राजभवन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाना यह घोर निंदनीय है। इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। (शेम- शेम की आवाज)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- प्रयास तो यही हो रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आपने कह दिया कि आप अध्यादेश से कानून क्यों नहीं बनाये। यह हमारा अधिकार है। हम अध्यादेश के माध्यम से भी कानून बना सकते हैं लेकिन सारे देश में चर्चा हो रही है, मंडी का कानून इसलिए लाया गया है। क्या आप पूरे प्रदेश में मंडियां वॉलमार्ट को सौंप देंगे? आप अडाणी और अदानी को सौंप देंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डीम्ड मंडी क्या है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डीम्ड मंडी हमारे किसानों के लिए है। जो मंडी मोदी जी खत्म कर रहे हैं, हमारे किसानों के लिए है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विधेयक के ऊपर चर्चा करेंगे, अभी मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है। वह औचित्य के विषय पर बोलें। जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर जब विधेयक/बिल पर चर्चा होगी उस पर हम बोलेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, आपने ये कहा कि अध्यादेश से कानून क्यों नहीं बनाया, सत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी तो सारे देश में जो माहौल बन रहा है, अभी कोई पूछ रहे थे, भाटापारा के माननीय पूर्व मंडी अध्यक्ष आदरणीय विधायक शिवरतन जी अभी मंडी के रेट दिखा रहे थे। बता रहे थे कि 1600 रूपये क्विंटल में धान बिक गया, प्याज 100 रूपये किलो में बिक गया, आलू 50 रूपये किलो में बिक गया। ये केंद्र के कानून के कारण है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये आपकी सरकार की असफलता है जिसके कारण यह बिक रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- हम आपको औचित्य के प्रश्न पर सुनना चाहते थे। विधेयक के पहलू पर तो चर्चा शुरू होना तय है। आप उस पर बोलें न।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए उस अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी। कानून बनाना था इसलिए सत्र की आवश्यकता पड़ी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे संसदीय कार्यमंत्री जी के ज्ञान पर तरस आता है। अध्यादेश भी जो आता है वह कानून का रूप लेता है। अध्यादेश को लागू करके आप कानूनी रूप से लागू कर सकते हैं। इसलिए इसका औचित्य हम चाहते थे कि अध्यादेश के माध्यम से आपने कानून लागू क्यों नहीं किया, आप क्यों यहां पर विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा का सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही आहूत हुआ है और सत्र में जो कार्य संपादित होना है वह आज की कार्यसूची में उल्लेखित है। अत: मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अमान्य करता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा दो पाईंट ऑफ आर्डर है।

श्री बृहस्पत सिंह :-अध्यक्ष महोदय, इनका दो पाइंट ऑफ आर्डर है इनको समय देने के लिए केंद्र में भेज दिया जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप चाहेंगे तो लगातार सुन लीजिएगा। पहला विषय यह है कि चूंकि उस सत्र के बाद आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है। विधेयक आयेगा, औचित्य के प्रश्न पर उसमें आपने व्यवस्था दे दी, उसमें कोई समस्या नहीं है। पिछले बार सत्र के आखिरी दिन आपने कहा था कि संसदीय सचिव के बारे में सरकार चाहे तो कल व्यवस्था/निर्देश जारी कर सकती है और अवगत करा देगी। 28 अगस्त के बाद आज इतने दिन हो गये, सदन को अवगत नहीं हुआ। इस बीच में जो घटना घटी वह बता देता हूं। एक संसदीय सचिव अपने नाम में लिखते हैं संसदीय सचिव (स्वास्थ्य)। एक संसदीय सचिव लिखते हैं कि संसदीय सचिव (पी.डब्ल्यू.डी.)। वे बैठकों में मौजूद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं। वे दौरा कार्यक्रम में मधुबनी जारी कर रहे हैं कि इस ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप के हैं, ऐसा-ऐसा है और उसकी पूरी व्यवस्था की जाये। तीसरी बात हमने उठाया था कि उसका स्वेच्छानुदान कैसा रहेगा ? उसकी कार्य प्रणाली क्या रहेगी, आप सारे विषय में उस दिन सुन चुके हैं। आज व्यवस्था मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर इस बात पर है कि आपने व्यवस्था दी थी सरकार चाहे तो उसमें कल निर्देश जारी कर सकती है और सदन को अवगत करा देगी। आज की तारीख तक अवगत नहीं करवाया गया है, आपने मना किया था। दो संसदीय सचिव जब बोलने के लिये खड़े हुए थे, तो यह पूरा सदन जानना चाहता है कि कार्य संचालन जब शुरू हुआ, तो अभी उनका क्या स्टेटस है, वे किस मुंह मिटका में है, कैसे हैं ? यदि वे भाग लेंगे, अभिभाषण देंगे, क्या करेंगे ? हम स्वेच्छानुदान देंगे तो हम भी सदस्य हैं, हमारे संसदीय सचिव को हम भी लिख के देंगे कि दो लाख रूपये हमको भी दीजिए करके, क्या स्टेटस है ? यह बताने में सरकार को क्या है, इसमें व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है कि पिछले विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे को हम लोगों ने बुलाया था। आपने अंतिम दिन इसकी व्यवस्था दी थी। परंतु उसकी व्यवस्था के बाद भी सरकार के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं होना, कोई सर्कुलर जारी नहीं होना, वे भी हमारे विधानसभा के सदस्य हैं। हम ये मानते हैं कि उनका भी अपमान है। ये हमारा भी अपमान है, यह आपका भी अपमान है कि आपके निर्देश के बाद भी शासन के द्वारा निर्देश जारी नहीं करना और यह हाईकोर्ट का भी निर्देश है। हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया है, माननीय मोहम्मद अकबर जी विधि मंत्री हैं। उन्होंने खड़े होकर सब बातों को कहा था। आपने निर्देश दिया था तो आज हमारे संसदीय सचिवों की लिगल स्थिति क्या है। उन्हें क्या-क्या अधिकार हैं। वे न बेचारे विधायक हैं, मुझे बेचारे शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे ना विधायक हैं, वे ना मंत्री हैं, वे क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- विधि मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनको क्या अधिकार है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वे क्या हैं, अकबर जी के पास आ जाईये, उनसे पूछ लीजियेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- सरकार की ओर से.....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अद्यतन स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- पहली व्यवस्था दे दी है। माननीय...।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, एक संसदीय सचिव बिहार भग गये थे....(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपका निर्देश होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी सरकार ...(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- एक संसदीय सचिव ...। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- संसदीय सचिवों के अपमान का विषय है। उनकी अद्यतन स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? किस स्थिति में खड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वे जवाब देंगे ना। अपने जवाब में दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- जारी कर रहे हैं, ...(व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अकबर जी ने बताया है...।(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- तत्काल व्यवस्था आ जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- वे मंत्रियों के सहायक हैं, उनको और पावर नहीं है। लेकिन एक बार सरकार की तरफ से ए टू जेड जितने उनके बिन्दु हैं, तो विपक्ष चाहता है कि आप ही जवाब देकर बता दीजिए। ताकि उनका भी भ्रम न रहे....। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अच्छा, ससंदीय सचिवों को पी.ए....। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, इस विधानसभा के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना ये आपका और हमारा दायित्व है। अगर हम उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाये, उनको हम सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं, ...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था की अवमानना हो रही है।

श्री नारायण चंदेल :- घोर अवमानना हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, अभी-अभी अस्पताल से आये हैं, उनको बोलने दीजिएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां सर, एक मिनट। मैं धीरे ही बोल रहा हूं। एक संसदीय सचिव ने बिहार सरकार को अपना दौरा कार्यक्रम जारी कर दिया। वे उसको फर्जी समझकर यहां पर क्वेरी किये। तो यह स्थिति न बने, क्योंकि वे हमारे सदन के सदस्य हैं। उनको कोई फर्जी है, फ्राड है टाईप, यहां डी.जी.पी. से और चीफ सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं। इसलिए हम उनके इज्जत के लिये बोल रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा आप....।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, विधि मंत्री जी।

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं। विधि मंत्री जी ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- ताकि वे लोग भी बिहार और (व्यवधान) जो दायरा है उसमें काम करें।

अध्यक्ष महोदय :- विधि मंत्री जी। चलिये, उनका स्पष्ट कर दीजिये, फिर आपकी बात शुरू करते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने हम दोनों को पुकार लिया।

अध्यक्ष महोदय :- विधि मंत्री।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विधि मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, सत्र के आखिरी दिन जो भी निर्देश आपका हुआ था, उसमें लिखा था, सरकार चाहे तो यथासंभव जानकारी दे दें। तब उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कितने तारीख....।

श्री मोहम्मद अकबर :- यथासंभव।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, ये आसंदी का अपमान है।

श्री मोहम्मद अकबर :- इसमें क्या अपमान है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि आसंदी से यह निर्देश जारी हो..।

श्री अजय चंद्राकर :- आसंदी ने व्यवस्था दी है...। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आसंदी ने जो व्यवस्था दी। उसका पालन करने में ..।(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- जो निर्देश जारी हुआ है, इसमें क्या अपमान है। यथासंभव, क्या मतलब है यथासंभव। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उसका पालन करने में जो बात विधि मंत्री के द्वारा कही जा रही है, ये आसंदी का अपमान है। इस सदन का अपमान है।

श्री मोहम्मद अकबर :- क्या अपमान है ? यथासंभव का क्या मतलब है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आसंदी के निर्देश का पालन नहीं हुआ है। आज तक पालन नहीं हुआ है। विधानसभा का सत्र है, उसके पहले यहां आने के पहले थाने में बंट जाना चाहिए और सूची जारी हो जानी चाहिए। यह आसंदी का अपमान है।

श्री नारायण चंदेल :- यथासंभव, कब तक संभव है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अपमान क्या हुआ, क्या अपमान हो गया ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप शुरू करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, जानकारी एकत्र की जा रही है। डेड़ महीने में जानकारी एकत्र नहीं कर पाये तो ये सरकार कैसे चला रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था तो आ गयी। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- क्या अपमान है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम मोहम्मद अकबर जी का बहुत सम्मान करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- बहुत ज्ञानी मंत्री हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे विद्वान मंत्री हैं। परंतु कम से कम उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन नहीं होना, मुझे मालूम है, आप चाहेंगे तो कल इसके आदेश जारी हो जायेंगे ..। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अभी सदन में घोषणा कर दें। सदन में बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये हम करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है लोक अधिकारी भी हैं। आपके सम्मान में वह यह घोषणा कर दें कि एक, दो, सात दिन में वह निर्देश जारी कर देंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह कर देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा कर दें। उन्होंने खड़े होकर, ये विशेषाधिकार भंग का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आपकी सूचना मिल गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विशेषाधिकार भंग का मामला है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भंग-वंग का मामला नहीं है। जो यथासंभव है, उसके हिसाब से किया जाएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपको समर्थय देखना चाहते हैं, हम आपको लाचार नहीं देखना चाहते। ये सरकार बहुमत के बल पर, हम आपको लाचार नहीं देखना चाहते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- अध्यक्ष जी को लाचार बोल दिये भई।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था का माखौल उड़ाया जा रहा है। जानकारी इकट्ठी की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार को निर्देश देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय सचिवों का अपमान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यथासंभव के बाद डेस लगाईये और शीघ्र करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा निर्धारित कीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री नारायण चंदेल :- बिहार से वापस आ गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार भंग की एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय :- हां मैंने देख लिया है, विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे जुड़ा हुआ विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने देख लिया है, मैं उस पर विचार कर रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 2 मिनट सुन लें। हमने आपको कहा है कि हम पूरे सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। क्योंकि आपने ये अचानक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग वरिष्ठ हैं इसलिए तो मैं सुन रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को जानना चाहिए, आप जो निर्णय लें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे विषय जो महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, विशेषाधिकार क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ये लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं। व्यवधान पैदा करने लायक कुछ नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं। हम आपकी चर्चा में भाग लेंगे। आप तो चर्चा से भागने के लिए विशेष सत्र बुलाते हो। हिम्मत होती तो तब विषय को शामिल करते।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग कार्यवाही में बाधा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये मैं 4 मिनट पहले एक बात कर लेता हूँ। आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ सभा सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए ऑडिटोरियम की लॉबी में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 अगस्त को विधान सभा का शिलान्यास हुआ।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं। नवीन भवन का शिलान्यास हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का शिलान्यास हुआ। उस संबंध में भारत सरकार की मार्गदर्शिका है जिसको छत्तीसगढ़ शासन ने भी स्वीकार किया है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस (अग्रता क्रम)। अग्रता क्रम में सांसद कहां पर होंगे। विधान सभा अध्यक्ष कहां पर होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहां पर होंगे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी या नेता प्रतिपक्ष कहां पर होंगे, सबकी अलग-अलग कैटेगिरीज हैं। आप चाहें तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी देख सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं जाता। संसद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदस्य 23 वें नंबर पर है लोकसभा, विधान सभा के सदस्य 14 वें नंबर पर है और जब विधान सभा का मामला हो तो आप प्रोटोकाल में मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर हैं। यदि विधान सभा का...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्वाईंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय :- इनको कहने दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय,ये बिना सूचना दिये कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ये विशेषाधिकार की सूचना है। उन्होंने सूचना दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधान सभा परिसर में सबसे ऊपर हैं। उसका ऑनलाईन शिलान्यास दो संसद सदस्यों से करवाया गया और मैंने आपको नाम पट्टिका की फोटो भी दी है । उसमें आप आपका नाम सबसे नीचे लिखा है, अतिथियों के एक ऊपर लिखा है बस। आप फोटो में देख लीजिए। मैं विषय पर नहीं जाता। यह एक विधान पुरूष की विधायी संस्था की और एक संवैधानिक संस्था की विधायी के साथ-साथ संवैधानिक संस्था की जो राज्य सरकार के प्रमुख स्तंभ हैं, आप हैं राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री जी है या उच्च न्यायालय है उसमें एक प्रमुख स्तंभ आप है। आपके सामने संसद सदस्य की कोई गिनती नहीं होती। राजनीतिक तौर पर वे कितने बड़े हैं, वह सदन का विषय नहीं है। सदन का विषय है आपकी मर्यादा, आपका मान और सम्मान और आपकी अग्रता क्रम और इसका पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री ने जानबूझकर उल्लेख, राजनीतिक कारणों से आपको अपमानित किया गया है और यह आगे चलकर उदाहरण बनेगा। इसलिए मैंने पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री के खिलाफ, लोक निर्माण विभाग के मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। ये बात इसमें बहस होनी चाहिए। अभी बहस होनी चाहिए। क्योंकि ये आपकी समप्रभुता, आपका सम्मान, छत्तीसगढ़ का सम्मान है। इस सदन का सम्मान है। हर किसी को आपको अपमानित करने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें तत्काल बहस हो।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बात मैंने सुन ली, मेरे विचाराधीन में है। माननीय मंत्री जी आप शुरू करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार विधान सभा अध्यक्ष और आसंदी का अपमान होना, ये पूरे सदन का अपमान है। जब विधानसभा का सदन नया बनना है और नये बनने वाले सदन में विधानसभा अध्यक्ष जी को जो स्थान मिलना चाहिए, वह स्थान नहीं मिला। वह स्थान उनको नहीं मिलता, मतलब हम लोगों का अपमान हुआ। इसके ऊपर में आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी बातों पर विचार कर रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर तत्काल बहस होनी चाहिए। आज तक ऐसा विषय नहीं आया कि हमारे सर्वोच्च सभा के अध्यक्ष को राजनीतिक कारणों से जान-बूझकर अपमानित किया होगा हो। राजनीतिक कारण दूसरा होता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय भड़काने की कोशिश मत करिये, हमारे अध्यक्ष जी बहुत विद्वान हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, 29 अगस्त को नये विधानसभा भवन का भूमिपूजन हुआ, भूमिपूजन में दो सांसदों के नाम ऊपर, आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का नाम नीचे अंकित है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय रविन्द्र चौबे जी, मैं आपको पुर:स्थापित करने के लिए बुला रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि प्रोटोकाल का पालन होता। यह सदन का अपमान किया गया है ।

समय :
1:31 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले व्यवस्था आ जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है न, आपको आपत्ति होगी, मैं कहां बोल रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसको प्रस्तुत करने के पहले आप हमारी आपत्ति सुनिये।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, जब वह प्रस्तुत ही नहीं हुआ है तो आपको कैसे सुनुंगा ? अब मैं सुनुंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमें प्रस्तुत करने पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय :- उनने प्रस्तुत किया, तब मैं आपको सुनुंगा न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमें प्रस्तुत करने पर आपत्ति है।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रस्तुत कर दिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- कर दिया। विधेयक के पुर:स्थापन के विरोध में दो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। पहली आपत्ति श्री अजय चन्द्राकर एवं उनके दो सदस्यों की तथा दूसरी आपत्ति डॉ. रमन सिंह एवं उनके साथ अन्य सदस्यों की है। मैं पुर:स्थापन पर सदन की अनुमति लेने से पूर्व उनके पक्ष को सुनुंगा। श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- अब मुस्कुरा कर बोलिये।

अध्यक्ष महोदय :- बैठकर और मुस्कुरा पर बोलो।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुस्कुरा कर ही बोलता हूं। मेरे बोलने पर मैं आपको कई बार स्पष्टीकरण दे चुका हूं। मैं क्रोधित कभी नहीं होता और मैं कभी सदन में निजी आरोप नहीं लगाता और न हर्ट करने वाली बात किसी को बोलता। मुद्दे गत बात जरूर बोलता हूं, उससे प्रदेश की जनता, कार्य प्रणाली सबका हित जुड़ा होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, नियम प्रक्रिया के तहत देखें तो वह पूरी तरह गलत है। वित्तीय विधेयक, जिसको मैंने वित्तीय पत्र लिखा है, उसके बारे में बाद में बोलूंगा। सबसे पहले जिस बात को हमने शुरूआत में उठाया था कि भूलतक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा। एक सत्र निकल गया। अब मैं थोडा राजनीति की ओर जाना चाहूंगा, दिल्ली में भी और यहां भी, 5 तारीख को जब केन्द्र सरकार अध्यादेश जारी करती है तो देश में सिर्फ एक आदमी ने विरोध किया। पूरा इतिहास देख लें, वह पंजाब के मुख्यमंत्री डॉ. अमरिन्दर सिंह हैं। जब लोकसभा में कानून बनने के लिए प्रवृत्त हुआ, जब अचानक निद्रा टूटी, अरे हमको इसमें विरोध करना है। तथाकथित इससे हमको राजनीतिक ऑक्सीजन मिलेगी। मैं राजनीतिक विषयों में विधेयक में बात करूंगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जनहित के मुद्दों में भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुए हैं। जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। 3 दिन का एक सत्र निकल चुका, उस समय किसानों का हित नहीं हुआ था। भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू करने से इस संस्था के जो महान चरित्र हैं, इसकी महान परंपरायें हैं, उन महान परंपराओं में इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात एक। दूसरी भूतलक्षी प्रभाव से 5 तारीख को जो धान बिके होंगे, मैं मंडी क्षेत्र, डीम्ड मंडी विधेयक में उसको बोल लूंगा, उस बीच में उनकी व्यवस्थायें क्या होंगी ? उसका प्रभाव क्या है ? आर्थिक ज्ञापन में भी जब मैं बोलूंगा तो यदि वह 5 तारीख से व्यवस्था खड़ी करेंगे तो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? इसलिए भूतलक्षी प्रभाव के बजाय यदि ये पारित, स्वीकृत होता है, मेरा "यदि" शब्द है, जिस दिन राजपत्र में प्रकाशन होता है, उस तारीख से इसको प्रवृत्त हुआ माना जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीम्ड मंडी, डीम्ड मंडी तो आलरेडी विधेयक में है। इसमें आपने नया क्या लिखा है ? यदि 1350 से ज्यादा सोसायटी है, वह मंडी टैक्स पटाती हैं । यदि वे डीम्ड मण्डी घोषित नहीं हुईं तो फिर मण्डी कैसे है ? तो डीम्ड मण्डी तो ऑलरेडी मौजूद है । दूसरा सरकार के पास इस बात के विशेषाधिकार हैं कि उसको क्या घोषित करना है । इसको

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हम जेल घोषित कर सकते हैं, इस प्रकार सरकार जो चीजें चाहे वह घोषित कर सकती है उनके पास पावर है तो यह डीम्ड मण्डी के लिये जो औचित्य है वह भविष्य के लिये है । जो बोल रहे थे न कि अडानी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा । यह सरकार अज्ञात भय से ग्रसित है तो डिम्ड यहां मौजूद है । मूल अधिनियम की धारा-4 के स्थान पर निम्नलिखित 4 प्रतिस्थापित ।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो आपके बहस का विषय है न ।

श्री अजय चंद्राकर :- चूंकि यह पहले से था इसको और उल्लेखित करने की जरूरत नहीं है फिर इसमें राज्य शासन की अधिसूचना । अधिनियम विनिर्दष्ट कृषि उपज मण्डी के क्रय-विक्रय प्रसंस्करण । इसमें यह आपत्ति है कि जो केंद्रीय अधिनियम में उसकी परिभाषा ऑलरेडी तय है कि कौन-कौन सा क्षेत्र व्यापार क्षेत्र माना जाएगा, कौन-कौन सा क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति माना जाएगा । मैं जब समवर्ती सूची में बात करूंगा तो यह बात कहूंगा कि यह परिभाषाएं जो इन्होंने राज्य के इसमें परिभाषाएं दी हैं, व्यापार क्षेत्र घोषित किया है वह ऑलरेडी ध्वस्त होंगी इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम आगे बढ़ते हैं तो डीम्ड मण्डी और उसमें फीस जो आपके विधेयक का मूल तत्व है मण्डी की फीस । किसानों का कल्याण इसमें जो मण्डी फीस लागू करेंगे उसके अतिरिक्त कोई नयी बात नहीं है । इसके बाद मूल अधिनियम की धारा-20 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, जो एक-दो-तीन ।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो विधेयक के खण्डों पर बात कर रहे हैं ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- जो 6 में संशोधन हैं, आपने तो पूरे 6 में चर्चा शुरू कर दी ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप सुनिए तो ।

अध्यक्ष महोदय :- आप चर्चा बाद में कर लीजिएगा । अभी आपत्ति दर्ज करा दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वह करा दीजिए । चर्चा तो बाद में शुरू होगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिंदुवार बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं तो अभी चर्चा कहां शुरू हुई है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूं कि इस विधेयक को लाने का औचित्य नहीं था । मण्डी के मूल अधिनियम में यह चारों चीजें मौजूद हैं । जो दो के, पांच के मूल अधिनियम की धारा-20 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये अर्थात् जो चार हैं, 1972 के मण्डी अधिनियम में पहले से मौजूद हैं तो उसको यहां लाने की जरूरत क्या है ? अब इसके बाद पांच में लिखा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 क्रमांक-5, 1898 की धारा 102 तथा 103 के उपबंध, यथाशक की उपधारा 4 के अधीन तलाशी के लिये लागू होंगे । माननीय कृषि मंत्री जी, विद्वान लोग बैठे हैं, मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अमूमन उधर टिप्पणी नहीं करता हूं । यह पूरी तरह गलत है । 1898 का तो सी.आर.पी.सी. इस देश में लागू ही नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसका संशोधन एक तो आ गया है । नंबर एक ।

अध्यक्ष महोदय :- शुद्धि पत्र बंट चुका है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, बंट भी चुका है । माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि 15 साल हुकूमत करने वालों ने आदरणीय डाक्टर साहब मुख्यमंत्री थे । इसी मण्डी पर सन् 2006, सन् 2007, सन् 2011, सन् 2017-18 यानी 5 बार संशोधन किया है । आप जिसकी बात कह रहे हैं, क्या आप उसे एकाध बार पढ़ पाये थे ? वह है ही, मूल अधिनियम में आज भी है ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो उसको इसमें उल्लेख करने की जरूरत क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने उसका संशोधन दिया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, तो उस समय हम उत्तर देंगे । आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- उसी काम को आप करें तो अच्छा और इधर वाले करें तो गड़बड़ ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 2-3 विषय और हैं । 1898 की सी.आर.पी.सी. लागू ही नहीं है । मालूम नहीं कि ये क्या संशोधन दे रहे हैं, हमको कोई संशोधन नहीं मिला है । इस देश में सी.आर.पी.सी. 1973 की लागू है और 01 अप्रेल 1974 से वह सी.आर.पी.सी. लागू है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें तो आपका शुद्धि पत्र भेज दिया गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको आज तक त्रुटि पत्र नहीं मिला है । मूल अधिनियम जो वितरित हुआ है, आज भी आप थाने में देख लीजिए । अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस चीज को चिट्ठी में लिखा है वह आया ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, विधेयक पर लंबी बहस करिए । आपको मना नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग के लिए बात कही गई । ई नाम की चीज यहां पहले चल रही है, एक । अब इसकी अधोसंरचना के लिए जो कांस्टीट्यूशन में 207-3 है, मैं पढ़ता नहीं हूं । जिस विधेयक को अधिनियमित प्रवृत्त किये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय पड़ेगा वह विधेयक विधानमंडल के किसी सदन द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन ने, राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है । माननीय अध्यक्ष महोदय, ई ट्रेडिंग की सारी व्यवस्था और भूतलक्षी प्रभाव से उसको लागू करने के लिए क्या किसी तरह के पैसे की जरूरत नहीं होगी ? यदि नहीं होगी तो स्पष्टीकरण लिखना चाहिए कि इसमें हमें किसी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं है। वह स्पष्टीकरण भी नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपने यह लिखा है कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 207(3) तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के 61(1) की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता इसलिए इसके पुर:स्थापन का विरोध करता हूं । आप इस पर बोल चुके और बाकी बात बाद में कर लीजिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं लेकिन मैंने कहा था और आपके कार्यालय को मैंने सूचित कर दिया था कि इस विधेयक के बिंदुवार विषय को उठाउंगा । आप तो बहुमत...।

अध्यक्ष महोदय :- तो चर्चा उठाइए ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं दो मिनट में खत्म कर देता हूं, सुनने में क्या है । ऐसे विषय बार-बार नहीं आते ।

अध्यक्ष महोदय :- चर्चा में उठा लीजिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा । 5 जून से आज तक के पैसे कहां से खर्च होंगे ? आगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार होंगे ? मैंने संविधान के अनुच्छेद 207(3) का उल्लेख किया । अब मैं उद्देश्य में आता हूं । माननीय रविन्द्र चौबे जी ने उद्देश्य में लिखा है कि अतएव कृषि उपज मंडी समिति 272(24) 1973 में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है । उन्होंने एक संशोधन का उल्लेख किया है । जबकि इसमें 3 और संशोधन हैं । जबकि उन्होंने केवल एक का ही उल्लेख किया है । दूसरा, यह लिखा है कि उतार चढ़ाव, भुगतान के जोखिम को दृष्टिगत् रखते हुए, उसकी उपज की गुणवत्ता के आधार पर सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए डीम्ड मंडी प्लेटफार्म की स्थापना की जाना कृषिक हित में होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा में बोल रहे हैं या ।

अध्यक्ष महोदय :- चर्चा में बोलेंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक-एक घंटा इसी में बोलेंगे क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- डॉ. रमन सिंह का नाम आने के बाद उन्हें सुपरसीड क्यों कर रहे हो भाई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसके बाद यह है कि इस विधेयक की गोपनीयता भंग हो चुकी है । यहां पुर:स्थापित होने के पूर्व पूरे मीडिया में वायरल हो चुका है । ऐसा पहली बार हुआ है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है । इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यहा मोदी जी से पूछो ? (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- जब से चर्चा शुरू हुई है, वही वही बातें चलती रहेंगी क्या ? पहला, दूसरा, तीसरा ।

समय :
1:43 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आखरी बात बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चालिए डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- हम भी तैयारी करके आए हैं, हमको भी सुनाना है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आखिरी बात सुन लीजिए जिसके कारण यह विधेयक शून्य होगा । माननीय राजा साहब जो मूल विधेयक के 14 में केन्द्र सरकार ने लिखा है मैं उसको पढ़ रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- महू पढ़के बतावत हों, सभापति जी मोरो ला सुन ले।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- केन्द्र के नरेन्द्र मोदी जी के सरकार जी.एस.टी. पास करवाए बर रात के 12 बजे संसद सत्र बुलाइस । वो काबर बुलाइए तेला बता । हमारे यहां बुला रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है । हम किसानों के लिए बुला रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- हम छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता कर रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम तो किसानों के लिए ला रहे हैं ना । नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के विरोध में बिल लाया है, हम किसानों के हित में ला रहे हैं ।

सभापति महोदय :- वे अपनी बात खत्म कर रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता कर रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- व्यवस्था बनाने रखने के लिए दायरे में रहकर अपना-अपना काम करती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए बृहस्पत सिंह जी। कृपया बैठ जायें।

श्री अमरजीत भगत :- कानून के दायरे में अपना-अपना काम करती है। किसान समूह व व्यापारियों वर्ग..।

सभापति महोदय :- कृपया बैठ जायें।

श्री अमरजीत भगत :- कानून में राज्य के लिए संविधान में कुछ खास विषय सीमाओं के अंतर्गत प्रदान की है। अनुच्छेद 246 से लगी हुई 7 अनुसूची में 3 सूची दी गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, अनुमति किसे दी है? अनुमति किसे है?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- तेहा तैयार करके आये हस, महू ह तैयार करके आये हों करके सुनाहूं भाई।

सभापति महोदय :- अमरजीत जी बैठिए। शिवडहरिया जी। वे जल्दी खत्म कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, वे भाषण शुरू कर दिये हैं। औचित्य का प्रश्न क्या है? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, जरा जल्दी खत्म करिए। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, ये आधे-आधे घंटे तक औचित्य के प्रश्न पर बोलते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अध्यक्ष जी (श्री मोहन मरकाम) बैठिए।

श्री अमरजीत भगत :- और अनुच्छेद 246 में लगी हुई 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यदि मंत्री यह हरकत करेंगे तो बाकी सदस्य क्या करेंगे ?

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए।

श्री अमरजीत भगत :- संविधान द्वारा बनायी गई सूची..।

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता जी..।

सभापति महोदय :- भगत जी आप बैठिए। वे जल्दी खत्म कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- हम लोग भी तैयारी करके आये हैं।

सभापति महोदय :- मैंने आपसे निवेदन किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- तैयारी करके आये हैं तो अमरजीत भगत को तीन घंटे बोलवाइए। क्योंकि वे अपने विषय में तो बोलते नहीं हैं। उनके विधेयक आते हैं तो वे बोलते नहीं हैं। बाकी चीजों में बोलते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, आपने मरकाम जी को अध्यक्ष जी बैठिए कहा। सदन के अध्यक्ष तो माननीय महंत जी हैं।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, आप बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसे विलोपित कराइए।

सभापति महोदय :- जल्दी खत्म करें। फिर डॉ. साहब को बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जो केन्द्र सरकार का मूल अधिनियम है समवर्ती सूची The provisions of this Act have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

state APMC Act or any other law for time being in force or in any intrument having effect by virtue of any law of the time being in force.

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ए पुस्तक ल महू ह पढ़े हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस क्लॉज के बाद राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाये गये कोई भी कानून प्रभावशील नहीं होंगे और यह बात 254 (2) है, इसे भी अब मैं नहीं पढ़ता। 254 समवर्ती सूची में जो कानून केन्द्र बनायेगा तो दोनों में यदि कोई विरोधाभास होता है तो केन्द्र का कानून माना जायेगा। चूंकि इन विषयों में केन्द्र का कानून बन चुका है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस कानून के बनाये जाने के बाद राज्य विधान मंडल का कोई कानून प्रभावशील नहीं होगा, इसलिए इस कानून का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- ये समाप्त ही नहीं कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस कानून का इस्तेमाल ये अपनी राजनीतिक इच्छापूर्ति के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप हमारी आपत्तियों की ओर ध्यान दीजिए और इसे पुर:स्थापित करने की अनुमति न देने का कष्ट करें।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। माननीय डॉ. रमन सिंह जी।

श्री रमन सिंह (राजनांदगांव) :- सभापति महोदय, आपत्ति में मैं बिंदुवार बोलूंगा। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने काफी व्यापक रूप से उस पर प्रकाश डाला। विधेयक ऐसे विषय पर विधायन का सूत्रपात हो रहा है यानी शुरूआत हो रहा है, जो इस विधान सभा के क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता। हम अध्यक्ष महोदय का ध्यान, सभापति महोदय और इस पूरे विधान सभा का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि संघ सूची में प्रविष्टि 93 अपराध और संघ सूची की प्रविष्टि 42 अंतर्राज्यीय व्यापार आदि ऐसे विषय हैं, जिन पर केन्द्र सरकार को ही कानून बनाना चाहिए। सवाल अधिकार का है। सवाल इस विषय का है कि कायदा-कानून को ताक में रखकर यदि कानून बनता है और यदि जल्दबाजी में कानून बनाता है, लंगड़ा-लूला यदि कानून बनता है, उसकी स्थिति यह है कि इसमें जो प्रभाव है विधेयक के प्रावधानों में कृषकों, व्यापार, वाणिज्य जगत, कराधान आदि विषय पर व्यापक प्रभाव होना है। इन सारे क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव होना है। भूतलक्षी प्रभाव भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विधान सभा की प्रक्रिया 59 के अंतर्गत पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशन आवश्यक है जो कि नहीं किया गया है। पहला बिंदु। 5 जून से इसे लागू किया जायेगा। 5 जून की स्थिति में आज दिसंबर की स्थिति में क्या इस भूतलक्षी प्रभाव से कानून इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है, उसमें कोई पैनाल्टी लगेगी। उस समय के रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय विधेयक के प्रावधानों को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 207 के अंतर्गत राज्यपाल की पूर्व अनुमति अर्थात् सिफारिश ली जानी चाहिए, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है। हमारा विरोध इसलिए है। विधेयक के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान को आकर्षित किया गया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। यानी दंड प्रक्रिया भी इसमें है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है जरूरी है, जो संलग्न नहीं की गई है। इस प्रकार विधान सभा की प्रकिया 60 (2) का उल्लंघन हुआ है। तीसरा विषय मैं थोड़ा सा पढ़कर सुना देता हूं। नियम प्रकिया में 60 (1) विधेयक के साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा, जिसमें व्यय अंतर्गत होने वाले खंडों की ओर विशेषत: ध्यान दिलाया जायेगा। इसमें उस आवर्तक और अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन किया जायेगा, जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था के अंतर्गत होगा। विधेयक के जिन खण्डों में उपबंधों को लोकनिधि में व्यय अंतर्गत मोटे टाईप से छापे जाएंगे । सभापति महोदय, विधेयक के प्रावधान में मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं कि क्रियान्वयन में वित्तीय भार आयेगा । डीम्ड मंडी ऐसे ही नहीं खुल जायेगा । उसकी स्थापना के लिए खर्च आएगा, इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म की स्थापना होगी । इसके लिए विधेयक में वित्तीय ज्ञापन संलग्न ही नहीं किया गया है। जब वित्तीय ज्ञापन नहीं है तो डीम्ड मंडी की बात और इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म की बात कहां से आती है । अनुच्छेद 61 (1) के अंतर्गत यह आवश्यक होता है और इसको नहीं किया गया है । यदि आप वित्तीय ज्ञापन नहीं दे रहे हैं तो यह सारी व्यवस्था क्या होगी, मैं इसीलिए इसको अधूरापन बोल रहा हूं । आप ध्यान से देखेंगे कि विधेयक के खण्ड-2 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शब्द का उल्लेख है, लेकिन इसके साथ कोई अनुसूची ही नहीं है इसलिए मैं अधूरा बोल रहा हूं । इस प्रकार अपने आप में यह अधूरा है । विधेयक में इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म बनाने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति मांगी गई है, लेकिन विधेयक के साथ कोई प्रत्यायोजित विधान का ज्ञापन नहीं दिया गया है। आधा अधूरा क्यों बोला जा रहा है ? आप इतनी जल्दबाजी में विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश के द्वारा जारी करते, मगर इसके बाद जब इतनी कमियां हैं तो आज इस विषय पर चर्चा करने का औचित्य नहीं है और इसमें बहस की आवश्यकता भी नहीं है । धन्यवाद ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने आपत्ति की है कि इसकी पुन:स्थापन नहीं की जा सकती । माननीय अजय चन्द्राकर जी ने, माननीय डा. रमन सिंह जी ने इस बात का उल्लेख यहां पर किया । हमारी विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम, अध्यक्ष के स्थायी आदेश हैं । विधेयक के पुर:स्थापन किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र विधेयक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जायेगा, यदि वह पहले प्रकाशित नहीं किया गया हो । जब विधेयक को आज ही प्रस्तुत किया जा रहा है और आज ही चर्चा करवाने की कोशिश है तो जब तक पुन: प्रकाशित नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर में चर्चा नहीं करवायी जा सकती । दूसरा, इस विधान सभा का काम कानून बनाना है, यह लेजिस्लेशन असेम्बली है, इसका काम कानून बनाना है और हम कानून को ही आधा-अधूरा बनाएंगे और वह बाद में जाकर अगर उसको कैंसिल कर दिया जाये, कोई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसका चैलेंज करेगा तो यह विधान सभा का अपमान होगा । तीसरा, हमारे विधानसभा के विधेयक की पुर:स्थापन के बाद प्रस्ताव । विधेयक पुर:स्थापित किया जाये या उसके बाद किसी अवसर पर भार

Uncorrected and unedited/Not for Publication Tuesday, October 27, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

साधक सदस्य बोलेंगे, परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिए दो दिन पहले उपलब्ध न करवाया दी गई हों। यह कल ही कैबिनेट में पारित हुआ है, रात को वितरित हुआ है, आज हमें मिला है और जब तक दो दिन का समय इस विधेयक के ऊपर में विचार करने के लिए नहीं दिया जायेगा, तब तक उसको पुन:स्थापित नहीं कर सकते, इस बात का उल्लेख हमारे विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमों में है ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात का तरस आता है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यों को कहा कि अनुच्छेद 254 के तहत आप कानून पास करें। अनुच्छेद 254 में क्या है ? अनुच्छेद 254 में है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों की विधान मण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है । यदि किसी राज्य की विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसको अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, जिसकी उपबंध के या समवर्ती सूची के प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान किसी विषय से उपबंध के विरूद्ध है तो खण्ड 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि चाहे वह ऐसे राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो या विद्यमान विधि अविभावी होंगे और उस राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि उसका विरोध मात्र शून्य होंगे । जब यह हमारे कानून में लिखा हुआ है, जब यह विधान सभा की नियमावली में लिखा हुआ है तो उसके बाद इस विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर बिना राज्यपाल की अनुमति के, गजट में नोटिफिकेशन किये बिना इसको इस विधान सभा में रखना और इसको जो प्रस्तुत किया गया है...।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- सभापति जी, राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा आहुत हुआ है। माननीय सदस्य कुछ भी बोल रहे हैं। ये खाली बोलते रहेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। नियम अनुसार कुछ बात करें न। राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा आहुत हुआ है। थोड़ा ज्ञान सुधार लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- संसदीय कार्यमंत्री जी, आज एक ही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ भी बोल रहा हूं। मैं अपने ज्ञान को सुधार भी रहा हूं। मैं संविधान को पढ़कर भी बता रहा हूं। अगर यह संविधान कुछ भी है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह विधानसभा जो निर्णय करेगी, मैं उसे मानूंगा। मैं विधानसभा प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमों का उल्लेख कर रहा हूं, अगर यह कुछ भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं। यदि उनके मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य संविधान को कुछ भी कहे।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत):- बृजमोहन भैय्या, आप थोड़ा सा सुनेंगे, आप थोड़ा सा मेरा भी सुन लीजिये। भारत में कोई भी संस्था या व्यक्ति, पद संविधान के ऊपर नहीं है। हम सब संविधान के बनाये और बताये हुए दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। चाहे वह संसद हो या राज्य विधान मण्डल। संविधान ने कानून बनाने की शक्ति कुछ खास विषयों और सीमाओं के अन्तर्गत प्रदान की है।

अनुच्छेद-246 में लगी हुई 7वीं अनुसूची 3 सूचियां दी गई है, जिन पर संसद और विधान मण्डल कानून बना सकते हैं। संविधान द्वारा बनाई गई संघीय ढांचा की व्यवस्था में सूची -1 अर्थात् संघ सूची में दिए गए विषयों पर कुल 97 प्रवृष्टियां हैं, जिन पर केन्द्र कानून बना सकता है। इसी तरह सूची-2 में बताये हुए 66 विषय पर राज्य विधान मण्डल कानून बना सकते हैं। तीसरी अर्थात् समवर्ती सूची में बताये गये 47 विषय पर केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन विरोध की सीमा तक ऐसे मामलों में केन्द्र का कानून जहां तक होगा, जहां तक कृषि संबंधी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है, संघ सूची में एक भी विषय ऐसा नहीं है, जिसके अन्तर्गत एकना रूप में कृषि से संबंधित मालले पर केन्द्र को कानून बनाने का एकाधिकार है। राज्य सूची की प्रवृष्टि 14,18,30, 46, 45, 48 में कृषि से संबंधित अनेक विषय ऐसे हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। हम उसी के तहत इस पर आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जो आपत्ति है, उस पर बात नहीं हो रही है, जो आपने अनुमति दी है।

सभापति महोदय :- जो स्टेट सब्जेक्ट है, उसको बता रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो माननीय सभापति महोदय, अनुच्छेद-254 में संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के विरूद्ध राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाता भी है तो वह शून्य हो जायेगा। यह जो कानून बना है, यह समवर्ती सूची में बना है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 301 से 305 में जो व्यापार और व्यवसाय है, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी पढ़कर बता सकता हूं।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- केन्द्र की सरकार तो वह कृषि को भी व्यापार बता रही है। कृषि को भी व्यापार बता रही है। क्या कृषि भी व्यापार है ? हम धान बेचेंगे तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धारा 33 समवर्ती सूची में, जहां संसद द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग या संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है, वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में खाद्य पदार्थों का जिनके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तिल है, पशुओं के चारे का जिसके अन्तर्गत खली और चारे हैं, कच्ची कपास का चाहे वह ओटी हो या बिना ओटी हुई हो, बिनौले और बाकी अन्य ..।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, आदरणीय आप धारा 33 की बात कर रहे हैं, धारा 33 में लिखा हुआ है।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, अगर विधेयक के प्रावधानों में कुछ आपत्ति है तो उस पर बात करिये।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- धारा 33 में खाद्य पदार्थ है, जिनके अन्तर्गत खाद्य, तिलहन, तिल और पशुओं के चारे के अन्तर्गत खली एवं अन्य चारे, कच्ची कपास, वाणिज्य, प्रोसेसिंग इतना भर संसद द्वारा विनियमित किया जा सकता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब देंगे या विधि मंत्री जवाब देंगे। परन्तु हमारी आपत्ति है कि इस विधेयक की पुर:स्थापना हमारे संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 254 के अनुसार, हमारे विधान सभा की प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमों के अनुसार, आप नियम 7 से लेकर 65 तक देख लें, उसके अनुसार जब तक 2 दिन पहले यहां पर उसको वितरित नहीं किया जाता है, जब तक उसको राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता है, जब तक राज्यपाल महोदय से स्वीकृति नहीं ली जाती है, तब तक इसको विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद-254 के अन्तर्गत क्योंकि केन्द्र सरकार का जो समवर्ती सूची का विषय है, अगर उन्होंने कोई कानून बना दिया है तो उससे संबंधित कोई कानून जो उसका विरोध करता हो या उसके समकक्ष हो वह कानून लागू नहीं हो सकता और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको वापस लेने के लिए सरकार को निर्देश दें कि कृषि मंत्री जी इसको वापस लें।

समय :
2:01 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, प्रक्रियाओं के बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। अभी मैं केवल इतना आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि सारा विवाद इस बात का है कि कृषि विषय किसका है। वह केंद्र का है या राज्य का है या वह समवर्ती सूची का है। इस बारे में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अभी आपने बात रखी है। मैं आपको लोकसभा में जो प्रोफेसर साधू सिंह ने 27 मार्च, 2018 के प्रश्न के उत्तर में आपके मंत्री जी श्री पुरूषोत्तम रूपाला जी ने जो जवाब दिया है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह लोकसभा का लिखित उत्तर है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि Agriculture marketing is state subject as per constitution of India. जब राज्य की सूची में राज्य के कानून के अंतर्गत है तो हम क्यों नहीं बना सकते? एक दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं और आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसमें श्री एम.वी. राजेश सदस्य ने जानकारी चाही थी कि क्या भविष्य में कृषि को आप केंद्र की सूची में या समवर्ती सूची में शामिल करेंगे तो उसके उत्तर में लिखा है कि "No madam. At present there is no proposal under constitution of the government to bring agriculture marketing in to the concurrent or union list. जब लोकसभा में जो आपके खुद के मंत्री हैं वह लिखित में कहते हैं कि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, भविष्य में हम इसको समवर्ती या केंद्र की सूची में नहीं लेंगे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो उसके बाद इसमें और क्या विवाद की स्थिति बच जाती है? तो इस पर राज्य कैसे कानून नहीं बनायेगा?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर एक मंत्री खड़े होकर पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो कानून बन रहा है वह धारा 301, 302, 303, 304 और 305 ये हमारा संविधान है और हमारे संविधान के अंतर्गत भारत के भौतिक क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह केंद्रीय मंत्री पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं? इस पर बात रखिए ना। यह केंन्द्रीय मंत्री का लिखित उत्तर है। क्या केंद्रीय मंत्री ने देश को गुमराह किया है तो बोलिए कि देश को गुमराह किया है?

श्री अजय चंद्राकर :- वह किन परिस्थितियों पर प्रश्न है उत्तर है उसे लोकसभा में ले जाओ।

श्री मोहम्मद अकबर :- यह केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा के भीतर का है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा के भीतर कहा है। यह लिखित उत्तर है। यह लोकसभा के भीतर कही हुई बात है। आपके केंद्रीय मंत्री ने क्या देश को गुमराह किया है? क्या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है? आपके केंद्रीय मंत्री संविधान नहीं पढ़ते? उनको नहीं मालूम?

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर पढ़ दिया। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न क्या किया है उस प्रश्न के हिसाब से उत्तर आया होगा। यहां पर तो आप संविधान पर ही चर्चा करो।

श्री मोहम्मद अकबर :- संविधान नहीं पढ़ते। संविधान के आधार पर यदि यह उत्तर है कि यह हमारे लिस्ट में नहीं है तो क्या मंत्री पढ़ते नहीं, उनको बताते नहीं, इस देश को गुमराह करते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- आप पूरी प्रश्नोत्तरी को पटल पर रख दीजिए कि कैसा प्रश्न है और कैसा उत्तर आया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति दीजिए, मैं रखने को तैयार हूं। आसंदी आदेश दे, मैं रखने को तैयार हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल आप अनुमति लेकर पटल पर रख दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य का विषय है परंतु कृषि, व्यापार समवर्ती सूची का विषय है। हमारे संविधान के भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर हमारे अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। व्यापार, वाणिज्य और समागम के निबंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निबंधन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अधिरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित हों। केंद्र सरकार को इसके अंतर्गत अधिकार है और इन अधिकारों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वहां पर कानून लाया है। बार-बार मैंने कहा कि कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ने कहा कि अनुच्छेद 254 के अंतर्गत लाओ। अनुच्छेद 254 तो यह है कि उसको राज्य सरकार को तो कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। 302 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कानून बनाया है और इसलिए राज्य में जो इस प्रकार का कानून यह प्रतिस्थापित कर रहे हैं वह पूरी तरह अवैधानिक है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की सूची प्रविष्टि 14, 18, 30, 46, 47 और 48 में कृषि से संबंधित अनेक विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को ही है। इसलिए हम कानून ला सकते हैं, बना सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के अनुसार और हमारे विधानसभा की नियम कार्य प्रक्रिया संचालन के अनुसार ये जो विधेयक पुर:स्थापित हो रहे हैं, पुर:स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए आपने हमारा आग्रह है कि आप इस सरकार को कहें कि उसको वापिस ले लें और ज्यादा उपयुक्त होगा। अन्यथा कोई सुप्रीम कोर्ट में जायेगा, कोई हाईकोर्ट में जायेगा। यह कानून अगर अवैध हो जायेगा, इसको निरस्त कर दिया जायेगा, तो हमारे सदन का अपमान होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कानून को वापिस ले लें, पुर:स्थापित करने से आप रोकें। इस बात का आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें व्यवस्था कुछ इतनी है, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आ तो रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप कह लें, उसके बाद व्यवस्था देता हूं।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, लगभग एक घंटे से इस विधेयक के पुर:स्थापन पर आपत्ति की जा रही है। आपने अनुमति दी, मैंने पुर:स्थापित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. रमन सिंह से पूछना चाहता हूं। किसानों के लिये अगर ये सरकार कुछ करती है तो आपको क्यों आपत्ति होती है। माननीय डा. साहब आपने कहा।

डॉ. रमन सिंह :- आप तो किसान के लिये आज बहुत अच्छा अवसर है। बोल दीजिए, एक तारीख से खरीदी होगी, 2500 का कानून बना रहे हैं, हम सब मिलकर एक साथ सहमति दे देंगे। आपके साथ हैं। किसान के मामले में विपक्ष पूरा साथ में है।

श्री रविन्द्र चौबे :- डॉ. साहब, अभी तो बहस होगी, आप बोलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे। इसलिए आप अपनी बात कहियेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आज विधेयक की चर्चा में भाग लेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सदन के नेता किसी भी चर्चे में भाग ले सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- विधेयक की चर्चा में भाग लेंगे क्या, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सदन के नेता किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपसे पूछ रहा हूं कि, वह मैं जानता हूं, विधेयक की चर्चा में भाग लेंगे क्या ? ससंदीय कार्य मंत्री जी आपसे पूछ रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- सदन के नेता किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सिर्फ विधेयक का, वे ले सकते हैं, मेरे को मालूम है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, पहली बहस यह हो रही है कि आप केन्द्र के कानून जो बनाये गये, तीन कानून पारित किये गये। आप उसको निष्प्रभावी करने के लिये संविधान के अधिकारों को ...।

श्री अजय चंद्राकर :- हमने बोला ही नहीं कि तीन कानूनों को निष्प्रभावी कर रहे हैं। हमने ये कहा कि आपका कानून गलत है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय बृजमोहन जी ने भी कहा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं कहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप सबको तकलीफ इसी बात की है।

श्री अजय चंद्राकर :- ये आप अज्ञात बात मत करिये। संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप सबको तकलीफ इसी बात की है कि केन्द्र सरकार ने जो कानून बनाया, मंडी का कानून छत्तीसगढ़ के कृषि का कानून है और संविधान की जिनती बातें आपने कही, हमारा अधिकार कृषि पर है। आदरणीय अकबर भाई ने अभी पढ़कर सुनाया। एग्रीकल्चर सेक्टर पर हर प्रकार के कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। (मेजों की थपथपाहट) मैं आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूं। मंडियों में आपने सात-सात संशोधन विधेयक 15 साल के कार्यकाल में किये थे। तब आपने कभी कहा था कि केन्द्र के समवर्ती सूची में है, आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, राष्ट्रपति के पास यह प्रस्ताव भेजा जायेगा। आप क्यों केन्द्र के कानून से, संविधान के उल्लंघन से समवर्ती सूची से जोड़ रहे हैं। हम तो केवल अपने मंडी के कानून में 6 बिन्दुओं में संशोधन लाये हैं और वह 6 बिन्दु यहां के किसानों के हित में है। इसलिए वे यहां के कृषि के अंतर्गत है और आपने दो, तीन, चार बातों का उल्लेख किया। अब पहले प्रकाश के बाद आदरणीय डॉ. ....।

डॉ. रमन सिंह :- आपने मेरा जिक्र किया और उसक जिक्र का मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं। जो constitution के आधार पर जो चर्चा हुई। 7 वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सवमर्ती सूची में आपने जो एक बात पहली कही, उसे मैं असहमत नहीं हूं। दूसरी सूची राज्य के लिये क्रमांक 14 पर कृषि जिन के अंतर्गत कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, नाशक जीव, संरक्षण, पादप रोगों के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निवारण। एग्रीकल्चर, including, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रिसर्च प्रोडक्शन against the based an prevention of plant diseases. मगर इसके साथ और पढ़ लीजिए। सूची में तीसरी सूची में समवर्ती सूची के क्रमांक 33 में स्पष्ट प्रावधान है। व्यापार, वाणिज्य उसके उत्पाद प्रदाय और वितरण की व्यवस्था केन्द्र सरकार करेगी, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जिसका जिक्र 254 में बृजमोहन जी ने किया है। इसका मैं कोड करा रहा था।

श्री रविन्द्र चौबे :- डॉ. साहब, उद्योग व्यापार और वाणिज्य आप जिसका टच कर रहे हैं, उसको मेरा कृषि मंडी का जो संशोधन विधेयक है, वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। आप यहां की कृषि को व्यापार और उ्दयोग से क्यों जोड़ना चाहते हैं। हमारा ये आरोप भी है कि केन्द्र सरकार ने कृषि को व्यापार दर्ज करके राज्यों से बगैर अनुमति के केन्द्र में कानून बनाया है केन्द्र ने जो कानून बनाया गया है राज्यों की बगैर सहमति से बनाया गया है। इसलिए हमारी आपत्ति है, लेकिन हमारा कानून केन्द्र के किसी कानून का टच नहीं करता। डॉ. साहब आप कह रहे हैं कि ये व्यापार है किसानों में मन में यही भय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप विधान सभा में यह बोल रहे हैं कि राज्यों से किसी प्रकार का मत नहीं लिया गया है एक जिम्मेदार मंत्री का ये बयान है।

श्री रविन्द्र चौबे :- इस कानून के लिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन से कानून के लिए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- केन्द्र ने जो लाया है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय चौबे जी, आप 254 पढ़ोगे, इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो कानून केन्द्र सरकार ने बना दिया है उसके बाद राज्य सरकार कोई कानून बनाएगी तो शून्य घोषित हो जाएगा। वह अपने आप में अस्तित्वहीन हो जाएगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- डॉ. साहब मुझे मालूम है। केन्द्र के कानून को हम सुपरसीट नहीं कर सकते। केन्द्र के कानून के ऊपर हम अपना कानून लागू नहीं कर सकते। इसलिए डॉ. साहब जो दिल्ली के कानून बने हैं उसको कहीं भी टच करते हुए बिना, हमने अपनी मण्डी में सशोधन का कानून बनाया है। हमें यह मालूम है जो आप कह रहे हैं कि संविधान में केन्द्र का अलग अधिकार, कानून बनाने का संवर्ती सूची में अलग अधिकार है और कृषि के बारे में राज्य को अलग अधिकार है तो हमें यह मालूम है कि हम केन्द्र के कानून को टच नहीं कर सकते। लेकिन अपने कानूनों के माध्यम से अपने किसानों के लिए, अपनी मण्डियों की रक्षा के लिए, हम अपनी मण्डी में संशोधन करके अगर कानून बनाएंगे तो उसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है ? और आपको क्या आपत्ति हो सकती है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जिस बिल में भाषण दे रहे हैं उसमें डीम्ड मण्डी जुड़ा है। उसकी परिभाषाएं यदि उस विधेयक में है जिसका मैंने उल्लेख किया। इसलिए आपकी परिभाषाएं 254 में शून्य हो जाएंगी। इसलिए उसको लाने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय रविन्द्र भईया, आप मण्डी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएं हैं और इसको किसानों के हित में बता रहे हैं। इस संशोधन प्रस्ताव में मूल रूप से आपने डीम्ड मण्डी की बात की है और मण्डी प्रांगण के बाहर किसान अपनी ऊपज बेचता है तो उसको भी अधिसूचित करके वहां हम मण्डी टैक्स ले सकते हैं आपने यह बात की है।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मुझे यह बता दीजिए कि किसान की ऊपज पर, अगर किसान बाहर बेचता है और उसमें 50 पैसे से लेकर 2 रूपये सैकड़ा मण्डी टैक्स लगता है तो व्यापारी उस मण्डी टैक्स को जोड़कर खरीदेगा तो किसान को उपज की कीमत कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, जरा आप स्पष्ट कर दें। व्यापारी तो अपना पड़ता देखकर खरीदेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :-माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा होगी तो इसका भी उत्तर दे दूंगा, लेकिन डॉ. साहब आपने कहा कि इसका पूर्व प्रकाशन होना चाहिए। इसको पहले से, माननीय अध्यक्ष महोदय विधान सभा की संसदीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में कॉल एण्ड शकधर की किताब है। किसी विधेयक को भारसाधक सदस्य की प्रार्थना पर..।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह इसमें भी है हमारी नियम प्रक्रियाओं में भी वह लिखा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो क्यों आपत्ति है। अभी विधान सभा में माननीय डॉ. साहब ने पूर्व प्रकाशन के लिए आपत्ति दर्ज करायी है किस बात के लिए आपत्ति की है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारी आपत्ति प्रकाशन की प्रक्रिया में आप ढिलाई चाह रहे हैं। ठीक है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम ढिलाई नहीं चाह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसके बाद हमारी आपत्ति है आपने जितने मूल विधेयक लाये हैं आपने संशोधन विधेयक लाये हैं वह दिल्ली के 113 (क) में उसकी परिभाषाएं तय हैं इसलिए 254 में यह विधेयक शून्य हो जाएगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- फिर से।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। मैंने यह कहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं फिर से कह रहा हूँ। दिल्ली के किसी भी कानून को मेरा विधेयक छत्तीसगढ़ सरकार...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी परिभाषाएं कह रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमने उसको टच ही नहीं किया है। हम जानते हैं मैंने फिर से पहले कहा कि हम अपनी सीमाओं को जानते हैं हम अपने अधिकार को जानते हैं और हम अपनी सीमाओं के अधिकारों के बीच यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली के किसी कानून को हम टच नहीं करने जा रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम परेशान नहीं हो रहे हैं। माननीय विद्वान संसदीय कार्यमंत्री जी मैं कह रहा हूँ कि 113 (क) जो मूल विधेयक है उसके तहत जब वह लागू होगी 254 के तहत। 254 (2) आर्टिकल में आपकी सारी चीजें शून्य हो जाएंगी। इसलिए आप मेहनत मत करिये। हमको कोई परेशानी नहीं है। आप कोई अच्छी चीज किसानों के लिए लाईये। जो बोले कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, विशेष सत्र में बहस होगी, यदि अनुमति देंगे तो। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं वह सत्य है। आप देख लीजिएगा, आपने कहा था अकबर भाई बैठे हैं। हम मोटर व्हिकल एक्ट लागू नहीं करेंगे। अभी खड़े होकर आप बताईये कि दिल्ली में मोटर व्हिकल एक्ट लागू है या नहीं है ? आप बताईये। नया कानून लाएंगे बोले थे तो कानून में लाये क्या ? जो केन्द्र सरकार के कानून है वह लागू होंगे ही। आप बताईये, आप बैठे तो है। मोटर व्हिकल एक्ट हम नया लाएंगे। यहां मोटर व्हिकल एक्ट लागू है या नहीं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मोटर व्हिकल एक्ट में भी एक दिन बहस कर लेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- मोटर व्हिकल एक्ट के बारे में जब चर्चा होगी तो जवाब दे दिया जायेगा। फिरहाल जो डॉ. रमन सिंह जी ने ट्रेड एण्ड कॉमर्स के बारे में जो 33 एन .डी. 33।

श्री शिवरतन शर्मा :- अकबर भैया, क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हैं? मतलब संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह विद्वान हैं, हम मानते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने जिक्र किया इसलिए बता रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. रमन सिंह जी ने एंट्री-33 के बारे में कहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। यह जो संवैधानिक प्रावधान है। आपने अभी धारा-33 का उल्लेख किया इसमें लिखा है कि- trade and commerce in entry production supply and distribution । यदि केन्द्र सरकार किसी उद्योग को नियंत्रित करना चाहे, उसके बारे में कानून है, जिसमें खाद्य पदार्थ भी है। कृषि उपज मंडी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कृषि उपज मंडी का जो कानून आया है, इससे उसका दूर-दूर तक का संबंध नहीं है। एंट्री-33 के बारे में जो आप बोल रहे हैं, वह किसी उद्योग के नियंत्रण के बारे में है। मैं यह संविधान की कापी पढ़कर सुना देता देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो पढ़ रहे हैं, इसमें आपत्ति नहीं है। मैं आपको दूसरी चीज बोला, जो डीम्ड मंडी जुड़ा है, उसको जो क्षेत्र घोषित करेंगे, सेन्ट्रल एक्ट में उनकी जो परिभाषायें तय हैं, उसके

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तहत 254 में वह सारी चीजें शून्य हो जायेंगी, इसलिए वह मंडी एक्ट प्रभावशील नहीं रहेगा। इसलिए वापस ले लें, यह कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिये, 254 के बारे में यदि अलग-अलग सूचियों में राज्य के कानून और केन्द्र के कानून में कोई विसंगति आ जाये तो उसके बारे में आप कहना चाहते हैं। माननीय चौबे जी ने अभी आपसे क्या कहा कि जो केन्द्र ने कानून बनाया है, उसको तो हम टच तक नहीं किये हैं। यह कानून अलग है। यह कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 है और यह राष्ट्रपति के द्वारा इसके पहले मंजूर किया हुआ कानून है। आप मंडी के भीतर की बात कर रहे हैं। आप बार-बार डीम्ड मंडी, डीम्ड मंडी कह रहे हैं। केन्द्र सरकार ने जो अभी विधेयक पारित किया है, इसमें ही उन्होंने कहा है कि हम डीम्ड मंडी बना सकते हैं और हमारा अधिकार है। इसमें जो भी कानून लागू होगा, चाहे मंडी हो, डीम्ड मंडी हो, बाकी जो परिभाषित किया है मार्केट प्लेस को छोड़कर बाकी मंडी का जितना भी परिसर है, मंडी का यार्ड है, उसमें पूरा अधिकार राज्य सरकार का होगा। कृषि उपज मंडी अधिनियम लागू होगा। आप यदि उसके बाहर जो केन्द्र सरकार ने कानून लाया है, उसके बारे में तो हमने इसमें कोई बात की नहीं है। फिर कहां से विरोधाभाष की स्थिति है? कोई विरोधाभाष की स्थिति नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, दो आपत्ति और थी कि यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू क्यों किया जा रहा है? यह इस सदन को अधिकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको अधिकार नहीं है, आपकी राजनीतिक मंशा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मंशा तो है।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजनीतिक मंशा।

श्री रविन्द्र चौबे :- फिर से समझ लीजिए, आपने बहुत अच्छा शब्द का उपयोग किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अजय भाई कह रहे हैं कि कि हमारी राजनीतिक मंशा है। यहां हम थाली और घंटा बजाने नहीं आये हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, लोकतांत्रिक देश है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बुद्धिमान हैं, तोता कब से बन गये ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी तो आपने राजनीतिक मंशा कहा न।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आपकी सरकार तोता सरकार हो गई, क्या खुद का विवेक नहीं है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी आपने कहा न कि राजनीतिक मंशा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आपका विवेक नहीं है ? तोता कैसे बन बये ? दिल्ली बोलेगी तब आप नाचोगे। आपको इतना राजनीतिक अधिकार था तो क्या 5 जून को सोये थे ? घंटा नहीं बजाओगे तो 5 जून से आज तक क्या कर रहे थे ? आप घंटा बजा रहे थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- घंटा ही बजा रहे हैं, ऊपर के निर्देश का घंटा ही बजा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर आपत्तिजनक है।

अग्रिम/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- उनको आपत्ति नहीं है तो आपको क्यों आपत्ति है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके पास घंटी है, इनके पास घंटा है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहस नहीं करना चाहता, ये डीम्ड मंडी का क्या मतलब होता है, मुझे इसका पूरा अर्थ चाहिए। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- डीम्ड मंडी क्या होती है, उनको कक्ष में समझाईयेगा, हाउस में मत समझाईये।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- उनको समझने के लिए सत्तू भैया के पास भेज देंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी बातें आ गईं। जो आपत्तियां थीं, आदरणीय विधि मंत्री जी के द्वारा केन्द्र के कानूनों को, बिल्कुल विश्वास जानिये हम उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहने वाले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- व्यवस्था तो आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दूंगा। पहले माननीय मंत्री जी की बात तो आने दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कह दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सारी आपत्तियों को निरस्त करते हुए आगे बढ़िये, विधेयक पर चर्चा कराईये।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों ने विधेयक को पुर:स्थापित करने के संबंध में विभिन्न आपत्तियॉ प्रस्तुत की हैं। मैंने इस संबंध में माननीय सदस्यों, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय विधि मंत्री को सुना। चूंकि विधेयक में कोई वित्तीय व्यय अंतरग्रस्त नहीं है अत: विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 61(1) के अंतर्गत वित्तीय ज्ञापन एवं...।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो वित्तीय भार की बात आयी है और डीम्ड मण्डी की बात आयी है तो डीम्ड मण्डी जब स्थापित करेंगे तो उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी और सुविधायें देंगे तो खर्च करनी पड़ेंगी इसलिए यह आवश्यक है ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, जब बहस होगी तो आप पढ़ेंगे, हमारे आदरणीय कई विद्वान सदस्य अपने कथन पर भी बोलेंगे । जहां इस तरीके से जो शंका व्यक्त की गई कि कोई लोग आएंगे, किसी ने वालमार्ट का नाम लिया, घोषित होगी, उसको सरकार केवल मण्डी एक्ट के तहत् घोषित करेगी डीम्ड । आप उसको समझ लीजिए न, उसको फिर मण्डी कानून के दायरे में हम लेंगे। हम कोई डीम्ड मण्डी बनाने जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है इसलिए उसमें वित्तीय ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय ज्ञापन एवं इस विधेयक से राज्य की संचित निधि में से कोई व्यय नहीं करना पड़ेगा अत: संविधान के अनुच्छेद 207(3) के तहत् इस विधेयक को इस सदन में पुर:स्थापित करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है ।

नियम 59 के संबंध में विधेयक को पुर:स्थापित करने के पूर्व राजपत्र में प्रकाशन करने के संबंध में जो आपत्ति है, उसके संबंध में छत्तीसगढ़ विधान सभा में यह परम्परा है कि नियमानुसार केवल विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित करने के पूर्व राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और इसीलिये राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के बाद विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति नहीं ली जाती है और विनियोग विधेयक सीधे ही पुर:स्थापित कर दिया जाता है । छत्तीसगढ़ विधान सभा में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब भूतलक्षी प्रभाव वाले विधेयकों को विधान सभा में पुर:स्थापन के पश्चात् ही उनका प्रकाशन राजपत्र में किया गया था ।

मैंने भारत सरकार के "कृषक व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 के अध्याय-5 "प्रकीर्ण" की कंडिका-14 तथा संविधान के अनुच्छेद 254(2) का भी अवलोकन किया ।

चूंकि विधेयक नियम 60(2), 61 एवं 62 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है अत: मैंने विधेयक को अनुमति प्रदान की है । विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने में कोई विसंगति नहीं है । उपरोक्त आधारों पर मैंने विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है । अत: विधेयक को पुर:स्थापित करने के संबंध में जो आपत्तियां प्रस्तुत की है, उनको मैं अमान्य करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) को पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रविन्द्र चौबे जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें । आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है परंतु आपने जो एक शब्द का उल्लेख किया है कि कोई विधि वो नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि उस शब्द का उल्लेख नहीं करना चाहिए । उसके ऊपर विचार उच्च न्यायालय या केंद्रीय न्यायालय करेगा इस बात का उल्लेख आपको नहीं करना चाहिए कि विधिसम्मत है । मुझे ऐसा लगता है वह शब्द जो आपने उल्लेख किया है उसको आप देख लेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कल से वितरित हुआ है और अभी संशोधन देंगे ऐसा नहीं होता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा निर्णय आपके द्वारा नहीं हो सकता । वह शब्द को आपको हटाना चाहिए । वह शब्द आपको डिलीट करना चाहिए क्योंकि वह उच्च न्यायालय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

या सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा कि विधिसम्मत है कि नहीं है । यह हम और आप निर्णय नहीं कर सकते इसलिए आप उस शब्द को डिलीट कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उसको देख लेंगे । अगर ऐसा हुआ तो उसको निकाल देंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पुर:स्थापित करने की अनुमति दी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी, अब चलने दीजिए । सदन में व्यवधान मत डालिए । चलने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप संशोधन की बात अपनी कर लीजिएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) को पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अपने विचार व्यक्त कीजिए । चलिये, आप शुरूआत करिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आसंदी को ध्यान देता हूं । मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन देना हमारा अधिकार है । (व्यवधान) संशोधन हम दे सकते हैं । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संशोधन का समय चाहें तो उसको आप दे दें ।

श्री अजय चंद्राकर :- सत्र में दो दिन का समय है, आप संशोधन के लिये समय क्यों नहीं देंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आधे घंटे के लिये संशोधन का अवसर दे दें और जो संशोधन देना चाहें ।

श्री अजय चंद्राकर :- संशोधन देना हमारा अधिकार है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संशोधन को कब स्वीकार करेंगे और कब चर्चा करावायेंगे इसको आप तय कर लें उसके बाद आप चर्चा करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी व्यवस्था का विषय नहीं है लेकिन विधेयक में संशोधन देना हमारा अधिकार है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- हमारा अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी को व्यवस्था की चुनौती न दिया जाये ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आसंदी को धन्यवाद् देता हूं । मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, संशोधन देना हमारा अधिकार है । यह सरकार जाने कि एक दिन में क्या-क्या काम करेगी लेकिन संशोधन हम दे सकते हैं।

Uncorrected and unedited/Not for Publication Tuesday, October 27, 2020

अशाधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप संशोधन का समय दे दें । आप आधे घंटे के लिए संशोधन का अवसर दे दें । आप संशोधन को कब स्वीकार करेंगे, कब चर्चा करवाएंगे, यह तय कर लें । उसके बाद आप चर्चा करें । आपने उसको पुनर्विचार के लिए स्वीकार कर लिया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को चुनौती न दी जाए, यह अनुरोध है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कल से वितरित हो चुका है, संशोधन दे देते । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) पर विचार किया जाए । माननीय अध्यक्ष जी, ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाषण शुरू हो गया अध्यक्ष महोदय । अभी हमको संशोधन देना है, ये तो पारण की ओर बढ़ रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, आपने जो व्यवस्था दी है हम उसको स्वीकार करते हैं लेकिन संशोधन देने का अधिकार सदस्यों को है । अगर कोई संशोधन देना चाहते हैं तो अध्यक्ष जी जो भी समय देना चाहें, 10 मिनट, आधा घंटा वे समय दें और संशोधन ले लें, उस पर चर्चा हो जाए । उसके बाद पारित करें क्योंकि कोई भी कानून बनाने के पहले उसकी नियम प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए । माननीय सदस्य संशोधन देना चाहते हैं । उन संशोधन के प्रस्तावों को आप सुन लें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इतनी चर्चा होने के बाद ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको चर्चा के लिए समय देंगे । अध्यक्ष जी आपको अवसर देंगे तो आप बोल लीजिएगा जितना बोलना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, संशोधन के लिए सदन को 10 मिनट या आधा घंटा, जैसा आप चाहें, स्थगित कर दें तो लोगों का लंच भी हो जाएगा और संशोधन भी प्रस्तुत हो जाएगा । आप चाहते हैं कि आज ही पारित करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्थापित परम्पराओं को सरकार क्यों तोड़ना चाहती है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- कौन तोड़ रहा है भाई ? आप विपक्ष में हैं आपको संशोधन देना था ना । कल से विधेयक का वितरण हो चुका है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, आप आधे घंटे का समय देकर कर लें । आधे घंटे में सबका भोजन भी हो जाएगा और संशोधन भी आ जाएगा । इस तरह नियमों का पालन भी हो जाएगा कि हमने संशोधन के लिए भी समय दिया । इतना महत्वपूर्ण कानून, सरकार जिसे विशेष सत्र बुलाकर पारित कराना चाहती है तो हम नियम प्रक्रियाओं का पालन करें ।

अध्यक्ष महोदय :- कृषि मंत्री जी आप बताएं, आप क्या मत दे रहे हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी मैंने तो शुरू ही कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप संशोधन देने के मामले में क्या समय देना चाहते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं तो उम्मीद करता था कि हमारे विपक्ष के आदरणीय सदस्य खूब जागरूक हैं । कल से ही उन्होंने ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- लीजिए साहब..चलिए ।

अध्यक्ष महोदय :- 2 दिन पहले विधेयक बंट चुका है । संशोधन आ जाना चाहिए था, अगर नहीं आया है तो आप शुरू कर सकते हैं । वे भी मान चुके हैं, चलिए शुरू कीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद् दूंगा कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा में मंडी संशोधन विधेयक के माध्मय से छत्तीसगढ़ के किसानों के हित मे लिए जो निर्णय लिया जा रहा है, उसके लिए चर्चा का अवसर आपने दिया । मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि सारे देश में मंडी के जिस कानून के संदर्भ में आज चर्चा हो रही है, उसके बारे में विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया । मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और आपकी टीम को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । राजनीतिक मंच में हम लोग अपनी-अपनी बात कहते हैं, यह लोकतंत्र है हम सबका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों का भला करना है । आपत्तियां हो सकती हैं । आपने संवैधानिक बातों को लेकर आपत्तियां कीं । आपने केन्द्र की मंशा को लेकर आपत्तियां कीं । आपने केन्द्र के कानून को लेकर आपत्तियां करके आपनी बात कही । लेकिन हमने प्रयास किया और जैसा कि मैंने बार-बार कहा कि हम अपनी सीमाओं जानते हैं, संविधान में जो हमारा अधिकार है । उसी के तहत हमने इन बिंदुओं पर संशोधन लाया है । हमारा छत्तीसगढ़ अन्नदाताओं और किसानों का प्रदेश है । हम लोग जानते हैं कि हमारे मेहनतकश किसानों का संरक्षण करना, उनके कृषि कार्य का संवर्धन करना हमारी प्राथमिकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना । हिंदुस्तान में किसानों के लिए 2-3 महत्वपूर्ण योजना है। उड़ीसा का कालीयान, तेलंगाना का रायतुबंधु उसी के माफीक हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसान कल्याण का राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया। यह सारे देश में सबसे महत्वपूर्ण योजना साबित हो रहा है। आज किसानों के सामने बड़ी चुनौती है। सारे हिन्दुस्तान के किसान सड़कों पर हैं। पंजाब और हरियाणा में हम लोग रोज देख रहे हैं। जो भी जागरूक किसान हैं, उनके मन में संशय है कि उन्हें अपनी पहचान बचाने का संकट आज आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई प्रारूप इस देश में लाये जा रहे हैं। हमारे किसानों को खेती से विमुख होने का रास्ता अख्तियार करना न पड़ जाये। आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़े-बड़े कार्पोरेट यहां खेती करेंगे। पूंजीपति मंडी चलायेंगे। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी का कानून बनाकर पैसे वालों को आप अधिकार दे देंगे। बाजार पर नियंत्रण पूंजीपतियों का हो जायेगा। अडानी, अंबानी, वालमार्ट जैसे लोग यहां मंडी खोलकर के पूरे बाजारों को अपने इशारों में चलायेंगे। ये किसानों को गुलाम बनाने की दिशा में जब आगे बढ़ेंगे, पूरे बाजार का उतार-चढ़ाव ये लोग तय करेंगे तो आज जो हमारे सामने जो धर्म संकट है कि हम किसानों के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए अपने राज्य में कोई कानून बनायें। ऐसे कानून जब सारे देश में लागू हो जायेंगे तो फिर हमारे किसान कहां जायेंगे? हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे लोकतांत्रिक कर्त्तव्य हैं। हमारी डयूटी है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने अगर हमें 70 सीट तक पहुंचाया है तो यहां के किसानों का आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सरकार बनी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपनी लोकतांत्रिक सीमाओं के बीच के सीमा में रहकर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस कानून का कोई प्रावधान केन्द्र के कानूनों का उल्लंघन नहीं करता। हम अपनी लोकतांत्रिक सीमाओं के सीमा में रहकर जो कानून बनाने जा रहे हैं, वह हमारे किसानों की मदद के लिए है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। उनका बार-बार यह कहना कि सारे हिन्दुस्तान के लोग जैसे अभी कह रहे थे कि लोगों की निगाहें हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का कानून लाया जा रहा है? अलग-अलग राज्यों में कानून आया। पंजाब के बारे में चर्चा होती है। अभी राष्ट्रपति को जायेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर होंगे। होंगे या नहीं होंगे? कानून बनेगा या नहीं बनेगा? काफी प्रश्नचिन्ह हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की विधान सभा में हम जो कानून लाने जा रहे हैं, इसमें सारे देश की निगाहें हैं और सदन में आज जो चर्चा होने वाली है, उस पर सारे देश की निगाहें हैं। आप अपने विचारों से, आप अपने कानूनों की सीमाओं पर, आप अपने शब्दों में इस कानून में हम और किस प्रकार परिष्कृत कर सकते हैं, यहां के किसानों की कैसी मदद कर सकते हैं, इस हेतु हमने छत्तीसगढ़ में अपना कानून लाया है। अभी चर्चा हो रही थी। आदरणीय डॉ. साहब कह रहे थे यह व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत है। हम जानते हैं कि केन्द्र के कानून का जो लॉजिक है, वह इकॉनामिक है। आर्थिक आधार पर व्यापार को संवर्धन करने की दिशा में उन्होंने कानून बनाया है, लेकिन हमारा कानून किसानों के वेलफेयर के लिए है। Forever वेलफेयर के लिए है। इसलिए हमने प्रयास किया। इन कानूनों के माध्यम से हम प्रदेश के गरीबों की मदद करेंगे। किसानों की मदद करेंगे। उपभोक्ताओं की मदद करेंगे। उनके हितों का संरक्षण करेंगे और इसलिए थोड़े संशोधनों के साथ हमने अपनी मंडी का कानून लाया है। अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थीं। अभी और बहुत सारी चर्चाएं होंगी। अपनी-अपनी बात सब लोग कहेंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, यह संशोधन विधेयक है। मंडी का ऑलरेडी विधेयक छत्तीसगढ़ में कानून के रूप में हम लोगों ने यहां अंगीकार किया हुआ है औरवह विधेयक विधिमान्य विधेयक है, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ की मंडियां संचालित होती हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल 6 या 7 बिंदुओं पर हमने संशोधन इस कानून के माध्यम से, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से लाया है। पहला, हमने खंड 2 के क में प्रसंस्करित और विनियमित प्रोसेसिंग किया हुआ और मैन्यूफैक्चर्ड, इस शब्द को शामिल किया है। हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे देश में किस प्रकार महंगाई बढ़ रही है और अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आम जनता को नुकसान होने वाला है। हमने इसे दूसरी परिभाषा में शामिल किया हुआ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है । दूसरा, जिस खण्ड-2 के बारे में चर्चा हो रही है कि आपने डीम्ड मंडी शब्द का उपयोग उसमें क्यों किया ? तो हमने डीम्ड मंडी को परिभाषित किया है, लेकिन उसके आगे खण्ड में उसको विस्तारित कर उसका किस प्रकार से हम डीम्ड मंडी घोषित कर सकेंगे, उसका उल्लेख है इसलिए उसको परिभाषा में जोड़ना जरूरी था ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-3 में हमने संशोधन किया है कि राज्य सरकार द्वारा जो डीम्ड मंडी घोषित किया जायेगा, उसमें एक छोटा सा संशोधन है । उसके अलावा एक संशोधन धारा-19 में किया गया है कि अधिसूचित कृषि उपज चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रमुख शब्द यही है कि राज्य के बाहर या राज्य के भीतर । इसी में हम लोगों ने इसको संशोधित किया है । अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि किस तरीके से किसानों का हित होने वाला है। छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में धान खरीदी सबसे बड़ा किया जाने वाला कार्य है । जब 25 सौ रूपये क्विंटल धान खरीदी की बात होती है तो पीड़ा हो जाती है, केन्द्र सरकार की चिट्ठियां आ जाती हैं कि आप समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। अभी भी हमारे आदरणीय सदस्य पूछ रहे थे कि पूरा पैसा कब दिया जायेगा? केन्द्र सरकार की अभी भी चिट्ठी आई है कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो आप दे रहे हैं, वह बोनस का विकल्प है । क्या हमको उससे भी बचकर छत्तीसगढ़ के किसानों का हित करना है ? एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन धारा-20 में किया गया है । नया धारा **क** जोड़ा गया है और यही इस मंडी संशोधन विधेयक का सबसे मूल आधार है । आदरणीय अजय जी, आप पढ़ेंगे । हमने इसमें कुछ प्रावधान किये हैं । हम डीम्ड मंडी घोषित करेंगे, बाहर से आने वाले जो खाद्यान्न हैं, बाहर से आने वाले अनाज है, उसके लिए हमने कानून में प्रावधान किया है और उसके बाद **क** जोड़कर हमने कुछ अधिकार अपने मंडी को दिया है । सबसे पहले जो **क** जोड़ा हुआ है, उसमें पूरा विस्तार से नहीं कहते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको उन राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अधिकारी या सेवक को जानकारी प्राप्त करने अधिकार होगा ।

समय :
2:37 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, खण्ड दो में हमने एक नया शब्द जोड़ा हुआ है। धारा 20 **क** के खण्ड-2 में निरीक्षण करने का अधिकार राज्य के अधिकारियों को होगा । तीसरी, हमने उसमें धारा-3 जोड़ा हुआ है । अगर निरीक्षण करें और अनियमित पाया जायेगा तो उसको जप्ती करने का अधिकार होगा । खण्ड-4 में हमने जोड़ा है, उसके व्यापार का स्थान भंडार ग्रह, कार्यालय, स्थापना, गोदाम, प्रसंस्करण या विनिर्माण की ईकाई या वाहन उसको तलाशी लेने का अधिकार हमारे अधिकारियों को होगा। उसके आगे हमने धारा-5, 6 में जोड़ा हुआ है कि तलाशी में जो दस्तावेज मिलेंगे, उसको हम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

साक्ष्य के रूप में उपयोग करने का अधिकार हमारे अधिकारियों को होगा और अंत में 7वें उपखण्ड में जोड़ा हुआ है, उसको प्रॉसीक्यूशन के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग करेंगे और वाद दायर करने का अधिकार हमारे मंडी समिति को होगा, अधिकारियों को होगा ।

माननीय सभापति महोदय, धारा-36 में इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म के बारे में बहुत ज्यादा बातें आ रही थीं । यह तो वायदा बाजार जैसा शब्द आज भी चलता है। हम उसको लीगलाईज़ करना चाहेंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों को किस तरीके से वाजिब मूल्य मिल सके, उनको समय पर पैसा प्राप्त हो सके, उनके साथ कोई फ्राड न हो सके, उसको कंट्रोल करने के लिए इस धारा को हमने इसमें शामिल किया है और अंतिम धारा, धारा-49 में न्यायालय में जब वाद दायर होगा तो न्यायालय के अधिकार को इसमें परिभाषित किया गया है । केवल इन्हीं 6 बिन्दुओं में संशोधन किया गया है । कोई भी संशोधन न तो केन्द्र के कानून के खिलाफ है, और न तो कोई भी संशोधन संविधान प्रदत्त हमारे अधिकारों के खिलाफ है । हमने अपनी मंडी में आवश्यक संशोधन केवल इसलिए किया है कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों को वाजिब कीमत दिलाना चाहते हैं, उनके उत्पाद को हम खरीदना चाहते हैं और जो हम खरीदेंगे, उनको समय पर पैसा मिल सके । उसको नियंत्रित करने के लिए अन्य कानूनों के माध्यम से, जिस पर बड़ी-बड़ी मण्डियां आने की तैयारी कर रही है, हम उसको किस प्रकार से नियंत्रित कर सके, इसलिए हमने यह संक्षिप्त संशोधन लाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को सीधा लाभ होने वाला है, मण्डी के कानूनों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहा है। सन् 2017 में भी केन्द्र सरकार ने माडल एक्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और उसको राज्यों में भेजा गया था। आपने छत्तीसगढ़ की विधान सभा में उन कानूनों को पारित भी किया था। हमने जो 4-5 बिन्दुओं पर संशोधन किया है, यह उसके अतिरिक्त है। हम चाहते हैं कि इन मण्डी कानूनों के माध्यम से हमारी मण्डियां मजबूत बनें, हमारे किसान मजबूत बने, उनको, उनके उत्पाद का उको मूल्य मिल सके, उनको वाजिब बाजार मिल सके, खरीद-फरोख्त में उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो सके। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, उसमें केवल इतना ही संशोधन है। सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि सदनइस पर विचार करे और सर्वानुमति से इन संशोधनों को पारित करें।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- सभापति महोदय, अभी इसकी भूमिका को लेकर संसदीय कार्यमंत्री जी ने कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक और उसके बिन्दुओं पर चर्चा की। यह छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये कृषि विधेयक के विरोध में संशोधन पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इस विधेयक को राज्य के विधानसभा में पारित कराना कांग्रेस का सिर्फ राजनीतिक एजेण्डा है। मैं इसका कारण स्पष्ट करना चाहूंगा। जिस विषय को लेकर चर्चा और बात हो रही थी और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपत्तिजनक विषय उठाये गये। दो विषय, अनुच्छेद-246 के प्रावधान में संसद द्वारा राज्य के विधान मण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों के सम्बन्ध में है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। विवाद का कोई विषय ही नहीं है। इसमें बहुत स्पष्ट है। सूची-2, क्रमांक 14 में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, नाशक जीव, संरक्षण, पादप रोग का है। तो सूची-3 में क्रमांक-33 पर व्यापार, वाणिज्य, उसका उत्पाद, प्रदाय और वितरण की व्यवस्था की गई है। दूसरा, महत्वपूर्ण विषय, जिस पर मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 254 स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार यदि कोई कानून बनायेगा, ऐसा कानून शून्य साबित होगा, जिस पर पहले ही केन्द्र सरकार ने कोई कानून बना लिया है या बिल मंजूर हो चुका है। मैं उसके शब्दों में पड़ना चाहता हूं, उसकी वैधानिक स्थिति यह है कि संविधान के अनुच्छेद-254 के अन्तर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति होने पर, यानि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बनाई गई विधियों में विरोधाभास है, अर्थात् यदि सरकार के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि, जिसके अधिनियमित करने के लिए ससंद सक्षम है, किसी उपबंध के समवर्ती सूची प्रगणित किसी विषय में संबंधित विद्वान विधि के किसी उपबंध के विरूद्ध है तो खण्ड-2 के उपबंध के अधीन यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे राज्य सरकार के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि के पहले पारित हो गया हो, उसके बाद पारित हो या विद्यमान हो, तो इस विषय को लेकर राज्य मण्डल द्वारा बनाई गई विधि उस मात्रा में शून्य होगी। कितनी मात्रा में शून्य होगी ? जितना कानून केन्द्र सरकार ने पहले बनाकर रखा है, यदि उसके बाद कानून बनता है, यह बड़ा स्पष्ट है। विधि बनाने की अधिकारिता के सम्बन्ध में संविधान में उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि समवर्ती सूची के अन्तर्गत यदि केन्द्र सरकार द्वारा कोई विधि बनाई गई है, तो उस विधि के विपरीत प्रावधान वाले विधि विधान मण्डल के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। यदि ऐसा किया जाता है कि माननीय राष्ट्रपति जी के पास जब तक अनुमति मिले, तब तक प्रभावी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि प्रावधान यहां से राष्ट्रपति जी तक जायेगा। चूंकि राष्ट्रपति जी पहले एक बिल को पास कर चुके हैं। उसी कानून को स्थगित करने का बिल वहां किस प्रकार मंजूर होगा, यह बहुत स्पष्ट है। इसमें बहुत साफ शब्दों में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य द्वारा विधि बनाये जाने के पश्चात् यदि केंद्र के पास कोई विधि उसी विषय पर बनाई जाती है यानी यदि राज्य में कानून बन गया, उसके बाद यदि उसी विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है तो केंद्र की विधि प्रभावी होगी, राज्य की विधि का प्रभाव समाप्त हो जायेगा। ये स्पष्ट प्रावधान है। यदि अलग-अलग राज्यों के विधान मंडल में संकल्प पारित कर रहे हैं, उसके प्रस्ताव पारित कर रहे हैं या विधि बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं यदि यह केंद्र की विधि के प्रावधान के विपरीत है तो ऐसी विधि प्रभावी नहीं हो सकती। ऐसी संपूर्ण कार्यवाही मात्र राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति मात्र होती है। इसे मैं स्पष्ट रूप से इसलिए बताना चाहता हूं कि ये जो विषय आ रहे हैं ये राजनीतिक दृष्टि से आ रहे है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इसमें इतनी मेहनत और इतने घंटे बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कानून का रूप लेगा ही नहीं। यहां से राष्ट्रपति तक जायेगा और उस विषय पर यदि पहले से ही कानून बन चुका है तो दूसरे कानून की आवश्यकता नहीं होगी। और तीनों अधिनियम में बहुत ही स्पष्ट है कि The former produce trade and commerce promotion and facilitation act APMC (Agriculture product marketing committee) का हो रहा है। इसका मुख्य प्रावधान किसान मंडी के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का मंडी शुल्क नहीं लगेगा। किसान को अपनी फसल को मंडी के बाहर बेचने का प्रावधान है और उसे मंडी शुल्क नहीं लगेगा। ये आरोप लग जाना कि एम.एस.पी. पर खरीदी नहीं होगी। मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि आज छत्तीसगढ़ में यदि खरीदी की बात हो रही है तो यदि धान की सरकारी खरीदी 15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है तो खेत का बाकी धान यदि छत्तीसगढ़ के मंडी के बाहर बिकता है तो किस दर पर वह बिकता है? आज क्या स्थिति है? अन्य चीजें जो मंडी के बाहर बिकती हैं उसकी क्या स्थिति है? क्या राज्य सरकार इस बिल में यह गारंटी ला रही है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राईज में वह सारे आईटम को शत प्रतिशत खरीदेंगे? यदि यह प्रावधान नहीं है तो इस बिल का औचित्य क्या है? यदि उनके लिए बिल का प्रावधान रहता और इस अधिनियम में जो प्रमुख प्रावधान हैं उसके प्रमुख बिंदु पढ़ देता हूं- किसान अपनी उपज को अधिसूचित मंडी के बाहर बेच सकेंगे, राज्य की सीमा भी बंधनकारी नहीं होगी। राज्य के बाहर भी ले जा सकता है। किसान अपनी उपज को इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग के माध्यम से भी बेच सकेंगे। किसान द्वारा मंडी के बाहर फसल बेचने पर राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का शुल्क/कर या कोई अधिभार किसानों से या व्यापारियों से नहीं ले सकेगा। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारियों के द्वारा उसका निराकरण होगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राईज की व्यवस्था क्या होगी? यह जो प्रश्न आता है कि क्या मिनिमम सपोर्ट प्राईज की व्यवस्था जारी रहेगी? यह केंद्र सरकार की मिनिमम सपोर्ट की व्यवस्था जारी रहेगी। जो दूसरा विषय है कि द फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोडक्सन एग्रीमेंट ऑफ प्राईस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। इस विषय को लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही है ये दूसरा जो कानून है यह सिर्फ भ्रांति है। क्योंकि इसमें किसानों के लिए जो प्रावधान है कि फसल बोने के पहले किसी व्यापारी के साथ जिसे बहुत अधिक मात्रा में उपज की आवश्यकता है उसके साथ किसान एग्रीमेंट कर सकता है। सवाल इस बात का है कि एग्रीमेंट करना उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। वह करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। किसान की मर्जी के ऊपर है। छोटे-छोटे खाताधारी हैं, एक एकड़, आधा एकड़, पौन एकड़ के किसान हैं। यदि ऐसे 100, 200, 500 किसान मिलकर यदि किसानों का एक ए.पी.ओ. बनाते हैं और उनके माध्यम से यदि कोई एग्रीमेंट किसी उद्योगपति के द्वारा होता है तो उसके लिए क्या-क्या सहूलियत मिल सकती है उसका उल्लेख किया गया है कि उसके बीज कौन उपलब्ध करायेगा, कृषि में लगने वाला खाद, कीटनाशी, पेस्टीसाईड की व्यवस्था कैसे होगी। अनुबंध में फसल बोने के पूर्व व्यापारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

फसल किस भाव में खरीदेगा ये सुनिश्चित किया जायेगा। इसका मतलब यह है कि किसानों को भविष्य में बेहतर लाभ मिलने की संभावना को देखते हुए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तीसरा- essential commodity act क्योंकि ये तीनों विषयों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज चौबे जी इसका विरोध कर रहे हैं मगर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का वर्ष 2019 का घोषणा पत्र है उस कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 में क्रमांक 11, 12, 13, 14, 20, 21, यह मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं। । भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र नहीं है जिसका जिक्र कर रहा हूं। कांग्रेस कृषि उपज मंडी के ...।

श्री रविन्द्र चौबे :- कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।

डॉ. रमन सिंह :- मैं तो पढ़ रहा हूं ना। जो बिंदु हैं, आज के लिये सामयिक उस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। जिससे कृषि उपज के निर्यात अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जायें। हम बड़े गांव छोटे कस्बे में बुनियादी ढांचे के साथ किसान बाजार की व्यवस्था करेंगे जहां किसान बिना प्रतिबंध के उपज बेच सकें। कांग्रेस (व्यवधान) उत्पादों के आयात निर्यात की नीति बनायेगी जो किसानों के उत्पादन समूह, कंपनियों, जो हम किसान उत्पादक समूह बनाने की बात कर रहे हैं, उसी की बात है कि किसान उत्पादक समूह कंपनियों की आय की वृद्धि के लिये सहायता करेगा। आधुनिक गोदान बनायेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनायेंगे, प्रसंस्करण की सुविधा होगी और 21 नंबर की बिन्दु में कह रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर अब जब हम essential commodities act पर बात करते हैं तो ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2019 में कह दिया कि हम 1955 को बदलकर आज के जरूरतों के संदर्भ में बनायेंगे और विशेष आपात स्थिति में ही लागू किया जा सकेगा। ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा और विश्वास दिलाया। जो इस प्रकार की भ्रांति इस कानून को लेकर बनाया गया है उसका स्पष्टीकरण भी बहुत स्पष्ट शब्दों में है। जो वातावरण पूरे प्रदेश में बनाया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो जायेगी। इसका जवाब है, एम.एस.पी. पर आज की तरह खरीदी जारी रहेगी, इसको बंद नहीं किया जायेगा। कृषक कृषि उत्पाद यदि पंजीयन बाजार समिति ए.पी.एम.सी. मंडियों के बार बेचेंगे तो मंडी समाप्त हो जायेगी। मंडी समाप्त नहीं होगी, वह पूर्ववत व्यापार होता रहेगा, किसानों के मंडी के साथ-साथ अन्य स्थान पर अपने उपज बेचने का विकल्प होगा। अनुबंधित कृषि समझौता में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और कीमत का निर्धारण नहीं कर पायेंगे। किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तक कर उपज बेच सकेगा। पांचवां जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि छोटे किसान संविधक खेती, यानी कान्ट्रेक्ट फार्मिग कैसे कर पायेंगे, क्योंकि प्रयोजक उसके लिये परहेज कर सकते हैं। प्रदेश में दस हजार कृषक उत्पादन समूह एफ.पी.ओ. निर्मित किये जा रहे हैं, कान्ट्रेक्ट सिर्फ उत्पादन पर होगा, जमीन पर कोई कान्ट्रेक्ट नहीं होगा। विवाद की स्थिति पर बड़ी

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कंपनियों को लाभ होगा। कोर्ट, कछहरी जाये बिना स्थानीय स्तर पर इसका निराकरण होगा। जिस विषय को लेकर आज बड़ी बात और हल्ला हो रहा था, किसानों का हितैशी बनने का पूरा देश में अलग-अलग सरकारें हो चाहें पंजाब को हो, छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान की सरकारें इस बात को हल्ला कर रही है कि किसान विरोधी सरकार है। जब ये सत्ता में थी, मैं यह प्रश्न कर रहा हूं कि 2009-10 में यानी 2004 से 2014 तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही। 2004 से 2014 दस साल में 2009-10 का रेट जब यू.पी.ए. की सरकार थी, कृषि मंत्रालय का जो बजट था, वह 12 हमारा करोड़ होता था। सिर्फ 12 हजार करोड़ का बजट होता था, मोदी जी के आने के बाद किसानों के हित की जो आने वाली सरकार है, मोदी जी के आने के बाद एक लाख 34 चौतीस हजार का कृषि बजट मोदी जी ने किया है। सरकार बदलने के बाद ये परिवर्तन आया है। कहां 12 हजार करोड़ रूपये का बजट जो 2009-10 में हुआ करता था, एक लाख चौतीस हजार करोड़ का कृषि बजट किया गया है। ये बताता है कि किसानों के लिये नारे लगाने वाले अलग हैं, किसानों के लिये धरातल पर ठोस काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की एन.डी.ए. की सरकार है। दूसरी तरफ आज तक किसानों के लिये जो नारे लगाते रहे, जो 10 साल अभी और उसके पहले 70 साल केन्द्र में सत्ता में बैठे रहे, किसानों के लिये कभी एक रूपया उन्होंने खर्च नहीं किया। उनके खाते में नहीं डाला। वर्ष भर में 75 हजार करोड़ रूपया भारत सरकार के खजाने से निकालकर किसान के जेब में पहुंचाने वाली दुनिया की पहली सरकार है, मोदी सरकार है, जिस काम को किया। ये एक महत्वपूर्ण पी.एम. किसान योजना के माध्यम से आय सहायता की योजना प्रारंभ की और आज तक 92 हजार करोड़ रूपये सीधा किसान के खाते पर डी.बी.टी. के माध्यम से पहुंच गया। किसान उन्नत हो, किसान ताकतवर हो, किसान संगठित हो, किसानों को किसानी के लिए तकनीकी समर्थन मिल सके। इस दृष्टि से मोदी सरकार द्वारा 10 हजार एफ.पी.ओ. बनाने की घोषणा की गई है। फार्मर को आर्गेनाईज करके पूरे हिन्दुस्तान में 10 हजार एफ.पी.ओ. बनाने की बात है और उसको सिर्फ बनाने की बात नहीं है उसके लिए 6850 करोड़ रूपये का समर्थन यानी उनको राशि देने की बात की गई है ताकि छोटी-छोटी योजनाओं को अपने क्षेत्र में ये पूरा कर सके। किसान के लिए पहली बार ऋण की सीमा बढ़ायी गई है जो 8 लाख करोड़ रूपये तक का ऋण दिया जाता था माननीय मोदी जी के आने के बाद ये 15 लाख करोड़ रूपये तक ये ऋण मिलने लगा। 1 लाख करोड़ का किसानों के लिए कृषि अधोसंरचना के लिए पैकेज की घोषणा हुई। फिशरीज के लिए 20 हजार करोड़ रूपये, पशु पालन के लिए 15 हजार करोड़ रूपये, हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़ रूपये, ये पैकेज देने के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति में एक सुधार आएगा और जो स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट की जो बात हो रही है, मिनिमम् स्पोर्ट प्राईज और मिनिमम् स्पोर्ट प्राईज के साथ उस मैक्निज्म की बात हो रही थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यू.पी.ए. में 10 सालों तक सरकार रही। स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में पड़ी रही। कभी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पलट कर नहीं देखा। यहां किसानों के हित के लिए

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

बड़ी-बड़ी बात हो रही है मगर स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट 10 साल तक कचरे के डिब्बे में पड़ा रहा। मोदी जी के आने के बाद मिनिमम् स्पोर्ट प्राईज कैसे हो सकता है ? उसकी लागत मूल्य से डेढ़ गुना कैसे उसको मिनिमम् स्पोर्ट प्राईज मिल सकता है इस चीज की व्यवस्था की। न केवल व्यवस्था की बल्कि उसके क्रियान्वयन के लिए काम किया। एम.एस.पी. की घोषणा करने के बाद जो परिवर्तन आया है वर्ष 2015-16 में धान का एम.एस.पी.1410 रूपये था वर्ष 2019-20 में आते-आते 1815 रूपये हो गया। वर्ष 2015-16 में गेहूं का एम.एस.पी.1525 रूपये था, वह 1925 रूपये हो गया। बाकी सभी चीजों में चना का एम.एस.पी. 3500 रूपये से बढ़कर 4 हजार 875 रूपये हो गया। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि कहने की बात अलग है, क्रियान्वयन की बात अलग है। मिनिमम् स्पोर्ट प्राईज के लिए जो कमेटी की रिकमण्डेशन थी उस रिकमण्डेशन को सरकार कैसे मानती है और किस प्रकार खरीदी की बेहतर व्यवस्था हम करने में सफल होते हैं और एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये तीन विधेयक कानून बनने के बाद जो महत्वपूर्ण विषय यह रहेगा कि स कानून के बनने के बाद किसान आजाद होगा। किसान आजादी के साथ अपना व्यापार, व्यवसाय कर सकता है। मण्डी में ले जाना चाहता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मण्डी में ले जाकर, यानी सोसायटी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कहां होती है तो छत्तीसगढ़ पूरी की पूरी धान खरीदी सोसायटी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से किया जाता है। आज यदि मुझे लगता है जब ये कानून बनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र बुलाकर इस बात की चर्चा हो रही है आज छत्तीसगढ़ का किसान यह समझ रहा है कि उनके लिए कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानों से फोन करके, किसानों के समूह फोन कर रहे हैं कि क्या सरकार विशेष सत्र बुलायी है तो कुछ विशेष खुशखबरी देने वाली है ? क्या सरकार 1 तारीख से धान खरीदने की व्यवस्था करने वाली है ? क्या सरकार इसके लिए कानून बनाने वाली है कि हम आने वाले सालों में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था करेंगे ? किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे। मगर जब आज उनको पता चलेगा कि धान खरीदी, जो कटाई शुरू होने के बाद 1 दिसंबर के पहले नहीं होगी।

समय :
2:58 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के किसानों की यह स्थिति है और इस कानून के बनने के बाद, किसानों को इस बात की भी गारण्टी रहेगी कि मण्डी के अंदर और मण्डी में जो कानून है 3 दिन के अंदर उसके पेमेण्ट की गारण्टी कैसे दी जा सकती है ये कानून उसको गारण्टी भी देगा, उसको केन्द्र का मिनिमम् स्पोर्ट प्राईज कैसे मिले, करार के अनुसार। इस विषय को लेकर बात होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से विधेयक को लाया गया है, इस बिल को इतनी हडबड़ी, जल्दबाजी में प्रस्तुत किया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गया है और आप उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते जिन विषयों को लेकर मैं आपका ध्यान आकर्षण करवाया। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इससे राज्य का भला होता। इससे बेहतर होता कि पूरी तैयारी के साथ इस विषय को लाया जाता। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को एक नेता के तौर पर खड़े होने का अधिकार है? यदि वह विधेयक की चर्चा में भाग ले रहे हैं, भाषण दे रहे हैं तो फिर आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक परंपरा स्थापित हो रही है कि मुख्यमंत्री मंडी एक्ट के एक छोटे से संशोधन में भाग ले रहे हैं। यह नेता के तौर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं या विधेयक में भाग ले रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी हर छोटे-छोटे विषयों पर ध्यान रखते हैं यह तो लोगों को पता लगेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- उनके लिए छोटा लग रहा है, लेकिन यह तो राज्य के किसानों के हित की बात है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े लोग हैं, यह बड़े लोगों की बात करते हैं, हम छोटे लोग हैं, हम छोटे लोगों की बात करते हैं। किसान, मजदूर, गरीब, गांव के लोगों की हम चिंता करते हैं, यह बड़े लोगों की चिंता करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और सत्तापक्ष की ओर से शुरूआत कर रहे हैं, शायद आपको क्या इनके ऊपर थोड़ा विश्वास कम हो गया कि यह पक्ष को नहीं रख पायेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- ऐसा है इधर के अंतरविरोधों के बारे में कल अजय जी ने पहली आपत्ति दर्ज की कि नियम प्रक्रिया की धारा- 60 में वित्तीय ज्ञापन नहीं है। उसके पहुंचने के पहले डॉ. रमन सिंह जी का धारा-61 में कैसे नहीं है, यह जो चल रहा है न।

श्री शिवरतन शर्मा :- डॉक्टर साहब के ज्ञापन में भी अजय चन्द्राकर जी का और मेरा भी दस्तखत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एक बात बताईये कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद और किसी विधायक को बोलने की जरूरत है? आप ये बताईये कि क्रम कैसा बनाये हैं? मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद फिर बाकी नाम वापस लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये परंपरा रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- या तो सदन के नेता आखिरी में बोलें।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- वह सदन के नेता हैं, जब मर्जी तब बोल सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने वही बात तो कोड किया।

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन के नेता को पूरा अधिकार है, पर परंपरा रही है।

श्री भूपेश बघेल : माननीय अजय जी, जब किसानों की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो तो क्रम नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विशेष सत्र आहूत करने की अनुमति दी, राज्यपाल महोदया ने अनुमति दी, आप दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं, बहुत सारी बातें आईं। उन सब बातों का जवाब देने से पहले, हम सब लोग परसों विजयादशमी मनायें। कोरोनाकाल में रावण भी बौना हो गया था, वह प्रभावित हो गया था, बहुत छोटा हो गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको दशहरा की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सब विजयादशमी मनाते हैं तो एक संदेश जाता है। हम लोग हर साल मनाते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आने वाली पीढ़ी को यह बताते हैं कि रावण बहुत बड़ा था, शक्तिशाली था, उसकी सोने की लंका थी, विद्वान था। लेकिन वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह अहंकारी हो तो उसे भी मिटना पड़ता है और समाज में वह बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबको विजयादशमी की बधाई और शुभकामना देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृषकों की बात हो रही थी। माननीय विद्वान साथियों ने बहुत सारी बातें कहीं, विधेयक क्यों नहीं लाया जा सकता, कौन से समवर्ती में है, कौन केन्द्र का और कौन राज्य का विषय है, बहुत सारी चर्चायें हुईं। लेकिन अंततः आसंदी से व्यवस्था आई और हम सब छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में कानून बना सकते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बना है, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि हम आपके केन्द्र के कानून को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने किसानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहां के व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहां के लोग भोले-भाले हैं, उस स्थिति में हमको ध्यान रखना होगा कि वे ठगायें मत । इसके लिये हमको एक कानून बनाने की आवश्यकता है । माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने अपनी बात कही और बात कहते-कहते भारत सरकार की कृषि नीति पर चर्चा की । जब हमारी सरकार थी तो 12 हजार करोड़, आपकी सरकार आयी है तो 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट है । बहुत अच्छी बात है, अभी-अभी निर्मला सीतारमन जी जो वित्तमंत्री हैं । कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है लेकिन क्या किसी को 20 नया पैसा मिला है ? आप 1 लाख करोड़ रूपए का बजट बता रहे हैं । क्या किसी को उसका लाभ मिला है? आप 2000 रूपये देने की बात कर रहे हैं। यहां से सूची गई, आप उसमें किंतु-परंतु हलंत वह सब लगा-लगाकर ऐसे काटते गये किसी किसान को 2000 रूपये का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है । वे सीमित होते जा रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, मात्रा में त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, सरनेम में त्रुटि है । केवल बहानाबाजी करके आप

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसानों को भ्रमित करना चाह रहे हैं लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा है । आप जिस केंद्रीय कानून की बात कह रहे हैं । सबसे पहली बात तो यह है कि क्या देश के किसी किसान संगठन ने आपसे यह मांग की कि इस कानून में बदलाव होना चाहिए । क्या किसी राजनीतिक दल के लोगों ने यह मांग की कि इसमें बदलाव होना चाहिए ? फिर अचानक आप अध्यादेश लाते हैं उस समय जब कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है, संक्रमित है और उसकी लड़ाई लड़ रहा है, वह अपने बचाव के लिये प्रयास करेगा या आपके यह जो तीन विधेयक हैं उसके बारे में चिंतन करेगा, मनन करेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान सदस्य श्री अजय कह रहे थे कि आप लोगों ने उस समय क्यों आपत्ति नहीं की जब अध्यादेश जारी हुआ । अध्यादेश जारी हुआ तो आपकी जो मंत्री हैं हरसिमरत कौर जी, जो आपकी मंत्री थीं, उन्होंने भी नहीं कहा लेकिन जब इसको लोकसभा और राज्यसभा में लाये तब उनको इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा दिया । आपके जो एन.डी.ए. के जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वे तक आपसे सहमत नहीं हैं, आपके मंत्री सहमत नहीं हैं तो फिर इस बिल का क्या औचित्य है ? मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि कृषि कानून बहुत लाभकारी है । यही ए.पी.एफ.सी. कानून । (डॉ. रमन सिंह, सदस्य के सदन से बाहर जाने पर) डॉ. साहब आपके भाषण तक तो मैंने सुना था । ठीक है, आप आ जाइए, स्वागत है । ए.पी.एफ.सी. कानून यह बहुत लाभकारी है, यह मण्डी का कानून बहुत लाभदायक है । बहुत लाभदायक हो सकता है लेकिन यह किसानों को लाभ देने वाला नहीं है, यह पूंजीपतियों को लाभ देने वाला कानून है । (मेजों की थपथपाहट) मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि मण्डी खोलेंगे, प्राईवेट सेक्टर में खुलेगा उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आता हूं, मैं तो अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं। यह कानून बिहार में वर्ष 2006 से लागू है । बिहार आपके नेता भी जा रहे हैं, गये हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपके उपाध्यक्ष को वहां बुलाया तक नहीं गया है, अभी चुनाव चल रहा है । प्रथम चरण का मतदान कल है लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वहां भेजा भी नहीं गया । आप लोग थोड़ा सा पलौंदी लगा देते, पलौंदी दे देते तो वह पहुंच जाता लेकिन आप लोग भी मजबूत । जैसे केकड़ा, एक केकड़ा दूसरे केकड़े की टांग पकड़कर रखते हैं न वैसे ही जबर्दस्त रूप से आप लोग पकड़कर रखे हैं तो बेचारे यहां से जा ही नहीं पा रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- केकड़ा कौन है ?

श्री भूपेश बघेल :- केकड़ा किसी को नहीं कहा, यह तो उदाहरण है । मैंने केकड़ा किसी को नहीं कहा, मेरे लिए सभी सम्मानित सदस्य हैं । अध्यक्ष महोदय, बिहार में 2006 से यह एपीएफसी कानून लागू है, उसको हटा दिया गया । निजी मंडियां हैं, सरकारी मंडियां समाप्त । आज बिहार में कोई एक किसान बता दीजिए जो 1300 रूपए क्विंटल से ज्यादा में धान बेचता हो ? एक भी किसान 1300 रूपए से ज्यादा में नहीं बेच पा रहा है । फिर आप किस कानून का समर्थन कर रहे हैं, आप किस बात का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समर्थन कर रहे हैं ? जहां तक निजी मंडी खुलने की बात है । आप कह रहे हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, दलाल खत्म हो जाएगा । आपके नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलालों के लिए लड़ाई लड़ रही है । अध्यक्ष महोदय, मंडी में खामियां हो सकती है, सुधार की गुंजाइश हर व्यवस्था में बनी रहती है । लेकिन खत्म करने का षड़यंत्र । आप प्रायवेट में कह रहे हैं कि केवल पेन कार्डधारी आपका सामान खरीद सकता है, आपको मंडी लायसेंस की जरूरत नहीं है, आपको आढ़त देने की जरूरत नहीं है । 3 दिन में भुगतान होगा और यदि विवाद होगा तो एसडीएम पैनल बनाएगा वह 30 दिन के अंदर फैसला देगा । एसडीएम की बात से यदि एक पक्ष सहमत नहीं होगा तो फिर वह कहां जाएगा ? फिर उससे अपर अथॉरिटी में जाएगा । हमारा मंगलू 2 एकड़ का किसान, एसडीएम कार्यालय का चक्कर लगाएगा, कलेक्टर कार्यालय का चक्कर लगाएगा या कोर्ट का चक्कर लगाएगा या अपने खेत में काम करके अपना परिवार पालेगा ? यह कानून हमारे लिए है, किसानों के लिए है या पूंजीपतियों के लिए है । धीरे-धीरे मंडियां समाप्त हो जाएंगी । पहले साल आप ज्यादा उदारता से काम करेंगे । अजय जी, ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है । मैं रमन सिंह जी से भी कहना चाहूंगा, बृजमोहन जी, ननकीराम कंवर जी, सब माननीय वरिष्ठ लोग हैं, हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष भी बैठे हैं । चिटफंड कंपनी में ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्हें नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं कह रहे हैं ? पूर्व विधान सभा अध्यक्ष कह रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूं इसलिए याद दिला रहा हूं । उस समय वे अध्यक्ष थे, यहां तो पूर्व उपाध्यक्ष भी बैठे हैं । क्योंकि इनसे संबंधित है इसलिए मैं इनका उल्लेख कर रहा हूं । डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एग्रीमेंट लिखा है तो जरूरी थोड़े ही है कि किसान एग्रीमेंट करे, किसान को ज्यादा दर मिले तो वह एग्रीमेंट करेगा । अध्यक्ष महोदय, चिटफंड कंपनी में तो किसी ने नहीं कहा था कि पैसा लगाओ, कोई जबरदस्ती तो नहीं थी, फिर भी लोगों ने पैसा लगाया ना ? तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया ना ? तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने रोजगार का प्रमाण पत्र बांटा ना ?

श्री नारायण चंदेल :- हमने नहीं बांटा ।

श्री भूपेश बघेल :- जांजगीर में आपने बांटा है हुजूर । रोजगार मेला लगा था, मेरे पास प्रमाण है, फोटो सहित । आपके और तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष के ।

श्री नारायण चंदेल :- फोटो नकली होंगे । (हंसी)

श्री ताम्रध्वज साहू :- फोटो नकली या आदमी नकली ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- प्रमाण पत्र भी नकली हो सकता है ।

श्री भूपेश बघेल :- कलेक्टर बलाए थे, कलेक्टर मंच पर है, निमंत्रण पत्र है । उसमें बहुत सारी कंपनियां आई थीं, मेला लगा है, वह सब फर्जी है । चिटफंड में छत्तीसगढ़ के लोगों का करोड़ो रूपया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चला गया, ये भी उसी प्रकार की व्यवस्था है । शुरूआत में तो आपको आकर्षक लगेगा लेकिन जब छत्तीसगढ़ की मंडियां खत्म हो जाएंगी तो फिर वे लूटना शुरू करेंगे तो फिर उनको कौन बचाएगा ? आज बिहार की स्थिति देख लीजिए । आप धान के कीमत की बात कर रहे थे । आप 1 नवम्बर से खरीदने की बात करा रहे थे । समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं । डॉ. साहब, अभी तो आप बलियान जी के साथ प्रेस कांफ्रेंस में बैठे थे । बलियान जी ने रायपुर में आकर क्या बयान दिया ? उन्होंने कहा कि एम.एस.पी. भारत सरकार घोषित करती है और राज्य सरकार एजेंसियों के रूप में काम करती है । तो समर्थन मूल्य देने का काम किसका है । छत्तीसगढ़ का नहीं, यह काम केन्द्र सरकार का है, यह आपके मंत्री यहीं बोलकर गए हैं । (मेजो की थपथपाहट) यह अभी की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बात तो मैंने पिछली विधान सभा में कही। राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती है। भारत सरकार का एफ.सी.आई. है। भारत सरकार एम.एस.पी. घोषित करती है और हम लोग खरीदकर एफ.सी.आई. में देते हैं, लेकिन अभी डॉ. साहब और अजय जी कह रहे थे कि 2500 रूपये घोषित करो। हम समर्थन करेंगे। ये 3000 रूपये तक पहुंच गये। यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं कि जब हम 2500 रूपये में धान खरीद रहे थे और 700 रूपये बोनस दे रहे थे। आप पिछले समय 300 रूपये बोनस दिये और हमने बढ़ाकर 700 रूपये दिया अर्थात् 1800 में 700 रूपये मिलाकर हमने 2500 रूपये दिया। भारत सरकार ने बोनस बंद किया। आप इसका विरोध करते हैं या नहीं करते, आप यह बताइए। (शेम-शेम की आवाज) गलत किया है या नहीं किया है। केन्द्र सरकार कुछ नहीं देती है बोल रहे थे। मनमोहन सिंह की सरकार ने धान पर भी बोनस दिया था और गेहूं पर भी बोनस दिया था। (मेजों की थपथपाहट) यह पहली सरकार है जो न खुद बोनस देती है और जो किसानों को बोनस दे, उसे रोकने का काम करती है, क्योंकि मेरे पास आपका लिखित जवाब है, भारत सरकार का कि अगर आप बोनस देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। कृषि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी के साथ हम लोग दिल्ली गये थे। हमने वहां कृषि मंत्री जी को बहुत समझाया कि हमारे यहां परिस्थिति उस प्रकार की नहीं है, जो पंजाब, हरियाणा व दूसरे प्रदेशों की है। हम बरसात में कोई दूसरी फसल नहीं ले सकते। हमारे प्रदेश में दो तरफ से मानसून आता है। 4 महीना पूरा बदली का वातावरण रहता है। हमारे यहां धान के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हमें आप उन राज्यों की तरह ट्रीट मत करिए। छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थिति है। गरीब राज्य है। यहां गरीब लोग रह रहे हैं, इसलिए हमें यह अनुमति दें। दो साल आपने बोनस देने की अनुमति दी। इस साल भी दीजिए। हम लोग स्वर्गीय पासवान जी के पास गये। पासवान जी बोले कि बघेल जी, चौबे जी आप जो कह रहे हैं, आप शत-प्रतिशत कह रहे हैं और मैं दो सौ प्रतिशत आपकी बात से सहमत हूं। आप गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको यहां पी.एम.ओ. से अनुमति नहीं मिलेगी। आप यदि बोनस देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेगी। हमें मजबूरन भारत सरकार को लिखना पड़ा कि हम समर्थन मूल्य में ही खरीदेंगे। हम सदन

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में भी बोले कि हम समर्थन मूल्य में ही खरीदेंगे और हमने समर्थन मूल्य में खरीदा और फिर उसी समय हमने घोषित किया कि अगले सत्र में हम एक योजना लायेंगे और वह योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना होगी, जिसका लाभ पूरे किसानों को मिलेगा और हमने लाया और उसका वितरण भी शुरू किया। डॉ. साहब कम से कम आपकी तरह हम लोग नहीं हैं। आपने किसानों को 300 रूपये बोनस देने की बात कही थी। आपने 2100 रूपये देने की बात कही थी, लेकिन किसान को 2100 रूपये क्या समर्थन मूल्य में 10 क्विंटल धान खरीदने के लिए बाध्य किया था, बाद में हम लोगों ने आंदोलन किया, तब जाकर 15 क्विंटल हुआ और वह भी 2100 रूपये नहीं तो आप किसानों की क्या बात करेंगे? वह तो चुनाव था। शिवरतन जी बोले जाकर दिल्ली में यदि आप बोनस देने की अनुमति नहीं देंगे तो हम गांव नहीं घूस पायेंगे। तब जाकर विशेष परिस्थिति में दो साल के लिए वर्ष 2017-18 के लिए बोनस की अनुमति मिली। हमने पासवान जी से कहा कि सत्ता बदल गई तो आपकी नीति थोड़ी बदल जायेगी। इस साल आप फिर विशेष छूट दे दीजिए, लेकिन ये किसान के ऐसे हितैषी हैं कि उन्होंने अनुमति नहीं दी और हमें समर्थन मूल्य में खरीदी करनी पड़ी और फिर हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। न केवल धान के किसानों को बल्कि हमने गन्ना व मक्का के किसानों को भी 10000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से इस साल देने का फैसला किया। (मेजों की थपथपाहट) कोरोनाकाल में ये बार-बार कहते हैं कि एक बार दे देना था। एकमुश्त दे देना था। हमारी तो योजना है। आप तो बोलकर मुकर गये, लेकिन हम तो दे रहे हैं। हम दो किस्त दे चुके। एक तारीख को तीसरा किस्त देंगे। चौथा किस्त भी इसी वित्तीय वर्ष में देंगे। आपने एक्ट बनाया। आपने तो जी.एस.टी. का एक्ट बनाया है। आज 6 महीना बीत गया। हमें भारत सरकार से 4000 करोड़ रूपया मिल जाना था और मिला कितना ? 350 करोड़ । राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, केन्द्र में थोड़ा दम लगाईए। छत्तीसगढ़ के हितों की बात यहीं मत करिए, वहां भी करिए । भारत सरकार से हमें 4 हजार करोड़ रूपए लेने हैं । आप कहते हैं कि कर्ज ले रहे हैं । आप खुद ही कह रहे हो कि कर्ज लो । जी.एस.टी. मंत्री बैठे हुए हैं, हर मीटिंग में जाते हैं। वे कहते हैं कि आप कर्ज लो । दायित्व उनका, कर्ज हम लें ? और हमको वित्तीय प्रबंधन सीखा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात । यह कानून कृषि कानून है, यह प्रचारित किया गया, लेकिन यह विपणन का काम है, पूंजीपतियों का काम है और ये खुद ही वापस ले रहे हैं, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सीधा-सीधा प्रभाव दिख रहा है। आपने इसेंसियल कम्यूडिटी एक्ट समाप्त कर दिया, आपने सीमाएं समाप्त कर दीं । कोई भी चीज हो, आलू, प्याज, अनाज, दलहन, तिलहन हो, खाद्य तेल हो, आप कितना भी रख लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा । क्या स्थिति हुई ? दो महीने पहले जो प्याज 10 रूपये किलो में बिकता था, आज वह प्याज 70 और 80 रूपए किलो में बिक रहा है और तमिलनाडू में 105 से 150 रूपये प्रति किलो प्याज बिक रहा है । जो आलू की कीमत 10, 15, 20 रूपए प्रति किलो थी, वह आज 60 और 70 रूपये किलो में बिक रही है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जैजैपुर में प्याज 100 रूपया किलो चलथे ।

श्री भूपेश बघेल :- 100 रूपया हो गे हे । यह इसेंसियल कम्यूडिटी एक्ट के प्रभाव हे । ये लोग इतना बड़ा कानून बता रहे हैं और भारत सरकार के पास से एक चिट्ठी आ गई, उस एक्ट में लिखा है कि आप कब-कब नियंत्रित करेंगे ? वह भी राज्य सरकार नहीं, केन्द्र सरकार नियंत्रित करेगी । जब युद्ध की स्थिति हो, जब अकाल की स्थिति हो, जब इन पदार्थों की कीमत 100 प्रतिशत तक बढ़ जाए, तब यह उसमें रोक लगाएंगे । खाद्यान्न में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाये, तब ये रोक लगाएंगे । अब छत्तीसगढ़ में प्याज 225 प्रतिशत बढ़ गया । चंद्रा जी 100 रूपये प्रति किलो बता रहे हैं तो अब कितना प्रतिशत हो गया, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है । उतना बढ़ने के बाद अब भारत सरकार से खुद चिट्ठी आ गई कि अब रोक लगाओ, छापा मारो । यह कानून बने दो महीने नहीं हुए हैं और खुद ही अपने कानून को विथड्रा करके आप चिट्ठी लिख रहे हैं तो दूसरे और तीसरे कानून की स्थिति भी वही होने वाली है, लेकिन हम अपने किसानों को नहीं छोड़ सकते, हम अपने किसानों के हित का ध्यान रख रहे हैं । अभी चौबे जी ने जो संशोधन लाया है, वह क्या है ? हम अपने प्रदेश के किसानों के, अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम सुनिश्चित करें। यहां के जो व्यापारी हैं, यहां के जो हम्माल हैं, यहां के तो तौलैया हैं, उनके हितों का हम ध्यान रख पाएं । इसलिए यह कानून लाया गया है । ये बोलते हैं कि कहीं भी बेच लो । अब दो एकड़ का किसान कहां बेचने जाएगा ? कोई पंजाब जाता है क्या ? आप कहते हैं कि यहां क्यों नहीं कर रहे हैं ? 60 लाख मेट्रिक टन की अनुमति मिल गई । 60 लाख मेट्रिक टन की अनुमति मिल गई, अच्छी बात है । कितना धान होगा। 66 प्रतिशत और एक क्विंटल का 66 किलो चांवल निकलेगा । आप गुणा कर लीजिए कि कितने का होगा । 83 लाख मेट्रिक टन पिछले साल खरीदे, इस साल 85 लाख मेट्रिक टन से ऊपर जायेगा । बराबर तो हो गया, अब कौन सी ऊपर खरीदने की अनुमति दे दिए। इतना ही हुआ कि पिछले साल आप 24 लाख मेट्रिक टन खरीदने की अनुमति देते थे, फिर दौड़े-दौड़े जाते थे कि माई-बाप हमको फिर से अनुमति दे दो, फिर पॉच लाख, फिर एक लाख टन खरीदने की अनुमति देते थे । इस प्रकार से होता रहा है । इस समय कानून बनाये हैं, इस कारण से उदारतापूर्वक कह दिए कि 60 लाख मेट्रिक टन खरीद लो । पंजाब तो हमने छोटा राज्य है, वहां 1 करोड़, 50 लाख टन खरीदने की अनुमति दिये हैं । छत्तीसगढ़ को उतने टन खरीदने की अनुमति दे दीजिए, हम एक-एक दाना धान खरीद लेंगे । (मेजों की थपथपाहट) इसीलिए हमको पता था कि हम विपक्ष में हैं, हमको आप बर्दाश्त नहीं करोगे । यह आपके तासीर में है। जो मध्यप्रदेश में किया, जो राजस्थान में किया, जो महाराष्ट्र में कर रहे हो, जो गोवा में किए हो, आप छत्तीसगढ़ को भी छोड़ने वाले नहीं हो। लेकिन हमने उस दिन से शुरूआत की। हमने कहा कि हम एथेनाल प्लाण्ट डालेंगे। हमने यहां कार्यशाला से लेकर भारत सरकार के हर विभाग को चिट्ठी लिखने का काम किया है, हमने मीटिंग किये। तब हमारे विद्वान साथी कहते थे कि भूपेश यदि धान से एथेनॉल बनाने की शुरूआत कर ली,

आपको स्वीकृति मिल जाये, तो तुम्हें नोबल पुरस्कार देंगे। अब भारत सरकार ने धान से एथेनॉल के लिए 54रू.87 पैसै घोषित कर दिया है। अब नोबल पुरस्कार मुझे तो नहीं लेकिन आप छत्तीसगढ़ की जनता को जरूर दे दें। छत्तीसगढ़ के किसानों के कारण पहली बार धान से एथेनॉल बनेगा। हमने उसके लिए एम.ओ.यू. कर लिया है। हमारी प्लाण्ट की तैयारी है। न केवल धान से बल्कि गन्ना से एथेनॉल बनाने का एम.ओ.यू. हो चुके हैं, टेण्डर हो चुके हैं। आने वाले साल, एक साल के भीतर उत्पादन भी शुरू हो जायेगा। किसानों को समर्थन मूल्य से नीचे बेचने की नौबत नहीं आयेगी। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो चिट्ठी आई है, जो अनुमति आई है, उसमें एक लाईन लिख दिया गया है कि आप एफ.सी.आई. से धान उठायेंगे। क्यों भाई ? छत्तीसगढ़ का चावल है, छत्तीसगढ़ में प्लाण्ट है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रयास किया है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो खरीदेगी, वह धान वहां पहुंचे। हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि आपने अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि हमारा प्रयास था। हमने शुरू से ही प्रयास किया था और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। आप हमारी बात से सहमत हुए। हमारा जो अतिशेष धान है, जो चावल हमारे पी.डी.एस. सिस्टम में लगने वाला है, उसके अतिरिक्त जो धान बचेगा, हम उससे एथेनॉल बनायेंगे। लेकिन आप एफ.सी.आई. वाला क्लॉज हटा दीजिये, यह हमने पत्र लिखा है। लेकिन इन सारी बातों का जड़ कहां है ? इन सारी बातों का जड़ वह शांताकुमार की रिपोर्ट में है। उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ? उस रिपोर्ट में लिखा है कि बोनस देने वाले राज्य का अनाज मत खरीदे, यह पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि यह एफ.सी.आई. अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इसमें जितने पी.डी.एस. सिस्टम हैं, उसमें अनाज, चावल में भ्रष्टाचार हो रहा है, 40 से 60 प्रतिशत भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में जो 98 प्रतिशत कार्डधारी हैं, वे आधारकार्ड से Linkd हो चुके हैं और उसमें से 98 प्रतिशत लोग भौतिक रूप से उपस्थित होकर राशन उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 60 प्रतिशत भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन यहां शत-प्रतिशत लोगों को लाभ मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.एस.पी., इस पर क्या कह रहे हैं। धर्मजीत जी, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। शांता कुमार की रिपोर्ट क्या कहती है ? वह यह कहती है कि पी.डी.एस. सिस्टम में भ्रष्टाचार होता है तो उसका बंद कर देना चाहिए। जो अंत्योदय कार्डधारी हैं, उनको 7 सौ रूपया महीना दे दो, जो प्राथमिक कार्डधारी हैं, उनको 5 सौ रूपया महीना दे दो। वे बचत अनाज मार्केट से खरीदे। यह सिस्टम बंद कर देना चाहिए। जो गरीबों के राशन की व्यवस्था है, शांताकुमार की रिपोर्ट कहती है कि इसको बंद कर दो। दूसरा, एम.एस.पी. समाप्त करना है। पूरे देश में केवल पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और आन्ध्रप्रदेश, इन्हीं प्रदेशों को लाभ मिलता है, दूसरे प्रदेशों को लाभ नहीं मिलता। यह रिपोर्ट यह कहती है कि केवल 6 प्रतिशत किसानों को इसका लाभ मिलता है। छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा है कि केवल 57 प्रतिशत किसानों का लाभ मिलता है। जबकि हकीकत यह है कि यहां 80 से 90 प्रतिशत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसानों को एम.एस.पी. का लाभ मिलता है। यह व्यवस्था बनाने में आपका भी योगदान है। आप 60-70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे, हम 80-85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। तो शांताकुमार की रिपोर्ट यह कहती है कि किसानों का अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है, प्रति हैक्टेयर 5 हजार से 10 हजार रूपया दे दो और ये खरीदी आदि का झंझट खत्म करो। ये शांता कुमार की रिपोर्ट है और उसी दिशा में भारत सरकार चल रही है। इसी कारण से पहले उन्हें बोनस देने से रोका फिर मंडी पर हमला बोला फिर वह कांट्रेक्ट फार्मिंग लाये, फिर यह पी.डी.एस. सिस्टम पर आक्रमण किए हैं। इसका उद्देश्य यही है। तो आज दो कानून, इशेंसियल कमोडिटी एक्ट आपने समाप्त किया, उसका दुष्परिणाम आना अभी शुरू हो गया। अभी आलू, प्याज में हुआ है। मैं तो नागपुर प्रेस कांफ्रेस करने गया था। वहां एक उद्योगपति का एक लाख मीट्रिक टन का गोडाऊन बन चुका है। वह तब खरीदेंगे जब किसान का अनाज सस्ते में रहेगा और उसके बाद मार्केट फिर वह पूंजीपति लोग तय करेंगे कि आपके घर में आलू, प्याज, तेल किस कीमत पर पहुंचेगा।आपको याद है कि आप अरहर 200 रूपये प्रति किलो में खरीदे थे। यही स्थिति अब होने वाली है। आपके कंट्रोल से अब निकल जायेगा। आप कह रहे हैं ना कि 5 साल का औसत निकालेंगे तो इस साल तो प्याज का औसत 100 रूपये हो गया, फिर अगले साल जायेगा 150 रूपये, तो फिर एवरेज कितना होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये किसानों के साथ ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं के साथ भी धोखा है। उसके खिलाफ बना हुआ ये कानून है। हमारी कोशिश है कि हमारी सीमाओं में रहते हुए हम किसानों, मजदूरों, गरीबों के हित में काम करेंगे। एम.एस.पी. केवल धान की बात नहीं है भारत सरकार तो 23 वस्तुओं पर एम.एस.पी. घोषित करती है। कितने का खरीद रहे हैं? ले-देकर 4 का तो खरीदते हैं, धान, गेहूं, चना, मक्का। 23 वस्तुओं का घोषित करते हैं, कितने का आप खरीद रहे हैं? क्यों नहीं खरीदी कर रहे हैं? ये विशेष सत्र बुलाने का अर्थ ही यही है। हम अध्यादेश के माध्यम से ला सकते थे, हमें भी मालूम है, उतनी तो हमें भी जानकारी है, आप लोगों के साथ हम लोग भी विधानसभा में 5 बार बैठ चुके हैं लेकिन नहीं लाने का कारण यही है कि कि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रदेश की जनता की बात हो कि किसानों के साथ हो क्या रहा है। हम उनके हितों की किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। ये जो मंडी (संशोधन) विधेयक लाया गया है उस दायरे में पेन कार्डधारी भी आयेगा जो यदि गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि चिटफंड कंपनी की तरह लूटकर भाग जाए और हम देखते रहें। हम ये नहीं होने देंगे। आप कानून की बात कर रहे हैं, वह सारी बातें हमारे पास हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, आपकी स्टेट लिस्ट, केन्द्र लिस्ट, समवर्ती लिस्ट क्या है वह सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडी के बारे में यह आदेश दिया है कि टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप उसे देख लें लेकिन ये मंच छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसानों और छत्तीसगढ़ के हित के लिए है और उस वर्ग के लिए है क्योंकि दुनिया में किसान एकमात्र

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उत्पादक है जो अपने उत्पाद की कोई कीमत तय नहीं कर पाता इसलिए उसे सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है। यदि सरकार हाथ खींच ले तो फिर किसानों का क्या होगा? आपको याद होगा कि एक समय था जब अनाज की कमी पड़ती थी और अमेरिका से अनाज लाते थे तब यहां के लोगों का भरण पोषण होता था। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने हरित क्रांति का आहवान किया, किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उस समय क्या स्थिति थी कि मंडियों में समर्थन मूल्य से जयादा कीमत में उत्पाद बिकते थे। उस समय बाहर कम कीमत मिले तो राज्य सरकार खरीद लेती थी। लेकिन बाद में स्थिति क्या हुई कि उत्पादन बढ़ा तो समर्थन मूल्य से नीचे में बिकने लगा। अब नीचे बिकने लगा तो अब यह जरूरी है कि आप किसानों को संरक्षण दें। चलिए न हम सब आपके साथ मोदी जी के पास चलते हैं, आप कहते हैं कि एक राष्ट्र एक बाजार, बहुत अच्छी बात है कि एक राष्ट्र एक बाजार है लेकिन एक कीमत भी होनी चाहिए। आप एक कीमत कर दीजिए कि समर्थन मूल्य से कम में कोई भी अनाज नहीं बिकेगा चाहे वह मंडी के भीतर हो या मंडी के बाहर हो। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो हमें कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। आप यदि सहमत हैं तो चलिए। लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि कानून पूंजीपतियों के लिए लाया गया है, गरीब किसानों के लिए नहीं लाया गया है। आप कांट्रेक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कांट्रेक्ट फार्मिंग में हो क्या रहा है? हमारे यहां अधिया, रेगहा चलता है लेकिन वह मौखिक है। लेकिन आपका कांट्रेक्ट फार्मिंग होगा तो वह 5 साल, 10 साल के लिए करेंगे। तब फिर आप सबके खेत एक साथ ले लेंगे और पूरा लेवल कर देंगे और 10 साल बाद जायेंगे तो आप अपना खेत नहीं पहचान पायेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- दस साल नहीं है, उसमें पांच साल है।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, पांच साल भी एग्रीमेंट करेंगे, आप एक बार एग्रीमेंट कर लिये और लेबल कर लिये तो कुछ नहीं कर सकते। आपका खेत उसी प्रकार का नहीं रहेगा। क्योंकि जो उत्पादन करना चाहेगा उस प्रकार से, आपके खेत धान के हिसाब से बने हैं। वह उसमें कुछ दूसरी फसल लेना चाहेगा तो उसके हिसाब से वह लेबलिंग करेगा। मैं भी किसान हूं उस चीज को जानता हूं। आप कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। वह एग्रीमेंट कर लेगा तो उसको उतना रेट मिलेगा। हमारे यहां तो अंडा में है, बी.सी. में केचप लगाया हुआ है, टोमैटो कैचप का है। किसानों को कितना रेट मिल जाता है। कान्ट्रैक्ट होता है, जहां बंफर उत्पादन हुआ है, तो फिर हाथ उठा देते हैं, हमारा मशीन बिगड़ गया, हमारे यहां ये बिगड़ गया, बोतल नहीं आ रहा है, भरने का नहीं है, लेबर छुट्टी में चले गये हैं। 10 प्रकार का बहाना करेगा, किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पायेगा। जिस साल कहीं कम उत्पादन हो, मार्केट में ज्यादा हो, तो उसके आदमी खड़े होते हैं, आपने एग्रीमेंट किया है, हमको तो उतने दर में आपको देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, किसान दोनों तरफ से ठगा जाता है। ये कान्ट्रैक्ट की बात है, मैं हमारे जिले की बात बता रहा हूं। हम उससे गुजरे हैं। मेरा भाई भी टमाटर बोता है। हर साल 30, 40 एकड़ का एग्रीमेंट होता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है लेकिन कोई फायदा होता है, सबसे कम कीमत में यदि कहीं मिलता है, उस एग्रीमेंट के कारण मिलता है। डॉ. साहब ये भूल भूलैया में मत लाइये। उस एग्रीमेंट से किसानों का लाभ होगा। आप तो सिर्फ एक ही काम करिये, जितना उत्पाद है, उसका समर्थन मूल्य घोषित करवा दीजिए और उससे नीचे कोई खरीदेगा नहीं। भारत सरकार इतनी गारंटी दे दे, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप कह रहे थे ना, स्वामीनाथन कमेटी हम लोग कचरे के डिब्बे में डाल दिये थे, आप तो उसको साफ कर करा के लाये और 2016 में बोले थे कि दो गुना हो जायेगा। किसानों का आय दो गुना हो जायेगा। कितना दो गुना हो गया। हर साल 50 रूपये बढ़ा रहे हो उसमें दो गुना हो जायेगा ? 50-50 रूपये बढ़ा रहे हो उसमें आपको 20 साल लगेगा। यदि स्वामीनाथन की रिपोर्ट सही मायने में लागू है तो पूरे देश में अकेले पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है, जिसमें हम लोग 2500 रूपये दे रहे थे। (मेजों की थपथपाहट) जिसको आपने रोका। आप सी.टू. का फार्मूला ही नहीं जानते। स्वामीनाथन कमेटी की सी.टू. है, उस फार्मूला को आप एडाप्ट कर लीजिए, तो फिर कोई बात ही नहीं कि फिर 1800-1900 रूपये नहीं रहेगा। आप धान की कीमत की बात कर रहे हैं। मैं तो अभी बिहार से होकर आया हूं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उस समय नहीं बोला था, डॉ. साहब बाहर चले गये थे। रेट की बात है। मैं उसके बाद ग्वालियर भी गया था, ग्वालियर में डभरा जो किसान हैं, वे बासमती धान उगाते हैं। पिछले साल उसकी कीमत 2400 से 3000 रूपये में बेचे हैं। अभी कितना है, 1200 से 1400 रूपये है। जैसे आपने घोषित किया, ये नया कानून बना, छत्तीसगढ़ में जो 1600 रूपये में धान बिक रहा था वह 1300 रूपये में आ गया। बिहार में 1100, 1200 रूपये में बेच रहे हैं। डॉ. साहब, बिहार का धान भी छत्तीसगढ़ में आता है, जब आप मुख्यमंत्री थे तो मेरे यहां जामगांव तब बिहार का धान बिकने के लिये आया था। हम लोग उस धान को पकड़वाये थे। जहां वह मंडी नियम नहीं है, वहां की स्थिति ये है, तो फिर जब बिहार के किसानों की हालत यदि नहीं सुधरी है तो देश के किसानों की हालत नहीं सुधर सकती और इसलिए हम अपने किसानों बचाने के लिये कानून लाये हैं, संशोधन किये हैं, हम अपनी सीमओं पर रहते हुए यह काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो संशोधन माननीय कृषि मंत्री जी लाये हैं, मैं समझता हूं इसे इस सदन पवित्र सदन समवेत स्वर से पास करेगा और जरूरत पड़ेगी तो हम और भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, और भी संशोधन ला सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा यदि आप पूरे खेत को एग्रीमेंट कर लेंगे तो हमको देखना पड़ेगा हम बिजली के बिल में किसानों को छूट दे रहे हैं, उसको तो नहीं मिल जायेगा। हम खाद में छूट दे रहे हैं, बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं, उसका लाभ तो वह नहीं उठा लेगा। इस सबको भी हमको देखना पड़ेगा। अभी तो संशोधन की शुरूआत है और हम अपने किसानों के हक में यह छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी आगे भी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, लड़ेंगे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था मुझे उस भाषण में लगा कि सिर्फ अपनी छवी को प्रस्तुत करना चाहते हैं। तथाकथित रूप से किसान का ठेकेदार मैं अकेले हूँ ये पार्टी के लोग भी नहीं हैं। इसलिए मैं पहले बोलूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली लाईन में थोड़ी शालीनता तो रहे। दुर्भाग्य है कि आपको हम लोग बहुत बुद्धिमान कहते हैं अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में आपका तीन बार नाम लिये। आपको बहुत बुद्धिमान कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इतनी जल्दी खड़े हो गये तो आगे कौन खड़ा होगा। पहली लाईन में ही टोकना शुरू कर दिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- मुख्यमंत्री जी के लिए अभी आपने जिन शब्दों का उपयोग किया।

श्री अजय चन्द्राकर:- अभी आ रहे हैं। मैं ध्यान से सुना हूँ एक बार भी नहीं टोका हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये शब्द, थोड़ी शालीनता बरते।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाईन नहीं टोका हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय अजय जी, आप थोड़ी शालीनता बरते। किसी एक की ठेकेदारी कुछ नहीं हो सकती।

श्री अजय चन्द्राकर :- भईया, आप मांग करके, विलोपित करवा ले।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी तक इनको मालूम था कि ये अकेले ठेकेदार बनना चाहते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- जिसको विलोपित करवाना है, आप मांग कर लीजिएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री जी का आज किसानों के बारे में भाषण सुन रहा था जिसके वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के पेज 17 के चार बिंदु कृषि कार्यों हेतु तकनीकी निवेश बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कांग्रेस उत्पादक कंपनियों और किसान संगठनों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगी। ये 9 नंबर है एक। इसमें 11 नंबर है कांग्रेस कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम में संशोधन करेगी जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। दो- 12 नंबर में हम गांव और कस्बे में पर्याप्त बुनियादी ढांचे में किसान के बाजार की स्थापना करेंगे जहां पर किसान बिना किसी प्रतिबंध के ...।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, इसको पहले डॉ. साहब पढ़ चुके हैं, आप उस समय नहीं थे। वे पूरा पढ़ चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पूरा सुन लें।

श्री मोहन मरकाम :- हम लोग सुन लिये।

श्री अजय चन्द्राकर:- ऐसा कहीं नियम नहीं है कि मैं दुबारा नहीं पढ़ सकता। बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज बेच सके। चलिये ये पांचों बिन्दु को छोड़ देता हूं। एक ऐसे कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अपने भाषण में कह रहे थे कि बिहार को नहीं छोड़े, गोवा को नहीं छोड़े, कहां-कहां को नहीं छोड़े, हमको भी नहीं छोड़ेगे। राजनीतिक तौर पर हम झण्डाबरदार हैं । राजनीतिक तौर पर झण्डाबरदार मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के घोषणापत्र को यदि अपने राज्य में क्रियान्वित नहीं करते हैं उसके द्वारा अपनाई गई किसी प्रक्रिया का विरोध करते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है आप बिहार से लौटकर आये हैं । पूरा सोशल मीडिया पूरा समाचार है कि बिहार में दारूबंदी की समीक्षा करेंगे। राजस्व में कमी आयी है तो कांग्रेस बिहार में यह बोल रही है और छत्तीसगढ़ में दारूबंदी करेगी, ये बोल रही है। आप समझ रहे हैं। ये वह कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का भाषण है..।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अजय जी, लगता है कि जहां शराब की बात आती है कुछ बहक से गये है। अजय जी को पुराना अनुभव उनको याद आ जाता है। कांग्रेस पार्टी, वहां उन्होंने कहा कि शराब बंदी रहेगी, लेकिन वहां आपकी गठबंधन वाली सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को 3 लाख, 25 हजार लोगों को जेल में ठूंस कर रखा है। उसकी समीक्षा हो जानी चाहिए। 3 लाख, 25 हजार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को भर कर रखा है तो उसकी समीक्षा की बात हुई और दूसरी बात जो आपने मण्डी, आपने कांग्रेस के घोषणापत्र की बात कही। माननीय अजय जी, आप कभी-कभी भाजपा के घोषणापत्र की भी बात पर चर्चा कर लिया करें। आप हमारी चर्चा बार-बार करते हो। यहां भी करते हो, लोकसभा में भी करते हो। आप अपने घोषणापत्र के बारे में एक बार भी बात कर लिया करो। एकाध बार तो चर्चा करिये कि उसमें क्या है ? आप बैठ जाईये। मैं खड़ा हुआ हूँ तो बोल ही लेता हूँ। और जहां तक मण्डियों की बात है। मण्डियां सरलीकरण की बात है हम 4-5 गांवों के बीच में हम मण्डी की ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि उत्पादक को दूर न जाना पड़े। उसको सही रेट मिल सके। ये मूल उद्देश्य है जब हम लोग लागू किये तो आपने जी.एस.टी. का भी विरोध किया था। जब वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब भी विरोध किये थे वह भी जी.एस.टी. लागू किये, लेकिन हम जो लागू करना चाहते हैं वह नहीं किये। सवाल इस बात का है। अजय जी, मुझे 2 किसान से एक किस्सा याद आ गया । एक बहुत बढिया किसान था, उन्नत कृषक था तो उसका जो पडोसी किसान है वह भी उसी को देख-देख कर किसानी करता था तो वह भी उतना उत्पादन पा लेता था वह भी तारीफ पाने लगा, लेकिन पहले वाला किसान ज्यादा विद्वान था एक दिन अपने नौकरों से बोला कि कल जाना फसल तैयार है और कोपर लेकर जाना सब खेत में चला देना, लेबलर लेकर जाना है सब खेत में चला देना। दूसरा भी अपने नौकर को बोला कि पूरी फसल तैयार है, कोपर लेकर जाना और उसमें पूरा चला देना। अध्यक्ष महोदय, पानी भरा हुआ था। पहले वाले ने फिर धीरे से यह बोला कि यह करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको सुनाने के लिए किया। सच में यह हुआ कि जो उसको देख कर नकल करके आगे बढ रहा था, उसका पूरा खेत चौपट हो गया। वही नकल करते-करते चाहे जी.एस.टी. में हो, मंडी एक्ट में हो, नकल करने के चक्कर में आप पूरे देश का गारत कर रहे हो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का उल्लेख नहीं करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र का उल्लेख करते हो, मतलब वह लिखने के लिए है, यह मान लें। दूसरा यह बोले कि छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र के बारे में बार-बार उल्लेख करते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि गंगा जल पीये हो या नहीं पीये हो, इसको भर बता दो। उसको बताने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे संसदीय सचिव की व्यवस्था बताने के लिए मोहम्मद अकबर जी तैयार नहीं हैं, वैसे ही गंगाजल पीये हैं या नहीं पीये हैं, यह बताने को तैयार नहीं हैं। अब मंडी एक्ट में संशोधन में पूरा राजनीतिक भाषण हुआ। अब राजनीतिक भाषण हुआ, आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की है, उनको मालूम है कि मैंने क्या प्रशंसा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भौंरा चलाने के बाद, सांकड़ लेने के बाद, अभी दिवाली आ रही है, सांकड़ लेंगे, भैया, वह सांकड़ देने वाला मर गया है, उसकी स्मृति में उसके परिवार को कुछ दो। जो मुख्यमंत्री जी को सांकड़ दिया है, वह मर गया।

समय :

3:46 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोह सिंह मंडावी) पीठासीन हुए।)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तरिया के पानी में भीतरी मछली पकड़ने वाले हमारे एक ही मुख्यमंत्री हैं। ऐसे विद्वता के बाद अब लेखक भी बन गये। मैंने इनका लेख पढ़ा। 6 अक्टूबर 2020 के नवभास्कर में लेख है। दो लाईन पहले पढ़ देता हूं। शांताकुमार कमेटी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। मोदी सरकार गठित 2015 में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 6 प्रतिशत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है। अपने भाषण में यह नहीं बताया कि शांताकुमार कमेटी क्यों बनी? माननीय मुख्यमंत्री जी से तो यह जरूर सुनना चाहेंगे। मैं बताता हूं कि वह कमेटी क्यों बनी? अब दूसरी बात जो उन्होंने लिखी है, जो किसी मुख्यमंत्री की भाषा बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या मैं आपकी प्रक्रिया जो आज यहां चल रही है उसको अलोकतांत्रिक कह सकता हूं। मैं उस लाईन को पढ़कर सुनाता हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था तथा मंडी व्यवस्था समाप्त करना समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरह केन्द्र सरकार द्वारा आनन-फानन में अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक तरीके से 3 कानून बनाये गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं यदि लोकसभा में होता तो इस भाषा के इस्तेमाल के लिए आपके विरूद्ध वहां प्रिविलेज होता। आप संसद की गरिमा पर प्रश्नचिन्ह उठा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अलोकतांत्रिक इसलिए कहा, राज्यसभा में जब यह बिल लाकर पारित किया गया था और सदस्यों ने मांग किया कि हमको डिवीजन दीजिए, क्या डिवीजन दिया गया? यही प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए और छत्तीसगढ में जिस घोषणा पत्र की बात हो रही है। मैंने भारत में किसी राज्य को नहीं देखा कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिस दल ने घोषणा पत्र बनाया हो, 22 महीने में इतना ज्यादा क्रियान्वयन किसी घोषणा पत्र का हुआ हो, छत्तीसगढ़ के अलावा मैंने आज तक नहीं देखा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजा साहब ने अलोकतांत्रिक तरीके से कहा। ध्वनिमत में पारित हुआ, इनके प्रभारी महोदय जी ने कहा कि एक दिन में इतने कानून पास हो गये। पिछले सत्र में छत्तीसगढ़ में आपने एक दिन में कितने कानून पास किये? आपने कौन सी प्रक्रिया में पास किया? वह अलोकतांत्रिक है। मैं आपकी प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक कहूं, विधानसभा में जो चल रहा है उसको अलोकतांत्रिक कहूं, लोकसभा में जो चल रहा है उसको अलोकतांत्रिक कहूं, आपके 55 सदस्य क्या कर रहे थे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि 7 प्रतिशत लोगों को समर्थन मूल्य मिलता है। 50-60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, एम.एस.पी. 1955 से शुरू हुई, उसके बाद यह बताईये कि 7 प्रतिशत तक कैसे मिलती है, मान लो छत्तीसगढ़ में 57 प्रतिशत को मिलती है तो गेप कहां पर है? शांताकुमार कमेटी इसके लिए बनाई गई कि 2 लाख करोड़ रुपया तत्कालीन समय में जाता था, उसमें से यदि 7 प्रतिशत या 57 प्रतिशत को मिलता है तो बाकी पैसा कहां जाता है यह पता लगाया जाये और एफ.सी.आई. की रिस्ट्रेक्चरिंग कैसे की जाये। इसीलिए मैंने बार-बार मांग की कि शांताकुमार कमेटी या स्वामीनाथन कमेटी की कौन-कौन सी अनुशंसाओं से आप सहमत हैं ? चलिये असहमत हैं उसको छोड़ दीजिए और जिससे सहमत हैं उसमें आप बजट प्रोविजन कब करेंगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- शांताकुमार जी की रिपोर्ट आयी क्या आपने उसको पढ़ा है? उसको एक-बार पढ़कर देख लीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी तो मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूं । स्वामीनाथन कमेटी यू.पी.ए. सरकार ने बनायी । यू.पी.ए. सरकार ने जिस कमेटी को बनाया उसमें कांट्रेक्ट फार्मिंग की अनुशंसा थी, को-ऑपरेटिव फार्मिंग की अनुशंसा थी, मुक्त व्यापार की अनुशंसा थी, सी.ओ.टो. फार्मूला उधर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को पूछिए और यदि आपमें थोड़ी सी भी नैतिकता है सरकार में तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को सरकार की ओर से टेबल कर दीजिए । अब दूसरी बात यदि स्टेट लिस्ट में कृषि है जिसको बार-बार ये जोर दे रहे थे तो केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी क्यों बनायी ? यू.पी.ए. सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी को क्यों बनाया ? अब दूसरी बात दिल्ली पर जो बार-बार आरोप हुआ, माननीय भूपेश बघेल जी की दृष्टि से अब उनका कद बढ़ रहा है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बिल्कुल दिल्ली की राजनीति के लायक हो क्योंकि जो वर्तमान नेतृत्व है वह फेल है और स्टार प्रचारक हो, सब है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- जो उपाध्यक्ष बने हैं उन लोगों को तो दिल्ली भेजो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उनके जाने की बात कीजिए न ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप कहां किसी से तुलना करते हैं ? मैं तो आपको बोल रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- जो लादेन बना है उसको तो कम से कम उतारो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- आप किसी से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं ? वह परिवार फेल खा चुका है । उदीयमान चेहरे आप ही भर हैं । मैं मजाक नहीं कर रहा हूं । अब स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा की बात हो गई । मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी की बात कर रहा था, दिल्ली के ऊपर आरोप लग रहा है, संघीय ढांचा क्या है ? हमसे पूछा गया, नहीं पूछा गया । आप समाचार-पत्र की, दिल्ली के पत्र की कटिंग कहें तो मैं आपके पी.सी. को दे दूंगा या आपको दे देता हूं । लेकिन सच्चाई यह है कि कानून बनाने से पहले सभी राज्यों से विचार-विमर्श कर लिया गया तब पंजाब समेत दूसरे राज्यों के कृषि सचिव ने माना कि इससे किसानों का भला होने वाला है । यह रायपुर का लेख नहीं है, यह दिल्ली का लेख है । यदि आपमें थोड़ी सी नैतिकता है तो तीनों कानूनों में आपके कृषि तत्कालीन जो भी रहे हों, उसमें राज्य ने क्या अभिमत दिया यह पटल पर रखना चाहिए । यह विश्वसनीयता का सवाल है कि आपका भाषण क्या बोल रहा है और आपका मत क्या बोल रहा है ? यह विश्वसनीयता का सवाल है और इसको टेबल करना चाहिए । अब दूसरी बात आपने यी.पी.ए. दो में कृषि मंत्रियों की एक कमेटी बनायी, स्टेट मिनिस्टर । श्री हर्षवर्धन पाटिल, श्री मुकेश गौड़ा, नीलमणी शेंदेकर, परमवीर सिंग, एस.के.दैलूली, हरखसिंग रावत ये कांग्रेस के हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं । इसकी रिपोर्ट क्या थी ? राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल मार्केट बनाने का प्रावधान । लाईसेंस फार डायरेक्ट मार्केटिंग इसके अंतर्गत किसानों को सीधे तौर पर व्यापारियों को अपनी फसल बेच सकते हैं । रजिस्ट्रेशन फॉर कांट्रेक्ट फार्मिंग के द्वारा समिति इस नये कांट्रेक्ट फार्मिंग के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया । लाईसेंस फॉर सेटिंगअप व प्राईवेट मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन किया यह यू.पी.ए. के द्वारा समिति जिसमें कांग्रेस के इतने सदस्य थे उनकी अनुशंसा है । अब इन कानूनों के लिये जो हाईपावर कमेटी बनी उसमें दो सदस्य थे जो गैरकांग्रेसी थे । पहले थे कुमार स्वामी जी जो शहीद हो गए। अभी कमलनाथ भी शहीद हो गये, कमलनाथ जी ने इन तीनों...।

श्री बृहस्पत सिंह :- घोर आपत्ति ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, आपत्ति मैंने स्वीकार कर ली ।

श्री बृहस्पत सिंह :- घोर आपत्ति इसलिए कि उनको आप शहीद बता रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- शहीद से मेरा अभिप्राय राजनीतिक शहीद से था, वे लंबा जीवन जीयें, यशस्वी हों । आपको ऐसी-ऐसी चीजें समझ में आएगी, अक्ल की बात तो आएगी नहीं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैंने घोर आपत्ति उनके लिये लिया था ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कमलनाथ जी ने जितनी अनुशंसाएं हैं उन सबमें चाहे वह कांट्रेक्ट फार्मिंग में हो, चाहे मुक्त बाजार की व्यवस्था हो, चाहे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के इतिहास को समझना जरूरी है कि सन् 1955 में जब एक्ट आया तो मुश्किल से 20 लाख टन धान होता था, आज 1 मिलियन, आज 120 से ऊपर है । अकाल की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्थिति थी, लोग तरशते थे, भूखों मरते थे, इनको तो कोई भी प्रतिबंधात्मक कानून, मंडी एक्ट के तहत जो इंस्पेक्टर राज ला रहे हैं । तो इंस्पेक्टर राज ला रहे हैं इस पर जाकर माननीय मनमोहन सिंह जी से मिलना चाहिए, माननीय प्रणव मुखर्जी जी से मिलना चाहिए । मैं श्रेय दे देता हूं कि आज हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी के बारे में सोचता है, यदि छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख 4 हजार करोड़ जा रहा है तो निश्चित रूप से मैं माननीय मनमोहन सिंह जी को श्रेय दे देता हूं । जो मुक्त बाजार और उदारीकरण के पक्षधर थे । ये नीतिगत बोलना चाहिए क्योंकि यह सत्र पूरी तरह से नेतागिरी का है । कृषि कल्याण और अन्य चीजों से कोई संबंध नहीं है । अब, संघवाद की बात करते हैं तीनों, चारों कमेटियां बनीं, आपमें नैतिकता होगी तो जो अभिमत हैं इसमें रखिएगा । जब संघ सूची, राज्य सूची की बात होती है तो सीएए कानून विशुद्ध रूप से केन्द्र का विषय है । कांग्रेस शासित राज्यों ने उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया तब आपका संघवाद कहां था ? यह कौन से संघवाद की परिभाषा थी ? हमने पूछा, कमेटी कांस्टीट्यूट की, यूपीए ने कमेटी कांस्टीट्यूट की और जिस उद्देश्य से शांताकुमार कमेटी बनी उसके बारे में लेखन दूसरा हो रहा है । उधार की बुद्धि है, खुद की बुद्धि रहती तो बात अलग है । उपाध्यक्ष महोदय, अभी भाषण में छत्तीसगढ़ की बड़ी बड़ी बात हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अजय भाई, एक निवेदन है । आप बोल रहे हैं, मैं कोई टोक नहीं रहा हूं और न ही व्यवस्था दे रहा हूं । आप कुछ उद्वेलित होकर बोलते हैं। मैं दोस्ती के नाते बोल रहा हूं । जैसा कि आपने कमलनाथ जी को स्वर्गीय बोल दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्वर्गीय नहीं, शहीद बोला ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शहीद बोल दिये । शहीद मतलब स्वर्गीय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं वापस ले लेता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष महोदय, इनको डांट लगाइए, दंडित कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- सुनिये तो भगत भाई । दूसरी बात आपने कही कि प्रणव मुखर्जी से पूछकर आइए । मैं दोस्ती के नाते बोल रहा हूं, कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं । थोड़ा देखिएगा, बात मत करियेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- अजय जी से खेद व्यक्त करवाइए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सौ बार खेद व्यक्त कर देता हूं । चलिए, अब आप प्रसन्न हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय जी, एंग्रीमैन की भूमिका में रहते हैं, पूरा सदन इस बात को जानता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- कमलनाथ जी शहीद हो गए, यानी वे मर गए । दूसरी बात आपने कहा कि प्रणव मुखर्जी से मिलकर आइए । तो किसी और को भी शहीद करना चाह रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- उन्होंने दोस्ती के नाते कहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, ये माफी मांगें ।

श्री अमरजीत भगत :- माफी मांगे या इनको प्रताड़ित कीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल नहीं पा रहा हूं । थोड़ा सुन लीजिए ना । (व्यवधान) अरे यार सबेरे से तो तुम्ही लोग बोल रहे हो । उपाध्यक्ष जी, इनकी मंशा कमलनाथ जी के प्रति खराब नहीं थी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जो आदमी जिंदा हो उसको कोई शहीद बोल दे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत भाई, यह आम बात है । शहीद वाली बात है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सदन में माफी मांगें ।

श्री नारायण चंदेल :- अरे भाई दोस्ती के नाते बोल दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा था, एक बात है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये गलत बात है, माफी मांगे । किसी जिंदा नेता को कैसे शहीद बोल दिया । जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, सदन में इनको नहीं बोलने देंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप निर्णय करने वाले कौन होते हो कि नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- ये हो क्या रहा है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, बैठिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिंदा नेता को कैसे शहीद बता दिया गया ? मैं पुन: आग्रह कर रहा हूं । जब तक ये क्षमा नहीं मांगते इनको सदन में बोलने का हक नहीं है । इन्होंने हमारे कांग्रेस के जिंदा नेता को शहीद कैसे कहा ?

श्री धर्मजीत सिंह :- इनको पहले चुप तो कराइए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जब तक सदन में माफी नहीं मांगते, इनको बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चुप तो करवाइए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत भाई हो गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह बहुत गलत तरीका है उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बहुत बड़ा अपमान है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चुप करवाइए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिंदा आदमी को सदन में शहीद कैसे बोला ?

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत भाई ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनको चुप करवाइए, नहीं तो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसी दादागीरी नहीं चलेगी । जिंदा नेता को कैसे शहीद बोला ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, आपको निर्णय करना है, वो तो किसी को बात ही नहीं करने दे रहे हैं । चौबेजी, कम से कम आप तो बोलिए । इस तरह की हरकत ठीक है क्या ? हम लोग आप से अनुमति ले रहे हैं और ये बोलने ही नहीं दे रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जब तक सदन में माफी नहीं मांगते हैं, तब तक माफ नहीं किया जाना चाहिए । किस हैसियत से इन्होंने शहीद बोला ?

श्री धर्मजीत सिंह :- एक आदमी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है । आप पहले चुप करवाइए वरना हम भी सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, पहले मेरी बात सुनिये ।

समय :
4.00 बजे

श्री धर्मजीत सिंह :- एक आदमी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशि कर रहा है। आप पहले चुप करवाइए वरना हम भी सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, पहले मेरी बात सुनिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये माफी मांगे। आप पहले माफी मांगे। नेता जी को शहीद कैसे शहीद बोला। ऐसे तरीके से नहीं चलेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस तरीके से नहीं चलेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसे तरीके से नहीं चलेगा। ये इस तरीके के शहीद बोलेंगे। एक जिंदा आदमी को शहीद बोला गया। जिंदा नेता को शहीद कैसे बोला गया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी बैठिए। आप बैठो तो। मैं जब उठकर बोल रहा हूं तो उसके बाद भी आप समझ नहीं रहे हैं। आप बैठो तो।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप इन्हें बैठवाइए, फिर हम बात करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- हमारे नेता को शहीद कैसे बोला गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठो तो।

श्री अमरजीत भगत :- आज बृहस्पत भाई तो बात को पकड़ लिये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो मिनट सुनो तो। अमरजीत जी चुप रहिए। मैं वही बात कह रहा हूं कि अजय चन्द्राकर जी ने जो कमलनाथ जी को शहीद कहा, वह उन्हें किसी दुर्भावना से नहीं कहा। राजनीति में अभी वहां से वे मुख्यमंत्री के पद से हटे तो उन्होंने राजनीतिक शहीद कहा है। उसे अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। हम तो कमलनाथ जी के यशस्वी भविष्य की कामना करते हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। हम लोग यहां क्यों किसी के बारे में बोलेंगे कि ये मर जाये या जी जाये। उपाध्यक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय, कोई दुर्भावना नहीं है। अब वे बिना वजह उत्तेजित हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय ही तो संदेश देंगे। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- वे हमारे नेता को शहीद कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वहां से जो निर्णय देंगे, हम उसे मानेंगे, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे हैं। यह तो गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप तो बैठो। बृहस्पत जी बैठो। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उसको चाहे विलोपित कर दीजिए। आप अगर चाहें तो इन्हें प्रताड़ित कर दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- वे सदन से माफी मांगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- पहले सुनो तो। उसके बाद बात करना।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने यह कह दिया है कि उन्होंने कमलनाथ के प्रति दुर्भावना से नहीं, मुख्यमंत्री के पद से हटे है, इस भावना से बोला है। इस टाइप से नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- वे हमारे नेता को शहीद बोल रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी आप बैठिए। चलिए बैठिए। हो गया। मैंने समझ लिया। मैं आपको बता रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन ये आज बात को पकड़ लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अमरजीत भाई, पहली बात को आप सुनो, मेरा यह कहना है कि शहीद का मतलब मरना नहीं होता। शहीद का मतलब कई प्रकार से होता है। शहीद किया गया, वह किया गया। फलां-ढेकाना किया गया। मैं इसलिए माननीय सदस्य को टोका कि आप प्रणव मुखर्जी से सलाह लीजिए। एक तो उसे शहीद कर दिया और दूसरा...।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, आप जितना भी घुमा-फिराकर बोलिए, लेकिन इन्होंने गलत किया है तो मांफी मांग ले, बात खत्म। नहीं ऐसा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया। उन्होंने सॉरी कहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये इतने बड़े विद्वान आदमी होकर गलत किये हैं। संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। ये सदन में माफी मांगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए। महत्वपूर्ण विधेयक है, उसमें आप मत करिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इन्हें सदन में माफी मांगना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- और दूसरी बात यह कि बृहस्पत जी की कोई बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- चौबे जी के नंबर वन चल दे हे न तो अभी नंबर वन में वही हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकण्ड। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तुरंत सुधार दिया था..।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- मगर आपका शहीद बोलने का आशय क्या था, आप यह तो बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तुरंत सुधार दिया था।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX][4]

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तुरंत सुधार दिया था कि मेरा शहीद का अर्थ राजनीतिक तौर पर है। मैं तो उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं, मैंने यह कहा। प्रणव मुखर्जी के लिए यदि मैंने सम्मानजनक शब्द नहीं लगाया तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर देता हूं। मैंने सुबह उनके लिए बहुत उच्च भावना रखी थी, लेकिन उसका आशय था कि देश के निर्माण में मनमोहन सिंह और आज छत्तीसगढ़ यदि एक लाख, 4 हजार हजार करोड़, 5 हजार करोड़ का बजट है तो माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी की यह एक भूमिका है। इससे आशय यह है, लेकिन सवाल इस बात का है कि यदि मुद्दों पर चर्चा होगी तो हम विपक्ष में हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दूसरी, तीसरी बार के संसदीय कार्य मंत्री हैं। मैं संसदीय कार्य में हमेशा कहता हूं कि बृजमोहन जी, रविन्द्र चौबे जी इन लोगों से मैंने सीखा और अभी भी मैं माननीय का शिष्य हूं, जिनसे भी मैंने सीखा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- विपक्ष की जो भाषा है, वह आपके अनुकूल नहीं हो सकती। विपक्ष की भाषा विपक्ष की भाषा होगी। मैंने व्यक्तिगत तौर पर..।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- आप थोड़ी न व्यवस्था देंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सुने नहीं हैं, इसलिए है।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, अगर सदन ऐसे ही चलाना है तो हम बाहर चले जाते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक मिनट सुनो तो। बृहस्पत सिंह जी ने उस शब्द को दूसरे रूप में ले लिया। अजय चन्द्राकर जी का राजनीतिक रूप से शहीद होने के मामले में कहा और उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर किसी को बुरा लगा हो या खराब लगा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं । मुझे लगता है कि इसके बाद में यह मामला समाप्त हो जाता है और बृहस्पत जी को इतना उत्तेजित नहीं होना

[4] [XX] आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Uncorrected and unedited/Not for Publication Tuesday, October 27, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहिए । आपने अपनी भावना रख दी, सबने समझ लिया और मुझे लगता है कि इसको यहीं पर समाप्त करके हम आगे की कार्यवाही प्रारंभ करें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- समाप्त किया जाये, लेकिन भविष्य में इस तरह का अपमान न करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन व्यवस्था देने का अधिकार सिर्फ आसंदी को है और आप जो व्यवस्था देंगे, मैं मानूंगा, बस एक लाईन में मेरी ओर से बात हो गई । देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बातें कहीं । मंडी में जो संशोधन विधेयक है, उसके बारे में एक लाईन बात नहीं हुई । सिर्फ और सिर्फ इंसपेक्टर राज आयेगा । इंसपेक्टर राज के विरोध में माननीय प्रणव मुखर्जी जी, जो उदारीकरण के शिल्पकारों में से एक हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी, जो उदारीकरण के शिल्पकारों में से एक हैं, उनसे जाकर सलाह ले लें कि हम जो एक्ट ला रहे हैं, वह सही है या गलत है । मैंने यह कहा और उसके बाद जो शुरूआत भाषण से हुई कि हम आपके कानूनों को टच नहीं कर रहे हैं । टच तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफवाह जरूर फैला रहे हैं । आप एम.एस.पी. की बात करते हैं । एम.एस.पी. कब कानून बना । 50-60 सालों से केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो क्या एम.एस.पी. कानून बना या एम.एस.पी. कानून है क्या ? जब माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं इंस्टीट्यूशन बोलते हैं । इस देश में एम.एस.पी. कब कानून था, जो आज एक बाजार, एक मूल्य में एम.एस.पी. सुनिश्चित होना चाहिए । एम.एस.पी. किसी आदेश के तहत हमेशा घोषित होती रही है । अब जो बहस में जितनी बातें कहनी थीं, तीनों विधेयक के बारे में बातें कहीं, कांट्रेक्ट फार्मिंग की बातें हुई, इसके दोनों विधेयकों की बात हुई, इसेंसियल कमोडिटी एक्ट की बात हुई । मुक्त बाजार जिसमें दिया गया है, उसमें यहां पर तीनों विधेयकों के नाम हैं, उसमें एक दिन चर्चा करवा लेना कि इस धारा में इस तरह किसानों को शोषण हो रहा है । आपने पांच साल को 10 साल बोल दिया, चलिए, वह त्रुटि है, लेकिन पांच साल में रेट आप तय करेंगे, कान्ट्रेक्ट की शर्तें आप तय करेंगे, भुगतान नहीं करेगा तो डेढ़ गुना भुगताना करना पड़ेगा, इस बात को बोलना चाहिए न । उसको क्यों छिपाते हैं । यही भ्रम, यही अफवाह है । आप किसान को बंधन में क्यों रखना चाहते हैं ? एक तरफ आप कहते हैं कि एक मात्र किसान हैं, जो अपना मूल्य तय नहीं कर सकता । किसान को घर में बंद करके रखिए । कान्ट्रेक्ट फार्मिंग मौखिक होता है, बोलते हैं । तीन तरफ कान्ट्रेक्ट फार्मिंग होती है, छत्तीसगढ़ में बहुत किसान नेता हैं । अधिया, रेगहा और सौंथ । सौंथ प्रथा भी कान्ट्रेक्ट फार्मिंग का ही एक रूप है कि कितने सौंथ की खेती है, उसमें किसी समय में किसी गौटिया का या किसी किसान की हैसियत नापी जाती थी । यदि आज आपका समर्थन मूल्य रेगहा वालों को नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता । यदि मालिक चाहे ईमानदार है, जिससे रेगहा लिया है या अधिया लिया है, वह चाहे तो उस बोनस को देगा या 25 सौ रूपए देगा, नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते । इससे शोषण हो रहा है या क्या हो रहा है ? अब आप कहते हैं कि हम किसानों की सरकार हैं । अरे बाप रे । दारू पीकर या गंगा जल, मैं उसमें नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पड़ना चाहता। उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा चुका हूं कि आपने क्या किया है ? लेकिन किसानों की हितैषी सरकार आज बरसात में गिरदावरी होती है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ में बरसात में गिरदारवरी होती है। (शेम-शेम की आवाज) एक-एक इंच काटा जाता है, हर साल काटो । राजस्व मंत्री ने 14 निर्देश जारी किये हैं । इसको काटो, उसको काटो, उसको काटो ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आपने क्या कहा ? दारू पीये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह नहीं कहा है, आप पूरी रिकार्ड देखकर बात करिए।

श्री अमरजीत भगत :- बोलते समय कुछ भी बोलेंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय चन्द्राकर जी, [XX][5]

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, उनको अपनी बात पूरी करने दो ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड में आ रहा है कि [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नेता जी, आप बैठिए । माननीय उपाध्यक्ष जी, मरकाम जी वरिष्ठ सदस्य हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं । इस सदन में नेता प्रतिपक्ष के बारे में इस प्रकार की बात कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है और मुझे लगता है कि हम लोगों को इस सदन के हर सदस्य का सम्मान करना चाहिए । नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी का तो हम विशेष रूप से सम्मान करते हैं और इस सदन में नेता प्रतिपक्ष के संबंध में इस प्रकार के जो भी शब्द कहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- विलोपित, विलोपित ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं उनसे इस बात की उम्मीद नहीं करूंगा कि वे इस बात के लिए माफी मांगे, परन्तु मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई बातें नहीं कही जायें और आप इस शब्द को विलोपित कर दीजिए। हम उनसे माफी मांगने की अपेक्षा नहीं करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने विलोपित कर दिया है ।

श्री अमरजीत भगत :- बृजमोहन भैया, आपसे पहले अजय चन्द्राकर जी ने दारू पीने की बात कही ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं शब्द बता देता हूं, उन्होंने क्या कहा और किसके बारे में कहा।

श्री अमरजीत भगत :- दारू पीने वाले।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन्होंने किसके बारे में कहा ? उन्होंने किसी का नाम लिया ?

श्री अमरजीत भगत :- सन्दर्भ कुछ भी रहे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन्होंने नाम लिया क्या ?

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पूछ-पूछकर बोलता हूं कि क्या बोलना है वह बोलू। आप यहां भाषण दे दो।

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहन मरकाम जी का विलोपित।

श्री अमरजीत भगत :- आपको बोलने की स्वतन्त्रता है, इसलिए कुछ भी बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप भाषण दे दो न।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं-नहीं, आपको बोलने की स्वतन्त्रता है इसका मतलब आप इस प्रकार कुछ भी बोलेंगे। आपको संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करना है और दायरे में रहकर बात करना है।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं उस विषय को बता रहा हूं। यहां आबकारी मंत्री बैठे हुए हैं। उसमें ओव्हर रेटिंग का मामला आया। हमारे यहां बिलासपुर, जांजगीर और कई जिलों से मामला आया कि पानी मिलाकर दारू बेच रहे हैं। अभी मरवाही विधानसभा का चुनाव है। चुनाव में ये भी थे और मैं भी था। उन सारी चीजों को कोड किया गया। तो ये वहां पर कहे कि नेता प्रतिपक्ष जी दारू पीते हैं तभी उनको मालूम है। नेता प्रतिपक्ष को दारू पीने से मालूम नहीं है। क्या-क्या कालाबाजारी कर रहे हो, क्या-क्या मिलावटखोरी कर रहे हो, विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में है। मैंने उस उत्तर के बाद यह कहा है। कोई टेस्ट नहीं करेगा। दवाई खराब हो गया, किसान मर गया तो चौबे जी दवाई को टेस्ट करने जायेंगे क्या कि वह धान की बीमारी के लिए ठीक है या नहीं उसके बाद बतायेगा क्या कि वह असली है या नकली है ? बोलने के समय कुछ तो लिहाज करना चाहिए कि मामला कहां का है, प्रकरण कहां का है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, पता नहीं अजय जी कहां से शुरू किये कि इतनी उत्तेजना क्यों है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कहां उत्तेजित हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- इधर से मोहन मरकाम जी ने भी कहा। देखिये, हम लोग सदन में आते हैं, सबका सम्मान है और हम लोग तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का हृदय से सम्मान करते हैं। मरवाही उप चुनाव में किस तरफ से कैसी बातें हुई, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यह शब्द भी उचित नहीं है। चाहे किसी की भी तरफ से हो। आपका हृदय से सम्मान है। आप व्यक्तिगत बातों में मत लीजिये। आप विपक्ष में बैठे हैं। सरकार का ध्यान आप आकर्षित नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? यदि हमको यहां पर कोई बात कही जाती है तो हम लोग विभाग में उसी की क्वेरी करते हैं। उससे हमारी जानकारी बढ़ती है। हमको विभाग में काम करने में मदद मिलती है। तो आप कोई आलोचना करेंगे तो हम उसको दूसरे शब्दों में थोड़ी लेने देंगे। इसलिए जो विचार है, जो बातें आप कह रहे हैं, हम लोग उसको सुन रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी, उसके बावजूद भी मैं आपको समझ रहा हूं। अगर इसमें आपको थोड़ी-बहुत पीड़ा हुई होगी, तो मैं सबकी तरफ से खेद व्यक्त कर देता हूं। लेकिन हममें ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं ता अजय जी से भी चाहूंगा कि थोड़ा मर्यादित शब्दों में कहे। मैंने तो आपसे ..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चौबे जी, आप उसको डायवर्ट मत कीजिये। आपके नेताम जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया, उस पर खेद व्यक्त कर दिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, मैंने कह दिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह पर्याप्त है। अब आप अजय जी की तरफ मत जाईये, ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने उनको भी कहा कि थोड़ा शालीन शब्दों में बोले।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे शालीन शब्दों में ही बोल रहे हैं। हम, उनको आज से नहीं देख रहे हैं। हम लोग उनको इस सदन में पिछले 20 सालों से देख रहे हैं। उनके बोलने का तरीका, उनका स्टाइल है। अगर वह कभी गलती से बोल भी जाते हैं तो वे खुद खेद व्यक्त कर देते हैं, वापिस ले लेते हैं। इसलिए आप उसको डायवर्ट मत करिये। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने गलत शब्दों का उपयोग किया, उसके लिए खेद व्यक्त कर दिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कहा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने अजय जी की वाणी के लिए बोला। आप यह मिश्री का मिठास कहां से लेकर आये हैं, यह थोड़ा सा लोगों को बता दो, लोग सीखेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो टोका गया, मुझे जो कहा गया, मैं सबको समझता हूं कि क्यों, किसके द्वारा करवाया जाता है। मुझे उसमें आश्चर्य नहीं है। मैं तो अब आराम से बोल रहा हूं। मैं तो हाथ-पैर फेक ही नहीं रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश भर में छत्तीसगढ़ अकेला प्रदेश है, जहां बरसात में गिरदावरी होती है। अभी राजस्व मंत्री जी वहां करिश्माई नेतृत्व कर रहे हैं, वे वहां हैं, नहीं तो मैं उनसे पूछता कि साहब आप बताईये कि कौन से राजस्व बुक में लिखा है कि गिरदावरी बरसात में करना लिखा है। माननीय अति उदार, मैं आपके Adjectiv लगाकर बोल रहा हूं, उदार नहीं, अति उदार संसदीय कार्यमंत्री जी, किसानों के मसीहा और किसानों के मसीहा के विश्वस्त सिपाही, वे गर्वनर जी के पास भी जाते हैं। वे दोनों संकटमोचक हैं। तरह-तरह की बातें नियोजित करते हैं। प्रेस को बोलते हैं, हम सुनते हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि बीज विकास निगम में सप्लाई का कौन कौन माफिया है ? अति उदार,

"क्या कहूं छबि आपकी, भले बने हो नाथ।
तुलसी मस्तक तब नवे, धनुस बान लेव हाथ।।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी मुद्रा को जानिये कि आप कौन हैं, क्या हैं। आपकी आधी सदी की जनसेवा का इतिहास है। आपको किसानों की बात नहीिं करनी चाहिए। आपने कृषि विकास निगम को माफिया को सौंप दिया है। पैसा, ये बैठे हैं, जिसका चिटफंड कम्पनी के लिए उल्लेख कर रहे हैं। 15 हजार गुल। एकड़ खत्म। तीन किसान मर चुके हैं, आप विशेष सत्र बुला लीजियेगा। आपने कहा है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कानूनों के लिए सत्र होंगे तो परंपरा बन गई है तो तीन किसान मरे उसके लिए विशेष सत्र करवा लेंगे। माननीय, आप किसानों के मसीहा हैं। फसल कट गई, बीज विकास निगम में अभी तक बोरा नहीं पहुंचा, उसका रेट अभी तक तय नहीं हुआ। उसके लिए भी माफिया उसको तय करेंगे? नाम बता देंगे, पूरा प्रदेश जानता है कि कौन-कौन चार लोग हैं। आप बुरा मत मानियेगा, आपको भर कह सकता हूं। आपके जो शतुर्मुग हैं न कि मैं नहीं देख रहा हूं तो कोई नहीं देख रहा है, आप भर नहीं देख रहे हैं बाकी सब जानते हैं। इतनी सज्जनता से काम नहीं चलेगा, आप किसानों का हित नहीं कर रहे हैं। अब चिटफंड कंपनी में आप इसको तौल दिये, [XX] उपाध्यक्ष जी को चिटफंड कंपनी। अब आप ये बताईये कि घोषणा पत्र के लिए बोल रहे थे कि इतना 22 प्रतिशत कर दिये राजा साहब। तो चिटफंड कंपनी का कितना मुकदमा वापस ले लिये और कितना पैसा चिटफंड कंपनी के निवेशकों को आपने दे दिया? इसे थोड़ा बताईये। बड़े दैनिय स्वर में कह रहे थे कि हम तो विपक्ष में हैं। साठ लाख टन ऐसा है वैसा है, ये लिख रहे हैं, वह लिख रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी भी विपक्ष में हैं वह 1 लाख 50 हजार टन की घोषणा आपने ही सदन में बताई है कि केंद्र सरकार ने उनको 1 लाख 50 हजार टन की दी है। साहब, आप नेतागिरी कर रहे हैं, बढ़त लेना है इसीलिए मैंने आपको दिल्ली जाने के लिए कहा कि आप दिल्ली जाईये। डॉ. रमन सिंह जी जहां हैं अच्छे हैं। तो आप कहते हैं कि अमरिंदर सिंह जी एकमात्र आदमी थे जिन्होंने विरोध किया। पंजाब का विरोध, निजी मंडी, जिसकी बात कही। बिचौलिया दूर करने के लिए आप भी देश्व्यापी घूमते हैं। पंजाब में निजी मंडियां हैं। कौन लोग उसका काम करते हैं, हरियाणा में कितना टैक्स मिलता है, वहां तो रोड डेव्हलपमेंट का भी टैक्स मिलता है। वह रोड के लिए भी सेस लगाकर रखे हैं। समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए विरोध कर रहे हैं कि तीन हजार करोड़ रूपये का राजस्व चल देगा, उसमें जो दलाली होती है। महाराष्ट्र में पूरा को-आपरेटिव सेक्टर नाम का को-ऑपरेटिव है। पहले लोग हैं जो किसान के रेट को को-आपरेटिव सेक्टर में तय कर लेते हैं। विरोध वहां से हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कौन किसान ने विरोध किया? अब हमसे पूछे कि कौन किसान ने हमसे पूछा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कौन से किसान ने कानून की मांग की। आपसे कौन मंडी वालों ने मांग की, कौन रेजा, तौलईया, हमाल ने आपसे मांग की, जो आप कानून ला रहे हैं? कौन आपसे मांग किया? किसी की मांग से कानून बनता है क्या? शासन-प्रशासन की जरूरत, देश, काल, परिस्थितियां जो होती हैं उस हिसाब से कानून बनता है। आप कानून बनाये होंगे तो सबसे पूछे होंगे, प्रवर समिति पहले गठित कर दिये होंगे कि जाओ ये कानून बना रहे हैं, उसको प्रचलित करो और देखो और दिल्ली कानून बनायेगी, मैंने उदाहरण दिया कि इतने कानून हैं जिसमें लोगों की भागीदारी रही तो वह किससे पूछकर बनाये हैं? तो अब तीन ही लोगों से पूछना चाहिए जो हमारे सहयोगी अकाली दल थे, या आपके सहयोगी एन.सी.पी. वाले हैं उनसे पूछना चाहिए या और एकाध नाम ले लें जिनसे पूछना चाहिए। और इनकी भूमिका क्या है आप और हम पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र देखने के लिए साथ चल देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमको चार हजार करोड़ रूपये जी.एस.टी. का नहीं मिल रहा है। जी.एस.टी. में कर्ज दिल्ली लेगी, यह तय हो गया, यह आपने अपने भाषण में नहीं बताया।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय, आप कहां की बात कहां ले जाते हैं। तिल का ताड़ बनाना कोई आपसे सीखे। केवल इतना ही है कि राज्य किस-किस विषय पर कानून बनायेगा, केंद्र किस-किस विषय पर कानून बनायेगा। अब उसमें कृषि राज्य का विषय है, वह अपने राज्य में कानून ला सकती है, बना सकती है, तो आप कहां उसको तिल का ताड़ बना रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी का भाषण निकालकर आप पढ़ लीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. के लिए केंद्र सरकार कर्ज लेगी और इतने राज्यों के लिए इतना-इतना पैसा देगी, यह आ चुका। ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आया, दो-चार दिन में छत्तीसगढ़ का भी नाम आ जायेगा लेकिन इसमें आप आरोप भी लगायेंगे। अब दूसरी बात कि यदि चार हजार करोड़ रूपये नहीं मिला तो अब मैं आरोप लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जायेगा, आरोप नहीं लगाता, छत्तीसगढ़ सरकार दो साल में अपना कर्ज क्यों छिपाना चाहती है? चार हजार करोड़ रूपये मिल जायेगा तो क्या वह कर्ज नहीं लेगी? राज्य सूची में इस सरकार ने ध्यान से एक विषय भर पढ़ा है-लोक ऋण को कि लोक ऋण राज्य सरकार का विषय है और हम सिर्फ और सिर्फ कर्ज लेंगे। एक साल बाद देखियेगा कि छत्तीसगढ़ का जो कर्ज 1 लाख 4 हजार करोड़ रूपये है वह 1 लाख 4 हजार करोड़ रूपये कर्ज भी होगा और ब्याज पटायेगा छत्तीसगढ़। दिवालिया आप ही आप निकलेगा। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, आपने कर्ज लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिया है। छत्तीसगढ़ का दिवालिया...।

श्री अमरजीत भगत :- 40 हजार करोड़ रूपये कर्ज आपका लिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी आज जो बजट का तिमाही प्रस्तुत हुआ है। वित्त सचिव बैठे हैं, 12 हजार करोड़ रूपये बस इस तिमाही में पूंजीगत में, 2019-20 में व्यय होगा, जिसमें भी कमी होने की संभावना है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उसमें भी कमी होने की संभावना है। आज वितरित हुआ है, पढ़ लीजिए। इस सरकार के पास किसानों के दो साल के बोनस का क्या हुआ। जिसके लिये आप सत्ता में आये थे। आप मानते हैं कि 2500 रूपये में हम धान खरीदते हैं, माननीय चौबे जी क्षमा करिये। आज की तारीख तक तो 2500 रूपये छत्तीसगढ़ की कोई जनता नहीं मान रही है। अगला सत्र आ गया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम खरीदी सत्र के पहले चार किस्त दे देंगे। तो 2500 रूपये में आप कहां खरीद रहे हैं ? केन्द्रीय नीति का विरोध आप इसलिए कर रहे हैं कि 72 घंटे में पेमेंट करना है और सरकार ने यदि कहा कि 2500 रूपये

करते हैं, तो आपको 72 घंटे में करना पड़ेगा, उसका बाईपास आपने निकाला है कि 2500 का राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे पर नहीं देंगे। अब आखिरी बात..।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह जो 72 घंटे में करना है ना, वह केन्द्र सरकार आदरणीय मोदी जी का 1860 रूपये है।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी तो आप बोलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि समर्थन मूल्य चार चीजों का खरीदते हैं, माननीय चौबे जी मैंने एक 139 लगाई थी। आपने उसको स्वीकृत नहीं किया। नहीं, आप चाहते हैं तो विशेष सत्र बुला सकते हैं। नहीं-नहीं आप विशेष सत्र बुला सकते हैं तो उसके लिये विशेष सत्र बुला लीजिए। रबी फसल की खरीदी के लिये संस्थागत और वित्तीय व्यवस्था दोनों की जाये। जो केन्द्रीय मूल्य आयोग में अधिसूचित फसलें हैं उसका समर्थन मूल्य घोषित होगा। जो उसके बाहर हैं, आप राज्य कृषि मूल्य आयोग बना लीजिए। कानून उसके लिये लाईये, विशेष सत्र बुलाईये। उसका समर्थन मूल्य घोषित कीजिए और उसको खरीदीये। आपके पास रबी फसल को खरीदने के लिये कोई सिस्टम नहीं है। किसानों को यदि राहत देना चाहते हैं, तो बनाईये नाफेड। ट्राईसेट की तरह कोई संस्था। जो खरीदे, इसके लिये विशेष सत्र बुलावाईये। तो हम बिल्कुल समर्थन करते हैं कि आप रबी फसल को खरीदने जा रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आपकी सरकार 15 साल तक थी, क्या आपने रबी फसल खरीदी किया ? विधेयक पर बात करिये, खाली लंबा-लंबा बात करने से कुछ होगा क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- उसका उत्तर दे देता हूं। आप मुझे बीच में मत बोलिये। अब ढपोसला, एक छवि, कैसी छवि, दिखाने के लिये सिर्फ एक काम है। मैं प्रशंसा कर देता हूं। चौबे जी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, उमेश पटेल जी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई। बाकी सब घपली है। कहने के लिये कुछ नहीं है तो एक प्रतीक निकालो। नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी, रोका, छेका, किसान-किसान, छत्तीसगढ़िया यों त्यों, फलाना ढेकाना बस। इसमें पेट भर गया छत्तीसगढ़ का और आज आपको बता देता हूं कि आपके शासन का perception बन चुका है। लेकिन हम उसको उद्घाटित एक साल बाद करेंगे। आप अभी भ्रम में एक साल और रहिये। आपको बहुत फायदा हो रहा है। अभी कुछ बोलना आपके लिये जल्दी हो जायेगा। लेकिन आपका एक perception बन चुका है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे दुख है कि आपके जो perception बने हैं, आपने अपने आपको माफिया को दे दिया। दूसरी और आखिरी बात इस बिल में एक संशोधन ला दीजिए। ट्रैक्टर में कूसन लगाने के लिये छूट दीजिएगा। क्योंकि ये सत्र राजनीतिक सत्र है। पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकली थी तो गद्दी लगा था। तो छत्तीसगढ़ के किसान भी गद्दी लगे ट्रैक्टर में घूमे ना, आपको उसमें क्या तकलीफ है। तो बोलिये हम गद्दी लगाने के लिये पैसा देंगे, आप सिर्फ किसान के लिये इतना कर सकते हैं। बाकी चीजें ये राजनीतिक सत्र है, दिल्ली के विधेयकों का विरोध करने के लिये, उसमें भ्रम फैलाने के लिये आपने यह सत्र आहूत किया है और दूसरा अपने नेता के ऑडियोलाजी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के खिलाफ मनमोहन सिंह जी के, राष्ट्रपति जी आज हैं, पूर्व राष्ट्रपति जी के उदारीकरण के ऑडियोलाजी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में इंस्पेक्टर राज मंडी में चलें। मंडी मंडी बहुत बोले हैं। आप दुर्ग जिला के अविभाजित दुर्ग जिला के मंडी चलते हैं क्या बताईये ? 8, 9 मंडी है, जिसमें मेरी कुरूद की मंडी धान का रेट खोलती है, इसमें नया पारा राजिम, धमतरी, भाटापारा, राजनांदगांव, आप क्या मंडी की बात कर रहे हैं ? अनुज्ञा पत्र में पैसा खा रहे हैं उसको आप और मजबूत कर रहे हो। एक मंडी लाईव नहीं है, रायपुर की मंडी थोड़ी सी लाईव है। मंडी-मंडी एक्ट ला रहे हैं, इंस्पेक्टर राज ला रहे हैं, इस सरकार में वही काम हो रहा है। जिसमें उपर से इनकम हो रही है, किसान सिर्फ मुखौटा है। आपने जो विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था का आपने राजनीतिक हित के लिये इस्तेमाल किया उसके मैं आपके अस बुद्धि चातुर्य की प्रशंसा करते हुए आपको बधाई देते हुए और सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका राज्यपाल को प्रभावित करने में आप निभा रहे हैं, भाई मेरे बहुत अजीज माननीय जनाब मोहम्मद अकबर के साथ, उसके लिये बधाई देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धनयवाद, जय हिंद

उपाध्यक्ष महोदय :- दोनों दलों के प्रमुख वक्ता विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं और अभी 17 वक्ता बाकी हैं। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि संक्षेप में 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अति आवश्यक ये विशेष विधान सभा का सत्र क्यों बुलाना पड़ा, यह आपको बताना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 350 साल पहले हमारे देश में ईस्ट इण्डिया कंपनी व्यापार करने आयी थी और दूसरे अभी मोदी अंबानी इन इण्डिया कंपनी आयी है, जो शांताकुमार समिति के माध्यम से ये देश को खरीदना चाहती है। 70 सालों में हमारे महान विभूतियों ने तरह-तरह से प्रयास करके देश को खड़ा करने का काम किया। चाहे उद्योग, धंधे हो, खेती हो, कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किया गया। हम लोग छोटे थे, जब प्रायमरी स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे याद है कि विदेश से लाल वाला गेहूं आता था। देश में अनाज की बहुत कमी होती थी पूरे देश में अनाज के लिए बहुत मुश्किल होता था। जब हम लोग प्रायमरी स्कूल में पढ़ते थे। उस जमाने में तो टी.वी नहीं था, सरपंच का एक रेडियो, तार ऊपर लटकाने वाला हुआ करता था। समाचारों में बताता था कि देश के प्रधानमंत्री के सामने विदेश के लोगों ने प्रस्ताव रखा कि एग्रीमेंट कर लीजिए हम देश का अनाज पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने एक लाईन में कहा कि हम अपने देश के अनाज की ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि आज विदेश से अनाज आने के बाद हमारे देश के लोग अनाज के लिए लड़ाई करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं वैसे ही हमारे यहां आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान खुद अपने अनाज को बेचने के लिए प्रतीक्षा करेगा उसके लिए लड़ाई लड़ेगा और हमारे देश के नेताओं ने महान विभूतियों ने बहुत मेहनत करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, सब लोगों ने हरित क्रांति लाकर और देश को आत्मनिर्भर बनाया जो हम आज अनाज के लिए इस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इतना क्विंटल खरीदा जाना चाहिए। उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे देश के ऐसे दूरदर्शी परिणाम रहते थे। पता नहीं क्या हुआ, कहां से आया लोग कहते थे कि पूरे देश के नेता, जो अभी इनके दल के नेता हल्ला कर रहे थे वे बोलते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 70 सालों में जो आई.आई.टी. कॉलेज, महाविद्यालय जो सारे उद्योग, कृषि व्यवस्था, कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से लाकर तरह तरह की सारी जो व्यवस्थाएं की गईं। हवाई जहाज एयर इण्डिया, जो भी किया गया। रेल्वे सारी व्यवस्था, अभी 4-5 दिन पहले खबरों में आ रहा है कि भारत बिकेगा। समाचार माध्यमों से आ रहा है कि जो 70 सालों में हमारे देश के लोगों ने, हमारे नेताओं ने रेल्वे चालू किया वह प्राईवेट के हाथों में जाने वाला है। हवाई अड्डा उनके हाथों में जाने वाला है। एयर इण्डिया हाथों में जाने वाला है। आपके इण्डिया की जो कंपनियां हैं वह हाथों में जाने वाला है। फैक्ट्री जाने वाली है इस तरह से देश बिकेगा। यह लगातार समाचापत्रों में आ रहा है कि भारत बिकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इसी कड़ी में 3 कानून जो हमारे किसानों के लिए लाया गया। एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो वर्ष 1955 में लागू हुआ था जो अभी तक चला आता था कि यदि कोई भी व्यापारी जमाखोरी करेगा तो जरूरत से अधिक जमाखोरी करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ताकि महंगाई बढ़ाने का काम न करे और लगातार यह कार्यवाही विभिन्न सरकारों ने चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। जब भी सरकार रही हो तो देश की लोकतांत्रिक सरकारों ने केन्द्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हों। लगातार उनके खिलाफ कार्यवाही की जो 70 सालों में जिन्होंने देश का ढांचा खड़ा करने का काम किया, लोगों को न्याय देने का काम किया। जब भी महंगाई आयी तो उनके खिलाफ रोकने का काम किया। उसको बिना सोच समझे एक झटके में वर्ष 1955 से आ रहे कानून को ये व्यापारियों, उद्योगपतियों के हक में फैसला सुना दिया गया कि चाहे कितना भी कोई भण्डारण कर ले, आप उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। जो बहुत गंभीर है जिसके कारण आज हम लोगों को फिर से विचार करना पड़ा। ये कांट्रेक्ट फार्मिंग की बात आ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कहना चाहता हूं। सरगुजा में किसानों को पहले बैंकों से लोन नहीं मिलता था। लोग बड़े किसानों से, बड़े लोगों से अनाज डेढ़ा में लेते थे। पहले पसेरी चलता था, मुझे याद है, मैं गरीब परिवार, खेतिहर परिवार से हूं। मेरे घर में बीज नहीं होता था, पिताजी दो मन लेकर आते थे, आठ पसेरी का मन होता था, 12 पसेरी का पक्का मन होता था। अगर वह दो मन लेकर आये हैं तो फसल होने के बाद तीन मन देते थे। कभी डेढ़ा और बाढ़ी चलता था। जब देते-देते थक जाते थे तो उनको खेत को बंधक दे देते थे कि जब आपका पट जायेगा, तब होगा, जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। सरगुजा के आदिवासी ही नहीं बल्कि हमारे आस-पड़ोस के सारे जिले के अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने में ऐसे अशिक्षित जो छोटे किसान थे, इनके पास बीज के लिए पैसा नहीं होता था, जैसे आज बताया गया कि हम छोटे किसानों के लिए बीज के लिए ऐसा कर रहे हैं। वैसे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ही चाहे वह हमारे आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग के हों, वह सारे लोगों का खेत बंधक बना लिया जाता था और हम बीज लाकर खेती करते थे। जब वह कई साल खेत को बंधक रख लेते थे, उन भोले-भाले आदिवासियों की जमीन अपने हक में नाम करा लेते थे और इसका धीरे-धीरे नतीजा यह हुआ कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की 50 से 60 प्रतिशत जमीन बड़े लोगों के पास चली गई। पूरे देश में कई राज्यों में यही हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्यप्रदेश था। हम लोग पढ़ते थे। सारी जमीनें बड़े जमीदारों के हाथों में चली गई। उनके नाम जमीन कब हो गई, यह पता ही नहीं चला। जब हमारे देश के नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी जी को बताया तो इंदिरा गांधी जी को 170-ख का भूमि वापसी का कानून लाना पड़ा। 170-ख के तहत आदिवासियों को फिर से जमीन वापिस कराने का काम किया। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही है। आज तो यह हालत हो गई है वह गरीब कैसे अदालत जायेगा ? अडानी, अंबानी, बड़े ठेकेदारों, बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ अदालत में कितनी बार लड़ाई लड़ेगा। अगर वह अपनी फसल बेचेगा भी, आपने कहा है कि पूरे देश में फ्री रहेगा, एक बाजार रहेगा। एक बाजार रहेगा तो क्या वह एस.डी.एम., कलेक्टर के पास जायेगा, अपनी फसल के दाम लेने के लिए कहां-कहां जायेगा ? आप मंडी खत्म करना चाहते हैं। मेरा क्षेत्र तीन राज्य झारखंड, उत्तरप्रदेश और बिहार से घिरा हुआ है और बगल में हमारा मध्यप्रदेश भी लगता है। इधर हमारा उड़ीसा राज्य लगता है। यह 4 राज्यों में 10 से 12 रुपये किलो में धान पहुंचाकर देते हैं, अधिकतम 15 रुपये में पहुंचाकर देते हैं। चाहे डॉ रमन सिंह जी सरकार रही हो या माननीय भूपेश बघेल जी सरकार हो, वहां फोर्स लगाकर अधिकारी लोगों को पहरा करना पड़ता है, उसके बाद भी धान की आवक को नहीं रोक पाते हैं, वह 12 रुपये किलो वाला पहुंचाकर मंडी में भर देता था। आज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों के हित में बहुत कड़ाई किया है, आप कितने एकड़ में धान लगाये हो, पहले उसका आकलन कर लिया। अभी हमारे बहुत ही विद्वान साथी गिरदावली की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से चन्द्राकर जी ने गिरदावली का एक्ट में पढ़ा नहीं, वह विद्वान साथी हैं, 15 अक्टूबर से पहले किसानों की जमीन सीमांकन नहीं की जा सकती। लेकिन अगर धान लगाया है, मेरे क्षेत्र का त्रिशूली गांव है, एक ठाकुर साहब उत्तरप्रदेश से बिलांग करते हैं, एक ठाकुर साहब तालकेश्वरपुर गांव से बिलांग करते हैं। 90 एकड़, 120 एकड़ के किसान हैं और उनकी हर एक साल 120 एकड़ की धान बिकती थी। जब अधिकारी लोग पिछले साल तहकीकात करने गये तो मात्र साढ़े 8 एकड़ में धान लगी थी, बाकी में सन लगा हुआ था। उनके चक्कर में हम छोटे किसानों की धान के साथ खिलवाड़ होगा, उनके ऊपर कलंक लगाया जायेगा। बहादुरगंज के एक किसान जायसवाल जी हैं, उनके पास 122 एकड़ जमीन है। आज भी देखेंगे कि उनकी जमीनों में साल के पेड़ खड़े हैं। उनके पिताजी के जमाने में उन्होंने किया था, सेटलमेन्ट का प्लाट है, लेकिन वह 122 एकड़ में हर साल धान बेचता था, पिछले साल जब बघेल जी ने यह सब नियम लागू

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप देख लो और जब यह पता चला कि मात्र 2 एकड़ में फसल लगी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या सरई, साल बीज के खेतों में धान उगती है ? इस तरह से लगातार यह षडयंत्रपूर्वक काम होता रहा। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह मोदी, अंबानी इन इंडिया कंपनी बनी है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, यह पूरे भारत के किसानों के साथ षड़यंत्र करने का असफल प्रयास है । मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे बहुत से साथी बोल रहे थे कि शांताकुमार समिति की रिपोर्ट आयी है, इसे भाजपा की मोदी सरकार के षड़यंत्र की रिपोर्ट कहा जाए । यदि इसको देखेंगे तो इसमें बहुत साफ-साफ लिखा है कि 6 प्रतिशत समर्थन मूल्य पर किसान अपनी उपज बेचता है, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान अपना धान बेचते हैं, इन्होंने 6 प्रतिशत का आंकलन किया । ये 40 से 60 परसेंट तक हितग्राहियों का, पी.डी.एस. का मार्केट में बिकना बता रहे हैं । यह बात खराब लग रही है कि यहां 98 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवारों को चावल दिया जा रहा है । इनकी रिपोर्ट यह कहती है कि 40 से 60 प्रतिशत लोग सीधे कालाबाजारी कर रहे हैं । इसके पहले इसी सदन में लोग बोलते थे, आदिवासियों का राशनकॉर्ड काट दिया जाता था । जब हम विपक्ष में थे तो इस बात को सदन में उठाते थे तो ये बोलते थे कि आदिवासी दारू पीने के लिये बेच देता है और अब बोल रहे हैं कि 40 से 60 परसेंट लोग ब्लेकमेल करते हैं मतलब इनका कहना यह है कि हम आदिवासी लोग दारू पीने के लिये बेच देते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एफ.सी.आई. की बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा दोगुना स्टॉफ हो गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है । ये कहां करेंगे, ये किसानों का धान नहीं खरीदना चाहते । ये बोल रहे हैं कि 58 प्रतिशत बी.पी.एल. का पी.डी.एफ. खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है । जबकि कौन राशन छोड़ता है ? 2 रूपए किलो में देंगे तो क्या कोई उसे छोड़ता है ? इसे कोई नहीं छोड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये बता रहे हैं कि एफ.सी.आई. की व्यवस्था असफल सिद्ध हो रही है, इस तरह के आरोप लगाकर किसानों को धोखा देना यह मोदी सरकार बंद करे इसलिए आज आज इसकी जरूरत पड़ी कि छत्तीसगढ़ की ढ़ाई करोड़ जनता और हजारों किसानों के लिये श्री भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस सरकार कर रही है, उनकी चिंता करना इनका धर्म बनता है और उनको सुरक्षित रखने की जवाबदारी इनकी बनती है इसलिए आज यह कानून हर हालत में लाना पड़ा क्योंकि 2100 रूपये धान और 300 रूपये बोनस इनकी सरकार 5 साल चिल्लाती रही, बोलते रहे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हुआ लेकिन आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं । इनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया, तुगलकी फरमान, पैसा देने में ये रोक लगायें । यह सरकार किसानों के बारे में फैसला ले रही है, किसानों का पक्ष एक-बार भी सुना नहीं गया । क्या हम किसानों

अशुद्धित/प्रकाशन के लिये नहीं

को अपनी बात भी कहने का हक नहीं था ? हमारे बारे में फैसला लिखने जा रहे हैं, मोदी सरकार नोटबंदी की तरह फैसला लिखने जा रही है लेकिन एक-बार भी भारत के किसी राज्य के किसानों से पूछा भी नहीं गया इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि यह कानून किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए और हर हालत में यह जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक 2020 में प्रावधान किया गया है इसका मैं समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस कानून को पास किया जाना चाहिए । छत्तीसगढ़ के किसानों का हर हालत में ख्याल रखा जाना चाहिए और 2500 रूपये का जो धान दे रहे हैं, यह हम लोगों को मिलता रहे नहीं तो हम लोग कहां जायेंगे ? खेती के अलावा तो कोई गुजारा है नहीं । 2 करोड़ नौकरी देने का आपने बोला था लेकिन आपने दिया ही नहीं । 15 लाख खाते में देने के लिये बोला था लेकिन वह भी दिया ही नहीं तो कम से कम जो 2500 रूपये किसानों को धान मिल रहा है तो कम से कम वह तो देने दो । आप तो 15 साल रहे लेकिन आपने नहीं दिया । यदि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है तो आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत इस संशोधन विधेयक के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ बातें कही है उससे शुरू करूंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बने कानून में हम संशोधन कर सकते हैं । राष्ट्रपति ने अगर किसी कानून पर दस्तखत कर दिये तो क्या राज्य शासन को संशोधन का अधिकार है ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक लाख करोड़ का कृषि बजट हो गया । प्रदेश में किसको मिला, 01 लाख करोड़ के कृषि बजट में खाली 73 हजार करोड़ रूपये किसान सम्मान निधि के रूप में बंटा है और यदि छत्तीसगढ़ के किसान अगर इस किसान सम्मान निधि की राशि से वंचित हैं तो उसके लिये कोई दोषी है तो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार दोषी है क्योंकि जो फार्मेलिटी पूरी करनी चाहिए वह फार्मेलिटी ये पूरी नहीं कर रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धान खरीदी की तारीखों की बात हुई । माननीय भूपेश जी ने बहुत सी बातें कही कि हम सदन के नेता के रूप में धान खरीदी के लिये हम कह सकते हैं । आपको धान खरीदना है, आप आगे खरीदेंगे, पीछे खरीदेंगे, 9 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी । 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी तो आपको 1 नवम्बर से धान खरीदने में आपको क्या परेशानी है, जरा स्पष्ट कर दें । आप 1 दिसम्बर के बजाय, 1 नवम्बर से धान खरीदेंगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा । यदि आप 1 दिसम्बर से धान खरीदेंगे तो किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीएसटी कौन्सिल की बात की कि हमको 3500 करोड़ लेना है ।

श्री भूपेश बघेल :- शिवरतन जी, आपने अच्छा याद दिलाया । इस बात का जवाब मुझे दे देना था । जो धान खरीदी की बात हो रही है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप सब और पूरा देश जान

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

रहा है कि कोरोना के कारण सारी फैक्ट्रियां प्रभावित हुई हैं, जूट मिल भी प्रभावित हुई है । जूट कहां बनता है, यह सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल में । जूट मिल बंद रही, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में जूट कमीश्नर जूट उपलब्ध करवाते हैं । हम लोगों ने जूट कमिश्नर को जो डिमांड भेजी उसके बाद स्थिति यह है कि दिसम्बर तक भी जो हमें बारदाना मिलेगा वह हमारी आवश्यकता का आधा ही मिलेगा । अब जाकर उसकी शुरूआत हुई है, जैसे जैसे उत्पादन शुरू होगा, वैसे वैसे खरीदी होगी । सवाल यह है कि जब बारदाना ही नहीं रहेगा तो हम खरीदेंगे किसमें । दरअसल बात यह है । धान तो हमें 15 क्विंटल ही खरीदना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- किसानों के बारदाने में ले लीजिए ना ।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, वह सब हिसाब किताब कर लिया गया है । आप दो साल पहले मंत्री थे, आपको जानकारी होगी । न केवल किसानों का बारदाना, राईस मिलर के बारदाने का उपयोग करना पड़ेगा, पीडीएस में चावल गया है उस बारदाने का भी उपयोग करेंगे तब जाकर इस साल इसकी पूर्ति हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, यह कोरोना के कारण हुआ है । इसमें किसी का दोष नहीं है । लेकिन जो परिस्थिति है उसे हमें देखना पड़ेगा । जिस बिल की बात आपने कही है कि राष्ट्रपति से अनुमोदित हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये तीन संशोधन बिल जो आए हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं संशोधन बिल की बात नहीं कर रहा हूं । जो पूरा कृषि मंडी अधिनियम बना है, वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बना है । वह तो रविन्द्र चौबे जी कितनी बात बता चुके हैं कि 2006, 2008, 2011, 2017, 2018 में कितनी बार संशोधन कर चुके हैं । हम लोगों ने भी संशोधन कर दिया है । वह बात मैंने कही थी, उसे घुमा फिराकर मत बोलिएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो बात कही थी । वह बात कही थी, अभी केन्द्र सरकार ने जो तीन बिल लाए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, आप दिखवा लेंगे । भले ही आप अभी कुछ कह रहे हैं । आपने जी.एस.टी. कौन्सिल की बात की । आपने माननीय राजा साहब की ओर इशारा किया कि ये हमेशा बैठक में जाते हैं और साढे तीन हजार करोड़ रूपया लेना बाकी है । जी.एस.टी. का माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में विरोध किया था और आज जी.एस.टी. का वे समर्थन कर रहे हैं । राजा साहब जाते हैं, मैं आपके सामने ही राजा साहब से पूछ लेता हूं । कि जब से जी.एस.टी. लागू हुआ है जी.एस.टी. कौन्सिल में जितने निर्णय हुए हैं । सारे निर्णय सर्वसम्मत हुए हैं, सारे निर्णय । इन्होंने कभी विरोध प्रकट कराकर मतदान कराया क्या ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने मुझसे ही पूछा है । यह परम्परा रही है कि सारे निर्णय सर्वसम्मति से हों । जीएसटी के संदर्भ में यह पहली बार आया, जब लोन लेने की बात आई, जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया उस समय यह स्थिति आई कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए, उनके विचार से सहमति रखने वाले लोगों ने कहा कि नहीं, हम राज्य सरकार की ओर से लोन लेना चाहेंगे और अन्य राज्यों ने कहा कि हम नहीं लेना चाहेंगे और जब हमने इस पर वोट कराने की बात कही तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने कहा कि वीडियो कांफ्रेसिंग से जो मीटिंग होती है उसमें वोट नहीं होता । यह जीएसटी कौन्सिल की परम्परा है । हमने वोट भी मांगा और हमने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि वोट के माध्यम से हो, सर्वसम्मति से हो और अंततः केन्द्र सरकार ने उस बात को आंशिक रूप से माना और आधा लोन दिलवा रही है । वह कह रही है कि आधा पैसा हम देंगे और आधा हम नहीं जानते । अंतर क्या है, जिस बात को मुख्यमंत्री जी ने उठाया कि अगर 4 हजार करोड़ का 14 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रोटेक्टिव रेवेन्यू का हो रहा है तो दो माही किस्तों में इसे देने का कानूनी प्रावधान है। जब चाहे तब देने की बात नहीं है। हर दोमाही किस्तों में इस राशि को उपलब्ध कराना राज्यों को यह वैधानिक व्यवस्था है, जिसका उल्लंघन वर्तमान में हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले आप सरकार का हिस्सा हैं या नहीं हैं, इसे स्पष्ट कीजिए, तब आपके बयान को हम अधिकृत मानेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- पहले मैं जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उनके साथ खड़ा हूं और उसके बाद ही तो राज्य में सरकार में विधायक के रूप में आउंगा और अगर बहुमत आये तो राज्यों की सरकार का हिस्सा बन सकता हूं। पहले लोगों के साथ, फिर विधायक के रूप में और फिर सरकार में जगह मिली तो उसमें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी ने जी.एस.टी. काउंसिल में परंपरा की बात की। यह सरकार तो परंपराओं को तोड़ने वाली सरकार है। जी.एस.टी. काउंसिल में जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें व्यवस्था है कि आवश्यकता पड़ने पर मतदान मांगा जा सकता है और मतदान हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी बात सही थी तो आपको मतदान मांगना चाहिए था। अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था। आप परंपरा के मामले में क्यों अटल गये? यहां भी तो आपने परंपराएं तोड़ी हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- शिवरतन जी, हम लोगोंने तो हर चीज मांगी, तब तो यह जाकर अभी हुआ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आय कैसे दोगुनी होगी? 50 रूपये साल बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पास एक चार्ट है। वर्ष 2013-14 में धान का समर्थन मूल्य 1310 रूपये था और वर्ष 2021-22 में धान का समर्थन मूल्य 1868 है। लगभग साढ़े 500 रूपये की वृद्धि इस 5-6 साल में हुई है और उस समय एक पीरिएड ऐसा भी था कि 200 रूपये की वृद्धि एक साथ हुई थी और चना में तो सीधे 3100 से 5100 तक की वृद्धि है। मोदी जी की सरकार जो रेट बढ़ा रही है..।

श्री भूपेश बघेल :- 7 साल को 5 साल मत बोलिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 7 साल हो गया है मोदी जी की सरकार ने 50 रूपये ही प्रतिवर्ष बढ़ाया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 में वर्ष 2021-22 का मैंने कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि हम ऐसे कानून का विरोध करते हैं। सेन्ट्रल के कानून का विरोध करते हैं। आपने इस बात को कहा है न। आप अगर विरोध करते हैं। यह एक पत्र अपर संचालक, कृषि संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) से जारी हुआ है और जारी हुआ है कृषक आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार नियम, 2020 के प्रति किसानों को ट्रेंड करने के लिए। यह पत्र की कॉपी है। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको यह दे सकता हूं और पटल पर रख सकता हूं। इसमें साथ में किसानों को ट्रेंड करने के लिए एक प्रश्नोत्तरी भी बनाई गई है। इसमें 10 प्रश्न है। क्या इस अधिनियम के आने से किसान को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पायेगा। उसमें उत्तर भी दिया है कि करार के अंतर्गत जब किसान स्वेच्छा से मूल्य निर्धारित करेगा, वह न केवल समर्थन मूल्य से अधिक होगा, बल्कि उसने यह भी देखा उसकी आमदनी अन्य किसानों की तुलना में अधिक हो। इसमें एक प्रश्न भी है कि क्या किसान के विरूद्ध करार अनुसार उपज न बेचने पर दण्डात्मक कार्रवाई हो सकती है। यह छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजा है, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। इसके उत्तर में लिखा है यदि किसान करार के अनुसार अपनी फसल खरीदकर व्यवसाय को नहीं देता तो उसके विरूद्ध केवल आदानों की कीमत जो खरीददार व्यवसायी द्वारा प्रदाय किये गये हों अथवा उसके द्वारा कोई एडवांस दिया गया हो, उतनी ही धनराशि के देयता किसान को बिना ब्याज के होगी। यदि किसान ने कोई अग्रिम नहीं लिया है, वह कभी भी करार छोड़ने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। उपज की कीमत के उतार-चढ़ाव से संबंधित कोई भी वसूली किसान से नहीं हो सकेगी। यह छत्तीसगढ़ सरकार का पत्र है। इसमें एक प्रश्न यह भी है कि क्या किसान की भूमि के विरूद्ध कोई वसूली की कार्यवाही हो सकती है? अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसान की भूमि के विरूद्ध किसी प्रकार की वसूली की कार्यवाही नहीं हो सकती। अगर आप ये सब विरोध कर रहे हो तो किसानों को ट्रेंड करने के लिए आपका विभाग पत्र बना रहा है। आपका विभाग प्रश्नोत्तरी बनाकर भेज रहा है। यह दोहरी चीज आप क्यों प्रकट कर रहे हो? कुल मिलाकर मंडी अधिनियम में जो प्रमुख बातें हैं, उसमें एक मंडी संशोधन एक्ट में जो..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय शीघ्र समाप्त करिएगा। समय का ध्यान रखिएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना शुरू की किया हूं। अभी तो मैंने बोला ही कहां है।

उपाध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था 5 से 10 मिनट का है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो अभी एक मिनट बोल पाया हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपको बोलते हुए 11 मिनट हो गए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं एक मिनट बोल पाया हूं । उपाध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका तो उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता से दिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मंडी संशोधन का इस सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वह है कि केन्द्र शासन ने अपने संशोधन के माध्यम से कृषि उपज मंडी समिति के बाहर जो कृषक अपनी उपज को बेचेगा, उस उपज पर मंडी शुल्क नहीं लिया जा सकेगा और इस संशोधन के माध्यम से मंडी शुल्क लेने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यापारी किसी भी किसान के उपज को खरीदता है तो पहले उपज को खरीदते समय वह देखता है कि उसको कितना लाभ होगा और जब उसको मंडी शुल्क देना पड़ेगा और मंडी शुल्क छत्तीसगढ़ में 50 पैसे से लेकर दो प्रतिशत तक है तो जब वह खरीदेगा तो निश्चित रूप से किसान की उपज से उसको जितना मंडी शुल्क देना है, उसको जितना मंडी शुल्क के ऊपर निराश्रित शुल्क देना है, वह सारे शुल्कों को जोड़ेगा और उसको जोड़ने के बाद उतनी राशि कम करके किसान को मूल्य देगा । कुल मिलाकर इस प्रावधान का नुकसान इस मंडी संशोधन अधिनियम से किसान को होना है, सरकार को कुछ मंडी शुल्क मिल सकता है, पर किसान का इस पूरे संशोधन से घाटा होना है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सबसे बड़ी व्यवस्था क्या की है ? आप किसान का भी लेखा चेक कर सकते हैं, क्रेता और विक्रता, दोनों के लेखा चेक करने का अधिकार मंडी समिति के अधिकारियों को दे दिया गया । अधिकारियों को संदेह होता है कि लेखा गलत तैयार किया गया है तो उसको जप्ती का अधिकार दे दिया गया और जप्ती करके वह लेखा कब तक रख सकेगा, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है । कुल मिलाकर इंसपेक्टर राज जो समाप्त हुआ था, वह इंसपेक्टर राज फिर से शुरू होगा और इससे कृषक और व्यापारी दोनों पीड़ित होंगे और हर जगह अभी अनुज्ञा पत्र के माध्यम से इंट्री चल रही है, अब इसके माध्यम से भी एक नई इंट्री शुरू हो जायेगी । यह पूरा कानून किसान के विरोध में है और सजा का भी प्रावधान क्या है ? पहली बार पकड़ा गया तो 5 हजार रूपए फाईन और तीन महीने की सजा। दूसरी बार पकड़ा गया तो 10 हजार रूपए और 6 महीने का सजा का प्रावधान है । इसमें सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि यह कानून 5 जून से प्रभावी होगा । कई बार चर्चा हो गई, 5 जून के बाद अगस्त में 4 दिन का सत्र हो चुका है । इसको 5 जून से लागू करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है ? आप इसको 5 जून से लागू करके क्या करना चाहते हो ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में किसान पीड़ित हैं, 25 सौ रूपये में धान खरीदने की बात करके समर्थन मूल्य का भुगतान हुआ, बाद में उसको राजीव न्याय योजना से जोड़कर दो किश्त दे दिए, दो किश्त देना बाकी है । आपने 25 सौ रूपये धान की कीमत देने की बात की थी, एक मुश्त

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देने की बात की थी, गंगा जल उठाकर सौगंध खाकर कहा था और उसके बाद आपने राजीव न्याय योजना के नाम से नया नाटक शुरू कर दिया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप ही की सरकार ने तो शर्त लगा दी कि 1800 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक दोगे तो हम आपका चांवल नहीं उठाएंगे । तो क्या चाहते थे?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला दुर्ग जिला है । अभी एक महीने के अंदर तीन किसानों ने आत्महत्या की है और तीन किसानों ने आत्महत्या की है, उसमें दो किसान दुर्ग जिले के हैं और दुर्ग जिले के किसान, जिन्होंने आत्महत्या की है और उनका मूल कारण बताया गया, वह कारण क्या था ? खेत में बीमारी लगी, सीमांत किसान थे, रेगहा लेकर खेती करते थे। आत्महत्या के पीछे मूल कारण यह था कि हमने दवाइयों का उपयोग किया, तीन बार स्प्रे किया, उसके बाद किसान के खेती की बीमारी दूर नहीं हुई और उसके चलते किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा । सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब मातोडीह में घटना घटी, माननीय गृहमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में वह गांव आता है । माननीय गृहमंत्री जी उस गांव में गये थे। मैं और नारायण चंदेल जी भी उस गांव में गये थे। माननीय भसीन जी भी हमारे साथ थे। गांव वालों का कहना था कि पूरे क्षेत्र में नकली दवाई बिक रही है, जिससे किसानों के खेतों में कोई असर नहीं हो रहा है। दवाईयों में जो एम.आर.पी. लिखी है, अगर एक हजार एम.आर.पी. लिखी है, तो दवाई डीलर किसान को दो सौ, तीन सौ रूपये में दे रहा है यह किसानों का कहना था। माननीय कृषि मंत्री जी का क्या वक्तव्य आया कि भा.ज.पा. के राज में डुप्लीकेट दवाई बेचने वाले ऐसे माफिया पैदा हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये हो गया। मोहन मरकाम जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब तो सरकार को 22 महीने हो गए हैं। आप 22 महीने में भी भा.ज.पा. को रो रहे हो। अभी भी भा.ज.पा. को दोष दे रहे हो। तो क्या माननीय कृषि मंत्री जी का अपने विभाग में कोई पकड़ नहीं है ? क्या कृषि मंत्री जी का कोई सुनता नहीं है ? जो 22 महीने बाद भी बी.जे.पी. को रो रहे हैं। आपको अपनी असफलता स्वीकार करनी थी कि पूरे छत्तीसगढ़ में नकली बीज और नकली दवाई बिक रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में में एक कामदा गांव है, जो सिमगा से लगा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय समय हो गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बस दो मिनट। मेरे क्षेत्र में सिमगा से लगा हुआ कामदा गांव है। किसान ने बीज निगम से बीज खरीदा। सरना धान का बीज है। मैं खुद उस खेत को देखने गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, 32 हैक्टेयर में धान का बीज डाला गया था। 25 प्रतिशत धान पक गया है, कटने की स्थिति में है और 75 प्रतिशत धान की स्थिति यह है कि अभी धान निकलकर तैयार हुआ है। बीज निगम से बीज खरीदा गया है, उसकी यह स्थिति है। जब किसान ने शिकायत की और शिकायत करके

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

यह कहा था कि मुझे ऐसा-ऐसा बीज मिला है। तब कृषि अनुसंधान के अधिकारी वहां गये, जिले के कृषि विभाग के अधिकारी वहां गये। उन्होंने किसान को पत्र लिखकर दिया कि यह बीज डुप्लीकेट है। बीज की खराबी के चलते किसान की यह स्थिति निर्मित हो रही है। आपके पास किसान को देने के लिए अच्छे बीज नहीं है। आपके क्षेत्र में नकली दवाईयां बिक रही है। आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और आप किसान के हित की बात कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार एक विषय आया कि आपकी सरकार। अभी केन्द्र में हमारी सरकार को तो 6 साल हुए हैं। 6 साल माननीय अटल जी रहे। हमारी सरकार तो कुल 12 साल रही है। 50 साल तो आपकी सरकार रही है। आपकी सरकार ने 50 साल में एम.एस.पी. की व्यवस्था की तो एम.एस.पी. में धान की खरीदी क्यों शुरू नहीं हुई ? आज किसान को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है ? आज मण्डियों में 12 सौ, 13सौ, 14सौ रूपये में धान बिक रहा है। किसान का शोषण हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मरकाम जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर कृषि संशोधन के माध्यम से किसान अपनी उपज को अपने क्षेत्र में, मण्डी में, मण्डी से बाहर, प्रदेश से बाहर बेचने की स्वतन्त्रता दी गई है तो इसमें किसान का क्या नुकसान हो गया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आपको धन्यवाद। समय के लिए व्यवस्था दी गई है। उससे 15 मिनट ज्यादा बोल चुके हैं।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी ने नेता प्रतिपक्ष जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, उसके विरोध में हम सिर्फ श्री मोहन मरकाम जी के भाषण का बहिष्कार करते हैं। उसके बाद फिर हम सदन में आयेंगे।

समय :
4:59 बजे

बहिर्गमन

माननीय नेता प्रतिपक्ष पर की गई टिप्पणी के विरोध में

(श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा श्री मोहन मरकाम द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक के ऊपर की गई टिप्पणी के विरोध में बहिगर्मन किया गया)

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
4:59 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था- ' जय जवान, जय किसान' इस नारा का उदेद्श्य सेना के जवानों और देश किसानों का मनोबल ऊंचा किया जाये, था। किन्तु आज केन्द्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी जी के शासनकाल में भारत की सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों के प्रति लाये गये तुगलकी आदेश से किसानों का मनोबल नीचे गिर रहा है। मोदी सरकार ने देश के किसान और खेत, खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड़यंत्र किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान सेवक ने चाय बेचते-बचते देश बेचने की तैयार की है। बी.एस.एन.एल. बेचा, रेल्वे, भारत पेट्रोलियम को बेचने की तैयारी है। नवरत्न कम्पनियों को आज केन्द्र में बैठी मोदी जी की सरकार लगातार बेचने की तैयारी कर रही है। आज किसानों के ऊपर भी उनकी गिद्धदृष्टि बनी हुई है। आर.एस.एस. और बी.जे.पी. स्वदेशी का नारा देने वाले उदारीकरण का विरोध करने वाले आज वॉलमार्ट, अडाणी, अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार केंद्र में जो तीन काले कानून लाये हैं वह कहीं न कहीं उनको सीधा लाभ पहुंचाने के लिए है। केंद्रीय भाजपा सरकार तीन काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को खत्म करने की साजिश कर रही है। देश के अन्नदाता व भाग्यविधाता किसान, खेत मजदूर को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। आज देशभर में 62 करोड़ किसान, मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व उनकी सरकार किसानों के दुख-दर्द को दरकिनार कर देश को बरगला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया गया और सड़कों पर किसानों, मजदूरों पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संघीय ढांचे का उल्लंघन कर, संविधान को रौंदकर, संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर तथा बहुमत के आधार पर बाहुबली मोदी सरकार ने संसद के अंदर तीन काले कानूनों को जबरन तथा बगैर किसी चर्चा व रायमशविरे के पारित कर लिया। यहां तक कि राज्यसभा में हर संसदीय प्रणाली व प्रजातंत्र को तार-तार करके काले कानून को पारित किया गया। देश के किसान, खेत मजदूर, मंडी के अढाती, मंडी-मजदूर, मुनीम, कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर व लाखों-करोड़ों लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अनाज, सब्जी मंडी व्यवस्था खत्म होने के साथ-साथ प्रांतों की आय भी खत्म होगी। प्रांत मार्केट, फीस व ग्रामीण विकास फंड के माध्यम से ग्रामीण अंचलों का ढांचागत विकास करते हैं व खेती को प्रोत्साहन देते हैं। मंडी व्यवस्था खत्म होते ही आय का स्रोत अपने आप खत्म होगा। पूरे देश में कृषि उपज मंडी व्यवस्था ही खत्म हो गई तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसान, खेत मजदूर को होगा और सबसे बड़ा फायदा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुट्ठीभर पूंजीपतियों को होगा। मोदी सरकार का दावा है कि अब किसान अपनी फसल को देशभर में कहीं भी बेच सकता है यह पूरी तरह से सफेद असत्य है। आज भी किसान अपनी फसल किसी भी प्रांत में ले जाकर बेच सकता है परंतु वास्तविक सत्य क्या है? कृषि सेंसेक्स वर्ष 2015-16 के मुताबिक देश का 86 प्रतिशत किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है, मतलब लघु सीमांत कृषक है। जमीन की औसत मिल्कियत 2 एकड़ या उससे कम है ऐसे में 86 प्रतिशत किसान अपनी उपज नजदीक के अनाज मंडी, सब्जियों के अलावा कहीं ओर ले जा सकता है या बेच सकता है? मंडी प्रणाली नष्ट होते ही सीधा प्रहार स्वाभाविक तौर पर किसान पर होगा। मंडियां खत्म होते ही अनाज, सब्जी मंडी में काम करने वाले लाखों-करोड़ों मजदूरों, अढातियों, मुनीम, ढुलाईदारों, ट्रांसपोर्टरों, सेलर आदि के रोटी और आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। किसानों को खेत के नजदीक अनाज मंडी, सब्जी मंडी में उचित दाम किसानों के सामूहिक संगठन तथा मंडी के खरीददारों के आपस में प्रतिस्पर्धा के आधार पर मिलता है। मंडी के पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) किसानों की फसल के दर निर्धारण का बेंचमार्क है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही एक उपाय है जिसमें किसानों की उपज सामूहिक तौर से प्राईज डिसकवरी यानी की मूल्य निर्धारण हो पाता है। अनाज सब्जी मंडी व्यवस्था में किसान की फसल की सही कीमत पर वजन, बिक्री की गारंटी है। किसान की फसल को मंडियों में सामूहिक खरीदी के बजाय कंपनियां उसके खेत से खरीदेंगी तो फिर मूल्य निर्धारण, एम.एस.पी., वजन व कीमत के सामूहिक मोलभाव की शक्ति खत्म हो जायेगी। क्या फूट कार्पोरेशन आफ इंडिया साढ़े 15 करोड़ किसानों के खेतों में एम.एस.पी. पर फसल खरीदी कर सकती है, अगर मुट्ठीभर पूंजीपतियों के किसानों के खेत में खरीदी पर फसल का एम.एस.पी. नहीं दिया गया, क्या मोदी सरकार, अध्यक्ष जी पांच मिनट आपका संरक्षण चाहता हूं। पांच मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । क्या मोदी सरकार एम.एस.पी की गारंटी देगी ? किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर कैसे मिलेगा। स्वाभाविक तौर पर इसका नुकसान किसानों को होगा। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि नये कृषि कानून की आड़ में मोदी सरकार असल में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहती है ताकि एफ.सी.आई. के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी न करनी पड़े और सालाना लगभग 80 हजार से 1 लाख करोड़ रूपये की बचत हो, इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव खेत खलिहान पर पड़ेगा। नये कृषि कानून के माध्यम से किसानों को ठेका प्रथा में फंसाकर उसे अपनी जमीन मजबूर बना देगा। क्या 5 एकड़ के भूमि मालिक गरीब किसान बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ फसल की खरीद फरोख्त कान्ट्रैक्ट बनाने समझने में साईन करने में सक्षम है। साफ तौर पर जवाब नहीं है। कान्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश की सबसे बड़ी खामी यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी की एम.एस.पी. देना अनिवार्य नहीं है। जब मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो किसान केवल कान्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर हो जायेगा और बड़ी किसानों से खेती नहीं हो पायेगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार कुछ नहीं कर पाई। जबकि लगभग 72 हजार करोड़ रूपया तात्कालीन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

केन्द्र की माननीय मनमोहन जी की सरकार किसानों का कर्ज माफ किया। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगभग 11 हजार करोड़ कर्ज माफ किया। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ की अन्नदाताओं छत्तीसगढ़ की किसानों के साथ खड़ी है। इस मंडी अधिनियम लाने से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के किसानों को फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद। देवव्रत सिंह जी।

श्री मोहन मरकाम :- रही बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की बात है, इस देश में 130 करोड़ उपभोक्ता हैं, कहीं न कहीं इस कानून के बनने से हर व्यक्ति प्रभावित होगा, प्याज 10 रूपये से लेकर 150 रूपये पहुंचा है। कहीं न कहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में संशोधन करके उद्योगपति चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कहीं न कहीं हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के अन्न्दाताओं किसानों के साथ है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी सरकार के मुखिया माननीय कृषि मंत्री जी को इस संशोधन विधेयक लाकर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का आपने ख्याल रखा है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- देवव्रत जी, 10 मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय रविन्द्र चौबे जी ने जो कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक जो लाया है, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि शायद खुद एक स्वयं किसान के रूप में किसानी और खेती को बड़ी करीबी से उन्होंने देखा है और समझा है। इसीलिए ये जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून आये, जो तीन कानून बनाये गये, मुझे लगता है कि जो कानून की परिभाषा थी, उसको पूरे देश का किसान आज तक नहीं समझ पाया है। क्या ऐसा कारण है कि केरल में बैठा हुआ नारियल की खेती करने वाला व्यक्ति से लेकर जो राजस्थान में खजूर की खेती करते हैं, वहां से लेकर असम से लेकर जो मिर्ची की खेती करते हैं, हमारे उड़ीसा में जो कुंदरू की खेती करते हैं, जो हमारे पंजाब और हरियाणा में किसानों में बहुत ही उत्तेजना है। ऐसा क्या कारण बना कि तीनों कानूनों को लेकर पूरे देश में एक व्यापक चर्चा, बहस हुई और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मुझे आज का आमंत्रण था, आज दिल्ली के गुरूद्वारा रकाब गंज में एक बड़ी बैठक रखी गयी है। जहां लगभग 1300 कृषि जो संस्थाएं हैं, जो खेती के जो देश में संस्थाएं हैं जो कृषि के बारे में पहल करती है, बातचीत करती है, हम उनको संघ कह सकते हैं, किसान आंदोलन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे 1300 प्रतिनिधि इकट्ठा हो रहे हैं, आप समझिये की पूरे देश में किसानों में एक भय का वातावरण है। यदि कानून स्पष्ट है, कानून अगर सही तरीके से परिभाषित है तो हमारा देश का किसान समझ क्यों नहीं पा रहा है। क्या आपको लगता है कि मौसम को तय करके फसल लगाता है, मेहनत करता है, उसे ये समझ में नहीं आ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहा होगा कि केन्द्र की सरकार करना क्या चाहती है ? आखिर ये विसंगति क्यों है। हम सदियों से इस बात की बात करते आ रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदियों से इस बात की बात करते आ रहे हैं कि एक किसान अपनी फसल को इतनी मेहनत से पैदा करके जब बेचने जाता है तो उसको उसका मूल्य नहीं मिलता और मूल्य मिले करके ही, पूरे देश में कृषि उपज मण्डी ए.पी.एम.सी. एक्ट बनाया गया। मैं समझता हूँ कि यह वह कानून था जिस ए.पी.एम.सी. एक्ट, कानून ने एक किसान को इतनी मजबूती से खड़ा किया कि उसके कारण ही कहीं न कहीं आने वाली सरकारों ने तय किया कि एक एम.एस.पी. होना चाहिए। मिनिमम् स्पोर्ट प्राईज होना चाहिए और उससे नीचे खरीदी नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कृषि मंत्री जी नहीं है मैं आपको बताना चाहूंगा कि केन्द्र ने ये जो कानून लाये हैं इस कानून को लाने से 4 साल पहले इसे आंशिक रूप से मध्यप्रदेश में लागू किया गया था और मैं आपको बता दूं कि मध्यप्रदेश के 6 जिलों जिसमें की छिंदवाड़ा, अशोक नगर, मुरैना में ऑईल सिड्स यानी की सोयाबीन और इन चीजों की खरीदी के लिए वहां पर उन लोगों ने मण्डियां समाप्त कर दी। ताकि आई.टी.सी. जैसी बड़ी कंपनियां आयें और वहां पर खरीदी करे। आपको बता दूं कि जैसे गुजरात में गुजरात की सरकार है वहां भी उन्होंने 6 जिलों में जहां मूंगफली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है वहां पर उन्होंने मण्डियां समाप्त कर दी और अडानी विल्मर करके एक कंपनी है जिसको पूरा खरीदने का अधिकार दे दिया। इसी प्रकार से छिंदवाड़ा में पूरा सोयाबीन खरीदने का अधिकार दे दिया और आपको बता दूं मध्य प्रदेश के 6 जिले जिसमें की होंशगाबाद, हरदा, नरसिंगपुर, रायसेन, सिहोर, गंजपसोदा में गेहूं की पूरी खरीदी को समाप्त करने के लिए कृषि उपज मण्डियां समाप्त कर दी गई और उसमें सनफिस्ट इण्डिया लिमिटेड, प्रियागोल्ड, ब्रिटेनिया, आई.टी.सी. सबको खरीदने का अधिकार दिया कि आप लोग जाकर गेहूं खरीदीये। 3 वर्षों के अंदर शिवराज सिंह जी की सरकार ने वहां पर बड़े-बड़े गोडाऊन प्राईवेट कंपनियों कह दिया कि आप गोडाऊन स्थापित करिये, आप किसानों से सीधे गेहूं खरीदीये। 3 साल के अंदर में कभी भी साढ़े 12 सौ-13 सौ रूपये से रेट ऊपर नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि जब किसान आंदोलन किये तो समर्थन मूल्य 1650 का था वह 250 रूपये की भावांतर योजना लागू करके किसानों को उनको पैसा देना पड़ा तो अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ ? कॉर्पोरेट घराने और बड़े-बड़े व्यापारियों को हुआ और कमलनाथ जी की सरकार ने मण्डी एक्ट को वापस लाया। आज की स्थिति मुझे नहीं मालूम है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठे हैं मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन आप मण्डी को समाप्त करेंगे, जो कॉर्पोरेट घराना है वह अपने एजेण्ट्स के माध्यम से खरीदी चालू कर देगा। 3-4 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ की यह घटना बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में हैदराबाद की एक कंपनी आयी उसने कहा कि हम ब्लैक राईस को उत्पादन करायेंगे। काला चावल। हम जैसे बहुत सारे किसानों ने वहां ब्लैक राईस लगाया। जब ब्लैक राईस बेचने गये तो तो यह बोले कि एक साल बाद पेमेण्ट मिलेगा। बाद में यह पता लगा कि कंपनी ही

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भाग गई। उस समय यह स्थिति थी कि ब्लैक राईस को कृषि उपज मण्डी के बाहर खरीदी की जा रही थी सोसायटी में तो खरीदी नहीं होती तो उसकी बाहर खरीदी नहीं हुई। वैसे ही एक घटना और है माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ सरकार में पता नहीं किसी ने पहल की थी कि तो बिना मण्डियों को किनारे करके चरोटा बीज की खेती प्रारंभ हो गई। बहुत सारे किसानों को बताया गया कि खाली जमीन पडी है पडती जमीन है आप चरोटा बोओ और चरोटा बीज की खरीदी होगी। 3-4 सालों ने किसानों ने चरोटा का महंगा बीज खरीदा और बो दिया, मण्डी में कोई खरीदने का प्रावधान नहीं था। बाद में यह पता लगा कि चरोटा के बीज वैसे ही पड़ा रह गया, कंपनी भाग गई उसको जो भी लिमिट-विमिट बनाना था, वह भाग गई और जो किसानों ने चरोटा बीज लगाया था आज उसकी निंदाई करते-करते उनकी हालत खराब है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम में जो डीम्ड मण्डी बनायी है वह निश्चित रूप से सार्थक कदम है कहीं न कहीं भारत सरकार यह चाहती है कि कार्पोरेट घरानों को एक जगह खरीदने का मौका मिले, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। यदि कॉर्पोरेट घराने आकर रेट लेंगे, लेकिन वह डीम्ड मण्डी सरकारी नियंत्रण में, सहकारी मण्डियों के नियंत्रण में होना चाहिए। यहां पर छत्तीसगढ़ में सोयाबीन, धान खरीदने के लिए आई.आई.टी.सी. आ जाये, डाबर जैसी कंपनी आ जाये, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि कृषि उपज मण्डी में उनका आवेदन होना चाहिए कि हम धान खरीदी करेंगे, यह रेट है यह रेट देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि एक राष्ट्र एक बाजार यह तो संभव ही नहीं है। माननीय रविन्द्र चौबे जी के क्षेत्र से टमाटर पूरे देश भर में जाता है बिहार आसाम तक के हमारे यहां का टमाटर जाता है हमारे यहां का जो पपीता है वह दिल्ली की मण्डी में छत्तीसगढ़ के पपीते, केले का रेट निर्धारित होता है तो जब तक मण्डियों में रेट नहीं होंगे किसानों को कभी लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक और बात कहना चाहूंगा कि ..।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूँ सभा सहमत है ? आप भी 5 मिनट में समाप्त करें।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)</u>

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धारा-4 का जो संशोधन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। निश्चित रूप से वेल्यू एडीशन कृषि के क्षेत्र में आया है कि डीम्ड मंडी होगा। अगर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मंडियों में वेल्यू एडीशन की चीजों की खरीदी बिक्री होगी, silage एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज भी हमारे राज्य में यदि हमको पशुधन को, डेयरी को बढ़ावा देना है तो बिना silage के ये हो ही नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कृषि उपज मंडियों को और अधिकार संपन्न करना चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकार हैं, निश्चित रूप से अधिकारी, कर्मचारी बहुत सजग हैं, पहले जैसे इंस्पेक्टर राज नहीं होता, उस पर नियंत्रण होगा। लेकिन बिना कृषि उपज मंडी को मजबूत किये हुए किसान आज के समय में मजबूत नहीं हो सकता। अन्यथा कॉर्पोरेट घराने बैठे हुए हैं, वह किसानों को कब खरीद लेंगे और किसानों को भी कोआपरेटिव बना देंगे। अभी तो केन्द्र सरकार की पहल है। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं इसमें एक बहुत बड़ी संशय की स्थिति है कि क्या कारण बना कि आप कृषि उपज मंडी को तो समाप्त किये, लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम को क्यों समाप्त किया गया ? यह इसलिए किया गया कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, जब यह बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद की खरीदी करेंगे और जब अपने गोदाम में रखेंगे तो राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं रहेगा कि गोदाम को जाकर चेक करे और किसान कितना भी चिल्लाता रहे कि हमको रेट नहीं मिला, हमारा पेमेन्ट नहीं हुआ, वह सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम किसान के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हमारे किसान की फसल को कोई गोदाम में रखता है तो हमारे पास अधिकार रहना चाहिए कि हम अपनी बात सरकार से कह सकें कि मेरे प्याज, आलू, सोयाबीन का पेमेन्ट नहीं हुआ है, पेमेन्ट आधा मिला है। यह लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए इसमें आपने आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम को शामिल किया। निश्चित रूप से तीनों कानून केन्द्र ने बनाये हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाये तो किसान उसमें बहुत कमजोर हो रहा था, किसान हताश हो जाता और पूरे देश में जो वातावरण बना है, वह ऐसे ही नहीं बना है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक मजबूत पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और छत्तीसगढ़ का किसान कम से कम संरक्षित, सुरक्षित, संवर्धित रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय नेता जी, बृजमोहन जी, अजय चन्द्राकर जी, यह प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नाम से समाचार पत्रों में विज्ञापन आया है। भारत सरकार का चिन्ह भी है, इसके बाजू में उनकी फोटो भी है। किस प्रकार से क्या कहा जाता है और क्या किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर है, इसमें ऊपर लिखा है कि किसानों झूठ से सावधान, कृषि विधेयक ने किया है तरक्की का प्रावधान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में लिखा है कि करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी लेकिन किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर करार से निकलने को स्वतंत्र होगा, वह भी बिना किसी पेनाल्टी के। यह भारत सरकार की तरफ से है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को उठाकर पढ़िये। उसमें धारा-11 में लिखा है कि यदि किसी को करार से अलग होना है, with mutual concern and

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

resonable causes, पर्याप्त कारण और आपसी सहमति से। आपका यह विज्ञापन इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नाम से भ्रमित करने वाला है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यह मेरा कहना है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) लाया गया है, उस पर मैं बोलना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उसको 10 मिनट में सीमित करिये।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हम यहां पर प्रमुख वक्ताओं को सुने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और अनेक नेतागण यहां पर बोले हैं और सभी लोगों ने किसान की चिंता व्यक्त की।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज एक और हाथी मरा है, पहले आप उसको श्रद्धांजलि देकर बात शुरू करो। लगातार जो हाथी मर रहे हैं, उसमें पहले श्रद्धांजलि दो।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मैं पहले भी बोला हूं कि हाथी जिंदा रखने की जवाबदारी आपकी है, हाथी जिंदा नहीं रहेगा तो आपकी क्या हालत होगी। आपकी हालत हाथी से भी बदतर हो जायेगी और आज भी पुन: बोल रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अकबर साहब, हाथी के पीछे लग गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आज श्रद्धांजलि दिवस भी है, हाथी मरा है उसको श्रद्धांजलि देकर क्यों शुरू नहीं कर सकते ? निरंतर हाथी मर रहे हैं, कुछ तो सद्भावना दिखाओ ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि सभी ने किसानों की चिंता व्यक्त की है और किसान के ऊपर पूरा देश निर्भर है लेकिन कहने और करने में अंतर है । माननीय चंद्राकर जी बोल रहे हैं, आज 20 क्विंटल खरीदने की बात कर रहे हैं, क्या इनको नैतिक अधिकार है 20 क्विंटल खरीदने की बात ये सदन में करें या सदन के बाहर करें ? 15 सालों तक आपकी सरकार थी तब आपने किसानों की चिंता क्यों नहीं की ? आपने 20 क्विंटल क्यों नहीं खरीदा ? आपको किसने मना किया था ? आपको बोनस देने के लिये किसने मना किया था ? किसी ने मना नहीं किया था लेकिन यह कुर्सी और पद जो है, यह आदमी के विचारों को बदल देता है । उधर से इधर आने में भाषा बदल जाती है और इधर से उधर जाने में भाषा बदल जाती है । माननीय मुख्यमंत्री जी इधर विपक्ष के रूप में थे तो बोलते थे कि बोनस केवल पंजीयन किये हैं उनको, बाकी किसान भी तो धान बेच रहे हैं उनको बोनस क्यों नहीं मिलना चाहिए ? जिनका पंजीयन नहीं हुआ है उनको क्यों बोनस नहीं मिलना चाहिए ? आप एक-एक दाना खरीदो, एक-एक दाना आपको खरीदना होगा लेकिन आज वहां जाने के बाद कोई आज 15 क्विंटल धान नहीं खरीद रहे हैं । वे आंकड़ा बताते थे कि 30 क्विंटल तक उत्पादन लेते हैं, 35 क्विंटल तक उत्पादन लेते हैं । आज उत्पादन नहीं है तो कथनी और करनी में दोनों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दल का चाहे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, दोनों की कथनी और करनी में अंतर है । किसानों के हित की बात इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रदेश में बिना किसानों के समर्थन के बिना ये सत्ता पर नहीं आ सकते इसलिए कर रहे हैं । यह अच्छी बात है । सेंट्रल ने अगर कोई नीति बनायी होगी तो पूरे देश की हालत को देखकर बनायी होगी । आज प्रदेश में जो नीति बना रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- भाई चंद्रा जी, श्री बृजमोहन जी हा कहत रहिस हावए । श्री बृजमोहन भैया, पहिली कहत रहए न, न ऐती के न ओती के ता वो न एती गोठियात हे, न ओती गोठियात हे ता काए ए हा ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप बता दीजिए न कि सही बोल रहे हैं । ऐती गोठियात हन न ओती, बोलत हन सही ला, यह बोल दीजिए न उसमें क्या है । धन्यवाद कि भई माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हितों की चिंता की है । निश्चित रूप से अगर सरकार किसानों की गारंटी न ले, हमको सपोर्ट प्राईज न मिले, मण्डी न हो तो निश्चित रूप से किसानों का बहुत बड़ा शोषण छत्तीसगढ़ में होगा और उन्होंने चिंता की है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय में बांध दिया है । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन कुछ चीजों के ऊपर जो आज किसान संकट में हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय बड़ी दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं कि हम 2500 रूपये देंगे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसान का विश्वास खत्म हो रहा है । जब आपने चुनाव जीता था, 2500 रूपये बोले थे न तो बोलते थे कि भूपेश बघेल की जुबान है लेकिन अब थोड़ी शंका हो रही है कि कब देंगे ? आपने दो किस्त दी, तीसरी किस्त 01 नवंबर का बोल रहे हैं, चौथी किस्त के लिये आपने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में दे देंगे तो इस वित्तीय वर्ष में धान खरीदेंगे उसका बोनस आप कब देंगे ? उसका पैसा किसान को कब मिलेगा ? जिस विश्वास के साथ, किसानों से जो वायदा करके आप सत्ता में आये हैं, ये दो साल का बोनस नहीं दिये, उनको मैं दूंगा करके ।

श्री अजय चंद्राकर :- कृषि मंत्री जी पंडित हैं, वे विचारेंगे, तिथि निकालेंगे उस दिन मिलेगा । आप समझे हाथी छाप ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आपने 2 साल जो किसानों को धोखा दिया था उनको भी मैं पूरा करूंगा करके लेकिन उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो किसानों का विश्वास थोड़ा सा उठ रहा है, थोड़ा सा उठ रहा है । यदि आप दे देंगे तो फिर विश्वास आ जाएगा तो मेरा निवेदन है कि आप जो दे रहे हैं उसको एकमुश्त दीजिए। आप 1 हजार करोड़ कर्ज लेने वाले हैं, किसानों के लिये 2 हजार करोड़ ले लीजिए न। आपको कौन किसान कर्जा लेने के लिये मना कर रहा है, किसान को दे दीजिए लेकिन एकमुश्त दे दीजिए । कोई किसान तो आपका विरोध नहीं कर रहा है और इधर हम लोग विरोध कर भी देंगे तो हम कितने लोग हैं । उसमें आपका कुछ बिगड़ना भी नहीं है । आप कर्जा ज्यादा ले लीजिए लेकिन किसानों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को दीजिए । माननीय मंत्री महोदय, पिछले साल की स्थिति अलग थी । अंतिम समय तक पानी गिरा था लेकिन इस साल स्थिति अलग है, अब धान कटना शुरू हो गया है । अक्टूबर का महीना चल रहा है, आप कह रहे हैं कि 1 दिसम्बर से धान खरीदेंगे । ऐसा करने से उस कटे हुए धान को एक महीने से ज्यादा समय तक किसानों को अपने घर में रखना पड़ेगा । फिर टोकन सिस्टम चलेगा तो हो सकता है उसको एक महीने बाद को टोकन मिले इस तरह उसे उस धान को 2 महीने भी रखना पड़ सकता है । इसलिए मेरा निवेदन है यदि आप किसानों के शुभचिंतक हैं तो 1 नवम्बर से धान खरीदी शुरू करवाइए । यदि एक नवम्बर संभव नहीं है तो 15 नवम्बर से धान खरीदी शुरू करवाइए ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, अभी पंजीयन का काम चल रहा है । यह काम केवल 5 दिन और चलेगा । हमारे राजस्व मंत्री नहीं हैं । इस साल नया नियम आ गया है कि भुइयां पोर्टल में जिसका रिकार्ड ऑनलाईन रहेगा उसी का पंजीयन होगा । सरकार बोल रही है पिछले साल आप पंजीयन कराए हो तो वह पंजीयन नहीं बदलेगा । आपको देखना नहीं पड़ेगा लेकिन यदि भुइयां पोर्टल में उस किसान का रिकार्ड ऑनलाईन दर्ज नहीं है तो पंजीयन भी कट रहा है । सबसे ज्यादा समस्या आ रही है तो आपके और हमारे जांजगीर-चांपा जिले में आ रही है । इन पांच दिनों में यदि भुइयां पोर्टल में दर्ज नहीं करेंगे तो 30 प्रतिशत किसान या 30 प्रतिशत जमीन के किसान धान नहीं बेच पाएंगे, यह हालत जांजगीर-चांपा की है । अगर जांजगीर-चांपा जिले की यह हालत है तो मैं सोचता हूं कि बस्तर और सरगुजा की स्थिति और भी बुरी होगी । मेरा निवेदन है कि पिछले साल ऋण पुस्तिका के आधार पर पंजीयन हुआ था, ऑप्शन था । इस साल कम्प्यूटर पर कोई ऑप्शन नहीं है । भुइयां पोर्टल पर जिसका रिकार्ड है उसी का नाम दर्ज होगा, उसी का पंजीयन होगा, अन्यथा कट जाएगा । मेरा निवेदन है कि इन पांच दिनों सबका ऑनलाईन करा दीजिए और विगत 4-5 सालों में ऑनलाईन नहीं करा पाए तो 5 दिनों में तो संभव नहीं है । कम से कम ऋण पुस्तिका के आधार पर उनका धान खरीदने की व्यवस्था करें ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं वह बहुत सीरियस है । मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे जिले की बात है । पूरे प्रदेश में ऐसी परेशानी है, उसको थोड़ा संशोधित करा लीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की बात होती तो आप बहुत गंभीरता से लेते हैं लेकिन चूंकि वह जांजगीर-चांपा का मामला है इसलिए आप सीधे निर्देश भी दे रहे हैं । माननीय अध्यक्ष जी, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है । जो पंजीयन की तिथी है उसको जैसा कि आपने कहा है हम उसे 10 दिन और बढ़ाएंगे । अपने किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ना आपका काम, बैठिये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, दो किश्त में जो बोनस मिला है । जिन्होंने समिति के माध्यम से धान बेचा है उन्हें तो मिला है । लेकिन जो बीज उत्पादक किसान हैं, जिन्होंने बीज निगम में धान दिया है उन्हें आपने बोनस नहीं दिया है । वही रीढ़ की हड्डी है । बीज निगम को देते हैं और उन्हें देरी से पैसा मिलता है और उन्हें बोनस भी नहीं मिला है । मेरा निवेदन हे कि उनको बोनस दिलाएं । यही हालत फसल बीमा की है । इस साल तो किसान ने अपनी मर्जी से बीमा कराया है । ऋणी किसान के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है लेकिन पिछले साल तक ऋणी किसान के लिए अनिवार्य था और समिति से या स्टेट बैंक से या किसी भी बैंक से यदि हमने ऋण लिया है तो वहां हमारी जमीन के आधार पर हमारा प्रीमियम जमा कर लिया गया लेकिन वह गांव क्राइटेरिया में आया है उसके बावजूद भी अगर डेढ़ सौ किसान हैं तो केवल 10 या 15 किसानों को मिला है बाकी 120 किसान भटक रहे हैं । मंत्री जी, आज ही मैंने आपको आवेदन दिया है । आपको भी तब आवेदन दिया है जब मैं जिले में कलेक्टर महोदय, डीडीए को आवेदन देकर थक गया । जांच के नाम बार कभी इस बैंक जा रहे हैं, कभी किसी किसान से पूछ रहे हैं लेकिन आज भी उनको फसल बीमा नहीं मिला है । यह स्थिति वहां है तो निश्चित रूप से बाकी प्रदेश में भी होगी । मेरा निवेदन है कि फसल बीमा की राशि भी उनको दिलाई जाए ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र के समय बहुत तेज बारिश हुई थी। 27 तारीख की रात को बहुत तेज बारिश हुई, अनेक नदी नालों में बाढ़ आई । किसानों का घर टूट गया, कई गांव घिर गए । 28 तारीख को मैंने आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि जिनकी फसल नष्ट हुई है, जिनके मकान नष्ट हो गए उन्हें 6(4) के तहत मुआवजा दिया जाए । लेकिन आज तक सर्वे नही हुआ । जो घर टूटे हैं उनका थोड़ा बहुत सर्वे कर दिया गया है लेकिन फसल क्षति का कहीं भी आकलन नहीं किया गया है । मैंने माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया। सेक्रेटरी के माध्यम से उन्होंने कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा मेरे जिले में, लेकिन आज भी फसल की स्थिति का आकलन नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल नष्ट होने के बाद जमीन पूरी बंजर हो गयी और किसान इतने मेहनती हैं कि उसमें दोबारा नई पद्धति से धान बोये हैं, लेकिन उसमें बाली नहीं आयेगा। ठंड बढ़ रहा है और बाली नहीं आयेगी, लेकिन किसान मेहनत कर रहे हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कृपया इस पर ध्यान देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। धनेन्द्र साहू जी। आप सब पूरे परिवार की तरफ से बोलिए।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ है,

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसका समर्थन करते हुए माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज जिस तरह से केन्द्र की सरकार ने जो काला कानून लाकर पूरे हिन्दुस्तान के किसानों को जिस तरह से भय और आतंक से आज जो ग्रसित किया है, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने यह जो मंडी में संशोधन का विधेयक लाया है, इससे आज हमारी मंडी व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो हमारे किसान के उपज बेचने की जो व्यवस्था है, वह सुदृढ़ होगी और इनमें उन सभी चीजों का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे मंडी में किसानों के हितों का संवर्धन हो सके। ये जो तीन विधेयक आये हैं, इसके बारे में आदरणीय देवव्रत जी बोल रहे थे कि लगभग डेढ़ हजार से भी अधिक कृषक संगठनों की आज दिल्ली में बैठक हो रही है और उस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान के किसान आज क्यों उद्वेलित हैं? यदि यह कानून किसानों के फायदे में होता तो निश्चित तौर पर किसान उसका समर्थन करते। किसान संगठन समर्थन करते। सारी सरकारों ने समर्थन किया होता। लेकिन आज पूरे हिन्दुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार को छोड़कर सभी राज्य की सरकारें इस कानून का विरोध कर रही हैं और सारे किसान संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह एक काला अध्याय की तरह है। इन तीनों कानूनों से हमारे कृषकों के हितों का पूरी तरह से नुकसान होगा और जिनके लिए यह कानून लाया गया है, ये पूंजीपति चंद लोगों को ही इसका फायदा होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले मंडी के ही बारे में कहना चाहूंगा कि इनकी शुरू से ही कोई आज की बात नहीं है, इनकी पृष्ठभूमि पहले तैयार हो गयी है। मेरे अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में गोबरा-नवापारा मंडी है। वहां पर जिस तरह से हिन्दुस्तान की कुछ और मंडियों में ई-नाम मंडी आज से करीब 4 साल पहले शुरू किया गया। ई-नाम मंडी शुरू किया गया और यह ढिंढोरा पीटा गया था कि अब किसान घर बैठे इस मंडी में यहां धान बेचेगा और उसे पूरे हिन्दुस्तान का कोई भी व्यापारी ई-नाम माध्यम से उसकी खरीदी कर सकेगा और उसे काफी अधिक competitive rate मिलेगा। हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने शुरू में इसकी बहुत तारीफ की कि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है कि यहां नवापारा में किसान के बैठे-बैठे ही कोई आंध्रप्रदेश का व्यापारी यहां आकर धान ले जायेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? उसका कोई परिणाम नहीं निकला और आज यही ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि कोई भी किसान अपनी उपज को कहीं भी लेजाकर बेच सकता है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सारे किसानों को अच्छा लगता है कि मैं भी अपनी उपज बाहर लेजाकर के बेच सकता हूं। ई-नाम मंडी क्यों failure हुआ ? उस समय धान का समर्थन मूल्य 1815 रूपये था, उस धान को यदि आंध्रप्रदेश का कोई व्यापारी 2000 रूपये में खरीदता है तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज तो उससे कई गुना ज्यादा हो गया। वह उसे कहां से खरीद सकता है? वही स्थिति आज भी है। आज हम यदि किसी भी उपज को दूसरी जगह ले जाकर बेचें, मान लो मेरे पास एक ट्रक उपज है, उसको ले जाकर मैं दूसरे प्रांत में ले जाकर बेचना चाहूं, दूसरे प्रांत ही क्यों, मैं रायपुर जिले के धान को अम्बिकापुर में ले जाकर बेचूं तो ट्रांसपोर्टिंग सहित मिलाकर

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

मुझको मुनाफा मिल पाएगा क्या ? यह तो संभव ही नहीं है । इस तरह से सब्ज़बाग दिखाकर मंडी की व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने में तुले हुए हैं । निजी क्षेत्र में मंडी को दे रहे हैं। आज जो व्यवस्था आई है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें सुधार होते-होते आज यह मंडी हमारे किसानों के हित का संवर्धन कर रही है । होगा क्या ? शुरू में हो सकता है कि निजी मंडी के लोग ज्यादा फायदा देने लगे । सरकारी मंडियां धीरे-धीरे कोलेप्स हो जाएगी । जब निजी मंडियों के सामने ज्यादा सुविधा दे दें, एक-दो साल हो सकता है तो हमारी जितनी भी सरकारी मंडी समिति हैं, यह सब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर लूट और शोषण का खेल चालू हो जाएगा । मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस उद्देश्य के साथ में यह ई नाम मंडी शुरू किया गया था । यह इसी के षड़यंत्र का हिस्सा है । इसी तरह से लगभग 8 महीना पहले ही, यह कोई एक, दो महीना नहीं हुआ, 8 महीना पहले ही जो मंडी टैक्स लगता था, उसको भारत सरकार से निर्देश आये कि मंडी टैक्स समाप्त किया जाता है । उसके बाद से किसी भी व्यापारी ने मंडी टैक्स पटाना इस राज्य में बंद कर दिया था । यह एक षड़यंत्र का हिस्सा है। मंडी टैक्स नहीं पटेगा तो मंडी कैसे चलेगी और मंडी नहीं चलेगी तो अपने आप ही किसान अपने उपज को नहीं बेच पाएगा । वह तो गनीमत है कि हमारे छत्तीसगढ़ में समिति के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था है । आज किसान धान बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आधा से अधिक धान मंडियों में बिकती है, आधा से ज्यादा उपज मंडियों में बिकती है । मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग किसान के कितने हिमायती हैं ? इनके राज में किसानों ने हजारों की संख्या में आत्महत्या की है, वह अपने आप में प्रमाणित है । इनकी सरकार 15 साल रही, परन्तु इन्होंने मंडी समिति का चुनाव नहीं कराया । इनको मंडी के ऊपर भरोसा ही नहीं है । आपने मंडियों का चुनाव 15 सालों से क्यों नहीं कराया ? किसान के लिए जल उपभोक्ता संगठन है, आपने 15 सालों से उसका चुनाव नहीं कराया । आपको इस भरोसा पर व्यवस्था नहीं है कि वहां पर किसानों का हित हो सके ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे । आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे कि उनके कार्यकाल में समर्थन मूल्य इतना बड़ा, अभी शर्मा जी भी तारीफ कर रहे थे। आप लोग आंकड़े भूल जाते हैं, मैं वह बताना चाहता हूं । माननीय अटल बिहारी जी जब प्रधानमंत्री बनें तो उस समय धान का समर्थन मूल्य 510 रूपये क्विंटल था। जब 6 साल बाद प्रधानमंत्री पद से हटे तो वह समर्थन मूल्य 580 रूपए हुआ । उनके 6 साल के कार्यकाल में मात्र 70 रूपये बढ़ा । वहीं डा. मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो उनके कार्यकाल में 580 रूपये क्विंटल का धान 1310 रूपए हुआ। (मेजों की थपथपाहट) आप बताईए कि कितना अंतर हुआ और यही एक तरफ आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, उनके 6 साल के कार्यकाल में मात्र 550 रूपये की वृद्धि हुई है । यह अपने आप में तथ्य हैं, ये आंकड़े हैं । आपको यदि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किसानों का हित की चिन्ता होती तो समर्थन मूल्य उस दिशा में करते कि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके ।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस कानून में तीन दिन की गारंटी नहीं दे रहे हैं । अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में मंडी अधिनियम लागू है । 24 घंटे के अंदर भुगतान होना है । यह बात अलग है कि कड़ाई से आज भी नियम का पालन नहीं हो रहा है । कड़ाई से पालन कराने की आवश्यकता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- धनेन्द्र भैया, आप अपने पुराने भाषणों को याद कर लीजिए, जो आपने दो साल पहले दिया करते थे । अपने पुराने भाषणों को याद कर लीजिए कि 13 लाख किसानों का धान बिक रहा है, 35 लाख किसान हैं, 22 लाख किसान कहां जाएंगे । रेत माफिया सक्रिय है । थोड़ा याद करिए न । फिर व्यवस्था सुधरेगी । आप उधर जाना चाहते हो, वह नहीं होगा । मेरा निवेदन यह है कि आप अपने पुराने भाषणों को याद करिए ।

श्री धनेन्द्र साहू :- याद है । आज 25 लाख से अधिक किसानों का धान खरीदा गया है । आपके समय में तो 13 लाख किसानों का धान खरीदते थे, इस समय तो 25 लाख से ज्यादा किसानों के धान की खरीदी की गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कांट्रेक्ट फार्मिंग की बात है । मैं समझता हूं कि कांट्रेक्ट फार्मिंग में सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है । किसानी के जितने भी संसाधन हम लोगों ने पैदा किये हैं, चाहे अपने खेत में मैंने ट्यूब वेल खुदवाया हो, चाहे स्प्रिंकलर सेट लगवाया हो, चाहे मेरे पास में हल है, बैल है, चाहे मेरे पास ट्रेक्टर है, मेरे पास जितने भी कृषि के संसाधन हैं, वह कोई एक दिन में किसी किसान के पास खड़ा नहीं हुआ है। आज हमारे किसान की धीरे-धीरे कैपेसिटी बनी है। आज जो भी क्षमता विकसित हुई है, यदि आज हमारा कान्ट्रेक्ट फार्मिंग होता है, तो हमारे सारे सिस्टम, हमारी सारी क्षमताएं समाप्त हो जायेगी। क्योंकि जो कान्ट्रेक्ट फार्मिंग करेगा, वह अपनी व्यवस्था से सिंचाई करेगा, अपनी व्यवस्था से जुताई करेगा, अपनी व्यवस्था से अपने फसल की कटाई करेगा। किसानों के पास ये जो संसाधन हैं, वे धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे। जिस दिन ये कान्ट्रेक्ट फार्मिंग करने वाली कम्पनियां हाथ उठा लेगी तो हमारे किसान की क्षमता नहीं रहेगी कि किसान उस खेत पर खेती कर सकेगा। हमारे पास यह मजबूरी रहेगी कि हम किसी भी तरह से, फिर वह चाहे हमारा कितना भी गला काट दे, हमको उस कम्पनी के हाथ में ही कान्ट्रेक्ट फार्मिंग के लिए अपने खेत को सौंपना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा जो खराब पक्ष होगा, वह कान्ट्रेक्ट फार्मिंग का होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम, मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से कालाबाजारी और जमाखोरी करने का लायसेंस दे दिया गया है। पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि आप चाहे जितना लूट लो, आपके पास जितनी कैपेसिटी है, लूट लो। हम लोगों को भी लग रहा था, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि केन्द्र सरकार के द्वारा इस कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रूपय का पैकेज दिया गया है, वह पैकेज कहां जा रहा है ? वह बड़े-बड़े गोडाउन बन रहे हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, क्यों ? यह पहले की नीति है। यह सारा जमाखोरी, कालाबाजारी उसी गोडाउनिंग के माध्यम से होगा। यहां के किसान के पास इस पैकेज का एक फूटी कौड़ी नहीं जा रहा है। यह उनके बड़े-बड़े पूंजीपति मित्रों को जा रहा है। बड़े-बड़े वेयर हाऊस बन रहे हैं। बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं। ये सारे तमाम पैकेज भी बड़े उद्योगपतियों के हिसाब से ही तय हो रहे है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में जा संशोधन किया गया है, उसका आज हम बाजार में इसका असर देख रहे हैं। जो महंगाई बढ़ रही है, यह अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए आज कृषि मंत्री जी के द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है, उसके समर्थन में अपनी बात रखते हुए अनुरोध चाहता हूं कि इस संशोधन विधेय को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा मण्डी अध्यादेश के लिए जो विधेयक लाया गया है, उसमें मैं, उनका पहले इस बात की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 187 मण्डी प्रांगढ़ और उप मण्डी प्रांगढ़ हैं। उसमें से सिर्फ 16 मण्डी चल रही है। बाकी तो बंद की स्थिति में है। आप मण्डियों को मजबूत करने के लिए खुद गंभीर नहीं हैं। आपको इसकी तरफ गंभीरता से सोचना चाहिए। जो डीम्ड मण्डी आयेगी, अगर वह ज्यादा सुविधा देगी और आपकी मण्डी के पास कोई सुविधा नहीं होगी, मोहम्मद अकबर साहब भी मण्डी अध्यक्ष रहे हैं, मैं भी रहा हूं, शिवरतन जी भी रहे हैं, इसमें और कई भी होंगे, जो मण्डी अध्यक्ष रहे होंगे। पहले मण्डियां गुलजार रहती थीं, आप कौन से कारण बंद करके रखे हैं। 187 मण्डियों में सिर्फ 16 मण्डी, उप मण्डी चल रही हैं। बाकी सब बंद हैं। खप्पर टूट गए हैं, देखरेख नहीं हो रहा है। अगर इनसे मुकाबला करना है तो इनको जरा बनवाईये और इसको चलाने की कोशिश करिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, हमारे बेक मंत्री जी बैठे हैं, हमारे मित्र हैं। एक आत्महत्या हुई तो बोले कि दिल्ली की सरकार के कानून के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। भाई, अभी कानून लागू नहीं हुआ है, जहां आत्महत्या कर रहे हैं। एक मंत्री जी है, वह बोले कि नकली खाद और नकली बीज के कारण आत्महत्या हो रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, बीज निगम कमाई का एक बहुत बड़ा अड्डा है। वहां 4 लोग 25-25 प्रतिशत सप्लाई करते हैं। उसमें कोई एक होटल वाला है, कोई एक सेठ, कोई और है, जिनका खेती-किसानी का मतलब नहीं है। तो बीज का किसानों से सीधा संबंध है। अगर किसी को कमाना हो तो यहां पर बहुत से रास्ते हैं। लेकिन बीज निगम को कमाई का जरिया बिलकुल नहीं बनने देना चाहिए, यह मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं। आप किसी अनुभवी आदमी से सप्लाई करवाईये। कौन सप्लाई करेगा, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे लोग, जो होटल चलाते हैं, तड़का दाल बेचते हैं, ऐसे लोग क्या जानेंगे कि कौन सा बीज और कौन सा खाद और कौन सी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दवाई है। अगर इस तरीके से खाद-बीज जायेगा और वहां लोग मरेंगे तो ऐसे लोगों को बचाने के बजाय जो मर रहे हैं, उनको बचाईये। मुख्यमंत्री जी, आप खुद हस्तक्षेप करिये ताकि वहां पर ऐसे लोग न घुसने पाये और बीज निगम को किसानों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए न कि सप्लायर्स लोगों के लिए होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं रायपुर मण्डी के बारे में भी बोलना चाहता हूं। जहां पर रायपुर का शेड बना हुआ है, जहां पर रायपुर के किसानों ने जमीन खरीदकर मंडी खोला, जहां रायपुर की मंडी पूरे छत्तीसगढ़ को रेट बताती है वहां पर जेम्स ज्वेलरी पार्क के लिए मंत्रालय से सबेरे 11.00 बजे एक कागज चलता है, वह कागज इतने जोर से दौड़ता है कि भगवान राम का अश्वमेघ का घोड़ा भी नहीं दौड़ा होगा और उसके पीछे अधिकारी इतना जोर से दौड़े कि उतनी तेजी से मिल्खा सिंह भी नहीं दौड़ा होगा। वह सबेरे चला और शाम तक घूमकर एन.ओ.सी. होकर उसे जेम्स एंड ज्वेलरी को दे दिया गया। वह हाईकोर्ट में रूक गया। उसी को एक-एक दिन करके एक-एक विभाग में भेजते। एक दिन कलेक्टर को जाता, एक दिन सेक्रेटरी को जाता, एक दिन मंडी बोर्ड को जाता तो उसमें कौन सी बात बिगड़ गई थी? वहां तो सैकड़ों एकड़ जमीन है, कहीं और खोल लीजिए लेकिन जो किसान लोग बनाकर रखे हैं उसी में बनाना कौन सा जरूरी है? जहां पर जेम्स ज्वेलरी होगा उसकी उपयोगिता में लोग आयेंगे। मुझे इसको आबंटित करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जितनी तत्परता और सक्रियता दिखाई गई, अगर उतनी सक्रियता से प्रशासन चले तो बहुत सी समस्याओं का निराकरण हो जायेगा। अधिकारी सबेरे से मिल्खा सिंह से ज्यादा स्पीड से दौड़ रहे थे कि शाम तक उसको लेकर आना है और वह कागज जो जेम्स ज्वेलरी के लिए देना था वह अश्वमेघ के घोड़े से ज्यादा तेजी से दौड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि धान खरीदी इस प्रदेश की आवश्यकता है, मजबूरी है, जरूरत है लेकिन जब हम धान खरीदी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप किसानों की धान खरीदी करते हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। मैं इसमें कहीं कोई इंकार नहीं करता लेकिन खरीदी के बाद जो उसका उठाव होना चाहिए वह होता नहीं है। आपके डी.एम.ओ. और ट्रांसपोर्टर मिलकर बहुत लंबा भ्रष्टाचार करते हैं। खाद्य मंत्री जी यह आपके विभाग में नहीं है। इस धान खरीदी में एक विसंगति यह भी है कि कोई धान आप खरीदकर जवाब देते हैं और खरीदने का सारा काम वह डी.एम.ओ. और को-ऑपरेटिव वाले करते हैं। उनमें सामंजस्य का थोड़ा अभाव है। मैं खुद देखा हूं कि कई जगह पानी गिर रहा है और धान सरेआम भीग रहा है, सड़ रहा है कोई उठाने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है। माननीय खाद्य मंत्री जी, वहां पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, जो वहां पर नौकरी करते हैं वह डी.एम.ओ. को ग्यारह-ग्यारह बार, पच्चीस-पच्चीस बार लिखकर दिये कि साहब हमारा धान उठाई करा लो-धान उठाई करा लो, लेकिन धान उठाई कराया नहीं, न जाने ट्रांसपोर्टर से क्या मिलीभगत है और उन बच्चों को कलेक्टर जेल भिजवा रहा है। यदि जेल भिजवाना है तो उस डी.एम.ओ. को जेल भिजवाओ ना। जेल भिजवाना है तो उस ट्रांसपोर्टर को जेल भिजवाओ जिसने 25 बार लिखने के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बाद भी नहीं उठवाया और उन निरीह बच्चों को जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर गिड़गिड़ाकर अपनी नौकरी में लगे हैं और वह लोग लिख-लिखकर दे रहे हैं उनको आप जेल भेज रहे हैं। ये तो गलत है ना? तो धान खरीदी के बाद उसके उठाव को सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय लेवल पर उसका नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि यदि धान खरीद लिया गया है तो उसको उठाकर लाना भी जरूरी है। कई हजार करोड़ रूपये का धान अभी तक सड़ गया होगा। अगर वह चाहते तो बहुत सी जगहों पर जैसे आप पत्थर की पचरी बना रहे हैं, शेड बना रहे हैं, वह शेड बन जाता ऊपर शेड सहित तो कभी कैप कव्हर नहीं है, कहीं बोरा नहीं है, कहीं नीचे में भूसा नहीं है, कहीं पानी गिर रहा है, धान सड़ रहा है, मंडियां बंद हैं तो इन सब चीजों को देखिए। निश्चित रूप से अगर आप इन सब चीजों को करेंगे तो बाहर का कौन आपसे कंपीटीशन करने आयेगा। लेकिन आपकी मंडियां बंद रहेंगी, आपकी धान खरीदी ठीक से नहीं होगी, आपके धान का घाटा होगा, सरकार को करोड़ों का घाटा होगा तो दुख लगता है ना। जब धान को सड़ते देखो तो बहुत अफसोस होता है इसलिए उठाव की तारीख को बहुत सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि आप इतने इतने रूपये दे रहे हैं तो वह तो हमारी पूंजी हो गई, सरकार की पूंजी है, इस प्रदेश के किसानों की धरोहर है। उसकी सुरक्षा करना सरकार का काम है। कैसे भी करके उसकी सुरक्षा करिए लेकिन ये नहीं कि आज पानी गिर गया तो नहीं-नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। सड़ रहा है, कोई उठाकर ले जा नहीं रहा है, मिलिंग नहीं होती, उसको कोई लेना पसंद नहीं करता तो इस तरह की व्यवस्था को सुधारिये तो किसानों का भला होगा अन्यथा किसानों का भला नहीं होगा। आप मंडियों को चलाने का भी काम करिये और बीज निगम में भी सुधार की व्यवस्था आप जरूर करेंगे इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर चर्चा हो सकती है, नहीं हो सकती है, सत्र क्यों बुलाया गया इसके बारे में हमने फर्स्ट हाफ में चर्चा की। परंतु जो केंद्र सरकार के द्वारा तीन विधेयक लाये गये हैं, तीन कानून बनाये गये हैं उन तीनों कानूनों से छत्तीसगढ़ को क्या नुकसान होने वाला है? माननीय मुख्यमंत्री जी का भी भाषण मैं अभी सुन रहा था, माननीय रविन्द्र चौबे जी को भी सुना, बाकी सदस्यों को भी सुना, परंतु किसी ने नहीं कहा कि ये तीनों विधेयक छत्तीसगढ़ को कोई नुकसान करेंगे। या छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई नुकसान होगा या देश के किसानों को कोई नुकसान होगा। ये जो आपने विधेयक लाया है, इस विधेयक से छत्तीसगढ़ के किसानों को एक रूपये का भी फायदा होगा तो जरा बताईये। कैसे फायदा होगा ? कहां से फायदा होगा? ये विधेयक खाली आपने हल्ला किया। जब विधेयक लायेंगे तो एम.एस.पी. की गारंटी देंगे। कहां है, एम.एस.पी. की गारंटी ? केन्द्र का विधेयक आ गया तो हम 2500 रूपये में धान नहीं खरीद पायेंगे। कम से कम मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के लोगों को इतना असत्य कथन तो नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोगों को एक रूपये किलो में चावल नहीं मिलेगा। एकदम आडंबर, झूठ का पुलिंदा, पूरे प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम है। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि राष्ट्रपति के द्वारा बनाये गये कानून का संशोधन हम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, कहां आपको अधिकार मिल गया, खड़े होकर इस बात को कहा था, कहां से संशोधन करने का अधिकार मिल गया। अमरजीत जी, जरा शांता कुमार कौन है, बताईये।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- शांता कुमार जी कौन है उसको आप बतायेंगे लेकिन जिन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, वे बोल रहे हैं कि धान खरीदी नहीं करना है, वह भी छत्तीसगढ़ का धान नहीं खरीदना है। खरीदना कहां का है, बिहार, असम का खरीदना है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का खरीदना है। जहां चुनाव है, वहां आपकी दूसरी प्राथमिकता, जहां चुनाव नहीं है, वहां आप बोल के बदल गये। आदरणीय ऐसा, दो तरफा बात नहीं चलेगी। अगर आप बात कर रहे हैं तो क्लीयर बात करिये, बोलते हैं पी.डी.एफ. में चावल नहीं बांटना है, 500, 700 रूपये दे देना है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- शांताकुमार कौन है, बस बता दो।

श्री अमरजीत भगत :- बताया ना, शांताकुमार जिसने आपको रिपोर्ट बना करके दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, खाली आप 2500 रूपये देकर छत्तीसगढ़ के किसानों का कितना शोषण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- हिमाचल का आपका जो मुख्यमंत्री था, आपकी पार्टी का वह बनाकर दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के किसानों को बिजली के पंप का कनेक्शन मिल रहा है क्या ? पिछले दो साल में आपने कितने पंप का कनेक्शन दिया। आप 2500 रूपये से केवल इती श्री समझ रहे हैं। छतीसगढ़ का किसान, जो छोटा किसान पंप की बात जो रहा है, आपकी सरकार ने एक लाख रूपये ट्रांसमिशन लाईन की जो सब्सिडी मिलती थी, उसको आपने देना बंद कर दिया। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में हमने 70 हजार सोलर पंप लगाये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपकी सरकार तो चल ही रही है।

श्री धनेन्द्र साहू :- आपकी सरकार तो चल ही रही थी, आपकी सरकार तो चालू है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप दोनों एक साथ खड़े हुए तो बहुत अच्छा लगा। (हंसी) बस आप बीच-बीच में ऐसी समर्थन सरकार का करिये। उधर का रास्ता बंद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ हम जब सरकार में आये, तो 70 हजार पंप के कनेक्शन थे और जब हमने सरकार छोड़ी तो साढ़े पांच लाख पंप के कनेक्शन थे। पहले हम गांवों में घूमते थे तो आवेदन आते थे पंप का कनेक्शन दिलवा दीजिए, हमारी सरकार जब तक थी, तब तक आवेदन आना बंद हो गये थे। आज फिर गांवों में आवेदन आ रहे हैं, पंप के कनेक्शन नहीं

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

मिल रहे हैं, जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर साढ़े लाख रूपये तीन हार्स पावर के लिये पांच हार्स पावर के लिये साढ़े पांच लाख रूपये तक हमारी सरकार ने सब्सिडी दी, किसानों को पांच हजार, आठ हजार और बीस हजार रूपये देना पड़ता है, और साढ़े तीन लाख, पांच लाख रूपये का पंप उनके खेत में लग जाता है। वह आपने क्यों बंद कर दिया। किसानों को आप क्या दे रहे हैं, किसानों को आप 2500 रूपये में धान खरीदने की बात करते हैं, उनके धान के रकबे को कम कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी ने कहा, बहुत से सदस्यों ने कहा बरसात में गिरदावली नहीं होती है।

श्री अमरजीत भगत :- धान बेचने वालों में आप सब लोगों का नाम है, मालूम है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार थी तो 24 घंटे बिजली देते थे। आप जरा बताओ किसानों को कितनी बिजली मिल रही है। किसान परेशान है। ये सरकार नाम की चीज नहीं है, सोचा 2500 रूपये हमने दे दिया, हमारा काम खत्म। पूरी तरह आपका नियंत्रण समाप्त हो गया है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। किसानों के पंप नहीं चल रहे हैं। उनकी फसल बर्बाद हो रही है। अब आप तीनों विधेयकों का विरोध क्यों कर रहे हैं ? सरकार ने तीन विधेयक लाये, क्यों विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये विधेयक आ जायेंगे तो किसान आपके चंगुल से मुक्त हो जायेंगे। हर किसान को अपने धान को बेचने की आजादी मिल जायेगी। आज आप किसानों को टोकन देते हैं, उनका धान नहीं खरीदते हैं। किसान अपना धान बेचने जाता है तो उसको जप्ती कर लेते हैं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- क्या हम किसान लोग जाकर उड़ीसा में धान बेचेंगे जहां 1200 रूपये मिलता है। महाराष्ट्र में जाकर बेचेंगे, जहां 1400 रूपये मिलता है। आप ये आजादी चाहते हो। यहां के लोगों की ऐसी आजादी चाहते हो। छत्तीसगढ़ में 2500 रूपये मिल रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजिम में ये धनेन्द्र साहू जी बैठे हैं इनके यहां की मण्डी में 667 रूपये में धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। केवल 2500 रूपये के नाम पर शोषण मत करिये। आप केवल यह मत बोलिए, माननीय धनेन्द्र जी, मुझे मालूम है कि आप किसान पुत्र हो, किसान नेताहो, आप हमेशा किसानों की बात करते हो, आपके इतने सीनियर होने के बाद भी ये सरकार ने अन्याय किया है मैं आपके दर्द को समझता हूँ मैं सत्यनारायण जी के दर्द को समझता हूँ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको क्या लेना- देना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमको लेना देना है। हम आपके साथ में पिछले 32 सालों में विधान सभा में बैठ रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप दोनों के लिए कोई गुंजाईश दिख भी नहीं रही है। मैं तो गुंजाईश बहुत देखते रहता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आदरणीय बृजमोहन भईया आपको मालूम होगा जब आप सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री हुआ करते थे जब किसान गंगरेल डेम के पानी को मांगते थे तो किसानों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटवाते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों के लिए कोई गुंजाईश नहीं है और अमितेश शुक्ल और अरूण वोरा दोनों डिप्रेशन में चल दिये हैं उसकी भी आपको चिंता करनी चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अरूण वोरा जी दर्जा प्राप्त है, आप ऐसा मत सोचिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक मार्गदर्शक मण्डल बनाकर दोनों को बना दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके समय में तो आपके मंत्रियों का नहीं चलता था। हमारी सरकार में हमारे धनेन्द्र भईया का कौन सा काम रूकता है। उनको पूछिए।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, आपका 5 मिनट समाप्त हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार कांग्रेस के माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक देश एक बाजार होगा, एक एम.एस.पी. की घोषणा करिये। 50 सालों तक आपकी सरकार थी आपने घोषणा क्यों नहीं की? क्या पूरे देश में एक एम.एस.पी. की घोषणा हो सकती है। यह सब जानते है कि यह संभव नहीं हैउसके बाद भी बात करना बेमतलब की बात करना। जो चीज संभव नहीं है। आप कम से कम 23 जिन्स जिनको केन्द्र की सरकार ने जिनकी एम.एस.पी. की घोषणा की है। आप घोषणा करिये कि छत्तीसगढ़ में इन 23 चीजों को एम.एस.पी. में खरीदेंगे। क्या ये घोषणा कर सकते हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस की सरकार लोगों को पहले लॉलीपाप देती है और उसके बाद में उनकी डण्डे से पिटाई करती है। किसानों को जेल में भेजती है किसान अपने धान का ट्रांसपोट्र करते हैं तो उनको उठाकर, उनके ममाल को जप्त किया जाता है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी नहीं है लगभग 2000 करोड़ रूपये का धान फड़ो में सड़ गया हे ये किसानों की गाढ़ी कमाइ्र का पेसा, उनकी मेहनत का पैसा है इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। 2500 रूपये दे दिया, फिर खत्म। जनता के पैसे का 2000 करोड़ रूपये का धान सड़ गया। कोई लेना देना नहीं है। हमने मण्डियों के माध्यम से गोडाऊन बनाने की योजना बनायी थी। इस सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। किसान के लिए रेस्ट हाऊस बनना था उसको निरस्त कर दिया। हम गांव-गांव में हाटा बाजार बना रहे थे उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। ये सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है ये सरकार कहती है कि हम दो सालों का बोनस देंगे तो इन्होंने 2 सालों का बोनस भी नहीं दियसा है। माननीय रविन्द्र चौबे जी, छत्तीसगढ़ का ब्लैक राईस 500 रूपये में बिक रहा है। अगर मोदी जी की सरकारी ने जो योजना लायी है उस योजना में किसान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नये-नये प्रयोग करके, ब्लैक राईस पैदा करेंगे। अब यहां छत्तीसगढ़ में वन केजी गोवावा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में स्ट्राबेरी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मैनपाट में आलू, सेब की खेती शुरू हो रही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय बृजमोहन भईया, एक मिनट। माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि कांट्रेक्ट फार्मिंग करेंगे। अब किसान को तो आजादी नहीं रहेगी वह अपने खेत में क्या फसल लगायेगा। ये तक किसान लोगों को आजादी नहीं है तो ऐसी कांट्रेक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है?

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुन्दर।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रार :- धनिया में ज्यादा फायदा है क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भईया वह आपके खेत में धनिया बो देगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय आप चिंता मत करिये1 किसान आपका धनिया बोएगा। भविष्य में आपका बोएगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसान लोग तो आपका धनिया बो दिये हैं1 15 सालों तक किये हैं। अब धनिया बो दिये हैं। 5 सालों तक भुगतो। अब 20 सालों तक भुगतना।

श्री अजय चन्द्राकर :- बृजमोहन भईया, धनिया बोए, जो भी करे मगर अजीज जोगी(व्यवधान) धनिया बोएगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नाम का सुंदर नगर का रहने वाला नौजवान 10 एकड़ में ब्लैक राईस बो रहा है। उसका ब्लैक राईस विदेशों में जा रहा है। इस सरकार ने कोई कोशिश की अगर काला चावल पैदा हो रहा है, विदेशों में मांग है उसमें जिंक है, आयरन है और आज मुख्यमंत्री जी बार-बार बात कर रहे हैं कि हमारे यहां के लोग जो बच्चे, महिलाएं कमजोर है उनको मजबूत बनाने के लिए हम छत्तीसगढ़ में ब्लैक राईस की पैदावार क्यों नहीं बढ़ा सकते? हमारी महिला बाल विकास मंत्री जी बैठी हैं, वह एकात हजार एकड़ में ब्लैक राईस पैदा कर के हमारे बच्चों को प्रोटीन क्यों नहीं दे सकते? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यह तीनों विधेयक जो केन्द्र सरकार ने लाया है, इन तीनों विधेयकों के आने के बाद में एम.एस.पी. लागू रहेगी, मंडियॉं बंद नहीं होंगी, किसानों को 3 दिन में भुगतान होगा। धनेन्द्र साहू जी आपके यहां की मंडी के कुछ किसान आज भी घूम रहे हैं। उनको दो-दो साल से पेमेन्ट नहीं हुआ है। अब इसमें जो प्रोविजन हुआ है।

श्री धनेन्द्र साहू :- अब बता दें एक भी कोई किसान आया हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं आपको बता दूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- 15 साल तो आपकी व्यवस्था थी, आपकी ही 15 साल की व्यवस्था से पैदा हुआ है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खाद्‌य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बृजमोहन भैया, आपको इधर से खतरा नहीं है, आपके बगल वाले से खतरा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जल्दी समाप्त कर दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी आ गये हैं। माननीय कृषि मंत्री जी बतायें कि आपने दो साल में कितने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाये? हमने छत्तीसगढ़ के 40 लाख किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाये थे। यह सरकार ने 2500 रुपये देकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना बंद कर दिया। परंपरागत खेती में हमने निर्णय लिया था कि 5000 रुपये प्रति एकड़ हर साल देंगे, तीन साल तक 15000 हजार रुपये देंगे। आप नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी तो ला रहे हैं, उसकी खाद बनाने की बात कर रहे हैं। आप परंपरागत खेती को बढ़ावा नहीं देंगे तो खाद का उपयोग कहां पर होगा? केन्द्र सरकार परंपरागत खेती के लिए पैसा दे रही है, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपने 2 साल में एक भी खेत में ड्रिप स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई योजना लगाई है? मेरी जानकारी में है। मैं दावे के साथ इस सदन में कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार का 100 करोड़ रुपये आकर विभिन्न योजनाओं का राज्य सरकार के पास में हैं। वह जिलों-जिलों में जमा है। बीज विकास निगम में जमा है। उस 100 करोड़ रुपये को केन्द्र सरकार को utilization certifiacate भेज दिया गया है। इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है। सरकार अपराध कर रही है। केन्द्र सरकार को गुमराह करके utilization certifiacate भेज दिया और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। माननीय कृषिमंत्री जी जरा आप देखिये, आपके नॉलेज में है या नहीं है ? कहीं अधिकारी तो इसे बंदरबाद नहीं कर रहे हैं।

संसदीय सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से संबंद्‌ध (श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर) :- मैं आपके कार्यकाल का आपको बता दूं कि रोची की अभिव्यक्ति के नाम पर मेरे विधानसभा में 18 करोड़ रुपये का ड्रिप सिस्टम लगाया गया जो आज चार आने काम का नहीं है। ऐसा पैसा का दुरूपयोग किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बागवानी समन्वित मिशन योजना कहां चली गई ? कृषि उत्पादन, पशुधन योजना हमारी सरकार ने शुरू किया था। एक किसान 12 जानवर ले सकता है, उसको गाय खरीदने के लिए 6 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वह योजना बंद हो गई। पुराने किसानों ने जो गाय खरीदी, उनको पैसा नहीं मिल रहा है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप जर्सी गाय देने की बात किये थे, 2003 के घोषणा पत्र में था कि जर्सी गाय देंगे। उसके बाद बोले कि बैल देंगे। न बैल दिये, न गाय दिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय अग्रवाल जी, अब समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि का बजट 2003-04 में 183 करोड़ रुपये था, वह 2018-19 में बढ़कर 14 हजार करोड़ रुपये हो गया। जो हमारे

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दलहन-तिलहन का उत्पादन था, वह हमने 158 प्रतिशत बढ़ाया। जो हमारी सिंचाई क्षमता 18 प्रतिशत थी, उसको हमने 36 प्रतिशत बढ़ाया। माननीय मंत्री जी क्या पिछले 2 साल में 1 प्रतिशत भी सिंचाई की क्षमता बढ़ी है ? क्या एक भी बृहद सिंचाई योजना आई है ? जो हमने बृहद सिंचाई योजनाओं की योजना बनाई थी, क्या वह आपने लाया है ? खाली 2500 रुपये देकर किसानों को गुमराह करना, उनको छलना है। उनके लिए कितनी योजनायें हैं, लगभग छत्तीसगढ़ में सभी योजनायें बंद हो गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय 63 लाख टन धान पैदा होता था, हमारी सरकार ने उसको 1 करोड़ टन धान पैदावार तक बढ़ाया। आज यह 2500 रुपये देने के बाद भी धान की पैदावार बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, वह सपोर्ट इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया।

श्री अमरजीत भगत :- आपने कितना धान का उत्पादन बढ़ाया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 63 लाख टन से 1 लाख करोड़ टन किया।

श्री अमरजीत भगत :- आपने कभी 70 लाख टन से ज्यादा खरीदी की ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हॉ किया।

श्री अमरजीत भगत :- कब किया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने 80 लाख टन भी खरीदी किया है। आप रिकार्ड निकालकर देख लो।

श्री अमरजीत भगत :- आपने 70 लाख टन से ऊपर कभी खरीदी नहीं किया है। आप 69, 70 से कभी ऊपर नहीं गये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके 2500 रूपए देने के कारण किसानों को इन्होंने सब्जी, भाजी, फल-फूल, दलहन-तिलहन के उत्पादन के लिये सहायता देनी चाहिए । वह सहायता देना इन्होंने बंद कर दिया । आज छत्तीसगढ़ में दलहन-तिलहन बाहर से आयात करना पड़ रहा है । आज ये मण्डियों को चलाने की बात कर रहे हैं, माननीय रविन्द्र जी छत्तीसगढ़ में कितनी मण्डियां चल रही हैं सब लोगों ने चर्चा की । छत्तीसगढ़ में तो मण्डियां बंद हो गई हैं । आप जरा फाईल निकालकर देखिये, हमने कहा था कि जो सोसायटियां हैं उन सोसायटियों के खरीदी केंद्र मण्डी में बना दीजिए । मण्डी में शेड है, मण्डी में गोडाऊन है, मण्डी में माल को सुरक्षित रखा जा सकता है । जो 2 हजार करोड़ का माल बरसात में भीग गया उसको बचाया जा सकता है, मण्डी के पास इतने पैसे हैं कि आप गोडाऊन बना दीजिए, ये माल सड़ने से बच जाएगा और उस मण्डी के माध्यम से मण्डी में किराया भी मिलेगा और किराया मिलेगा तो मण्डियां भी सक्षम होंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को केवल राजनीति करना है । इस सरकार को किसानों का भला नहीं करना है ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- ये मण्डियों में प्राईमरी सोसायटी का धान रखना चाहिए करके आपने कब कहा, 15 साल बीतने के बाद ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, 15 साल बीतने के बाद नहीं । माननीय मंत्री जी आप फाईल निकालकर देख लीजिए । लगभग छत्तीसगढ़ की 50 मण्डियों को मैंने सोसायटियों का खरीदी केंद्र बनाया । रायपुर मण्डी को 10 सोसायटियों का खरीदी केंद्र बनाया, यह मैंने कहा चूंकि खुले में पड़े हैं, वहां पर खर्चा होता है, वहां पर गोडाऊन की व्यवस्था नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसमें परिवर्तन हुआ है । 2 साल में परिवर्तन हो गया । जो मण्डियों को खरीदी केंद्र बनाया गया था वे हट गये, वे फिर से सोसायटियों में शिफ्ट हो गये और अभी भी आप बाकी मण्डियों को खरीदी केंद्र बना सकते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- चूंकि रायपुर मण्डी की चर्चा हुई और उद्योग में चल देगा । जब यह चर्चा हुई न तो आपके ए.सी.आर. में यह लिखा जाएगा कि आपने जेम्स एण्ड ज्वैलरी पार्क के लिये उद्योगपतियों को चूंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में खरीदा था, हरदिल अजीज माननीय मोहम्मद अकबर जी ने, उसको आपने दिया है, यह उद्योगपतियों की सरकार है।

श्री रविन्द्र चौबे :- असल में उसमें पहली इबारत में दस्तखत आपने किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, हमने नहीं किया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, कौन ने जमीन देना शुरू किया ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रविन्द्र चौबे जी बहुत करना चाहते हैं यह बात एकदम स्थापित सत्य है लेकिन उनको करने कौन दे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए इसे अदृश्य शक्तियां चला रही हैं, यह गड़बड़ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम सरकार में आये तो 140 करोड़ रूपये का किसानों को लोन मिलता था । हमारी सरकार जब हम छोड़कर गये तो 3200 करोड़ का लोन मिलने लगा । आपने उसको कितने परसेंट बढ़ाया ? 2500 रूपये में धान खरीदने के बाद भी कितना रकबा आपने बढ़ाया ? बार-बार यह सरकार बात करती है, माननीय धनेंद्र साहू जी कम से कम आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी कि आप असत्य बोलेंगे, 26 लाख किसानों का धान खरीद रहे हैं सोसायटियों में रजिस्ट्रेशन 16 लाख किसानों का हो रहा है, 14 लाख किसानों का धान खरीदा जा रहा है । हमने पूछा था कि बाकी 2 लाख किसान कहां गायब हो गये? उनका धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है ? जो छोटे किसान हैं, आज भी छत्तीसगढ़ के छोटे 25 लाख किसानों को कोचियों को धान बेचने को मजबूर होना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पड़ता है । आज भी 25 लाख किसानों को अपना माल ओने-पौने दामों पर बेचने के लिये मजबूर होना पड़ता है । अगर यह कांट्रेक्ट खेती होगी, अगर यह खुले बाजार में माल बिकेगा, आप लोग बार-बार बड़े-बड़े उद्योगों की बात कर रहे हैं । क्या रायपुर में अडानी आएगा, क्या रायपुर में अंबानी आएगा ये नहीं आएंगे, क्या रायपुर में रूइया आएगा ? छत्तीसगढ़ के इंवेस्टर, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के एफ.पी.ओ. ये भी खरीद सकते हैं । आप जाकर देखिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं । आप कुम्हारी में जाकर देखिये हमारे खेती पैदा करने वाले किसानों ने बहुत बड़ा एफ.पी.ओ. बनाया है, उनकी खुद की लैब है, उनका खुद का बीज का वितरण का केंद्र है । बीज के संरक्षण का केंद्र है । छत्तीसगढ़ का एक किसान चावड़ा 300 करोड़ रूपए के बीज निर्यात करता है । छत्तीसगढ़ में खेती को देखने के लिए देश-विदेश से लोग आ रहे हैं ।

समय :
6:09 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 7 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में खेती को देखने के लिए आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में भी खेती समृद्ध हो रही है । अगर आप उसको प्रोत्साहन देंगे तो खेती बढ़ेगी, वह खेती आगे आएगी, हमारा छोटा किसान भी कभी आपके क्षेत्र में इतना टमाटर होता था, कभी इतनी मिर्ची होती थी, कभी इतनी सब्जी होती थी, कभी इतना सीताफल होता था ? आज हो रहा है कि नहीं ? आज लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं ? आज हमारे किसान गोआवा (Guava) पैदा कर रहे हैं कि नहीं ? वह सब कारण है कि बाहर के लोगों ने आकर इंवेस्टमेंट किया, बाहर के इंवेस्टर्स ने आकर हमारे किसानों को प्रशिक्षित किया, उनको उपकरण दिलवाये, उनको खाद-बीज के लिये पैसे उपलब्ध करवाये इसके कारण हमारा किसान समृद्ध हो रहा है । आप राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर सकते हैं परंतु जब मण्डियां समाप्त नहीं हो रही हैं, एम.एस.पी. समाप्त नहीं हो रही है तो फिर इसका विरोध क्यों ? दो चीजों पर तो आपकी चर्चा है । जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, केन्द्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एम.एस.पी. लागू रहेगा, मंडियां समाप्त नहीं होंगी । जो किसान कोचियों को बेचते थे, जो किसान औने-पौने दामों पर बेच देते थे ।

श्री कवासी लखमा :- धान का रेट क्या मिलेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भइया, दारू किस रेट पर मिल रही है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं । बढ़े हुए रेट पर मिल रही है मैं उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूं ।

श्री कवासी लखमा :- अभी परसों प्याज का और आलू का रेट बढ़ गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- अभी जो माल बिक रहा है वह पिकअप नहीं ले रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो विषय पूर्व उपाध्यक्ष नारायण चंदेल जी ने उठाया है इसकी जांच करवाएंगे क्या (हंसी) ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, भूपेश बघेल सरकार ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने जो विधेयक लाया है वह विधेयक छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह करने वाला है । वह विधेयक केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकार की टकराहट पैदा करने वाला है । मैं तो सार्वजनिक रूप से कहूंगा मैं तो सदन के माध्यम से राज्यपाल जी से कहूंगा कि इस विधेयक से छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है । राज्यपाल जी आप इस विधेयक को वापस कर दीजिए आप इसको पास मत करियेगा अन्यथा छत्तीसगढ़ के किसानों का अहित होगा । यह सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का हित नहीं करना चाहती । यह सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का शोषण करना चाहती है इसलिए इस विधेयक का हम विरोध करते हैं, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी के द्वारा कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 लाया गया है । वास्तव में जो 6-7 संशोधन किया गया है और पूरे प्रदेश में हल्ला मचाया जा रहा है कि यह किसानों के हित के लिए लाया गया है । इससे किसानों को कैसे लाभ मिलेगा यदि पूरे विधेयक को देखेंगे तो यही लगता है कि मंडी की आय कैसे बढ़े, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है । इसमें जो अतिरिक्त जोड़ा गया है कि प्रसंस्करण इकाई, विनिर्माण को जोड़ा गया । कृषि उपज में स्वाभाविक रूप से गन्ना भी है । इसके साथ में धारा 2, 4 और बाकी में जो संशोधन किये गये हैं । यदि इसकी पूरी समीक्षा करेंगे तो डीम्ड मंडी स्थापित होगी, यह एक नया शब्द जोड़ा गया है । मंडी हमारे यहां हैं, लेकिन डीम्ड मंडी । अब यदि आपको मंडी बनाने की आवश्यकता है तो उसके लिए उसमें दावा-आपत्ति की जाती है, उसका निराकरण किया जाता है । उसके बाद मंडी स्थापित की जाती है लेकिन डीम्ड मंडी स्थापित करना है तो धारा 3 के प्रावधान को हटा दिया गया है और उसके बाद अब उसको जहां घोषित करेंगे, उससे भी मंडी टैक्स वसूली करेंगे । डीम्ड मंडी बनाने का आशय केवल यह है, आप पूरे प्रदेश में मंडी की स्थिति देख रहे हैं । जिस बात का सभी सदस्यों ने उल्लेख किया कि लगभग मंडियां बंद हो गई हैं । केवल कुछ मंडियां चालू हैं उन मंडियों के आय का स्रोत कैसे बढ़े । इस संशोधन के माध्यम से केवल और केवल मंडी की आय को बढ़ाने का प्रयास किया गया है । लेकिन जहां किसानों के हित की बात होनी चाहिए, मैं आपको पिछले समय की एक घटना बताना चाहूंगा । धान खरीदी 1 दिसम्बर को चालू हुई । अक्टूबर-नवम्बर में हमारे यहां दशहरा के बाद कटाई शुरू हो जाती है । एक एकड़, दो एकड़ के किसानों की क्षमता नहीं है कि वे अपने कृषि उपज को दो महीने रोककर दिसम्बर तक इंतजार कर सके । वह औने-पौने दामों पर किसी दुकान में जाकर, गल्ला भरने वालों के यहां बेचने के लिए जाता है । यहां न केवल उनके धान को पकड़ा गया बल्कि उनके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ट्रैक्टर को थानों में बंद करके रखा गया । गांव के छोटे किसान भी हैं, यदि वे बाजार जायेंगे तो आज भी गांव में प्रथा है कि सब्जी लेने जाये, सब्जी बाजार में जाये या कहीं भी जायेंगे तो कोई साइकिल में चुगड़ी में धान लेकर चले जाते हैं तो कोई टोकरी में धान लेकर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भी परेशान करने का काम इस सरकार ने किया है। वह धान जो 25 रूपये के बजाय दुकानदारों ने भी कहा कि भैय्या हम आपका धान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे यहां छापा मारना शुरू कर दिये हैं। धान को रोकना शुरू कर दिये हैं तो 8 रूपये किलो, 9 रूपये किलो में मजबूरी में उन्हें धान बेचना पड़ा। आप अभी कब बेचेंगे, उसकी तारीख तय नहीं है और इस बीच में मैं तो यह सोचता था कि यदि बिल लेकर आये हैं तो इस बिल में कम से कम यह प्रावधानित करेंगे कि आपका धान खरीदने के पहले जो किसान धान बेचेंगे और उन किसानों को धान का समर्थन मूल्य कैसे मिले? एम.एस.पी. की चिंता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं पर वह चिंता आपके जो संशोधन हैं, उसमें कहीं पर भी नहीं किया गया है। दूसरी बात, पहले जो अधिकार दिया गया था कि पहले उन्हें कागजात देखने का, उन्हें बुलाने का जो अधिकार दिया था। राज्य शासन के जो घोषित अधिकारी हैं, उनको अधिकार दिया गया था और उनके द्वारा जाकर बुलवा सकते हैं और उनके कागज चेक कर सकते हैं। यदि अवैध है तो उनके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने राज्य शासन से खींचकर आपने मंडी सचिव और उसके साथ में आपने सक्षम अधिकारी जोड़ दिया कि सक्षम अधिकारी जाकर काम करेंगे। अब इसमें एक बात आयेगी कि बदले की भावना के साथ में कार्यवाही करेगी और आपसे जब बात करेंगे कि हिसाब ऐसा हो रहा है तो आप बोलेंगे कि साहब हमें तो जानकारी है नहीं, क्योंकि हमने तो अधिकारी भेजा नहीं है। वह जो अधिकारी है, उनको लगेगा या किसी के ऊपर भी संदेह हुआ तो न केवल व्यापारी, मैं यह बोल रहा था कि गांव में जो छोटे स्तर पर धान खरीदते हैं, वे किसान भी होते हैं जो किराना दुकान के हैं और अपना धान भी बेचते हैं और जो थोड़ा बहुत धान खरीदे हैं, उसे भी बेचते हैं। जब उन्हें तंग करना हुआ तो वे उनके घर चले जायेंगे और जाकर छापामारी करेंगे। उनके धान को भी जब्ती बनायेंगे। उनके ऊपर कार्यवाही भी करेंगे और कार्यवाही कैसे करेंगे ? आपने सी.आर.पी.सी. की धारा जोड़ दी है और सी.आर.पी.सी. की धारा के अंतर्गत उन पर जब कार्यवाही करेंगे तो अब उसमें प्रावधान यह आ गया है कि जो पहले 5 हजार रूपये केवल फाइन कर सकते थे तो 5 हजार की जगह में उन्हें तीन महीने की सजा और 5 हजार का जुर्माना होगा। यदि वे दूसरी बार पकड़े गये तो उसमें 6 महीने की सजा और 10 हजार रूपये का जुर्माना होगा। मतलब आपने मान लिया है कि आपके यहां के व्यापारी चोर हैं। आप इस बिल के माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे व्यापारी चोर हैं और उसकी सख्ती के लिए हम कानून बना रहे हैं और कार्यवाही कर रहे हैं और मैंने कहा कि व्यापारी कितना परेशान होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे ज्यादा यदि इस संशोधन से कोई परेशान होंगे तो हमारे किसान परेशान होने वाले हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अपने मुंह से तो इतनी गंदी बात मत कहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने उसमें लिखा है। आपने सजा का प्रावधान किया है। वह किसके लिए है ? आपकी क्या सोच है ? आपने विनिर्माण की जो बात की है, प्रसंस्करण की बात की है, अब प्रसंस्करण में गन्ना काटने के बाद में उसका गुड़ बनाते हैं। अब गुड़ बनाने के बाद में वे भी प्रसंस्करण में आ गये। आपके वहां भी जाकर रेड करने के अधिकार होंगे और उन किसानों को जो गुड़ बना रहे हैं, ऐसे गुड़ बनाने वाले किसानों के ऊपर कार्यवाही करने का आपको अधिकार होगा और आप जाकर उनके ऊपर भी कार्यवाही करेंगे। अभी तक जो गन्ना कृषक हैं, वे बचे हुए थे। आप उन्हें भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आप यह इंस्पेक्टर राज लाना चाहते हैं और इसके माध्यम से ऐसा कोई गोदाम नहीं है, ऐसा कोई सीड केन्द्र नहीं है, ऐसा कोई गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है कि जिसमें उनका प्रवेश न हो। इसके माध्यम से आप सब जगह उनका प्रवेश कराना चाहते हैं और प्रवेश कराने से इस संशोधन के माध्यम किसान को केवल परेशानी होगी। उनको सुविधा के बजाय, असुविधा उनके सामने आयेगी। माननीय सभापति महोदय, हरदी हमारे क्षेत्र में एक गांव है। अभी वहां के किसान मेरे पास आये थे। उस हरदी सोसाइटी में 3000 रकबा है और पिछली बार वे लोग धान बेचे थे। अभी उनका 700 रकबा काट दिया गया है। 3000 में मात्र 700 एकड़ का उनका रकबा काट दिया गया है। 3000 एकड़ में मात्र 700 एकड़ का रकबा काट दिया गया है । जो किसान पहले 17 एकड़ का धान बेचे थे, अभी उनका 7 एकड़ काट दिया गया है । अब उनके पास में 10 एकड़ है । जब वे सोसायटी में जा रहे हैं तो वे बोल रहे हैं...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, पिछले समय में जो धान नहीं बोता था, उसको भी आप लोग बोनस देते थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय डहरिया जी, रविन्द्र चौबे जी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हैं क्या, जो आपको खड़ा होना पड़ रहा है ? अगर चौबे जी की योग्यता पर शंका है तो आप बोलिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, 17 एकड़ के हिसाब से जिस किसान ने धान बेचा, आज उनके 7 एकड़ के रकबे को काट दिया गया । जब वे पटवारी के पास में गया तो वे बोले कि सोसायटी में चले जाओ । जब सोसायटी में गए, तब उन्होंने कहा कि पटवारी के पास चले जाएं । जब पटवारी के पास गए तो उन्होंने कहा कि तहसील का रास्ता बताया । तहसील का रास्ता बताने के बाद में वह किसान अभी भी घूम रहे हैं, आफिसों के चक्कर लगा रहे हैं । यह केवल एक गांव की स्थिति है, जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया । पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति है । पिछली बार आपने मेढ़ के नाम पर 1 लाख हेक्टेयर का रकबा काट दिया था, इस बार आप लोग उससे ज्यादा रकबा काटने वाले हैं । ये किसानों के हितैषी सरकार हैं ? 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन एक एकड़ में एक भी डिसमिल रकबा काटने का प्रयास हमने नहीं किया और प्रति एकड़ पूरे 15 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, लेकिन पिछले साल जो धान की खरीदी हुई है, आपने मेड़ का रकबा काट दिया और इस बार जो आपके अधिकारी गए हैं, वे बोल रहे हैं कि जहां आपके पम्प हाऊस है, उनका भी

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रकबा हमको काटना है । पम्प हाऊस का रकबा वे काटेंगे और उसके बाद में कई तो ऐसे आये हैं कि जहां पर आपका जींस का कालम लिखा हुआ है तो धान की जगह में अन्य फसल लिखा हुआ है और धान बोया हुआ है, आपका गिरदावली हुआ है, गिरदावली के बाद में कहीं मक्का लिखा गया है, कहीं कुछ और लिखा है । मैं उस दिन उनको कहा कि अभी चलकर दिखाते हैं और उनके खिलाफ में एफ.आई.आर. करो और एफ.आई.आर. करके 420 का मामला दर्ज करो । धान बोया हुआ है और आप गिरदावली करा रहे हो । आप धान के लिए गिरदावली नहीं करा रहे हो, आप गिरदावली करा रहे हो कि उसके जींस को बदल दें, उसमें मक्का लिख दें, उसमें सोयाबीन लिख दें, उसमें कुटकी लिख दें और उसके बाद जब किसान सोसायटी में धान बेचने के लिए जाएगा, तब उनको बता दिया जाएगा कि आपने धान नहीं बोया है, आपने तो मक्का बोया है । ये गिरदावली में पटवारी ने लिखा है तो इस प्रकार किसानों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं और किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं तो वास्तव में समय रहते आपको इसको सुधारने की जरूरत है । जब आपने 10 दिन का समय बढ़ाया है तो एक बार उसका परीक्षण होना चाहिए और उसका परीक्षण होने के बाद में ये रकबा में धान की जगह में दूसरा जींस जो लिखा हुआ है, यहां तो कम लिखा हुआ है, आप बस्तर में जाएंगे तो अधिकांश किसानों के खेत में लिखा हुआ है, आप सरगुजा में जाएंगे तो सरगुजा में यह स्थिति आई है । ऐसे नियमों को सुधारने की आवश्यकता है । आपने धान 25 सौ रूपये में खरीदने की बात कह दी, लेकिन 25 सौ के नाम से मन में यह भावना रखना ठीक नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, कहीं-कहीं अगर इस प्रकार की स्पेशिफिक शिकायत हो तो बताईए, आप मनगढ़ंत बात मत करिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप कुछ नहीं कर सकते, इसी विधान सभा में आपने असत्य कथन किया था।

श्री अमरजीत भगत :- आप मनगढ़ंत बात मत करिए, कहीं पर्टिक्यूलर हो तो आप बताईए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैंने पिछले बार सत्र में यह बात उठाई थी कि आज लगभग 10 लाख मेट्रिक टन धान का उठाव नहीं हुआ है, तब इन्होंने कहा था कि मुझे एक जगह बता दीजिए । मैंने कहा कि आपके क्षेत्र में मैं चलता हूं, मेरे क्षेत्र में चलता हूं । आज भी आपको लेकर चलता हूं । रायगढ़ से लेकर जहां भी आप जाएंगे, आपके संग्रहण केन्द्र में अभी भी धान पड़े हुए हैं । कम से कम मंत्री जी विधान सभा में असत्य मत बोलिए । मैंने पिछली बार कहा था कि मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं तो आप मेरे साथ क्यों नहीं गए ? आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं किसी और को भेज दूंगा । आप जाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते ?

श्री अमरजीत भगत :- आप केवल बोल सकते हैं, आप चल नहीं सकते ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं बोल रहा हूं कि आप बिलासपुर संग्रहण केन्द्र देख लीजिए, आप रायगढ़ का संग्रहण केन्द्र देख लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- सेन्ट्रल पुल में आज तो आया है, 104 जो रोक दिया था, सेन्ट्रल पुल में उसना लेना है, उसकी स्वीकृति आज आई है । बिना स्वीकृति के कस्टम मिलिंग कैसे होगा । स्वीकृति होगा, तब न कस्टम मिलिंग होगा, तब न जमा होगा । अब आपको पूरी बात कैसे बताएं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- कम से कम बाहर में आप असत्य बोलते हैं, हाऊस में तो असत्य मत बोलिए । आपकी विश्वसनीयता खतम हो जायेगी ।

श्री ननकीराम कंवर :- खतम हो गई है ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने जो-जो कहा है, वह सब काम मैंने किया है । आप जो लिख-लिखकर लाये हैं, सब काम को मैंने किया है, इसके बाद भी आप ऐसा बोलेंगे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- तो आप कम से कम बाहर में असत्य बोलते हैं, हाऊस में तो न बोले। आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जायेगी।

श्री ननकीराम कंवर :- खत्म हो गई है भाई।

श्री अमरजीत भगत :- आप जो-जो बोले हो, मैं वह सब काम को किया हूं। आप जो लिख-लिखकर लाये, सब काम को किया हूं। उसके बाद भी ऐसा बोलेंगे, बताईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप असली आदिवासी नेता से बात कर रहे हो।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- जब ये गृहमंत्री थे तो इनकी सरकार में इनका एक सिपाही नहीं सुनता था। जब आप गृहमंत्री थे तो इनका एक सिपाही भी नहीं सुनता था। बिना मुख्यमंत्री के आदेश लिए होता नहीं था। ये खुद एक दिन विधानसभा में बोले थे। मोर सुनबे नइ करय।

श्री ननकीराम कंवर :- आज अपराध बढ़ रहे हैं। जितना कन्ट्रोल होना चाहिए, वह नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- डहरिया जी, आपके विभाग में महात्मा गांधी जी की सुनी जाती है, बाकी किसी की नहीं सुनी जाती है। आपके विभाग में केवल महात्मा गांधी की सुनी जा रही है और किसी की नहीं सुनी जा रही है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- मोर विभाग मा तो सुने जात हो, तो समय मा तो कुछु सुने नइ जात रहिस हे।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, पहले ड्रिप और स्प्रिंकलर में जो सब्सिडी दी जाती थी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उस सब्सिडी को कम कर दिए हैं। पहले 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी, अब वह 50 प्रतिशत पर आ गया है, उसमें 25 प्रतिशत की सब्सिडी कम कर दिए हैं। यह किसानों की हितैषी सरकार है। पम्प कनेक्शन में जो सब्सिडी दिया जाता था, कृषि के अन्य उपकरण सब्सिडी दिया जाता था, ट्रैक्टर के उपकरण में सब्सिडी दिया जाता था, यह सरकार आने के बाद इन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सारे को बंद कर दिया है। किसानों को जो पहले सुविधा मिल रही थी, यदि यह किसान हितैषी सरकार है तो उनकी सुविधा बढ़नी चाहिए। लेकिन उनकी सुविधा बढ़ाने के बजाय लगातार उनकी सुविधा घटती जा रही है। उनकी सुविधा घटने से यह किसानों के निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, बिजली कनेक्शन की बात आई। अभी लगभग 35 हजार पम्प के कनेक्शन लंबित हैं। जब हम मध्यप्रदेश में थे तब उस समय एक टारगेट फिक्स होता था। दिग्विजय सिंह की सरकार में छत्तीसगढ़ को पम्प कनेक्शन कितना मिलेगा, यह तय होता था। उस समय हम लोग विधायक थे और आप मंत्री थे। जब कनेक्शन फिक्स होता था तो एक छिन्दवाड़ा, दूसरा मुख्यमंत्री जी का जिला और तीसरा जो भी उर्जा मंत्री हो, उनके जिले को छोड़कर हम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ का निकालते थे कि कितना कनेक्शन मिलेगा तो एक साल में 33सौ कनेक्शन मिलता था। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक दिन भी कनेक्शन लेन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। एक भी दिन वेटिंग में नहीं रहे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद आज किसान पम्प कनेक्शन लगवाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी 35 हजार कनेक्शन के प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, जिसे सरकार क्लीयर करने की स्थिति में नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि उनके ट्रांसमिशन लाईन के लिए जो एक लाख रूपये की सब्सिडी दी जाती थी, उस सब्सिडी के डर के कारण ये पम्प के कनेक्शन नहीं दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज किसानों की क्या स्थिति बन रही है ? पिछले साल मक्का खरीदी के लिए 16-17 सौ रूपया रेट निर्धारित था। हमारे कोण्डगांव से लेकर कांकेर और बस्तर के लोग 11-12 सौ रूपये में मक्का बेचने के लिए मजबूर हुए। आखिर वे कहां गये ? उनकी समर्थन मूल्य में खरीदी क्यों नहीं हुई ? किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ क्यों नहीं मिला ? आप जब ये संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, तो आप कम से कम यह निर्धारित करें कि जो समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य में ही हमारे मण्डियों में खरीदी होगी। उससे कम में कोई खरीदी नहीं होग, आपने यह एक लाईन इसमें दिया है। जो केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है, उससे कम में बोली नहीं होगी। लेकिन कब तक ? ग्रीष्मकालीन धान 11-12 सौ रूपया क्विंटल में बेचने के लिए मजबूर हुए हैं और बेचे हैं। इससे उनको कोई लाभ नहीं मिला। आज ऐसे अनेक किसानों के साथ दिक्कतें हैं। मुझे लगता था कि जब आप संशोधन विधेयक लेकर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। लेकिन आज भी किसान उस लाभ से वंचित हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस बिल में केवल और केवल कैसे पैसे की उगाही हो सके, इन्सपेक्टर राज कैसे चालू हो, हम उनके घर की तलाशी लेने भेज सके, हम उनके ऊपर केस बनवा सके, केवल इतना ही है। उसकी वजह से न तो किसानों को लाभ होने वाला है और न ही व्यापारियों को लाभ होने वाला है।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
6:29 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी, छत्तीसगढ़ में जितने किसान हैं, सबको लाभ हो रहा है। अगर आप किसान हैं तो आपको भी लाभ हो रहा है। सब लोग धान बेच रहे हैं तो सबको 25सौ रूपया मिल रहा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपके लाभ को देख तो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में एक समय यह स्थिति बनी थी कि विदेश से गेहूं आयात करना पडा था। उस समय यह विचार किया गया कि एक कमेटी बनाई जाये कि हिन्दुस्तान में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाये। उसके लिए सन् 2004 में प्रो. स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ। सन् 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस समय आयोग का गठन हुआ और वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय आयोग का गठन हुआ। उस कमेटी के द्वारा लगातार परीक्षण किया गया कि हम यहां पर उत्पादन की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, आज किसानों की जो माली हालत है उसमें हम कैसे मजबूती ला सकते हैं, किसान जो अपनी उपज बेच रहे हैं, उनकी लागत दर से ज्यादा हम कैसे उनको दे सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सी बातों पर उन्होंने विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने अपना प्रतिवेदन वर्ष 2006 तक प्रस्तुत किया। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ, कांग्रेस की सरकार के रहते ही प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ लेकिन वर्ष 2013-14 में जब तक मोदी जी नहीं आ गये तब तक इनकी सरकार ने जो अपना आयोग बनाया था और जो कि किसानों के हित के लिए बनाया गया था उसको खोलकर देखने का काम भी इनके द्वारा नहीं किया गया और न ही उस प्रतिवेदन के आधार पर उसमें कोई निर्णय हुआ। इसके कारण हमारे किसान के जो आत्महत्या की बात हो रही है। इस देश में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश में होती है। हमारे यहां कम इसलिए हुई क्योंकि तब तक यहां पर समर्थन मूल्य घोषित हो गया था और हमारे यहां के किसानों को 1800 रूपये, 2050 रूपये तक उनको रेट मिल जाता था। लेकिन बाकी जगह जो कपास के किसान हैं, बाकी जगह जो चने के किसान हैं, जो मक्के के किसान हैं, ऐसे किसानों को दूसरे प्रदेश में जो लाभ मिलना चाहिए यदि उस अनुशंसा को मान लिया गया होता तो अनुशंसा को मानने के बाद मुझे लगता है कि किसानों को आत्महत्या के दौर से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वहां पर जो कार्यवाही होनी चाहिए, पलटकर भी नहीं देखा। आज मोदी जी के आने के बाद लागत का डेढ़ गुना, समर्थन मूल्य का जो सुझाव आया उसके अनुसार घोषित किया गया। और वही समर्थन मूल्य हर साल घोषित किये जा रहे हैं जिसके ऊपर में पूरे कांग्रेस के लोग यहां से लेकर पंजाब तक हायतौबा मचा रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लेकर आ रहे हैं वह किसान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विरोधी है। यदि वह किसान विरोधी है तो आपकी सरकार रही तब किसान आत्महत्या क्यों किए या करने को मजबूर क्यों हुए? आपने 55 सालों तक सरकार चलाई लेकिन 55 सालों तक सरकार चलाने के बाद आपने परिवर्तन क्यों नहीं लाया कि किसानों की स्थिति में सुदृढ़ता कैसे आ सके, वह अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकें, उनके लिए सुविधाएं मुहैया करा सकें? आखिर इन बातों पर विचार क्यों नहीं हुआ? इतना ही नहीं मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आप लोग हमारे घोषणा पत्र को ही देखते हो। वास्तविक में आपका यही घोषणा पत्र है। इसी घोषणा पत्र में बिन्दु 11 से 16 तक में दिया हुआ है कि हम सरकार में आयेंगे तो यह हमारा घोषणा पत्र है कि हम आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन करेंगे। जो ट्रेड/व्यापार है उसमें हम अंतर्राज्यीय सीमा खोलेंगे और मंडी कानून में परिवर्तन लायेंगे। मुख्यमंत्री जी, या तो इस घोषणा पत्र को आप लोग यहीं विधानसभा के अंदर में फाड़ दीजिए या तो आप लोग यह बोलिए कि हमने तो केवल दिखाने के लिए इसको रखा था, हमारी नीयत नहीं थी। यदि हमारी नीयत होती तो हम इसको लागू करते।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था कि यदि पहले वाला घोषणा पत्र भी फाड़ देते तो इतनी सीट भी नहीं आती।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है और यदि आपने घोषणा पत्र जारी किया है तो इस घोषणा पत्र पर अमल जहां से कांग्रेस की सरकार है वहां से शुरू करना चाहिए या फिर यह बोलना चाहिए कि वह जो घोषणा पत्र में बातें रखी गई थीं, वह हम केवल दिखाने के लिए रखे थे। या आज खुलेमन से इस बात को बोलिए कि हॉ हमने रखा था लेकिन आज हम झूठ बोल रहे हैं। आज हम झूठ बोल रहे हैं कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। यह आपका घोषणा पत्र है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। तो इस बात को आप मंचों के माध्यम से बोलिए कि हॉ हम विरोध कर रहे हैं। आपके जो दो संशोधन लाये गये, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम भी है तो उसमें इन दो संशोधनों में मूल रूप से आप देखेंगे कि उसमें यही कहा गया है कि जिस प्रकार से मनमोहन जी की सरकार में कार्य हुआ।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, मैं मोदी जी के स्टाईल में आपसे पूछता हूं। प्याज का दाम कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उसमें भी आ रहा हूं। मैं अभी उसमें भी आ रहा हूं ना।

श्री अमरजीत भगत :- आलू का दाम कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम में आपने उसको समान कर दिया तो रेट तो बढ़ेगा ना। उपभोक्ताओं को तो फायदा हो नहीं रहा है। माननीय नेता जी, पूरे देश के नागरिकों को तो नुकसान हो रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- चलो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं ना। मैं आपको प्याज का बता देता हूं। 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। प्याज का रेट 100 रूपये था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू था। कांग्रेस की सरकार में 100 रूपये रेट क्यों चली गयी ? वह नहीं बीच-बीच में आप देखे हैं, कि प्याज का रेट उछला है। यह केन्द्र सरकार की नीति के कारण नहीं है। यदि केन्द्र सरकार की नीति के कारण है तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2013 में 100 रूपये किलो में प्याज क्यों बिक गयी ? कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, आपके पास तो पूरा अधिकार था। उसको नियंत्रित क्यों नहीं कर पाये। स्वाभाविक रूप से..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिये कौशिक जी, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आलू भी 80 रूपये किलो हो गया था।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तीन विधेयक लाये गये। मनमोहन सिंह जी ने उदारीकरण की नीति की जो इंस्पेक्टर राज के शिकंजा में जो किसान जकड़े हुए थे, उससे मुक्त करने के लिये उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में मोदी जी ने जिस प्रकार से लाये, ये इंस्पेक्टर राज खत्म होनी चाहिए। किसान के उपर से बंधन समाप्त होनी चाहिए। किसान अपने उपज का मालिक है, उसका रेट उसको मिल सके और जहां मिल सके वहां उसको बेचने का अधिकार हो। मंडी के लिये उन्होंने नहीं कहा कि मंडी समाप्त होनी चाहिए। मंडी राज्य के अंतर्गत है, राज्य के कानून व्यवस्था के अंतर्गत में है। मंडी को आप सुदृढ़ कीजिए। मंडी को बंद करने के लिये नहीं कहा है। ये भ्रम फैलाना शुरू किये कि मंडी को बंद कर देंगे। कहां लिखा है कि उसमें मंडी बंद कर दिया जायेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मंडी को बंद करने के लिये नहीं कहा है, मंडी को खत्म करने के लिये कहा है। वे लिखे हैं उसको ठीक से पढ़ लो।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उस सेट को पूरा पढ़िये। आप जो एम.एस.पी. की बात पर झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि एम.एस.पी. बंद हो जायेगी।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक मिनट नेता जी, आप मंडियों को बंद करने के बारे में जो बोल रहे हैं, आपने मार्केट प्लेस स्थापित कर दिया, जहां मंडी शुल्क लगेगा नहीं, तो क्रेता तो वहीं जायेगा और जब क्रेता वहां जायेगा नहीं तो किसान किसको बेचेगा तो मंडी तो बंद होना ही होना है। आप लिखे नहीं है, लेकिन बंद तो होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूरे प्रदेश में कितने मंडी हैं और कितने मंडी चालू है, थोड़ा आप बता दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- 69 मंडी है और 118 उपमंडी है और सब के सब चालू है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सब बंद है, 10, 15 मंडी बस चालू है, आपके सारे मंडी बंद है।

श्री मोहम्मद अकबर :- जब क्रेता नहीं जायेगा तो मंडिया बंद होगी। आपने लिखा नहीं है लेकिन आपका आशय वही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप मार्च अप्रैल में एक टूर का कार्यक्रम बना लीजिए, सारी मंडी घूम लेते हैं, कितनी मंडियों में आवक रहती है, आपको दिख जायेगा। ऑन रिकार्ड आवक जो दिखती है, वह समर्थन मूल्य में धान खरीदी पर टैक्स पटता है, वह मंडी के अंदर दिखती है, आपकी ज्यादातर मंडियां बंद हो चुकी है।

श्री मोहम्मद अकबर :- अब घूमने से क्या फायदा ? आप तो मार्केट प्लेस बना चुके हैं, अब घूमने से क्या फायदा ? लोग तो जा चुके, क्रेता बाहर हो गये। मंडी में कोई जायेगा नहीं। जब मंडी में कोई जायेगा नहीं तो मंडी तो बंद होगा ही होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी तो चालू हुआ नहीं है। अभी सारी मंडियां बंद पड़ी है। सात आठ मंडियों को छोड़ दो तो सब मंडियां बंद पड़ी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अकबर जी, मुश्किल से प्रदेश में 8 या 9 मंडी चलती है। बाकी सब अनुज्ञा पत्र, बाहर सौदा पत्रक में, एंट्रीबाजी में।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये कौशिक जी।

श्री अजय चंद्राकर :- वहां आक्सन हो, हां बिल्कुल-बिल्कुल। उसके सिवाय दूसरी कोई मंडी लाईव है नहीं। मैं तो बोला आपके भाषण में, चलो दुर्ग मंडी देख लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- क्या है वर्तमान में...।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप भी मंडी अध्यक्ष रहे हैं ना। आप भी मंडी अध्यक्ष रहे हैं, सब जानते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- कल दुर्ग मंडी देख लेते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी अभी भाषण दे रहे थे, मैं सुन रहा था। कांग्रेस की घोषणा पत्र लेकर आये थे। भाजपा के घोषणा पत्र में क्या ये लिखा गया है कि एयरपोर्ट बेचेंगे, रेलवे स्टेशन बेचेंगे, नगरनार बेचेंगे? (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरमलाल कौशिक :- जिस दिन..।

श्री भूपेश बघेल :- सुन लीजिए, इतना उतावला क्यों हो रहे हैं। क्या ये बेचेंगे करके लिखे हैं ? जब सब बेच लिये और कोई नहीं बिक रहा है, तब किसानों की जमीन पर निगाह है, क्या आप ये भी लिखे थे ? (शेम शेम की आवाज)

श्री धरमलाल कौशिक :- जिस दिन आप नगरनार को ले करके, बाकी विषय को ले करके, एयरपोर्ट को ले करके आयेंगे उस दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। एक दिन उस विषय को भी आप ले आईये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- नहीं-नहीं (व्यवधान) ये बताईये ना। एयरपोर्ट बेचेंगे, रेलवे स्टेशन बेचेंगे, ये लिखा है, अब निगाह हमारी जमीन पर, किसानों की जमीन पर है। ये लिखे हैं क्या ?

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, आप एक दिन विशेष सत्र उसके लिये बुला लीजिए। मैं तो बोल रहा हूं ना।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता जी, आप इस विषय को हमारे प्रदेश के एकमात्र आयातित सांसद माननीय के.टी.एस. तुलसी जी को बताईये, इस विषय को संसद में उठाये।

श्री भूपेश बघेल :- हम सौदान सिंह जी को बता देंगे। वह भी आये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह सांसद नहीं हैं। एक मात्र आयायित सांसद है, आप उनको बताईये।

श्री भूपेश बघेल :- यही से पता देते हैं। आपके पदाधिकारी (व्यवधान) अब सौदान सिंह जी की जरूरत आ गई।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये अभी का नहीं है जब कांग्रेस सरकार थी तब आपके एयरपोर्ट बिक गये थे।

गृह मंत्री(श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द आयातित सांसद।

श्री भूपेश बघेल :- एक मिनट, आप सुनिये तो। जब हमारे डॉ. शिवकुमार डहरिया खड़े होते हैं तब आप क्या बोलते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग तो हाथ जोड़ लेते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- आप सुनिये तो। कृषि मंत्री जी सक्षम नहीं है क्या ? जवाब नहीं दे सकते। शिवरतन जी यही बोले थे। आप आप स्वीकार कर लिये कि आपके नेता प्रतिपक्ष सक्षम नहीं है। जो मैंने उनसे सवाल किया।

श्री शिवरतन शर्मा :- जब वे खड़े हुए तब मैंने कहा।

श्री भूपेश बघेल :- आप रूक जाईये उनको तो बोलने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता। मैंने प्रश्न किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। एक मिनट।

श्री भूपेश बघेल :-मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि नेता जी सक्षम नहीं है। ये बहुत गलत बात है। अपने दल के नेता को वह सक्षम नहीं मान रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता प्रतिपक्ष का चूटईया पूरा खड़ा है, एनटीना। समझे न। (हंसी) उसमें पूरा फुल करेंट आ रहा रहा है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों से पीछा छुड़ाईये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :-उसमें पूरा फुल करंट आ रहा है। आप देख लीजिए पूरा फुल करंट आ रहा है। एनटीना खड़ा है। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिश:- माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट बेच रहे हैं यह अभी का नहीं है। ये तो आपकी सरकार रही है तब शुरू हो गया था। उस समय कौन एयरपोर्ट के मिनिस्टर थे आपको मालूम है प्रफुल्ल पटेल जी। उस समय ये शुरू हो गया है इसलिये जिस दिन उसको रखोगे उसका भी इतिहास आपको बता देंगे। यह आज का नहीं है। आप लोगों ने कब से बेचना शुरू किया है वह भी बता देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात को मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हमारे छोटे-छोटे किसान हैं वे कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। आज वे कोर्ट के चक्कर नहीं लगा रहे हैं। इसमें तो कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग में दिया गया है यदि कोई विवाद हुआ, सहमति से निपटायेंगे। यदि नहीं निपटा, पक्षकार दोनों सहमति से तय करेंगे और उसके बाद में किसके पास जाएंगे ?आपके अनुभाग में और अनुभाग के बाद में अपीलीय अधिकारी कौन है ?आपके कलेक्टर हैं। उसको कलेक्टर से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो छोटे-छोटे किसान जब विवाद आते हैं तो बेचार हाईकोर्ट तक जाते हैं वे हाईकोर्ट तक जाकर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन तो इसमें इतना पाबंद किया गया है, उपबंध दिया गया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय नेता जी, एक मिनट। इसका मतलब कानून बनाने के बाद आप इस बात को मान रहे हैं कि विवाद उत्पन्न होगा। जब विवाद उत्पन्न होगा तो ऐसे कानून की क्या जरूरत है? आप विवाद उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन से कानून में विवाद है?

श्री धरमलाल कौशिश :- मुझे आप यह बतायें ...।

श्री मोहम्मद अकबर :- ऐसा कानून आप बनाये क्यों कि विवाद उत्पन्न होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, मुझे यह बताईये कि सारी व्यवस्था में न्याय पालिका है, राजस्व न्यायालय है तो आप सब को भंग कर दीजिए। विवाद किसी कानून में नहीं लिखा है।

श्री मोहम्मद अकबर :- सवाल इस बात का है कि ये कृषि उपज के लेनदेन की बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज कोई भी व्यवस्था विवादरहित नहीं है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप ये कानून बनायेंगे, आप कोई भी प्रावधान करेंगे..(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :-आपको इस बात की आंशका है कि हेराफेरी होगी। विवाद होगा। इस कारण आपने यह सब व्यवस्थाएं बनायी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दुनिया की किसी भी व्यवस्था में आप ले लीजिए। हर में गुंजाईश है। तानाशाही भी होती थी। कीमानजोल गोली मरवा देता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिश :- आप कोई भी कानून बनायेंगे, कोई भी व्यवस्था बनायेंगे। इसका प्रावधान आपको रखना पड़ेगा। यदि आपकी मण्डी भी चल रही है तो विवाद उत्पन्न हो रहा है तो कोर्ट में जा रहे हैं। क्या उसमें विवाद उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसमें कोर्ट में जा रहे हैं। आप कोई उपबंध करेंगे तो आपको उसके निराकरण के लिए आपको उपबंध करना पड़ेगा। आप मान लिये, उसमें मानने का क्या है ? इसमें तो सीधा यह है कि यदि कोई परिस्थिति आयी तो ..।

श्री मोहम्मद अकबर :- क्यों आएगी। हेराफेरी करने की स्थिति है क्या ? ऐसी परिस्थिति क्यों आएगी ?

श्री धरमलाल कौशिश :- क्यो आएगी। आप तो यह बात कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। माननीय मंत्री जी यह परिस्थिति ऐसी आएगी जैसे क्विंस क्लब को एक झन को चलाने को दिये हैं। वह विधायकों का रास्ता बंद कर दिया। वे कहां जाएं ?आपसे न बोलें तो किससे बोलें ? एलानिया विधायकों का रास्ता बंद कर दिया। वहां पर गोली चल रही है। ड्रग्स पेडलर्स आ रहे हैं लड़कियां आ रही हैं, नोटिस भर दिये जा रहे हैं कोई कार्यवाही हो रही है क्या ?आपके पास आएंगे तो यही बोलने और विधायकों का रास्ता भी खुलवा दीजिए। कृपा करके । आपने उसको पूरी तरीके से कोई मालिकाना हक नहीं दिया है। विधायकों का रास्ता बंद कर दिया है। वहां गोली चल रही है ड्रग पेडलर आ रहे हैं गोवा, मुम्बई और नाइजिरिया का कनेक्शन है और वहां कोई मालिक, देखने वाला है। सरकार में आप बैठे हैं आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा उसमें जांच करिये और विधायकों का रास्ता खुलवाईये और उसका निरस्त करिये। उसको मुख्यमंत्री गेस्ट हाउस, स्पीकर गेस्ट हाउस बनवा दीजिए, इंडियन कॉफी हाउस को दे दीजिए। उसका दारू भट्ठी का लाइसेन्स कैन्सिल करिये और सख्त कार्यवाई करिये। उसको यहां बैठा हुआ कोई संरक्षण दे रहा हो या बाहर कोई बैठा दे रहा हो, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे ही विवाद पैदा होते हैं, उसके लिए अपील होती है।

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिये पूरे मामले में जो भी आपने कहा, पूरी तरीके से कार्यवाई हुई है, सारी गिरफ्तारियॉ हुई हैं, निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, वह नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- किसका? जवाब दे दिया है, आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी 3 दिन पहले तक तो जवाब नहीं दिया है, मैं 3 दिन पहले तक रायपुर में था।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जवाब दे दिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह जवाब भी नहीं दिया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- जवाब दे दिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- 36 बार नोटिस देने के बाद वह जवाब देगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि वह जवाब दिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप 36 बार नोटिस देकर उससे जवाब मांगेगे, वह जवाब देकर कृपा किया है?

श्री मोहम्मद अकबर :- वह कृपा करे या न करे, आपने कार्यवाही की बात की।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उसके ऊपर कार्यवाही करिये, विधायकों का रास्ता खुलवाईये। वह क्लब विधायकों के लिए बना हुआ है। वह किसी सेठ, साहूकार के लिए नहीं बना है। इसलिए आपको उस पर कार्यवाही करना चाहिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिये, विधायकों का रास्ता खुलवाने की बात है तो विधायकों का रास्ता रोका किसने है?

श्री धर्मजीत सिंह :- वह क्वीन्स क्लब ने रोका है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपको किसने बोला कि रोका है?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं खुद गया हूं। वहां पर ह्यूम पाईप डाल करके रास्ता बंद किया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, रास्ता खुला हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं बोल रहा हूं। मैं वहां परसों खुद गया था।

श्री नारायण चंदेल :- अकबर जी, रास्ता बंद है, आप ठीक बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- सवाल किसी को संरक्षण देने, साथ देने वाली बात नहीं है, किसी को संरक्षण देने का कोई सवाल नहीं है। यदि कानून का कोई उलंघन करेगा तो पूरी कार्यवाही की जायेगी और की जा रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां पर रास्ता बंद है। वहां पर ह्यूम पाईम डालकर रास्ता बंद किया है, गेट बंद किया हुआ है। माननीय मंत्री जी, मैं खुद गया हूं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, अभी भी रास्ता बंद है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और कौन हैं, मैं उसको भी नहीं जानता, उसका कौन मालिक है, मैं नहीं जानता। मैं वहां कभी एक कप चाय पीने भी नहीं गया। वहां पर जो शराब की दुकान है, अगर आप उसको बंद कर दो, वह अपने आप खत्म हो जायेगा। यह सब तमाशा वहां इसीलिए चल रहा है। वहां पर आप मुख्यमंत्री गेस्ट हाउस बना दीजिए। उसको बना दीजिए न, वह तो हाउसिंग बोर्ड का है। आपके गेस्ट आयेंगे। या स्पीकर गेस्ट हाउस बना दीजिए। इंडियन कॉफी हाउस को दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- किस बात में चर्चा हो रही है?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यह बोल रहे हैं कि वह रास्ता खुला है। हम लोग वहां से जा ही नहीं पाते। विधानसभा में इतना गलत बयान नहीं देना चाहिए। यह बहुत लज्जा की बात है।

अध्यक्ष महोदय :- विषयांतर क्यों हो रहे हैं? चलिये आप खत्म करिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय ननकीराम जी, आपकी ही हुकूमत थी, तब से वह रास्ता बंद है।

श्री ननकीराम कंवर :- अच्छा, तब तो हम आते-जाते थे। अभी तक जाते थे, यह रास्ता अभी-अभी बंद हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह बीच में चल रहा था, हम उसमें से आते-जाते थे। यह रास्ता अभी-अभी 6-8 महीनों से बंद हुआ है। पहले उस रास्ते से हम लोग आते थे। अभी इस सरकार में भी आते थे, पर अभी वह रास्ता 6-8 महीनों से बंद है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 साल, 14 साल जो भी कहा, मैं उसको राजनीतिक स्वरूप नहीं देना चाहता। मैं उसके बिल्कुल सामने रहता हूं। मैंने किसी जिम्मेदार आदमी को लॉकडाउन के दौरान बताया कि वहां शराब बिक रही है और मैं सदन में जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। उस समय गोली चलती नहीं थी, उस समय वहां रेव पार्टी नहीं होती थी। आप समझ रहे हैं न? मैं नहीं जानता, राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय ने समय दिया। लेकिन जितने अनैतिक कार्य हैं, सब वहां होते हैं। अभी बंद होगा, नहीं मालूम। अब मोहम्मद अकबर जी ने कार्यवाही की बात कही। अकबर जी की जिस प्रकार की कार्यवाही के लिए उनकी प्रतिष्ठा है, उस तरह की कार्यवाही उन्होंने नहीं की है। उसको तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए, जो अधिकतम कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी, खत्म करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री अकबर जी बोल रहे थे कि क्या विवाद होने की संभावना है? आपके मंडी तो इतने प्रचलित हैं, पुराने हैं, आज भी उसके विवाद चल रहे हैं। आज भी देनदारियॉं बची हुई हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में सारे विवाद खत्म हो जायेंगे, किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। विवाद की स्थिति नहीं बनी, अच्छी बात है। लेकिन उसकी जब भी कोई संभावना उसके साथ में रहनी चाहिए और उसके उपबंध में होनी चाहिए कि उसमें क्या व्यवस्था होगी। यह पहले से तय होना चाहिए और लगभग यही स्थिति बनती है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में हल्ला मचाने का काम, असत्य बोलने का काम, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, किसानों को डराने का, उकसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके बाद भी केवल कांग्रेस के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लोग रैली निकाले, इनके सपोर्ट में उसके बाद भी कोई किसान नहीं आये। क्योंकि किसानों को मालूम है कि मोदी जी जो बिल पारित किये हैं, वह किसानों के हित में हैं। इसलिए मोदी जी के साथ में खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो कृषि बिल ले करके चौबे जी आये हैं, वास्तविक में मैं सोच रहा था कि किसानों के लिए होगा, लेकिन पूरे बिल को पढ़ने के बाद में कहीं किसानों के हित की बात नहीं है बल्कि उसमें किसानों को धमकाने वाली बात आएगी, आप आने वाले समय में देखेंगे कि डराने वाली बात आएगी और जिस प्रकार से किसान पिछली बार परेशान रहे हैं, मुझे लगता था कि उससे मुक्ति मिलेगी लेकिन इस बिल में ऐसा कोई उपबंध नहीं किया है, केवल मण्डी को कैसे सुरक्षित किया जा सके और मण्डी को कैसे बचाया जा सके । उतना ही उन्होंने सुरक्षित किया है इसलिए इस बिल को किसानों का बिल न मानते हुए मैं इसका विरोध करता हूं ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत विस्तृत और विस्तारित चर्चा हुई और आज आपने कुछ ज्यादा ही उदारता दिखायी । आपको धन्यवाद है ।

अध्यक्ष महोदय :- किसानों का मामला था इसलिए और मैं भी एक किसान का बेटा हूं, इतना तो करना पड़ेगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल 6 उपखंडों पर संशोधन का यह विधेयक पेश किया था लेकिन देश के संविधान, संसद के द्वारा पारित कानून, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 03 कानून पेश किए गये और स्वीकृति दी गयी, वहां से जब चर्चा शुरू हुई तो आखिरी क्वींस क्लब तक की भी हम लोगों ने चर्चा की है । आपने इतनी विस्तृत चर्चा करने की अनुमति दी । 6 बिंदुओं पर तो मैंने पहले भी अपने जो परिचयात्मक उद्बोधन था, उसमें अपनी बात कही थी लेकिन मैं थोड़ा उत्तर देते हुए संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा । मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी को स्मरण करना चाहता हूं । पार्लियामेंट में वह प्रतिपक्ष की नेता थीं, सारा देश उनको सुनता था और वे बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहतीं थीं । जिस तारीख को केंद्र में कानून आया और सलेक्ट कमेटी को दिया गया, 04 दिसंबर 2012 को लीडर ऑफ पोजीशन थीं शायद उस समय आप कृषि मंत्री के रूप में पार्लियामेंट में मौजूद थे । उन्होंने अपनी यह बात कही थी, उसकी शुरूआत ही यही थी कि मण्डी से सीधा किसानों का संबंध होता है, संपर्क होता है, वहां के व्यवसायियों से उनके रिश्ते होते हैं, उनकी बेटी की कभी शादी हो जाए, उनके बच्चों की फीस की जरूरत हो जाए, आकस्मिक खर्च की कोई आवश्यकता हो जाए, उनके घर में कोई आपदा हो जाए तो उन्हीं से हमारा किसान लेन-देन करता है और आप मण्डी समाप्त करने क्यों जा रहे हैं ? श्रीमती सुषमा जी ने उस दिन भी इस बात को पूछा था, पार्लियामेंट में उन्होंने इस बात को कहा था कि मण्डियां समाप्त हो जाएंगी तो हमारे किसानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा । सुषमा जी ने कहा था कि आप निजी मण्डी या बड़े-बड़े उद्योग चलाने वालों को अगर मण्डी की ईजाजत देंगे तो उन्होंने तो केवल एक नाम लिया था । क्या यहां वालमार्ट की मण्डी आप खोलने जा रहे हैं ? मैं तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसमें दो नाम और जोड़ना चाहता हूं । अभी जो आपने कानूनों में संशोधन किया है न तो उसमें वालमार्ट के साथ रिलायंस, आखिर रिलायंस फ्रेश सब्जियां बेच रहा है । अभी कोई धनिया की बात कहीं से हो रही थी, उसको भी रिलायंस बेच रहा है । सारे उपक्रम रिलायंस करेगा, अडानी करेगा, अंबानी करेगा तो हमारा गरीब किसान कहां जाएगा ? हमारा छोटा व्यापारी कहां जाएगा ? हमारे छोटे-छोटे फुटकर में धंधा करने वाले लोग कहां जाएंगे ? श्रीमती सुषमा जी ने कहा था कि मण्डी समाप्त नहीं होनी चाहिए और आज मोदी जी क्या करने जा रहे हैं ? सारी चर्चा हुई, मैं केंद्र के किसी कानून के बारे में आज बोलना नहीं चाहता था लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ये तीनों कानून जो केंद्र सरकार ने बनाये हैं उसमें एक पक्षकार हमारा ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बोलना नहीं चाहते थे तो इस तीन कानून में बोलने की शुरूआत किसने की ? आपने ही तीन कानून में बोलने की शुरूआत की, नेता प्रतिपक्ष को क्यों घसीट रहे हैं ? आप बोलेंगे तो वे तो उत्तर देंगे ही, एक । दूसरा श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने जो कहा तो मान लिया कि सही कहा । लेकिन आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा है उसको भी आप पढ़िए क्योंकि आप जिम्मेदार नेता हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमें हमारे घोषणा पत्र को पढ़ने के लिये कहा जा रहा है । क्या कभी आपने अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र पढ़ा है ? आपने भी कहा था कि 2100 रूपए देंगे । छत्तीसगढ़ के किसानों को आपने धोखा क्यों दिया ? आपने भी कहा था कि 5 साल 300 रूपए का बोनस देंगे, छत्तीसगढ़ के किसानों को आपने धोखा क्यों दिया ? आपने 270 रूपए देने की बात कही थी, आपने छत्तीसगढ़ के किसानों को धोखा क्यों दिया ? कभी आप अपना घोषणा पत्र उलटकर देखते ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसीलिए तो यहां बैठे हैं भइया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप भी आना चाहते हो क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारी तो नियति तय हो गई, आप अपनी बात कीजिए ना ।

श्री भूपेश बघेल :- ऐसा है कि जब दिल्ली में आप सत्ता में हैं तो आपको अपने घोषणा पत्र की चर्चा करनी चाहिए । जनता ने दिल्ली के लिए तो आपको बहुमत दिया है । वही मैंने नेता जी से पूछा कि रेल्वे को बेचने की बात घोषणा पत्र में थी क्या ? नगरनार बेचने की बात घोषणा पत्र में थी क्या ? उसका कोई उत्तर नहीं आया । आपके घोषणा पत्र की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह कानून वहां बना है। शुरूआत हमने नहीं की, आपके जो ओपनर बैट्समैन हैं उन्होंने इसकी शुरूआत की है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि कांग्रेस के एक मात्र विश्वसनीय सबसे ज्यादा मेंडेड वाले राष्ट्रीय स्तर के नेता आप हैं । आपके घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ में लागू करने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है । राजा साहब ने भी मान लिया कि मैं हिस्सा हूं कि नहीं, मुझे बताया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जाए । जो बहुमत मिला है कम से कम छत्तीसगढ़ में अपने घोषणा पत्र को शत्-प्रतिशत लागू करें । ऐसी अपेक्षा हम सबकी है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, सबको अपना संकल्प पत्र और घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए । अगर हम 2500 रूपया किसानों को दे रहे हैं तो उस घोषणा पत्र का ही रूप है और कहां दे रहे हैं इसको भी सुन लीजिए । पहले वर्ष हमने 2500 रूपये दिये, दूसरे साल भी हमने बजट में 2500 रूपए का प्रावधान किया, दिल्ली की सरकार ने बार-बार कहा, चिट्ठी लिखकर कहा, हम मिलने गए तब भी कहा कि आप 1815 रूपए से ज्यादा एक रूपया भी नहीं दे सकते । सरकार क्या करे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या करे ? हमारा तो कमिटमेंट है ना, हमाके किसानों को देना है, इसलिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई और पहली किश्त दी, दूसरी किश्त दी, तीसरी किश्त दी और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तीसरी किश्त अभी दी नहीं है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- 1 नवम्बर, 1 नवम्बर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने कहा कि दिया ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- दे दिया समझो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- 1 तारीख हा तीरेच मा आ गे हे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- बात वह नही है अध्यक्ष जी । हम किसानों की चर्चा कर रहे हैं । छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित है । जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो रहा था उस समय मध्यप्रदेश की विधान सभा में आपमें से अधिकांश सदस्य थे, हम भी बैठे थे । सबने अपने भाषण में एक बात कही कि हमारा अपना छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य होगा । शस्य शामला धरती होगी, हम हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत राज्य बनाएंगे । हरियाणा और गुजरात से भी ज्यादा समृद्ध राज्य बनाएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब हमने उसका उदाहरण भी दिया था । आपके स्थगन को संकल्प में बदला था । ऐसा संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि स्थगन, प्रस्ताव में बदले । आप जिस भावना से भाषण दे रहे हैं उसी भावना का प्रदर्शन हमने किया था ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसलिए मैं आपकी भावना की भी कद्र करता हूं और हम सब लोग सम्मान करते हैं । ये राजनीति की जो बातें होती हैं, इस सदन हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में किसानों की मदद् और उनकी तरक्की के लिए बैठे हैं । हम भी यह मानकर चलते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह छत्तीसगढ़ के किसानों के हित की बात कह रहे हैं लेकिन थोड़ी बातें आ जाती हैं । आपने सारी चर्चा कर ली, आप धान खरीदी पर आ गए । आपने यहां पर बीज निगम की सारी चर्चा कर ली, विद्युत मंडल के कनेक्शन की सारी चर्चा आपने यहां कर ली ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब किसानों से रिलेटेड है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- व्यापक है, व्यापक है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसीलिए तो मैंने अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया कि हम लोगों ने व्यापक चर्चा की है और हम उम्मीद भी करते है और यहां किसी की आलोचना करने का सवाल नहीं है । मैं कह रहा था कि केन्द्र सरकार के तीनों बिल में एक पक्षकार किसान है । दूसरा पक्ष ? पहले बिल में वह कैप्टलिस्ट जो मंडी खोलेंगे । दूसरे बिल में ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह कहां लिखा है कि कैप्टलिस्ट ही खोलेगा ? आप बिल देख लीजिए, मेरे पास भी बिल है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- और कौन खोलेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन खोलेगा यह बात नहीं है । किसानों का ग्रुप भी बन रहा है, कोई भी खोल सकता है, आप खोल सकते हैं । यही अफवाह फैलाई जा रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों का हित चाहते हैं । यदि हित चाहते हैं तो अफवाह मत फैलाएं ना । जो बात बिल में है हम उसकी बात करें, आप तो जिम्मेदार आदमी हैं । उस बिल में कहां पर लिखा है कि कैप्टलिस्ट मंडी खोलेगा ?

समय :
7.00 बजे

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी मंडी की बात हो रही है। उसमें मत जाओ।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं-नहीं, वे बगल में बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपने भाषण में नहीं सुनी?

श्री रविन्द्र चौबे :- कांट्रेक्ट फार्मिंग होगी। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थीं। कांट्रेक्ट फार्मिंग कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो दुर्ग का एक उदाहरण दिया। अभी भी हमारे यहां की जो परंपराएं हैं, रेघ की खेती, अधिया की खेती आपने कहा सोंझ की खेती, उसके अलावा भी यहां जो सीड प्रोडक्शन करने वाली बड़ी कंपनियां हैं, Bayer जैसी कंपनियां हैं, वी.एन.आर. जैसी कंपनियां हैं, वे भी कांट्रेक्ट फार्मिंग करती हैं। एक फसल के लिए किसानों के साथ कांट्रेक्ट होता है। उन्हें इनपुट दिया जाता है। उन्हें लागत सपोर्ट दिया जाता है। उन्हें फर्टिलाइजर दिया जाता है और उसके उत्पाद को लेने की गारंटी और उसकी कीमत तय की जाती है और दूसरी फसल किसान अपनी मर्जी से ले लेता है और उन किसानों को भी लाभ हो रहा है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर उस तरीके से कांट्रेक्ट फॉर्मिंग होंगी, पेप्सी ने जैसे हरियाणा में किया, उस टाइप के कोई लोग आयेंगे। रिलायंस आयेगा, वालमार्ट आयेगा जैसी बड़ी कंपनियां आयेंगी तो किसानों का अस्तिव माननीय धनेन्द्र भैय्या कह रहे थे कि कहां बचने वाला है? आप हमारा अस्तित्व समाप्त कर देंगे। हमारा किसान किसानी छोड़ देगा।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- धनेन्द्र भैय्या के क्षेत्र में ही छत्तीसगढ़ में सबसे पहले एग्रो इंडस्ट्री आयी। हमारे यहां सबसे पहले आपके यहां एग्रो आया। वह अच्छा चल रहा है।

श्री धनेन्द्र साहू :- वह तो बाई-प्रोडक्ट हो गया न।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाई-प्रोडक्ट हुआ पर एग्रो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आया और वह सफलतापूर्वक चल रहा है और कहीं कोई विवाद नहीं है जो कल्पना आप फैला रहे हो कि ऐसा हो जायेगा, वैसा हो जायेगा। कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। वह ठीक से चल रहा है। धनेन्द्र भाटो।

श्री अमरजीत भगत :- ते शांति से बइठ न ग।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, जो आप उदाहरण दे रहे हैं न वह कांट्रेक्ट फार्मिंग नहीं है। वह किसानों के केवल पैरा को खरीदने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एग्रीमेंट को कांट्रेक्ट नहीं बोलते।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, उस तरीके से नहीं।

श्री धनेन्द्र साहू :- वह एग्रीमेंट में नहीं था। उसका कोई एग्रीमेंट नहीं था।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसे आप परिभाषित कर दीजिएगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन कांट्रेक्ट फार्मिंग से क्या लाभ है ? आप कुछ नहीं बता पाये। निजी मंडियों से क्या लाभ है ? अभी माननीय डॉ. रमन सिंह जी कह रहे थे कि आप केन्द्रीय कानूनों का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं, यह लागू ही नहीं हो सकता। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि 8 बार संशोधन मंडी विधेयक में जैसा आपने किया था न हमने भी हमारे सीमाओं के अधिकारों के अंदर मंडी विधेयक में संशोधन किया है। इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। हम किसी केन्द्रीय कानून का इसमें अतिक्रमण नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन केन्द्र के कानूनों के द्वारा आज हमारे किसानों के हित की रक्षा नहीं हो पायेगी तो इन कानूनों के माध्यम से हम अपने किसानों की रक्षा करेंगे। अपनी मंडियों की रक्षा करेंगे। अब बहुत गलतफहमी थी कि माननीय बृजमोहन जी कह रहे थे कि इंस्पेक्टर राज आ जायेगा। क्यों इंस्पेक्टर राज आ जायेगा भाई? कहां से नये सिरे से ये सारी बातें आ गयीं। आप कह रहे थे कि अभी केवल कानूनी कार्यवाही करने के लिए हमने कहा है न कि केन्द्र के कानून में कहा गया है कि मंडियां होंगी। आप पेमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरी जानकारी में मुझे अभी दो साल कृषि मंत्री बने हुआ है। महासमुंद और राजिम का दो प्रकरण आया है। मंडी में राजिम के राइस मिलर के खिलाफ हमने सारी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है और केवल महासमुंद में शेष है और आप कह रहे थे कि कई जगह इस प्रकार की बातें हैं। आप बताइए तो सही, हम सब जगह कार्यवाही करेंगे, लेकिन इसमें आपने क्या अधिकार दिया हुआ है ? एस.डी.एम. के यहां जाकर वह अपील करेगा। एस.डी.एम. के कोर्ट में कितने दिन मामले चलते हैं ? कलेक्टर के यहां जाकर अपील करेगा। राजस्व न्यायालयों में मामले 10

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

साल तक चल जाते हैं। क्या हमारा किसान पेमेंट के लिए 10 साल घूमेगा? ये सारे कानून इसलिए आवश्यक हैं। 30 दिन में अगर एस.डी.एम. नहीं करे तो कलेक्टर के यहां जायेगा, उसके बाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके बाद डेढ़ गुना।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इससे किसानों का कोई हित नहीं होने वाला है और मैं आप सबसे दो-तीन प्रमुख बातें कहना चाहता हूं कि केन्द्र के किसी कानून से टकराहट नहीं है। माननीय नारायण चंदेल जी और शिवरतन भैया कह रहे थे कि केन्द्र से सीधा टकराव होगा। हम क्यों केन्द्र से टकरायेंगे? संघीय ढांचा है। उनका काम करने की अपनी अलग जगह है। हम अलग जगह काम कर रहे हैं। देश के निर्माण में वे लोग भी लगे हुए हैं। देश के निर्माण में वे लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रश्न करते हैं कि 6 साल में आपने क्या किया ? बालको बेचा, नगरनार बेचा, क्या-क्या बेचने का काम किया ? कृषि के क्षेत्र में काम की अगर आप बात करते हैं ।...

श्री शिवरतन शर्मा :- जिस इंवेस्टमेंट को बेचा, बेचा बोल रहे हैं । 54 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन किसी विदेशी को तो नहीं सौंप दी । चीन को तो नहीं सौंप दी, वह भी आप लोग याद कर लो और शुरूआत आप लोगों ने की थी । प्रफुल्ल पटेल जी ने शुरू की, वे यूपीए सरकार में मंत्री थे ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- यही तो भैया बोल रहे हैं कि आप लोग केवल नकल करते रहते हैं । वे कहानी सुनाये थे, आप लोग भूल गए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब चीन के द्वारा कब, किसकी जमीन में कब्जा किया गया है, रोज अखबारों में आप भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं । इसलिए उसमें ज्यादा कुछ कहने का नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरा देश इतिहास जानता है । 54 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन 1965 में जवाहरलाल नेहरू जी के पीरिएड में गई, 12 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन यूपीए सरकार के कार्यकाल में गई ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अभी यह बताओ कि राजनाथ सिंह जी असत्य बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी असत्य बोल रहे हैं । लोकसभा में जो उत्तर आया है या वहां गलवान घाटी में जाकर प्रधानमंत्री जी बोलकर आये हैं कि एक इंच जमीन नहीं गई है तो आखिर हमारे जवान वहां कैसे शहीद हो गए ? हमारे छत्तीसगढ़ के जवान शहीद हुए तो वे हिन्दुस्तान की जमीन पर शहीद हुआ है या चीन की जमीन पर शहीद हुआ है । अभी चीन ने कब्जा किया है या नहीं किया है, यह बताओ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चीन ने कब्जा किया है, पर जो भी कब्जा हुआ है, वह यूपीए सरकार और माननीय नेहरू जी के पीरिएड में हुआ है । अभी किसी जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है ।

श्री भूपेश बघेल :- प्रधानमंत्री जी असत्य बोल रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका नेता 15 मिनट में हटाने की बात कर रहा है, 54 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन सौंप दिया, वे 15 मिनट में हटा देंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसा लगता है कि असत्य बोलने की ट्रेनिंग शर्मा जी ने नागपुर से लिया हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर दूध भात हे, जे बोल ले ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, डॉ. रमन सिंह जी अभी यहां नहीं हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं । वे कह रहे थे कि ये तो व्यापार और ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग कितना शब्द उन्होंने विस्तारित करके कहा । ये कानून दिल्ली ने बनाया है । हम लोग तो यही कह रहे हैं, हमारे कृषि को आप उस व्यापार से मत जोड़िए । संविधान ने राज्य को कृषि पर पूरा अधिकार दिया हुआ है और आप उसको व्यापार दर्ज कर देंगे तो कल प्रधानमंत्री जी खेती पर टैक्स भी लगा देंगे, जो कभी नहीं हुआ है और दूसरी बात यह है कि तीनों मामलों में मैंने कहा, अभी आदरणीय अजय जी आपत्ति कर रहे थे कि वे पूंजीपति कैसे हो सकते हैं । अगर कारपोरेट हाऊस कांट्रेक्ट खेती करेगी, जमाखोरी कौन करेगा । डेढ़-दो लाख मेट्रिक टन के गोडाऊन कौन बनवा रहा है ? कोई एस.पी.ओ. बनवा रहा है, कोई गरीब किसान बनवाएगा ? ये जमाखोरी कौन करने वाले हैं । बाजार के मूल्य का नियंत्रण वे करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी, आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप कल्पनाओं पर बात करें । आप आज धरातल पर बात करिए । भविष्य में क्या होगा, वह न मैंने देखा है, न आपने देखा है । अभी परिणाम आने दीजिए, तब उसके लिए हाऊस चलेगी, तब फिर आएंगे । चिन्ता मत करिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वे लोग गोडाऊन बनाने में सब्सिडी भी ले रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर दूध-भात हे, तै जेन बोल ले ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं भविष्य की बात नहीं कह रहा हूं । अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को संबोधित करते हुए आपसे कहा कि नागपुर में अब उस कारपोरेट हाऊस का मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, मैं बाहर बोल दूंगा । चार दिन में, केवल चार दिन में डेढ़ लाख मेट्रिक टन का गोडाऊन बना डाला है । आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम में आदेश वापस कैसे लिये ? 100 रूपये प्याज की कीमत हो गई, आपने लिमिट हटा दिया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप यह बताईए कि वह नोटिफाईड होकर लागू हो गया है ? आप मंत्री हैं, आप बताईए कि वह लागू हो गया है क्या, जिसको आप वापस लिये, बोल रहे हैं । वह लागू हो गया है क्या ? जब लागू हो जाएगा, तब वापस लेने की बात होगी । अभी लागू ही नहीं हुआ है और आप वापस लेने की बात कर रहे हैं। इसी को गुमराह करना बोलते हैं, इसी को अफवाह फैलाना बोलते हैं । इसी को भविष्य की बात करना बोलते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में अब कोई लिमिट नहीं रहेगी । राज्यों की सीमा से परे जाकर आप व्यापार कर सकते हैं । अमरजीत जी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जी ने दस्तखत भी कर दिया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किसकी बात स्वीकार कर रहे हैं । आप जानते हैं न, बोल दीजिए कि अभी वह नियम लागू नहीं हुआ है तो वापस लेने की बात कहां से हो गई । जिस दिन वह अधिनियम लागू हो जायेगा...

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कह रहा हूं न, लेकिन केन्द्र ने आदेश दिया कि स्टॉक लिमिट जो है, अब खुदरा व्यापारी केवल दो टन का और बड़े व्यापारी, होलसेल व्यापारी 25 टन का रख सकते हैं। आप मेरी भविष्यवाणी याद कर लेना। आवश्यक वस्तु अधिनियम की सारी लिमिट जो समाप्त किए हो न, वह सरकार को फिर से करना पड़ेगा। हमने इस कानून के अन्तर्गत 20 (क) में इसीलिए लाया है कि हम उसका निरीक्षण करेंगे, हम उसका दस्तावेज देखेंगे, किन किसानों की खरीदी बिक्री की, हम उसकी जांच करेंगे, हम उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग करेंगे। यदि जरूरत पड़ेगी तो उसको अभियोजित भी करेंगे और न्यायालय में उसके खिलाफ वाद भी दायर करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- 1899 Cr.P.C. के तहत।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। आपने फिर 1899 की बात कही। आपने सात बार संशोधन किया, आपने तो पढ़ा भी नहीं था। मैं तो पढ़ा और आज संशोधन में दे दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप यह जान लें हम जिस समय खानेदार आलमारी से लिये, उस समय तक संशोधन नहीं मिला था।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं और माननीय सदस्य हर बात पर खड़े हो रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- हर लाईन पर।

श्री भूपेश बघेल :- हर लाईन पर खड़े हो रहे हैं। यह तो दुर्भाग्यजनक बात है। वे इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वे दो-दो बार मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से उनका व्यवहार है। थोड़ा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उनको बोलने दीजिये। माननीय मंत्री जी का भाषण समाप्त हो रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- बस, अब संक्षिप्त कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, संक्षिप्त करिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग में माननीय अकबर भाई एक पढ़कर सुना रहे थे कि विज्ञापन में क्या कहा गया और मूल अधिनियम में क्या कहा गया है। अभी कहा जा रहा है कि किसान कहीं भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाकर अपना उत्पाद उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। आज कानून में बेच सकते हैं। क्या पहले नहीं था ? हम अपना टमाटर पाकिस्तान और बंगलादेश में आज भी भेजते हैं और पहले भी भेजते थे। आप लोग प्रधानमंत्री जी से असत्य कथन क्यों बुलवा रहे हैं ? हर बात में कि यह तीनों बिल क्यों लाया गया ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के चलते पूरे

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देश में आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गई । औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियां ठप्प हो गई। मंदी का दौर चल रहा है। केवल एक मात्र क्षेत्र कृषि है, जिसमें आज भी किसानों ने अपनी मेहनत करके उसको जीवित रखा हुआ है। सितम्बर माह में सारे हिन्दुस्तान में जी.एस.टी. का कलेक्शन कम हुआ। लेकिन हम तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि केवल हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां जी.एस.टी. का कलेक्शन पिछले साल के सितम्बर माह की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़ा। इसका मतलब है कि किसानों के पास पैसे गये, पैसे का फ्लो बढ़ा। यह आप पूछ रहे हो न कि 15 सौ करोड़, पहली किश्त, दूसरी किश्त। हमारा किसान इस कोविड के चलते सक्षम हुआ, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। इसी कारण इस देश में इसी प्रकार के कानून बनाये जा रहे हैं कि पूरे कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों का नियंत्रण हो जाये, कार्पोरेट हाउसेज का नियंत्रण हो जाये, उनका बाजार में नियंत्रण हो जाये, बाजार का उतार-चढ़ाव उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के इशारों पर हो जाये, इसलिए हमने कानून में संक्षिप्त सा प्रयास किया है। आज जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में हम इसको और दुरूस्त करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय धर्मजीत जी भैय्या को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मण्डी को और कैसे सक्षम बनाया जाये, मण्डियों में और क्या कुछ किया जाये, का सुझाव दिया। सुधार की गुजाइश हर जगह होती है। धर्मजीत भैय्या खुद मंडी अध्यक्ष रहे हैं, हमारी धरम लाल कौशिक जी मंडी अध्यक्ष रहे हैं, , अकबर भाई मंडी अध्यक्ष रहे हैं और पं. शिवरतन जी भी मंडी के अध्यक्ष रहे हैं। उनको पीड़ा है कि इन कानूनों से मण्डी समाप्त हो जायेगा। लेकिन भगवा धारण किए हुए हैं तो कैसे बोल सकते हैं। वे नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। लेकिन हमारा यह प्रयास न केवल मण्डी को बचाने के लिए, मण्डियों के माध्यम से किसानों को मदद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत अच्छी चर्चा हुई, सारे सदस्यों ने बहुत अच्छी चर्चा की। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय :

7.16 बजे

सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधानसभा का यह अष्टम सत्र जो कि 27 एवं 28 अक्टूबर, 2020 के लिए आहूत किया गया था, सत्र हेतु निर्धारित कार्य पूर्ण हो जाने के कारण आज इस सत्र का समापन हो रहा है।

हमारा छत्तीसगढ़ कृषि आधारित प्रदेश है । किसान भाईयों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस विशेष सत्र में कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक पारित किया गया, जिस पर लगभग 5 घंटे चर्चा हुई ।

उत्साह और उमंग का पर्व दीपावली आने को है, मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

इस एक दिवसीय सत्र में आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। आगामी सत्र जो कि शीतकालीन सत्र होगा, जिसकी संभावित तिथि की पूर्व में घोषणा की जा चुकी है, उसी अनुसार होगा। अब राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
7.17 बजे

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन गण मन" की धुन बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 07 बजकर 18 मिनट पर विधान सभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्रशेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक : 27 अक्टूबर, 2020 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं